

CO:MBD:2020-21:87

11th August, 2020

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051	General Manager Corporate Relationship Deptt BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sir/Madam,

Reg : Submission of Annual Report
(Compliance under Regulation 34 of Securities & Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015)

Please refer to our letter no. CO:MBD:2020-21:84 dated 7th August 2020 submitting thereby proceedings of the 13th Annual General Meeting (AGM) held on 7th August, 2020 and details as per Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement.

Pursuant to Regulation 34 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith Annual Report of the Bank for Financial Year 2019-20 as approved and adopted by the shareholders at the 13th Annual General Meeting of Bank held on Friday, 7th August, 2020.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For CENTRAL BANK OF INDIA



ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER-/
COMPANY SECRETARY

AB





सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परंपरा से प्रेरित-प्रौद्योगिकी से संचालित
INSPIRED BY TRADITION. DRIVEN BY TECHNOLOGY.

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2019-2020





सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कॉरपोरेट विज़न, मिशन और सैद्धान्तिक कथन CORPORATE VISION, MISSION AND VALUE STATEMENT

विज़न / VISION

सबकी बैंकिंग एवं वित्तीय जरूरतों
का केन्द्र बिन्दु बनना.

To be CENTRAL
to the banking and
financial needs of all

मिशन / MISSION

प्रभावी मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी के
माध्यम से ग्राहक केन्द्रित उत्पाद एवं सेवायें
उपलब्ध कराना.

To provide Customer Centric products
and services by leveraging human
resources and technology.

सैद्धान्तिक कथन / VALUE STATEMENT


C- Consistency - निरंतरता
E- Ethical Standards - नैतिक मानक
N- Nurturing Potential - संभाव्य क्षमताओं का पोषण
T- Transparency - पारदर्शिता
R- Responsiveness - अनुकूल प्रतिक्रिया
A-Accountability - जवाबदेही
L-Loyalty - निष्ठा

अनुक्रमणिका / INDEX


विषय सूची / Contents	पृष्ठ क्र./ Page No.
निदेशक मंडल, लेखापरीक्षक, आरटीए तथा निवेशक सेवाओं का ब्यौरा Details of Board of Directors, Auditors, RTA and Investor Services	2
संगठनात्मक संरचना / Organisation Setup	3
निदेशक मंडल / Board of Directors	5
कार्यात्मक प्रभारी / Functional Heads	7
अध्यक्ष का संदेश	9
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	11
सूचना	13
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	23
निदेशक रिपोर्ट	24
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	29
सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	34
प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण	36
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	83
सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	107
दिनांक 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र	117
दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	118
तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ	119
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	125
लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ	130
दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणियाँ	157
दिनांक 31.03.2020 को पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण	159
समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट	193
Chairman's Message	221
Managing Director and Chief Executive Officer's Message	223
Notice	225
Performance Highlights	234
Directors Report	235
Secretarial Audit report	240
Secretarial Compliance report	245
Management Discussion & Analysis	247
Corporate Governance	291
Auditors' Report to the Members	315
Balance Sheet as at 31 March, 2020	323
Profit & Loss account for the year ended 31 March, 2020	324
Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	325
Significant Accounting Policies	331
Notes Forming part of Accounts	336
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2020	360
Pillar 3 (BASEL III) Disclosures as on 31.03.2020	362
Auditor's Report on Consolidated Financial Statements	398

<p>निदेशक मंडल</p> <p>श्री तपन राय श्री पल्लव महापात्र श्री. बी. एस. शेखावत श्री आलोक श्रीवास्तव डॉ. भूषण कुमार सिन्हा श्री थॉमस मैथ्यू प्रो. (डॉ.) आत्मानंद श्रीमती मिनी आइप</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS</p> <p>SHRI TAPAN RAY SHRI PALLAV MOHAPATRA SHRI B. S. SHEKHAWAT SHRI ALOK SRIVASTAVA DR. BHUSHAN KUMAR SINHA SHRI THOMAS MATHEW PROF. (Dr.) ATMANAND SMT MINI IPE</p>
<p>लेखा परीक्षक</p> <p>मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार मे. मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी मे. एएजेवी एंड एसोशिएट मे. एस जयकिशन</p>	<p>AUDITORS</p> <p>M/s. Borkar & Muzumdar M/S. Mukund M. Chitale & Co M/S. AAJV And Associates M/S. S. Jaykishan</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट</p> <p>लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS</p> <p>Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्राचार हेतु पता</p> <p>उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 / 7575 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK</p> <p>DGM / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 / 7575 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>

संघटनात्मक संरचना



ORGANISATION SETUP



निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री तपन राय
Shri TAPAN RAY

अध्यक्ष
Chairman



श्री पल्लव महापात्र
Shri PALLAV MOHAPATRA

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री आलोक श्रीवास्तव
Shri ALOK SRIVASTAVA

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / Contd...)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA

निदेशक
Director



श्री थॉमस मैथ्यू
Shri THOMAS MATHEW

निदेशक
Director



प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND

निदेशक
Director



श्रीमती मिनी आइप
Smt MINI IPE

निदेशक
Director

कार्यात्मक प्रभारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी	
1.	श्री परशुराम पंडा बी.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी, डीआईबीएफ
महाप्रबंधक	
2.	श्री उमेश कुमार सिंह बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस एवं इले.) सीएआईआईबी, डीआईटीआरएम
3.	श्री नरेन्द्र सिंह बी.कॉम., सीएआईआईबी
4.	श्री कमलेश कुमार तनेजा बी.एससी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), डीआईसीई, सीएआईआईबी, डीआईबी, डीटीआईआरएम
5.	श्री सीताराम खटिक बी.कॉम., एम.ए., सीएआईआईबी
6.	श्री पेरूरी जोगेश्वर कुमार बी.एससी., सीएआईआईबी
7.	श्री ई. रतनकुमार बी.ई., एम.टेक., फाइने. मैनेजमेंट में मास्टर
8.	श्री स्मृति रंजन दाश एम.ए., सीएआईआईबी
9.	श्री के. सत्यनारायण एम.कॉम., सीएआईआईबी
10.	श्री विजय वसंत मुरार बी.एससी., सीएआईआईबी, टैक्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा
11.	श्री अशोक कुमार भारती बी.ए., सीएआईआईबी
12.	श्री श्रीराम दत्तात्रय माहुरकर बी.एससी., सीएआईआईबी
13.	श्री विपन कुमार महेन्दु सीएआईआईबी, डीबीएम, एमएसएमई एण्ड टी. फाई. में प्रमाणपत्र
14.	श्री मुकुल एन. दंडिगे बी.एससी, सीएआईआईबी
15.	श्री सुनिल सीताराम चव्हाण बी.कॉम., सीएआईआईबी, एमएसएमई फाई. में प्रमाणपत्र
16.	श्री मयंक दिनेश शाह बी.कॉम., जेएआईआईबी
17.	श्री देबदत्त नायक एम.ए. (अर्थशास्त्र)
18.	श्री गिरीश चंदुलाल कारिया बी.कॉम. (ऑनर्स), सीएआईआईबी
19.	श्री शैलेन्द्र प्रसाद धल एम.एससी.(गणित), सीएआईआईबी, एमबीए (फाइनेंस)
20.	श्री एच. एस. गरसा बी.एससी., सीएआईआईबी
21.	श्री हरिलाल भार्गवन सुमथी बी.एससी.(कृषि), सीएआईआईबी, डीटीआईआरएम
22.	श्री मोहित कोडनानी बी.ई. (ई एण्ड टी), एमबीए, जेएआईआईबी, सीसीएनए
23.	श्री गोपीनाथन बी.एससी., एम.ए., सीएआईआईबी, डीटीआईआरएम
24.	श्री डी.एन. राजेन्द्र कुमार एम.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी, पीजीडीएफएम
25.	श्री विवेक कुमार बी.एससी., बी.एड., एमएमएस (फाइनेंस), सीएआईआईबी
26.	श्री ए.डी. श्रीनिवास बी.कॉम., सीएआईआईबी
27.	श्री अमृत कुमार एम.एससी (कृषि), सीएआईआईबी
28.	सुश्री नमिता रॉय शर्मा एम.एससी, एलएलबी, सीएआईआईबी, डीआईएम, लिमिटेड इन्सॉल्वन्सी
उप महाप्रबंधक / कार्यात्मक प्रभारी	
29.	श्री अजित सिंह बी.ए., सीएआईआईबी
30.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बी.कॉम., एलएलबी
31.	श्री आनंद कुमार दास एफसीएस, एलएलबी, बी.कॉम., सीएआईआईबी, सीबीसीपी
32.	श्री एस. शाकिर हसन अयुबी बी.एससी.(गणित), पीजीडीबीएम

FUNCTIONAL HEADS

CVO		
1.	SHRI PARSHURAM PANDA	B.SC. (AGRI), CAIIB, DIBF
GENERAL MANAGER		
2.	SHRI UMESH K. SINGH	BE (COMP. SC. & E) CAIIB, DITRM
3.	SHRI NARENDRA SINGH	BCOM,CAIIB
4.	SHRI KAMLESH KUMAR TANEJA	B.SC. MA (ECO.), DICE, CAIIB, DIB, DTIRM
5.	SHRI SITARAM KHATIK	B.COM, M.A., CAIIB
6.	SHRI PERURI JOGESWARA KUMAR	B.SC., CAIIB
7.	SHRI E. RATANKUMAR	BE, M. TECH, MAST. IN FIN. MAN.
8.	SMT. SMRUTI RANJAN DASH	M.A., CAIIB
9.	SHRI K. SATYANARAYAN	M. COM., CAIIB
10.	SHRI VIJAY VASANT MURAR	B.SC., CAIIB, PG DIP. IN TAX. MAN.
11.	SHRI ASHOK KUMAR BHARTI	B.A., CAIIB
12.	SHRI SHRIRAM DATTATRAY MAHURKAR	B.SC. , CAIIB
13.	SHRI VIPAN KUMAR MAHENDRU	CAIIB, DBM, CERTIFICATION IN MSME AND T. FIN.
14.	SHRI MUKUL N. DANDIGE	B. SC., CAIIB
15.	SHRI SUNIL SITARAM CHAVAN	B. COM, CAIIB, CERTIFICATE OF MSME FIN.
16.	SHRI MAYANK DINESH SHAH	BCOM, JAIIB
17.	SHRI DEBADUTTA NAYAK	MA (ECONOMICS)
18.	SHRI GIRISH CHANDULAL KARIA	BCOM [HONS], CAIIB
19.	SHRI SAILENDRA PRASAD DHAL	M.SC. (MATH), CAIIB, MBA (FINANCE)
20.	SHRI H. S. GARSA	BSC,CAIIB
21.	SHRI HARILAL BHARGAVAN SUMATHY	B.SC (AGRI), CAIIB, DTIRM.
22.	SHRI MOHIT KODNANI	BE (E&T), MBA , JAIIB, CCNA
23.	SHRI GOPINATHAN	BSC, MA, CAIIB, DTIRM
24.	SHRI D.N.RAJENDRA KUMAR	M.SC (AGRI), CAIIB, PGDFM
25.	SHRI VIVEK KUMAR	B.SC., B.ED, MMS (FINANCE), CAIIB
26.	SHRI A. D. SRINIVAS	BCOM,CAIIB
27.	SHRI AMRIT KUMAR	MSC (AGRI), CAIIB
28.	SMT. NAMITA ROY SHARMA	M SC, LLB, CAIIB, DIM,LIMITED INSOLVENCY
DEPUTY GENERAL MANAGER/FUNCTIONAL INCHARGE		
29.	SHRI AJEET SINGH	BA, CAIIB
30.	SHRI RAJESH KUMAR SHRIVASTAVA	B COM, LLB
31.	SHRI ANAND KUMAR DAS	FCS, LLB, B COM, CAIIB, CBCP
32.	SHRI S.SHAKIR HASAN AYUBI	B.SC (MATHEMATICS), PGDBM



अध्यक्ष महोदय का सन्देश

प्रिय स्टेकधारकगण,

मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं आपको संबोधित करने के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कई परिप्रेक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है तथा ग्राहकों के लाभ एवं स्टेकधारकों के हित में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली अपनाई है. बैंक ने कार्य-कुशलता के सृजन पर बल दिया है और उसके द्वारा अपने कार्य-निर्वहन के महत्त्व को बढ़ाया है.

जैसा कि हम सभी जानते हैं नोवेल कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया है जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए देशव्यापी लॉक डाउन जिसे अपरिहार्य उपाय के रूप में दुनिया के कई देशों ने अपनाया, जिसके कारण उत्पादन, उपभोक्ता मांग, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि में मंदी आ गई एवं अर्थव्यवस्था की आपूर्ति तथा माँग पक्ष दोनों प्रभावित हुये. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि के जून, 2020 के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% तक संकुचित होने की संभावना है और वर्ष 2021-22 में 6.0% तक बढ़ने की संभावना है.

बैंकिंग प्रणाली आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण वाहक है क्योंकि यह बचत को संग्रहित करती है और उसे उत्पादक निवेश की राह पर ले जाती है. भारत सरकार ने 2019 में फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूजीकरण की घोषणा की और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए. दक्षता बढ़ाने के लिए अब बैंकों ने जोखिम आधारित प्राइसिंग, स्ट्रेड असेट वर्टिकल, कैश-फ्लो रिंग फेन्सिंग इत्यादि के सृजन की ओर कदम बढ़ाये है. इन उपायों से बैंकिंग प्रणाली की क्षमता मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह बढ़ेगा. नीतिगत दरों के बेहतर प्रसारण के लिए बैंकों ने अपने विभिन्न उत्पादों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ दिया है. ये प्रयास समग्र रूप से अर्थव्यवस्था हेतु दक्षता लाभ को और बढ़ायेंगे.

मैं सहर्ष इस बात को सूचित कर रहा हूँ कि आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कई अभिनव कदम उठाए हैं, जैसे व्यवसाय पर बेहतर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप रिटेल उत्पादों को युक्ति संगत बनाना, रिटेल ऋणों के लिए केन्द्रीयकृत ऋण प्रसंस्करण शाखाओं की स्थापना करना, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मार्केटिंग के लिए अलग वर्टिकल के स्थापना करना इत्यादि. मैं यह भी सहर्ष साझा करना चाहता हूँ कि आपके बैंक ने विश्लेषणात्मक आधारित व्यवसाय रूपांतरण कार्यक्रम, डेटा वेयरहाउसिंग के उन्नयन की प्रक्रिया, एमएसएमई हब स्थापित करने की योजना इत्यादि की ओर कई अभिनव कदम बढ़ाए हैं. ये सभी प्रयास आपके बैंक को दीर्घकालीन निपुणता एवं लाभ प्रदता के पथ पर ले जाने चाहिए. आगे बढ़ते हुए, समग्र बैंकिंग उद्योग में इस निपुणता को कृत विभिन्न संशोधनों, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रभावी समाधान, त्वरित वसूली प्रक्रिया, यथोचित धोखाधड़ी नियंत्रण प्रणाली, बेहतर ट्रांसमिशन इत्यादि से और भी बल मिलना चाहिए.

भारत सरकार ने विस्तारित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (EASE) रिफॉर्म इंडेक्स के अंतर्गत जनवरी 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सुधारों के अजेंडा की घोषणा की थी. ईज 1.0 (2018-19) तथा ईज 2.0 (2019-20) ने एक सुनियोजित तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न मुद्दों को

प्रतिपादित किया और जिससे बोर्ड एवं नेतृत्व द्वारा अधिक प्रभावी अधिशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ. इन सुधारों के कारण बैंकिंग के विभिन्न आयामों जैसे अंडरराइटिंग, निगरानी, वसूली, स्मार्ट बैंकिंग इत्यादि बेहतर हुए इसलिए, ईज 1.00 एवं ईज 2.00 में सुदृढ़ बैंकिंग हेतु दृढ़ नींव रखकर, ईज 3.00 "एक आकांक्षी एवं समावेशी भारत के निर्माण करने के साथ-साथ सूचना तकनीक प्रणाली के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग तथा प्रशासन एवं परिणामोन्मुखी मानव संसाधन हेतु पारदर्शी कार्यसूची सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेहतर ऋण दाता एवं तकनीकी युक्त ईज के प्रमुख संचालक बनने हेतु प्रेरित करता है."

आपके बैंक ने प्रभावी शाखा बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक केन्द्रीयता के मूल महत्त्व के साथ-साथ अन्य अभिनव प्रणालियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, तेजी से विकसित होते वित्तीय उद्योग के मानकों को अपनाया है. बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा के लिए तकनीक का बेहतर लाभ लिया है. आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित व सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया है और अति उच्च कोटि के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत है, जो बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन पर दीर्घकालीन प्रभाव अवश्य डालेंगे.

जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विषय है, आपके बैंक ने पारदर्शिता की उच्चतम श्रेणी का अनुपालन किया है. व्यवसाय के संचालन में नैतिक व्यवहार और प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता में उच्च मानकों को बनाए रखते हुए आपके बैंक के कॉर्पोरेट ने हमेशा स्टैकधारकों के महत्त्व को अधिकतम रखने पर बल दिया है. बैंक ने गवर्नेंस की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं एवं मानकों को अपनाया है, जिसकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है.

अंत में, मैं अपने ग्राहकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कर्मठ सेवा प्रदान करने की अनुमति दी. मैं अपने स्टैकधारकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे सभी प्रयासों को अपना लगातार समर्थन दिया.

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

तपन राय

स्थान: गांधीनगर

दिनांक 29 जून, 2020.



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही के समय में भू-राजनैतिक तनावों, व्यापार सम्बंधित जटिलताओं तथा सबसे महत्वपूर्ण, नोबल कोविड-19 के प्रकोप जैसे कई कारकों से वैश्विक आर्थिक परिवेश उल्लेखनीय रूप से बाधित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक आउटपुट में "बहुत तेजी से गिरावट" आई है, जो विगत में दुर्लभ है क्योंकि दुनियाभर के देश अभूतपूर्व "महा-लॉकडाउन" में चले गए. कोविड-19 की महामारी के कारण आयी आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए कई देशों ने बड़े पैमाने पर कई प्रेरक उपायों को अपनाया. वैश्विक स्तर पर अनेक देशों ने परिवारों को आर्थिक सहायता, व्यवसायों को प्रोत्साहन, गरीबों को नकद राशि और खाद्य सामग्री इत्यादि तथा अन्य लोगों को विभिन्न सहायता उपलब्ध कराई. मौद्रिक मोर्चे पर कई देशों के केन्द्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरों को घटाया और सिस्टम में बेहतर लिक्विडिटी लाने के लिए कई अन्य उपायों का सहारा लिया. वर्ष 2020 लिए यह अनुमान है कि वैश्विक विकास उल्लेखनीय तौर पर संकुचित होगा और उसके बाद, अनुकूल आधारभूत प्रभावों, प्रोत्साहन उपायों के सकारात्मक परिणामों तथा कोविड-19 के उपचार में प्रत्याशित प्रगति के कारण वर्ष 2021 में वैश्विक विकास में फिर उछाल आएगा.

घरेलू अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 4.1% की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.1% के साथ औसत रही. अंतिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी 2018-19 में 6.1% की तुलना में 4.2% थी. वर्ष 2019-20 में निजी अंतिम खपत औसत रही लेकिन सरकारी अंतिम खपत के व्यय ने वर्ष 2019-20 में दोहरे अंक की वृद्धि दर्शाई है. उच्च फ्रीक्वेंसी डेटा ने संकेत दिया कि कोविड-19 महामारी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है. अप्रैल तथा मई 2020 में विनिर्माण तथा सेवा उद्योग, दोनों ही संकुचन क्षेत्र में बने रहे, जैसा पीएमआई आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है.

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाते हुए "आत्म निर्भर भारत" की घोषणा की है. उक्त पैकेज के अंतर्गत प्रदान की गई कुल प्रोत्साहन राशि ₹20,97,053 करोड़ है. इस पैकेज के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता की घोषणा की गई. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई, व्यवसायों इत्यादि को सहायता प्रदान की. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ₹50 लाख के बीमा कवरेज की घोषणा की है इसके साथ ही, सरकार ने गरीबों के खातों में नकद राशि के अंतरण तथा खाद्य, सामग्री एवं गैस सिलिंडर इत्यादि प्रदान करने की भी घोषणा की है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कई बार नीतिगत दरों में कमी की है. इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिस्टम लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के परिचालनों को लक्षित किया. भा.रि.बैं. ने सावधि ऋणों पर शुरुवात में तीन महीनों के लिए ऋण स्थगन भी दिया और बाद में इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के लिए, मार्च 2020 में ऋण तथा जमा दोनों की वृद्धि मार्च 2019 की तुलना में मध्यम रही.

में, वर्ष के दौरान आपके बैंक के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना चाहता हूं. बैंक का कारोबार वित्त वर्ष 2018-19 में ₹4,67,584 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019-2020 में ₹4,86,007 करोड़ रहा. बैंक की जमा राशि 31 मार्च, 2019 के ₹2,99,855 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-2020 के दौरान

₹3,13,763 करोड़ रही. कुल जमाओं में कासा का अंश 31 मार्च, 2019 के 46.39% के मुकाबले 46.83% रहा. कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष आधार पर 2.69% की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च, 2019 के ₹1,67,729 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को ₹1,72,244 करोड़ रहे.

पिछले 3-4 वर्षों से बैंकिंग उद्योग में सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से बैंक में आस्ति गुणवत्ता प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है. केन्द्रित प्रयास करके, हमने नकद वसूली (एन पी ए की बिक्री सहित) के रूप में वित्त वर्ष, 31 मार्च, 2020 को समाप्त में ₹3,326 करोड़ जमा किए जोकि पिछले वित्त वर्ष 2019 में ₹5,161 करोड़ थे. हालाँकि सकल एनपीए का प्रतिशत 31 मार्च, 2019 के 19.29% से घटकर 18.92% रहा, इसके साथ ही निवल एनपीए 31 मार्च, 2019 के 7.73% से घटकर 31 मार्च, 2020 को 7.63% रहे. बड़े खातों में वसूली पिछले वित्त वर्ष के ₹557 करोड़ की अपेक्षा ₹693 करोड़ रहीं. हम वित्त वर्ष 2020-21 में आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी के माध्यम से तथा बाह्य माध्यम से कुछ बड़े खातों में समाधान की अपेक्षा रखते हैं. हम वर्ष 2020-2021 के दौरान, अधिकतम एन पी ए वसूली, आस्ति गुणवत्ता में सुधार एवं शुद्ध लाभ अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक की जमाओं की लागत घटकर 5.11% हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान यह 5.21% थी. बैंक की शुद्ध ब्याज आय वर्ष 2019-20 के ₹6773 करोड़ से बढ़कर ₹7629 करोड़ हुई जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान गैर ब्याज आय ₹2413 करोड़ से बढ़कर ₹3637 करोड़ हुई. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन आई एम) 2.54% के सापेक्ष 2.80% रहा.

बैंक का परिचालन लाभ ₹ 3127 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 4,344 करोड़ रहा. तदपि, पिछले वर्ष के ₹ 5641 करोड़ की तुलना में इस बार ₹ 1,121 करोड़ का शुद्ध घाटा उठाया है. बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो दिनांक 31.03.2019 के 76.60% से बढ़कर 77.29% हो गया. जिससे बैलेंस शीट को दृढ़ता प्राप्त हुई है. आय के प्रति लागत अनुपात 31.03.2019 के 65.96% में उल्लेखनीय सुधार सहित 31.03.2020 को 61.44% हो गया. पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात सीआरएआर (बेसल III) वित्त वर्ष 2019 के 9.61% से सुधरकर वित्त वर्ष 2020 में 11.72% हुआ है. यह सभी वित्तीय संकेतक सकारात्मक रूप से सही दिशा में परिवर्तन दिखाते हैं.

31 मार्च, 2020 तक, बैंक के पास 4,651 शाखाओं, 3,642 एटीएम, 10 सेटेलार्ड कार्यालयों और 1 एक्सटेंशन काउंटर का नेटवर्क है. सभी 28 राज्यों, 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 7 में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों और 739 जिलों में से 642 जिलों में बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति बैंक की शक्ति का स्रोत है.

मुझे दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है.

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

हस्ताक्षर/-

पल्लव महापात्र

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 जून, 2020

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 13वीं (तेरहवीं) वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 7 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, चंद्रमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थल) में विडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से (ओएवीएम) निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

- 1) दिनांक 31 मार्च 2020 को बैंक का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टैन्ड अलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, खातों की इस अवधि में बैंक के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन करना तथा इन्हें स्वीकार करना.
- 2) एफपीओ / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन(नों) सहित या रहित, इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव है कि समय-समय पर संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”), और / अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और अद्यतन संशोधित सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2018, (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सूचीकरण विनियमन), आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा सभी अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं अन्य सभी आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एवं जिसे एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद ‘बोर्ड’ कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी वृद्धि समिति शामिल है जिसे बोर्ड द्वारा अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से एक से अधिक श्रृंखला में, उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 5000/- करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम सहित, यदि कोई है) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधि संस्थाओं, पेंशननिधि संस्थाओं, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन, अति आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक निर्गम (अर्थात्, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा राइट्स इश्यू और/अथवा अर्हताप्राप्त संस्थानों के नियोजन सहित निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम नियोजन और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“सेबी - आईसीडीआर विनियम”) के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी, जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस(उन) समय में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक से सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं की सलाह से अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा”.

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल

बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण) विनियम 2000 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें (संयुक्त रूप से इसके बाद "सक्षम प्राधिकारी" के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन" कहा गया है) निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधानों के तहत बैंक, विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय, बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार कर सके.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्ति के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग करने के लिए निदेशक मंडल एतद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपॉ जिटरी(रियों), पंजीयक(को), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा उनमें शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी व्यवस्थाओं को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी व्यवस्थाओं, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा."

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/ वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(को) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यो) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर/-

(आनंद कुमार दास)

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29.06.2020

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

2. विडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन

i. कोविड-19, महामारी के चलते हुए, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (“एमसीए”) ने अपने परिपत्र संख्या 20, दिनांक 5 मई, 2020, सहपठित परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (इसके बाद इन्हें सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” कहा जायेगा) के माध्यम से एक स्थल पर उपस्थित हुए बिना, विडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। इन एमसीए परिपत्रों और सेबी(सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

ii. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते / सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक “एमसीए परिपत्र” के अनुरूप विडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जा रही है, सदस्य का भौतिक रूप से उपस्थित रहना समाप्त किया गया है। तदनुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, अतः प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

iii. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति बैंक को investors@centralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक न भेजी जाए जोकि 2 अगस्त, 2020 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है।

iv. ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरणों का पंजीकरण :

यदि खाताधारक का ई-मेल आईडी पहले ही बैंक / उसका पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट "आरटीए" / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो ई-वोटिंग के लॉग-इन विवरण उस पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे।

यदि खाताधारक ने अपना ई-मेल आईडी बैंक / उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट "आरटीए" / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं किया है अथवा डिविडंड, यदि भविष्य में घोषित किया जाता है, के प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्न अनुदेशों का पालन करें:

(i) कृपया हमारा आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेस ई-मेल / बैंक डिटेल् रजिस्ट्रेशन पर लॉग-इन करें. विवरण भरें और आवश्यक कागजात अपलोड कर, सबमिट करें. अथवा

(ii) यदि शेयर डीमेट स्वरूप में रखे गये हैं :

शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमेट खाते में ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें.

v. उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक रिपोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके -मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं. सदस्य नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन्स लिंक के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. तथा बीएसई लिमिटेड इन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं. सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ ओएवीएम सुविधा से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं.

vi. ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक से जुड़ने के लिए निम्न अनुदेश हैं:

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारक/सदस्यों के लिए अनुदेश:

1) शेयरधारक/सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रदत्त वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु निम्न प्रक्रिया करने के बाद पात्र होंगे. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक से जुड़ने की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खुल जायेगी और सदस्यों को "पहले आयें, पहले पायें" के आधार पर उपलब्ध होगी.

शेयरधारक/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण "पहले आयें, पहले पायें" के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक/सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रामिक समिति, स्टैकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में "पहले आयें, पहले पायें" के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15(पंद्रह) मिनट तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित हैं.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारक/सदस्यों को 'इन्स्टामीट' सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारक/सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर बैठक में उपस्थित रहना होगा:

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> डालें और निम्न विवरण पंजीकृत करें :

ए. डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं.: आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 आंकड़ों वाला डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं. प्रविष्ट करें.

- बी. पैन : आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता नंबर प्रविष्ट करें.
- सी. मोबाइल नंबर.
- डी. ई-मेल आईडी

2. "गो टू मिटिंग" पर क्लिक करें.

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राड बैंड से जुड़े टैबलेट / लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान अवरोध टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्पीड) के इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें कि मोबाईल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाईल / टैबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अतः उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6270 पर कॉल करें.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान वक्ता के रूप में पंजीकरण चाहने वाले शेयरधारकों/सदस्यों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने वाले शेयरधारक/सदस्य स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपना अनुरोध ई-मेल smmbd@centralbank.co.in पर दिनांक 04.08.2020 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 06.08.2020 को सायं 5.00 बजे तक अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें.

बैठक के दौरान वक्ताओं को "पहले आयें, पहले पायें" के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

शेयरधारक/सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल investors@centralbank.co.in पर अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें. उसका जवाब बैंक द्वारा यथासमय दिया जाएगा.

नोट :

बैठक के दौरान, सिर्फ वक्ता के रूप में पंजीकृत शेयरधारकों/सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी. बैंक वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपलब्ध समय के अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

बैठक के दौरान अवरोध टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा और अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्पीड) के इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान इन्स्टामीट के माध्यम से वोट करने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अनुदेश :

बैठक के दौरान जब जांचकर्ता(स्क्रूटिनाइजर) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय किया जाएगा तब जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार अपना वोट दे सकेंगे :

1. शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर ई-वोटिंग के लिए "कास्ट यूवर वोट" लिंक पर ई-वोटिंग के लिए क्लिक करें.
2. डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या और "इन्स्टामीट" के पंजीकरण के दौरान (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त) ओटीपी प्रविष्ट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.
3. सफल (सक्सेसफुल) लॉगिन के पश्चात आपको मतदान करने के लिए "रिजोल्यूशन डिस्क्लीषन" और उसके सामने "फेवर/ अगोन्स्ट" का विकल्प दिखायी देगा.
4. अपने इच्छित विकल्प अर्थात "फेवर/ अगोन्स्ट" का चयन कर अपना वोट दें. नियत (कट ऑफ) तारीख पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) "फेवर/ अगोन्स्ट" में प्रविष्ट करें.
5. आपके निर्णय के अनुसार "फेवर/ अगोन्स्ट" में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सेव' क्लिक करें. "कन्फर्मेशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोटों की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो "बैक" पर क्लिक कर, अपने वोट में सुधार करें.
6. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात, अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना फिर संभव नहीं होगा.

नोट :

“इन्स्टामीट” सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में जो शेयरधारक/सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए वजित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे।

वार्षिक सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों /सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया है, वे वार्षिक सामान्य बैठक में इन्स्टामीट सुविधा के जरिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहने/सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे। तथापि, वे बैठक के दौरान पुनः वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6270 पर कॉल करें।

3. रिमोट ई-वोटिंग

1. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं। बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से गुरुवार, दिनांक 06 अगस्त, 2020 को सायं 5.00 बजे तक है। इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 को भौतिक रूप से या डीमेट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.(एलआईआईपीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन करें।

1. एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर विजित करें : यूआरएल <https://instavote.linkintime.co.in> टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें।
2. 'शेयरहोल्डर' सेक्शन में "लॉग-इन" टैब पर क्लिक करें।
3. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दर्शाया गया इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैपचा) प्रविष्ट करें और "सबमीट" पर क्लिक करें।
4. आपके यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार होंगे :

ए. एनएसडीएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए : आपका यूजर आईडी 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी रहेगा।

बी. सीडीएसएल के साथ डीमेट खाते में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए : आपका यूजर आईडी 16 अंकीय लाभार्थी आईडी रहेगा।

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स (अर्थात् शेयर सर्टिफिकेट) रखने वाले शेयरधारक : आपका यूजर आईडी इवेंट नंबर + कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर रहेगा।

5. आपके पासवर्ड विवरण नीचे दिये गये हैं:

यदि आप एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली <https://instavote.linkintime.co.in> के प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं अथवा यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर्स हैं, तो आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :

'शेयरहोल्डर' सेक्शन में उपलब्ध "साइन-इन" टैब क्लिक करें, आपके विवरण पंजीकृत करें और आपकी रुचि के अनुसार पासवर्ड बनायें और उसकी पुष्टि करें। (पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर हो, जिनमें कम-से-कम एक स्पेशल कैरेक्टर, कम-से-कम एक न्यूनमरल, कम-से-कम एक एल्फाबेट और कम-से-कम एक कैपिटल लेटर हों।

	डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक पैन नंबर एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> वे सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-मेल द्वारा संप्रेषित सिक्वेन्स नंबर का प्रयोग करें. यदि ई-मेल द्वारा सिक्वेन्स नंबर प्राप्त नहीं हुआ है तो सदस्य सिक्वेन्स नंबर के लिए instameet@linkintime.co.in को ई-मेल करें अथवा टेलीफोन नंबर 022-4918 6270 पर कॉल करें.
जन्म तिथि / निवेश तिथि	अपने डीमेट खाते अथवा फोलियो नंबर के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध जन्मतिथि (डीओबी) / निवेश तिथि (डीओआई) डीडी/एमएम/वायवायवायवाय प्रारूप में प्रविष्ट करें.
बैंक खाता संख्या	<p>अपने डीमेट खाते अथवा फोलियो नंबर के लिए डीमेट खाते में रिकार्ड अथवा बैंक के रिकार्ड में रखें. बैंक खाता संख्या (अंतिम चार डिजिट) प्रविष्ट करें.</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण करने के लिए कृपया जन्मतिथि (डीओबी) / निवेश तिथि (डीओआई) अथवा बैंक खाता संख्या प्रविष्ट करें. यदि उक्त वर्णित विवरण डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट अथवा बैंक के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया बैंक खाता संख्या के स्थान पर फोलियो नंबर प्रविष्ट करें. जैसाकि अनुदेश (iv-सी) में बताया गया है.

यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने एलआईआईपीएल के ई-वोटिंग प्रणाली <https://instavote.linkintime.co.in> में पंजीकरण किया है और/अथवा इससे पूर्व किसी अन्य कंपनी के लिए वोटिंग किया है तो आप अपने उसी वर्तमान पासवर्ड का उपयोग लॉग-इन के लिए कर सकते हैं.

यदि डीमेट और भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले शेयरधारक अपना पासवर्ड भूल जाते हैं :

यूजर आईडी प्रविष्ट करें, मोड का चयन कर इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैपचा) प्रविष्ट करें और "सबमिट" पर क्लिक करें.

यदि शेयरधारक के पास वैध ई-मेल आईडी है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं जवाब, पैन, जन्म तिथि / निवेश तिथि, डिविडेंड बैंक विवरण आदि की सूचना देकर अपनी रुचि के अनुसार पासवर्ड तैयार कर पुष्टि करें. (पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर हो, जिनमें कम-से-कम एक स्पेशल कैरेक्टर, कम-से-कम एक न्यूमरल, कम-से-कम एक एल्फाबेट और कम-से-कम एक कैपिटल लेटर हों.)

नोट : डीमेट शेयरधारक द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग बैंक, जिसमें वो शेयरधारक है और वोटिंग के लिए पात्र है, द्वारा प्रस्तुत संकल्प के वोटिंग के लिए किया जायेगा बशर्ते बैंक ने एलआईआईपीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का विकल्प दिया हो.

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए यह विवरण सिर्फ इस सूचना में दिये गये संकल्प के वोटिंग हेतु है.

जोर्दार सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दें

- सफल लॉग-इन के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का "इवेंट नंबर" चयन करें या देखें (सिलेक्ट/व्यू).
- वोटिंग पेज पर आपको "रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "फेवर/अगेंस्ट" का विकल्प दिखायी देगा. उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार "फेवर/अगेंस्ट" का चयन कर अपना वोट दें.
कट ऑफ तारीख पर शेयर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) "फेवर/अगेंस्ट" में प्रविष्ट करें. आप "अलग रखना(अबस्टेन)" के विकल्प का भी चयन कर सकते हैं, तो धारित शेयर्स "फेवर/अगेंस्ट" के लिए नहीं गिने जायेंगे.
- यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "व्यू रिजोल्यूशन" फाइल लिंक पर क्लिक करें.
- आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो "फेवर/अगेंस्ट" में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सबमिट' क्लिक करें. "कन्फर्मेशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हां (यस)" पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो "नहीं (नो)" पर क्लिक कर, अपने वोट में संशोधन करें.

10. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं है।
11. आप वोटिंग पृष्ठ पर “प्रिंट” विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का ‘प्रिंट आउट’ भी ले सकते हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) एवं अभिरक्षक को एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में <https://instavote.linkintime.co.in> पर लॉग-इन कर अपने आपको “अभिरक्षक (कस्टोडियन) /म्युचुअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय” के तौर पर पंजीकृत करना होगा।

उन्हें बोर्ड का संकल्प / प्राधिकार पत्र/ मुख्तारनामा आदि की स्कैन की गयी प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि, साथ ही विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, पीडीएफ प्रारूप में “अभिरक्षक (कस्टोडियन) /म्युचुअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय” लॉग-इन में अपलोड करने होंगे, ताकि जांचकर्ता (स्कूटिनाइज़र) उसे सत्यापित कर सकें।

- वोटिंग अवधि के दौरान शेयरधारक उस विशिष्ट “इवेंट” के लिए संकल्प(ल्पों) हेतु वोट करने तक कई बार लॉग-इन कर सकते हैं।
- विभिन्न फोलियो/डीमेट खाता रखनेवाले शेयरधारक, प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- यदि शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो <https://instavote.linkintime.co.in>, पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध बार-बार पूछे जानेवालेप्रश्न (“एफएक्यू”) और इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन नं. : 022 - 49186000 पर संपर्क करें।

II. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा।

III. ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है, सिर्फ वह रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए पात्र होगा।

IV. ऐसा व्यक्ति, जो बैंक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 को शेयर धारण करता हो, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

V. इस सूचना की प्रति, बैंक की वेबसाइट एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु, ईजेडवाई लॉज, एडवोकेट्स एवं कॉर्पोरेट लिगल एडवाइजर के श्री अंकुर कुमार को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

VII. जांचकर्ता द्वारा ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर न्यूनतम दो (2) गवाहों, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं, की उपस्थिति में मतों को अनलॉक किया जायेगा और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष में अथवा विरुद्ध, जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी।

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के दो(2) दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 04 अगस्त, 2020 (मंगलवार) से दिनांक 07 अगस्त, 2020 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी।

6. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दिखाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर्स संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने का हकदार होगा।

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक के लिए वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट से देखें।

9 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

10. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या दूसरा (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट /मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात(7) वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा।

व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/ राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को सामान्य इक्विटी टीयर-1 (सीईटी-1) अनुपात न्यूनतम 5.50% एवं इक्विटी पूंजी (सीसीबी) के रूप में 2.50% की पूंजी संरक्षण बफर, टियर 1 अनुपात 9.50% एवं समग्र सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. बैंक को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी. अतः आपके निदेशकों ने ₹5000/- करोड़ (₹ पांच हजार करोड़) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अनुमोदन के अधीन बैंक, इक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम), राईट इश्यु, अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स इत्यादि विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसाय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार इक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति देना चाहता है. इक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेट बैंकर्स, अग्रणी प्रबंधकों, परामर्शदाताओं एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार इक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- इक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारण के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी, जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी वृद्धि समिति द्वारा इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.
- चूँकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना संभव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.
- पूर्ण प्रदत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किया जाएगा.
- प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.
- प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होगी.
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय-समय पर दी गई अनुमति को छोड़कर, यह प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगी.
- आबंटित इक्विटी शेयर्स डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की सूचना में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29.06.2020

हस्ताक्षर/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च.09	मार्च.10	मार्च.11	मार्च.12	मार्च.13	मार्च.14	मार्च.15	मार्च.16	मार्च.17	मार्च.18	मार्च.19	मार्च.20
कुल व्यवसाय	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%
कुल जमा	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%
कुल ऋण एवं अग्रिम	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%
निवेश	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.04%
सीडी अनुपात	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च.09	मार्च.10	मार्च.11	मार्च.12	मार्च.13	मार्च.14	मार्च.15	मार्च.16	मार्च.17	मार्च.18	मार्च.19	मार्च.20
सकल आय	11,525	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	25,200
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	0.59%
सकल व्यय	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,855
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.24
परिचालन लाभ	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%
शुद्ध लाभ/हानि	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%
निम (%)	1.97%	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.50%
शुद्ध ब्याज आय	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%
गैर ब्याज आय	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73

निदेशक रिपोर्ट 2019-20

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹4,86,007 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2019 को ₹4,67,584 करोड़ था।
- ❖ बैंक की कुल जमा राशि ₹ 3,13,763 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च, 2019 को ₹ 2,99,855 करोड़ थीं।
- ❖ बैंक का कुल अग्रिम ₹1,72,244 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2019 को ₹ 1,67,729 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 27,200 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 25,052 करोड़ थी।
- ❖ बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2020 को ₹ 3637 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹2413 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 38.92% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 4,344 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3127 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने ₹1121 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 5,641 करोड़ थी।
- ❖ सेवांत लाभ के लिए उच्च प्रावधानों के कारण दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 651.50 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 4217 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3566 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.95% हो गया, जिसमें टियर I, 7.57% और टियर II, 4.38% है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 11.72 % हो गया, जिसमें टियर I, 9.33% और टियर II, 2.39% है।
- ❖ बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 18467 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली घटकर (एनपीए की बिक्री सहित) 3326 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹5161 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बेहतर दर्शाते हुए 18.92% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को 19.29% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए घटकर 7.63% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को 7.73% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 77.29% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को 76.60% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सुधरकर 2.80% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 2.54% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹14.06 करोड़ रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) -0.35% रहा।
- ❖ 2019-20 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 79,988 रहा। तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एनबीसी को ऋण के आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 16325 करोड़ के पीएसएलसी का विक्रय किया है तथा एमएसएमई पोर्टफोलियो में ₹ 3,136 करोड़ की पीएसएलसी की खरीद की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री ₹13,190 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कृषि ऋण ₹ 34,419 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 35,655 करोड़ था।

- ❖ पीएसएलसी और सिडबी तथा मुद्रा लि. में निवेश किए बिना दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एमएसएमई अग्रिम ₹ 29,250 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम और ऋण का 16.98% है.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 46,106 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 41,042 करोड़ था.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो 25,821 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹23,301 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 10.81% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 63.58% रही.
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों, यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) स्थापित किए हैं. वर्ष 2019-20 के दौरान, आरसेटी ने 969 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 27376 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 19170 (अर्थात 70%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है. नियोजित अभ्यर्थियों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 12,045 अर्थात 44% रही.
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 2 राज्यों के 23 जिलों में 1174 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 6387 बीसी एजेंट के नियोजन द्वारा 22706 गांवों को कवर किया है. बैंक ने 156 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 126 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकएश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹39.55 करोड़ हुई.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4651 शाखाएं हैं जिनमें से 63.32% ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 3642 एटीएम, 10 सेटलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2019-20 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

₹ करोड़ में

	31.03.2020	31.03.2019	विचलन	%
1 ब्याज आय	23563	22639	924	4.08
-अग्रिम	12506	12950	(444)	(3.43)
-निवेश	9916	8454	1462	17.29
-अन्य	1141	1235	(94)	(7.61)
2 गैर ब्याज आय	3637	2413	1224	50.73
3 कुल आय (1+2)	27200	25052	2148	8.57
4 प्रदत्त ब्याज	15934	15866	68	0.43
-जमा	15402	15276	126	0.82
-अन्य	532	590	(58)	(9.83)
5 परिचालन व्यय	6922	6059	863	14.24
-स्थापना	4217	3565	652	18.29
-अन्य	2705	2494	211	8.46
6 कुल व्यय (4+5)	22856	21925	931	4.25
7 स्प्रेड (1-4)	7629	6773	856	12.64
8 परिचालन लाभ (3-6)	4344	3127	1217	38.92
9 प्रावधान	5465	8768	(3303)	(37.67)
10 कर के लिए प्रावधान	212	(2529)	2741	108.38
11 शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9)	(1121)	(5641)	4520	80.13

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 5465 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 (वि.व.)	31.03.2019 (वि.व.)	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	172	(115)	287
एनपीए के लिए प्रावधान	4230	11011	(6781)
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	(159)	(425)	266
निवेश के लिए प्रावधान	1065	984	81
करों के लिए प्रावधान	212	(2529)	2741
अन्य	(55)	(158)	103
कुल	5465	8768	(3303)

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2020 (वि.व.)	31.03.2019 (वि.व.)
जमाओं की लागत	5.11	5.21
निधियों की लागत	5.18	5.28
अग्रिमों पर आय	7.53	7.28
निवेशों पर आय	7.01	7.15
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.80	2.54
लागत आय अनुपात	61.44	65.96

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2020 (वि.व.)	31.03.2019 (वि.व.)
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	7.40	6.81
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	1.14	0.73
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	1.36	0.94
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(0.35)	(1.70)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	14.06	12.78
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(3.27)	(15.55)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे हैं:

	31.03.2020 (वि.व.)		31.03.2019 (वि.व.)	
	बेसल-II	बेसल-III	बेसल-II	बेसल-III
टियर-I	7.57	9.33	5.70	7.49
टियर-II	4.38	2.39	4.43	2.12
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.95	11.72	10.13	9.61

7. शुद्ध लाभ/हानि

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 1121 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल, 2019 से श्री थॉमस मैथ्यु भारिबैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
- ❖ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात श्री शेखर भटनागर, भारिबैंक के नामित निदेशक बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- ❖ दिनांक 20 जून, 2019 को कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात श्री एन. नित्यानंद, अंश कालिक गैर-अधिकारी निदेशक, बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- ❖ श्री पी. रमण मूर्ती, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 16 फरवरी, 2020 को कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात से बैंक के निदेशक नहीं हैं।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री शेखर भटनागर, श्री एन. नित्यानंद तथा श्री पी. रमण मूर्ती के प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेन्ट्रल विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ महाप्रबंधक - केन्द्रीय लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

10. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्ति के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है। बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से बाहर आने के सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायक होंगे।

11. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है। इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है।

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

- ❖ निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय; महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्रावकलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ/हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं, और
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं.

13. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, उत्कृष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

14. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है.

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर/-

तपन राय

अध्यक्ष

स्थान : गांधीनगर

दिनांक : 29 जून, 2020

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.

सेबी परिपत्र संख्या आईआर / सीएफडी / सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार.

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है और पाया है कि **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों का पालन किया जाता है. सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया है कि इस पर कॉरपोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन एवं दिए गए हमारे टिप्पणियों पर उचित आधार दिया गया है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त लेखा, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न एवं बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में, बैंक ने, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाले लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है एवं साथ ही यह भी है कि बैंक के पास एक सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, इसके पश्चात किए गए रिपोर्टिंग के तरीके और विषय:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31/03/2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों, कागजातों, कार्यवृत्त लेखों, प्रपत्रों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, जो बैंक पर प्रभावी रूप से लागू हैं.
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं विनियमों; **(समीक्षाधीन अवधि में बैंक के लिए लागू नहीं)**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
 - (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन(इश्यु) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
 - (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना(बाय-बैक)) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं, अतः कोई पुनर्खरीद नहीं था.
 - (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014;
 - (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
 - (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013; **(समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के लिए लागू नहीं)**
 - (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
 - (आई) बैंक के लिए लागू अन्य नियम निम्नलिखित हैं :
 - (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GOI) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनायें और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949
 - (बी) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इसके संशोधन

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक
- बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड (BSE) लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपर्युक्त दिए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल उचित प्रकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों के पूर्ण संतुलन सहित गठित है। निदेशक मंडल के संघटन में समीक्षा समयावधि के अंतर्गत किए गए परिवर्तन बैंकिंग विधि के प्रावधान के अनुपालन में सेबी (एलओडीआर) के साथ सामंजस्य सहित है।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक, एजेंडा एवं एजेंडा पर विस्तृत नोट के बारे में सात दिन पूर्व ही नोटिस प्रेषित कर दिया गया था एवं इसके अतिरिक्त बैठक में जानकारी एवं एजेन्डा मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनायी गयी है ताकि बैठक में एक सार्थक सहभागिता हो सके।

बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में परिपत्रों के द्वारा प्रस्तावों सहित निर्णयों पर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी। समीक्षा की अवधि के अंतर्गत निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति नहीं दर्शायी गयी।

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार एवं परिचालन के अनुसार इनकी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए लागू कानून, नियम, विनियम तथा दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान:

- बैंक की दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित वार्षिक असाधारण बैठक में निम्न विशेष संकल्प लिया गया:
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 2019 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया - ईएसपीएस 2019) के तहत ₹ 10/- प्रति के अंकित मूल्य के 10 करोड़ के नए इक्विटी शेयर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में, बोर्ड/समिति के यथार्थ अधिकारिक निर्णय के अनुसार निर्धारित कीमत और नियम एवं शर्तों के अनुसार तैयार करना, प्रदान करना, प्रस्तावित करना, जारी करना और आबंटित करना।
तदनुसार, क्षतिपूर्ति समिति ने दिनांक 15 मई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में ₹ 10.00 प्रत्येक के 7,87,16,224 इक्विटी शेयर अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹27/- को सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लॉईड बेनिफिट) विनियम 2014 के अनुसार आबंटित किए।
- बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी निदेशक मंडल की बैठक में बैंक की शेयर पूंजी ₹ 5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10000 करोड़ करने के प्रस्ताव को भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अध्याधीन मंजूरी दी।
तदनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अधिसूचना सं. एफ नं 11/8/2019 – बीओए - I दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 10000 करोड़ की।
- बैंक ने सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 2011 के विनियम 13(ए), 13(बी), 15(आई)(एन), साथ ही सेबी के परिपत्र सं. एमआईआरएसडी/डीपीएस III/परि-11/07, दिनांक 6 अगस्त, 2017 के प्रावधानों एवं सेबी(इश्यु एण्ड लिस्टिंग ऑफ़ डेब्ट सिक्क्युरिटीज़) विनियम 2008 के विनियम 23(4),(5),(6) का उल्लंघन किया है। उपर्युक्त उल्लंघनों के कारण सेबी ने भारत के सिक्क्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के अधिनियम की धारा 15एचबी के तहत का ₹3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र) का दंड लगाया। इस कारण से बैंक ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल में दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अपील दायर की। इसके परिणामस्वरूप माननीय प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आदेश दिनांक 09 सितम्बर, 2019 के द्वारा निर्णय देनेवाले अधिकारी के आदेश को निरस्त कर बैंक को उपर्युक्त उल्लंघनों से बरी कर दिया।
- पूंजी वृद्धि समिति ने अपनी दिनांक 30 सितम्बर, 2019 की बैठक में 9.80%दर से अंकित मूल्य ₹ 10,00,000 प्रत्येक के 5000 बेसल III कम्प्लायंट टियर II बाण्ड (सीरीज IV), 122 माह की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक को आबंटित किए।
- बैंक ने दिनांक 28 जून, 2019 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में ₹5000 करोड़ (रुपये पांच हजार करोड़ मात्र) की लागत के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई है) बनाने, प्रदान करने, जारी एवं एक अथवा अधिक चरणों में चाहे बाजार भाव पर डिस्काउंट अथवा प्रीमियम पर आबंटित करने के संबंध में विशेष संकल्प इस प्रकार से पारित किया कि केन्द्र सरकार के पास किसी भी समय बैंक की प्रदत्त पूंजी के 51% से कम शेयर न रहें। तथापि, शेयरों का आबंटन अभी तक नहीं हुआ है।

6. बैंक ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बोर्ड द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित ₹ 11.17 प्रति इक्विटी शेयर के प्रिमियम सहित ₹21.17 प्रति इक्विटी शेयर के जारी मूल्य के साथ ₹3353.00 करोड़ (रुपये तीन हजार तीन सौ तिरपन करोड़ केवल) के समेकित मूल्य के, अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक के 158,38,45,063 इक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर नकद में राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया।

तदनुसार पूंजी वृद्धि समिति ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के अनुसार ₹11.17 प्रति इक्विटी शेयर प्रिमियम सहित जारी मूल्य प्रति इक्विटी शेयर ₹21.17 के साथ ₹10 प्रत्येक के 158,38,45,063 इक्विटी शेयर, भारत के राष्ट्रपति को आबंटित किये।

7. निदेशक मंडल की पूंजी वृद्धि समिति ने अपनी दिनांक 04 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में वचन-पत्र के रूप में अपरिवर्तनीय, पुनर्मोचनीय, अप्रतिभूत, बेसल III कम्प्लायंट, टियर II बॉण्ड (सीरीज V) के जरिये ₹500 करोड़ के पूंजी निधि जुटाने के प्रस्ताव पर विचार कर उसे अनुमोदित किया। आगे बैंक ने सफलतापूर्वक ₹10 लाख प्रत्येक के 5000 बॉण्ड आबंटित कर ₹ 500 करोड़ जुटाए।
8. बैंक ने सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार निम्न लिखतों को भुनाया जिसका अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया:

भुनाने की तारीख	लिखत की प्रकृति	भुनाए जाने की राशि (राशि ₹ में)	उद्देश्य
23.06.2019	उच्च टियर II सीरीज II	500,00,00,000	सूचना ज्ञापन के खंड के अनुसार
20.01.2020	उच्च टियर II सीरीज IV	500,00,00,000	सूचना ज्ञापन के खंड के अनुसार

9. सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियम 57 (1) के अनुसरण में, बैंक ने निम्नलिखित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान किया है तथा मूल राशि अथवा ब्याज अथवा दोनों देय हो जाने पर इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी है।

क्र.सं.	विवरण	देय तिथि	राशि
1.	9.33% के कूपन रेट पर ₹5000 करोड़ के लोअर टियर II बॉण्ड्स, सीरीज XIV	21.12.2019	₹46,65,00,000/-
2.	10.80% के कूपन रेट पर, ₹500 करोड़ के बेसल III अनुपालित टियर II बॉण्ड्स सीरीज III	30.03.2020	₹54,00,00,000/-
3.	8.62% के कूपन रेट पर, ₹500 करोड़ के बेसल III अनुपालित टियर II बॉण्ड्स सीरीज II	07.03.2020	₹43,10,00,000/-
4.	9.20% के कूपन रेट पर, ₹300 करोड़ के अपर टियर सीरीज VI	21.01.2020	₹27,60,00,000/-
5.	9.90% के कूपन रेट पर, ₹1000 करोड़ के बेसल III अनुपालित, टियर II, सीरीज I	08.01.2019	₹99,00,00,000/-
6.	9.40% के कूपन रेट पर, ₹139.10 करोड़ के बेमियादी बॉण्ड सीरीज II	30.09.2019	₹13,07,54,000/-
7.	8.57% के कूपन रेट पर, ₹1000 करोड़ के अपर टियर II बॉण्ड सीरीज V	11.06.2019	₹85,70,00,000/-

** नोट : कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी भी घोषित हुई है और इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया, जो कि पूरे देश में 19 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया ताकि इस वायरस की गति को नियंत्रित किया जा सके. साथ ही, मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, इस लॉकडाउन को दिनांक 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया।

अतएव, सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए अनुपालन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया, अपेक्षाओं के अनुरूप इनकी जांच की गई और बैंक के दस्तावेजों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर इन्हें अंतिम रूप दिया गया।

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

यूडीआईएन : F006804B000369287

दिनांक 23 जून, 2020

स्थान : मुम्बई

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक – I

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

इस तारीख की हमारी सचिव लेखा परीक्षण रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए.

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. इस सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमारी जांच नमूना परीक्षण आधार पर अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी.
2. लागू कानूनों के सचिवीय एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट जारी करना है, जो बैंक द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षण एवं जिसे बैंक द्वारा हमें आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराया गया, पर आधारित है.
3. सचिवीय अभिलेखों की मदों की सत्यता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है. यह जांच परीक्षण आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिपोर्ट एवं प्रदान किए गए अन्य अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्य सत्य हो, यह जांच परीक्षण आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमें प्रस्तुत सचिवीय एवं अन्य अभिलेखों में सही तथ्य प्रस्तुत हो. हमें विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे इस सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमारे मत को यथोचित आधार प्रदान करते हैं.
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
5. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों एवं लेखा परीक्षण अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियों के अनुपालन हेतु प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है.
6. यह सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंध तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

यूडीआईएन : F006804B000369287

दिनांक 23 जून, 2020

स्थान : मुंबई

** नोट : कोविड 19 के प्रकोप के कारण, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी के रूप में भी घोषित किया गया एवं इसके परिणामस्वरूप वाइरस के फैलाव को रोकने हेतु भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को 21 दिनों का कडा लॉकडाउन घोषित किया था, जिसे पुनः आगे 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया. बाद में कोविड मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया.

अतः सचिवीय लेखापरीक्षण के लिए अनुपालन दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किए गए, अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यापित किए गए एवं बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया गया.

निदेशकों के गैर- अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015) के
विनियमन 34(3) एवं अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में)

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय चंद्र मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 में है (इसके पश्चात इसे बैंक कहा जाए) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (1) के साथ विनियम 34 (3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किए हैं

हमारी राय, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं पोर्टल (www.mca.gov.in) पर स्थिति के आवश्यक सत्यापन(निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन)), तथा बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक पद पर नियुक्त होने या पद पर बने रहने से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय / वित्त मंत्रालय / भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अयोग्य करार नहीं किया गया है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इस पर राय व्यक्त करें. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंध तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

यूडीआईएन : F006804B000369463

दिनांक 23 जून, 2020

स्थान : मुंबई

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(सेबी के परिपत्र क्रमांक आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुरूप)

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

1. हमने जांच की है :

- (ए) पेराम्राफ 2 इन्फ्रा के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट विनियमों के अनुपालन के लिए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("सूचीबद्ध कंपनी") द्वारा उपलब्ध कराये गए आवश्यक सभी दस्तावेज़ और अभिलेख, तथा स्पष्टीकरण.
 - (बी) उपरोक्त के संदर्भ में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में जमा की गई विवरणियाँ .
 - (सी) सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाईट
 - (डी) अन्य कोई दस्तावेज़/विवरण, जो इस प्रमाणीकरण के आधार के तौर पर प्रासंगिक हो सकते हैं,
- निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (समीक्षा अवधि) के लिए
- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश, एवं
 - (बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") के नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश, एवं

2. विशिष्ट विनियम, तथा उनके अंतर्गत प्रावधान और परिपत्र/दिशानिर्देश की जांच की गई है, इसमें निम्न शामिल हैं:

- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015
- (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन(इश्यु) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018
- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना(बाय-बैक)) विनियम, 2018
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014
- (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008
- (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय और मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2013
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

मुझे प्रस्तुत दस्तावेज़ों और अभिलेखों की मेरी जांच एवं सत्यापन पर आधारित, और बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: -

- (ए) नीचे दिये गए विनियमों को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है
- (बी) उन अभिलेखों का हमारे परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उचित अभिलेख रखा गया है
- (सी) सूचीबद्ध कंपनी/उसके प्रवर्तकों /निदेशकों /महत्वपूर्ण अनुषंगियों के विरुद्ध "सेबी" या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उपरोक्त अधिनियमों / विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों /दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई सहित)

क्रमांक	निम्न के द्वारा की गई कार्रवाई	उल्लंघन का विवरण	की गई कार्रवाई का विवरण
1.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	<ol style="list-style-type: none"> सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 2011 के विनियम 13 (ए) 13ए (बी) 15 (i) (एन) सेबी परिपत्र संख्या एमआईआरएसडी/डीपीएस III/परिपत्र -11/07 दिनांक 06/08/2017 और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियमन 23(4),(5),(6) 	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान 15 एच बी के अंतर्गत, सेबी ने ₹ 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) का जुर्माना प्रभारित किया गया है . उक्त आदेश के विरुद्ध बैंक ने माननीय प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के समक्ष 11 सितंबर 2018 को अपील दायर की है, परिणामस्वरूप, माननीय प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ने दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को अपने निर्णय के द्वारा सेबी के अधिनिर्णायक अधिकारियों के आदेश को निरस्त करते हुए, बैंक को नियमों के उल्लंघन हेतु चेतावनी देकर छोड़ दिया है.

(डी) पिछली रिपोर्ट में किये गए प्रेक्षणों के लिए, कंपनी को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-

राजश्री पाडिया

एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

यूडीआईएन : F006804B000369287

दिनांक 23 जून, 2020

स्थान : मुम्बई

नोट: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा “कोविड 19” को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद उसके प्रसार को रोकनेके लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को एक राष्ट्रव्यापी कड़े “लॉकडाऊन” की घोषणा की गई जिसे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया । वायरस प्रभावित प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण “लॉकडाऊन” को 30 जून तक बढ़ा दिया गया ।

इसलिए सचिवीय लेखा परीक्षण के लिए अनुपालन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किया गया ,आवश्यकतानुसार सत्यापित किया गया और बैंक से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर पूर्ण किया गया।

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए: आर्थिक दृष्टिकोण

कोविड -19 महामारी फैलने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है एवं कई देशों में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. लोगों के जीवन की रक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई देशों ने अभूतपूर्व दीर्घकालीन लॉकडाउन लागू किया. अतः वर्ष 2020 में वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण कमी होने का अनुमान है. वैश्विक विकास में सुधार बहुत हद तक महामारी की स्थिति, प्रयास एवं नियंत्रण के उपायों के परिणामों, संभावित वैक्सीन, अन्य उपचारों इत्यादि पर निर्भर होगा. जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.9% की कमी होने का अनुमान लगाया है. जबकि आईएमएफ द्वारा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के फिर से विकसित होने का वर्ष 2020 में 8.0% अनुमान लगाया गया है ; उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसने जून 2020 में 3.0% तक की ऋणात्मक वृद्धि का अनुमान लगाया है (आईएमएफ, जून 2020).

यूएस की वास्तविक जीडीपी वर्ष 2018 में 2.9% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019 में 2.3% की वृद्धि हुई. विकास के मुख्य स्रोत सरकारी व्यय, व्यक्तिगत खपत व्यय, गैर आवासीय स्थायी निवेश इत्यादि थे. जबकि निर्यात में वृद्धि हुई, वर्ष 2019 में आयात में कमी हुई. तीसरे अनुमान के अनुसार (25 जून 2020), मार्च 2020 तिमाही में यूएस की वास्तविक जीडीपी में 5% की वार्षिक दर से कमी आयी है जबकि दिसम्बर 2020 में इसमें 2.1% वृद्धि हुई थी. मार्च 2020 की तिमाही में यूएस अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव परिलक्षित हुआ है. यूएस में मई 2020 में मांग में कमी के कारण मुद्रास्फीति कुछ कम हुई है. मार्च 2020 के बाद सुरक्षित अच्छे निवेश के कारण अमेरिका के 10- वर्षीय सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ गई जिसके कारण आय 1% कम हो गई. आईएमएफ ने जून 2020 में अमेरिकी वास्तविक जीडीपी में 8% वृद्धि का अनुमान लगाया है.

यूरो क्षेत्र ने तेजी से बिगड़ते आर्थिक दृष्टिकोण का सामना किया है. यूरो क्षेत्र का वास्तविक जीडीपी 2018 में 1.9% की तुलना में वर्ष 2019 में 1.3% तक सीमित रहा. सदस्य राष्ट्रों द्वारा कोविड -19 रोकथाम के उपाय करने के कारण अप्रैल 2020 में यूरो क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 28% की कमी परिलक्षित हुई. विनिर्माण और सेवा के लिए पीएमआई मई 2020 में संकुचित क्षेत्र में रहा. जीडीपी के तिमाही आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष दर वर्ष दिसम्बर 2019 में 1% की वृद्धि की तुलना में मार्च 2020 में वर्ष दर वर्ष यूरो एरिया जीडीपी में 3.1% की कमी आयी. यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति नरम हुई और वर्ष दर वर्ष अप्रैल 2020 में 0.3% की तुलना में मई 2020 में 0.1% रही. यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने "अर्थव्यवस्था" में वित्त पोषण और तरलता में सुधार करने के लिए "लक्षित लंबी अवधि के पुनर्वित्त संचालन" की शर्तों में कमी करने और "महामारी आपातकालीन दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन" प्रारंभ करने का निर्णय लिया. आईएमएफ ने जून 2020 में यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2020 में 10.2% तक की कमी का अनुमान लगाया है.

जापान की जीडीपी में मार्च 2020 में निर्यात, घरेलू खपत, निजी निवेश, आदि में कमी के कारण गिरावट आयी. इसके साथ ही जीडीपी में कमी के कारण दिसंबर 2019 की तिमाही में भी जापान में तकनीकी मंदी आरंभ हो गयी. मई 2020 में जापान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.1% से बढ़ा था. मई 2020 में विनिर्माण पीएमआई में कमी रही. जून 2020 में आईएमएफ ने वर्ष 2020 में जापान की वृद्धि दर में 5.8% तक की कमी होने का अनुमान लगाया है.

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीनी अर्थव्यवस्था में कई वर्षों में पहली बार मार्च 2020 में कमी आयी. हालांकि, मासिक डाटा ने संकेत दिए हैं कि चीन के मूल्य वर्धित औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल 2020 में 3.9% की तुलना में मई 2020 में 4.4% की वृद्धि हुई है. दूसरी तरफ, खुदरा बिक्री मई 2020 में 2.8% घट गई. आईएमएफ के जून 2020 के अनुमान के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था जो 2019 में 6.1% थी उसमें वर्ष 2020 में 1.0% तक की वृद्धि होगी.

घरेलू मोर्चे पर, अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो वर्ष 2018-19 में 6.1% (आरई) थी, की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% तक रह जाएगी. सकल मूल्य वर्धित दर जो वर्ष 2018-19 में 6% थी, की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.9% की दर से बढ़ेगी. निजी अंतिम खपत व्यय दर जोकि वर्ष 2018-19 में 7.2% थी की तुलना में वर्ष 2019-20 में 5.3% होगी. सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में 2018-19 में 10.1% की तुलना में 2019-20 में 11.8% से दोहरे अंकों की वृद्धि हुई थी. वर्ष 2018-19 में 9.8% की सकारात्मक वृद्धि की तुलना में 2019-20 में सकल निश्चित पूंजी निर्माण में 2.8% कमी आयी. कृषि क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में दर्ज की गयी 2.4% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 4% का विस्तार हुआ. खनन और उत्खनन उद्योग में वर्ष 2019-20 में 3.1% की वृद्धि हुई. विनिर्माण के क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 0.03% की वृद्धि हुई. निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 1.3% की वृद्धि हुई. व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित सेवाएं, में वर्ष 2019-20 में 3.6% की वृद्धि परिलक्षित हुई. वित्तीय, वास्तविक एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 2019-20 में 4.6% की वृद्धि देखी गई. सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में वर्ष 2019-20 में 10% की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्धि वर्ष 2018-19 में 9.4% थी.

मार्च 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति चार महीने के निचले स्तर 5.84% तक कम हो गई. हालांकि, मार्च 2020 में कोविड -19 की वजह से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अनंतिम) वर्ष दर वर्ष 16.7% की दर से कम हो गया.

भारत सरकार ने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं. भा.रि.बैं. ने अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए विगत दिनों में कई बार नीतिगत दरों में कुछ कमी भी की है. भा.रि.बैं. ने प्रणाली में तरलता वृद्धि हेतु कई अन्य उपाय भी किए हैं.

भाग बी: बैंकिंग उद्योग

भा.रि.बैं. की दिसंबर 2019 की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सितंबर 2019 में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मार्च 2019 की तुलना में सितंबर 2019 में अनु.वा. बैंकों (एससीबी) के प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि हुई, जिससे बैंकिंग उद्योग में लचीलेपन में सुधार के संकेत परिलक्षित होते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समय-समय पर पुनर्पूजीकरण किया है और कई अन्य सुधारात्मक उपाय भी किए हैं। भा.रि.बैं. के आंकड़ों के अनुसार, एससीबी की मासिक विस्तारित ऋण वृद्धि में दिसम्बर 2019 की तुलना में मार्च 2020 में कमी आई है। इसी तरह, एससीबी की जमा वृद्धि में दिसंबर 2019 की तुलना में भी मार्च 2020 में कमी आयी है। भा.रि.बैं. के अनंतिम आंकड़ों में मार्च 2020 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए एससीबी की ऋण वृद्धि दिसंबर 2019 में वृद्धि की तुलना में मंद रही। एससीबी का औद्योगिक क्षेत्र में ऋण विकास मार्च 2020 तक कम रहा। हालांकि, सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि दर दिसम्बर 2019 की तुलना में मार्च 2020 में बेहतर रही। वैयक्तिक ऋण खंड में मार्च 2020 में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई।

भाग- बी - बैंक का कार्य - निष्पादन

व्यापार

बैंक का कुल कारोबार, 31 मार्च, 2019 में 4,67,584 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2020 को ₹ 4,86,007 करोड़ का था। 31 मार्च, 2020 तक उच्च लागत जमाएं बढ़कर ₹. 62 करोड़ हो गई है, जो 31 मार्च 2019 को 57 करोड़ रुपये थीं।

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 4,344 करोड़ रहा जबकि यह 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 3127 करोड़ था। विस्तारित प्रावधानों के कारण 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 5,641 करोड़ की शुद्ध हानि की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की शुद्ध हानि ₹ 1121 करोड़ रही।

संसाधन संग्रहण

उच्च लागत जमा में ₹ 5 करोड़ की बढ़त के बाद 31 मार्च, 2020 को कुल जमा, ₹ 3,13,763 करोड़ रही। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 6.60% की वृद्धि के साथ बचत बैंक जमा बढ़कर ₹ 8061 करोड़ हो गयी जोकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ₹ 1,22,139 करोड़ थी। इसी प्रकार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में चालू जमा 0.11% की कमी के साथ साथ घटकर ₹ 15,095 करोड़ हो गयी जोकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ₹ 15,095 करोड़ थी। 31 मार्च, 2020 को कुल जमा में कासा का हिस्सा बढ़कर 46.83% हो गया जोकि 31 मार्च, 2019 में यह 46.39% था। कोर मियादी जमा 3.98% से बढ़कर, 31 मार्च 2020 को 1,64,858 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गयी जोकि 31 मार्च, 2019 को यह ₹1,58,542 करोड़ थी।

बैंक में भारतीय लेखा मानकों के कार्य-निष्पादन की कार्यनीति और प्रगति

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित मूल रोडमैप के अनुसार, सभी बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को 31 मार्च, 2018 और उसके पश्चात समाप्त होने वाली अवधि से तुलना के लिए 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, बैंक ने एक भारतीय लेखा मानक सलाहकार की सेवाएं ली एवं और एक कोर भारतीय लेखा मानक टीम का गठन किया एवं भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की। कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। निदेशक मंडल एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा करती रही है।

दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को, भा.रि.बैं. ने, "विकास और नियामक नीतियों पर वक्तव्य" के अनुसार, भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन को यह कहते हुए टाल दिया कि आवश्यक विधिक संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। इसे देखते हुए और कई बैंकों की तैयारियों के स्तर के अनुसार, बैंकों में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन को भा.रि.बैं. द्वारा एक वर्ष के लिए तब और अधिक स्थगित कर दिया गया है जब तक आवश्यक विधिक संशोधन अपेक्षित थे। इसे देखते हुए, भारतीय लेखा मानकों 1 अप्रैल, 2019 से लागू किया जाना है।

भा.रि.बैं. ने अपनी अधिसूचना दिनांक 22.03.2019 के अनुसार, भा.रि.बैं. द्वारा अनुशासित विधिक संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं। तदनुसार, भा.रि.बैं. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगली सूचना तक बैंकों में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाता है। हालांकि, भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, बैंक जून 2018 से हर तिमाही में भा.रि.बैं. को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

वर्ष के दौरान की गई पहल

- ❖ व्यवसाय पर बेहतर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, 31 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर एवं आंचलिक कार्यालयों की संख्या 13 से घटाकर 10 कर के, संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया।
- ❖ कॉर्पोरेट कार्यालय को 7 कॉर्पोरेट फाइनेंस शाखाएं तथा 6 मिड-कॉर्पोरेट शाखाएं सीधे रिपोर्ट कर रही हैं जिससे समय की बचत हो सके।

- ❖ रिटेल ऋणों की प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, रिटेल ऋणों की स्वीकृति, प्रलेखीकरण, संवितरण एवं संवितरण-पश्चात निगरानी करने हेतु 49 केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण शाखाओं की स्थापना की गई है और उन्होंने सुलभता से अपना कार्य शुरू कर दिया है।
- ❖ नई व्यवस्था के अंतर्गत, संकल्प को शीघ्रता से पूरा सुनिश्चित करने के लिए, 7 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं (₹.25 करोड़ से अधिक की दबावग्रस्त आस्तियों के लिए) एवं 8 आस्ति वसूली शाखाएं (₹.5 करोड़ से ₹.25 करोड़ तक की दबावग्रस्त आस्तियों के लिए) सीधे कार्पोरेट कार्यालय को रिपोर्ट कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में बड़े खाते जैसे इस्सार स्टील, रूचि सोया में बड़े संकल्प लिए गए हैं।
- ❖ नए व्यवसाय के विपणन, स्रोत के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन-व्यवस्था हेतु अलग से मार्केटिंग विभाग स्थापित किए गए हैं। कार्पोरेट कार्यालय ने अखिल भारतीय आधार पर 'लीड जनरेशन' का अनुवर्ती कार्य शुरू कर दिया है तथा इससे मिलने वाले परिणामों की निगरानी कर रहा है।
- ❖ 'बैलेंस स्कोरकार्ड मैथड', व्यवसाय, ग्राहक, प्रक्रिया एवं जन घटकों पर केंद्रित मॉडल पर आधारित नई कार्य-निष्पादन प्रणाली (पीएमएस) शुरू की है।
- ❖ उत्तरोत्तर पदारोहण योजना, जिसमें सुदृढ़ लिडरशीप योजना विकसित करने 'दक्षता मानचित्र मॉडल' शामिल है, की शुरुआत की गई है।
- ❖ 'जॉब फेमिली' संकल्पना शुरू की गई है तथा 8 जॉब फेमिली के लिए अभिनिर्धारण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सहायक महाप्रबंधक तक के सभी अधिकारियों का विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक जॉब फेमिली के अंतर्गत समूह बनाए गए हैं।
- ❖ 'प्रशिक्षण-प्रभाव का विश्लेषण परियोजना' के माध्यम से बैंक की पूरी प्रशिक्षण विधा को सुदृढ़ता प्रदान की जा रही है।
- ❖ ज्ञान प्रदान की विधि के रूप में मोबाइल आधारित 'ई-लर्निंग', कर्मचारियों के लिए उनकी भूमिका आधारित पाठ्यक्रमों के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- ❖ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) शुरू किया गया है।
- ❖ आद्योपांत ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) शुरू की जा रही है, जो ऋण हामीदारी, परिवर्तन को शीघ्रता से पूरा करना (टीएटी) एवं त्वरित चेतावनी संकेतों सहित निगरानी में उन्नति लाने के लिए ऋण सृजन, निगरानी एवं विभिन्न एपीआई इंटरफेस का प्रयोग करेगी। एलएलएमएस के जरिए ऋण आवेदन की ऑनलाइन जानकारी की सुविधा उपलब्ध होगी।
- ❖ 'उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस)' को तीन ऋणों में शुरू किया गया है। संभाव्य कपटपूर्ण लेनदेनों की पहचान करने के लिए, यथेष्ट समय आधारित चेतावनी-संकेत देने हेतु, पहले चरण में 5 सुपुर्दगी चैनलों का क्रियान्वयन किया है।
- ❖ "ओपन आर्कटिकवर" अवधारणा (आईआरडीए दिशानिर्देश) के अंतर्गत, हमने 5 बीमा साझेदारों (2 जीवन बीमा, 2 गैर-जीवन बीमा एवं एक स्वास्थ्य बीमा) के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है ताकि शुल्क आधारित आय को बढ़ावा देने हेतु बैंकएश्युरेंस के तहत अधिक से अधिक व्यवसाय को प्राप्त किया जा सके।
- ❖ हमने रिटेल ऋण उत्पादों को युक्तियुक्त पूर्ण बनाया है और सेन्ट बिजनेस एवं सेन्ट सरल जैसे नए उत्पाद, ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शुरू किए हैं।

नई पहल

● "प्रोजेक्ट दिशा" - विश्लेषण आधारित व्यवसाय रूपांतरण कार्यक्रम

रिटेल, कृषि, एमएसएमई ऋण में नई व्यावसायिक रूपांतरण पहलों को शुरू करने तथा व्यावसायिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कासा के माध्यम से शुल्क आधारित आय तथा बेहतर क्षमतापूर्ण एवं चिरस्थायी व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुनर्खोज के लिए, बैंक ने "प्रोजेक्ट दिशा" के अंतर्गत पहल की है। यह परिवर्तन प्रक्रियाओं में विश्लेषणात्मक क्षमताओं और सुदृढ़ जोखिम न्यूनीकरण उपायों के साथ डिजिटल टूल्स पर तैयार किया गया है। डायग्नोस्टिक एवं डिजाइनिंग पहले ही पूरा हो गया है और जुलाई 2020 में प्रायोगिक चरण शुरू किया जाना अपेक्षित है।

● सिंगल डेटा रिपोर्टिंग (एसडीआर)/डेटा वेयर हाऊस (डीडब्ल्यू)

बैंक सिंगल डेटा रिपोर्टिंग के माध्यम से अपने डेटा वेयर हाउसिंग के प्रमुख उन्नयन की प्रक्रिया में है, जो व्यावसायिक निर्णयोन्मुखी विश्लेषणों के लिए बहुमूल्य साधन होने के साथ-साथ, पूरे बैंक को सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होगा। यह रिपोर्टिंग में स्थायित्वता सुनिश्चित करेगा और साथ ही यह शीर्ष प्रबंधन सहित उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डैशबोर्ड प्रदान करेगा, इस तरह से निर्णय सहायक प्रणाली में वृद्धि होगी।

● एमएसएमई हब की स्थापना

ऋण की गुणवत्ता, एमएसएमई पोर्टफोलियो के भाग में वृद्धि तथा सुधार लाने के लिए, बैंक ने अभिचिन्हित स्थानों पर 50 एमएसएमई प्रसंस्करण हबों की स्थापना करने हेतु योजना बनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है और ये हब दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक स्थापित हो जाने की संभावना है।

ऋण

- ❖ बैंक का सकल अग्रिम वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.50% की वृद्धि सहित दिनांक 31.03.2019 की तुलना में ₹ 1,67,729 करोड़ के सकल अग्रिम से वर्ष ₹ 3389 करोड़ तकनीकी बढ़े खाते में डालने के बावजूद 2.69% की वृद्धि सहित दिनांक 31.03.2020 को ₹ 1,72,244 करोड़ हो गया।
- ❖ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष के 5000 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट क्रेडिट की तुलना में, नये कॉर्पोरेट ऋण में ₹ 15000 करोड़ हो गया, जिससे वर्ष के दौरान 200% की वृद्धि दर्ज की गयी।
- ❖ कॉर्पोरेट क्रेडिट के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया गया जिसमें एमसीबी और सीएफबी शाखाओं को सीधे कॉर्पोरेट कार्यालय के नियंत्रण में रखा गया एवं कॉर्पोरेट अग्रिमों के निर्णय लेने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए दो स्तरों को कम कर दिया गया।
- ❖ ₹ 5 करोड़ से अधिक के अधिकांश बड़े अग्रिमों को चयनित शाखाओं में केंद्रित किया गया ताकि पेशेवर तरीके से सेवाएं प्रदान की जा सकें और कार्य समय को कम किया जा सके।
- ❖ आस्ति गुणवत्ता में सुधार, ऋण जोखिम प्रबंधन, व्यवस्था एवं नियंत्रण ऋण नीति और मास्टर परिपत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए ऋण नीति एवं मास्टर परिपत्रों को अद्यतन किया गया था।
- ❖ बाजार में बैंक को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया।
- ❖ सभी उधार खातों को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क सीमा के अंतर्गत लाया गया।
- ❖ बैंक के असुरक्षित ऋणों को काफी कम कर दिया गया पीसीए दिशानिर्देशों के तहत बेंचमार्क के अंदर ही रखा गया है।
- ❖ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूर्व-निरीक्षण रिपोर्ट और अपेक्षित सावधानियों को व्यापक किया गया है।
- ❖ स्वीकृति के लिए पर्याप्त अपेक्षित सावधानियां बरतते हुए एवं मूल्यांकन के माध्यम से स्वच्छ कॉर्पोरेट ऋण स्वीकृति के कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में टीईवी (TEV) कक्ष की स्थापना सहित प्रमुख ईएएसई (EASE) कार्रवाई बिंदुओं का कार्यान्वयन किया गया।
- ❖ परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए, उच्च मूल्यांकित खातों एवं पूंजी की आवश्यकता के अनुकूलन के लिए सरकारी गारंटी वाले खातों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत कॉर्पोरेट अग्रिमों में से 95% 'ए' और उससे ऊपर की श्रेणी या राज्य सरकार के गारंटी वाले खाते हैं।

ऋण निगरानी विभाग

हमारे ऋण पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में ऋण निगरानी और नीति के लिए एक अलग वर्टिकल कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- ❖ विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में ऋण निगरानी समिति का गठन किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श के लिए समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं: -
 - माह के दौरान स्वीकृतियों / अस्वीकृतियों का आकलन।
 - एसएमए खातों का मूल-कारण विश्लेषण।
 - ऋण समीक्षा प्रणाली के अंतर्गत कवरेज की स्थिति जिसमें ₹5.00 करोड़ एवं उससे अधिक के सभी ऋण खातों की निश्चित अंतराल में व्यापक निगरानी की जाती है।
 - ₹ 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सीमा वाले बुक डेबिट अथवा ₹5.00 करोड़ एवं अधिक की कार्यशील पूंजी उधार खातों में स्टॉक-लेखापरीक्षा की स्थिति।
 - प्रतिभूतियों के आवधिक निरीक्षण की स्थिति।
 - प्रतिभूतियों के सही होने की स्थिति।
- ❖ त्वरित अनुवर्तन और सघन निगरानी के लिए पोर्टल के माध्यम से पूर्व चेतावनी संकेत पर वित्तीय लेनदेन आधारित सतर्कता संदेशों की निर्मित।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक जांच के लिए पूर्व चेतावनी संकेत पर उधार खातों का रेड-फ्लैगिंग
- ❖ बड़ी राशि के उधार खातों के संचालन एवं लेनदेन की सतत निगरानी हेतु बैंकिंग प्रणाली से 250 करोड़ से अधिक के मूल्य के सभी उधार खातों के एजेंसियों (एसएम) को कार्यभार सौंपा जा रहा है।

- ❖ ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक के सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के ऋण खातों के सुधारात्मक कार्य योजना के लिए, जहाँ कहीं आवश्यकता हो तिमाही समीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की गयी है।
- ❖ डायनेमिक रिव्यू ऑफ़ रेटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ऋण खातों की जोखिम रेटिंग पर पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) के प्रभाव का मूल्यांकन प्रारंभ किया गया है।
- ❖ विभाग ऋण सूचना कंपनियों को समय-समय पर ऋण खाता विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर रहा है।
- ❖ विभाग ऋण खातों के डेटा को एनईएसएल (NESL) (सूचना उपयोगिता) में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर रहा है।
- ❖ विभिन्न शाखाओं द्वारा निर्मित सुरक्षा हितों का सरसाई (CERSAI) के साथ पंजीकरण की विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है।
- ❖ विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भा.रि.बैं., भारत सरकार, आदि की अधिसूचनाओं के अनुरूप क्रेडिट संबंधी नीतियां अपडेट की जा रही हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र

भा.रि.बैं. के निर्देशानुसार, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 40% अथवा इतर तुलन पत्र ऋण की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक है प्राथमिकता क्षेत्र के लिए उधार दी जानी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करना बैंक का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने कृषि, एमएसएमई, किफायती आवास, शिक्षा और अन्य जो कि प्राथमिकता क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं, में ऋण वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है।

दिनांक 31.03.2020 (लेखापरीक्षित) को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न घटकों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	वृद्धि (%)
1.	प्राथमिकता प्राप्त ऋण	82835	83201	79987.91	-3.86
	एएनबीसी की उपलब्धि का प्रतिशत	49.74%	47.22%	45.07%	
2.	कुल कृषि ऋण	34192	35655	34419.40	-3.47
	एएनबीसी की उपलब्धि का प्रतिशत	20.53%	20.24%	19.54%	
3.	एमएसएमई	32346	31036	29250.15	-5.75
4.	शिक्षा ऋण	2773	2522	2341.42	-7.16
5.	आवास ऋण (₹ 25 लाख तक)	13392	13956	13939.37	-0.12
6.	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	107	20	17.51	-12.45
7.	नवीकरणीय ऊर्जा	6	0	0	0.00
8.	सामाजिक मूलभूत संरचना	9	8	7.22	-9.75
9.	निर्यात ऋण	8	5	12.84	156.80

- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण नियोजन वर्ष 2019-20 के दौरान घटकर ₹ 79,987.91 करोड़ हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,213.09 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। हालाँकि, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में एएनबीसी पर अत्यधिक उधार का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने पीएसएसएलसी में बिक्री / खरीद लेनदेन किया। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र (सामान्य पीएस के तहत 9,930 करोड़ रुपये, लघु और सीमांत किसानों के तहत 6,395 करोड़ रुपये) के अंतर्गत ₹16,325 करोड़ के पीएसएलसी बेचे एवं सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत ₹ 3,135.50 के खरीदे। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री ₹ 13,189.50 करोड़ है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 4,295.87 करोड़ को मिलाने के लिए

आरआईडीएफ बकाया है, जिसमें 31.03.2020 को कृषि के अंतर्गत ₹ 2,795.93 करोड़ है.

(राशि ₹ करोड़ में)




कृषि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल कृषि ऋण दिनांक 31 मार्च 2019 तक ₹ 35655 करोड़ स्तर से ₹1235.60 करोड़ रुपये घटकर 31 मार्च 2020 तक 34419.40 करोड़ हो गया. समायोजित बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋण का शुद्ध प्रतिशत 18% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 19.54% है.

कृषि

(राशि ₹ करोड़ में)



कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में बैंक द्वारा मुहैया कराए गए मुख्य उत्पादों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1.	सेन्ट किसान क्रेडिट कार्ड	फसलों/फसल कटाई के बाद के व्यय/उत्पादों का विपणन/उपभोग आवश्यकताएं/कार्यशील पूंजी के अल्पावधि फसल संबंधी खर्चों के लिए, कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों हेतु कृषि/निवेश ऋण आवश्यकता से संबद्ध कृषि आस्तियों एवं गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी एकल खिडकी ऋण.
2.	सेन्ट एग्री गोल्ड लोन	स्वर्ण आभूषणों एवं हमारे बैंक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों की गिरवी विरुद्ध कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में फसल उत्पादन एवं निवेश में त्वरित वित्त.
3.	सेन्ट एसएचजी बैंक लिंकेज	स्वयं सहायता समूहों को ऋण – चक्रिय कैश क्रेडिट / मियादी ऋण
4.	सेन्ट एसएचजी – पीआई लिंकेज	एनजीओ/अन्य संगठनों की सहायता के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण.
5.	सेन्ट किसान गोल्ड कार्ड	कृषकों की दीर्घावधि ऋण जरूरतों जैसे खेती, यंत्रीकरण, भूमि विकास, एमआई, बागवानी इत्यादि के लिए एकल मियादी ऋण सीमा प्रदान करना.



क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
6.	सेन्ट एएमआई (कृषि विपणन संसाधन योजना)	कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्र के विपणन योग्य आधिक्य के प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधा के सृजन, मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए नवीनतम तकनीकी, सुविधाओं के साथ विपणन संसाधनों के निर्माण हेतु वित्त.
7.	सेन्ट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड-नेट हाउस	उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी फसल के संरक्षित खेती हेतु वित्तीय सहायता.
8.	सेन्ट डेयरी	दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना.
9.	सेन्ट एग्री फार्म हाउस	कृषि फार्म हाउस के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण एवं विस्तार करने के लिए वित्त.
10.	सेन्ट वर्मी कॉम्पोस्ट	वर्मी -कॉम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु वित्त.
11.	सेन्ट एग्री क्लिनिक / एग्री बिजनेस	एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केन्द्रों की स्थापना के लिए, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, जिन्होंने इस योजना के अनुसार अहर्ता एवं अनुभव प्राप्त किया है.
12.	सेन्ट फार्म मशीनरी	ट्रेक्टर ट्रालियों एवं अन्य कृषि उपकरणों को वित्तपोषण.
13.	सेन्ट किसान साथी	साहूकारों, दलालों इत्यादि को देय बकाया कर्जों को कम करने हेतु ऋणग्रस्त कृषकों को सहायता करना.
14.	सेन्ट शेड्यूल्ड ट्राइब	अनुसूचित जन-जाति के अंतर्गत कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता.
15.	दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयनित जिलों हेतु प्रारंभ मिशन मोड के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण योजना
16.	सेन्ट पोल्ट्री	पोल्ट्री फार्म इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु वित्त.
17.	सेन्ट फिशरीज़	परंपरागत एवं वाणिज्यिक मछली पालन गतिविधि के लिए वित्त.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू किए गए नये कृषि उत्पाद.

1.	सेन्ट सरल	पीएमजेडीवाय / बीएसबीडी खाताधारकों को लघु व्यवसाय / सेवा गतिविधियों के लिए रु.50,000/- तक वित्त उपलब्ध कराना.
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू किए गए नये कृषि उत्पादों का विवरण निम्नलिखित हैं.

1.	सेन्ट किसान वाहन ऋण	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए कृषकों और व्यक्तियों को परिवहन कार्य हेतु सभी प्रकार के वाहन अर्थात् दुपहिया/चौपहिया एवं यातायात वाहनों को खरीदने हेतु ऋण प्रदान करना.
2.	सेन्ट सोलर योजना	सोलर लाईट / सोलर पम्प सेट/सोलर वाटर हीटर की स्थापना के लिए कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों को वित्तपोषण.
3.	सेन्ट फ्लैक्सी एग्री बिजनेस लोन	कृषि व्यवसाय-खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण/ कृषि संसाधन/बीज उत्पादन/बायो-पेस्टीसाइड्स एवं बायो-फर्टिलाइजर्स/सेवा प्रदाताओं/अन्य कोई अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों/फर्मों को रु.10 करोड़ तक के ऋण प्रदान करना.
4.	सेन्ट किसान कोविड-19 केयर	विद्यमान सभी केसीसी धारकों अथवा मियादी ऋण उधारकर्ताओं को कोविड-19 से बाहर निकलने के लिए फसल/मत्स्य पालन/मुर्गी पालन/डेयरी/पशुपालन के लिए रु.50,000/- तक का त्वरित ऋण प्रदान करना.
5.	एसएचजी - कोविड-19 केयर के लिए विशेष ऋण योजना	कोविड-19 से बाहर निकलने के लिए, एसएचजी सदस्यों को रु.1 लाख तक का त्वरित ऋण प्रदान करना.

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए की गई पहल:


विशेष ऋण अभियान:

- ❖ नए कृषि ऋणों के प्रचार एवं स्वीकृति हेतु सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा प्रत्येक महीने में न्यूनतम एक विशाल ऋण शिविर का आयोजन किया गया.
- ❖ एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया गया.

- ❖ बैंक ने "प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना" (पीएमएफबीवाय) के अंतर्गत सभी पात्र ऋणी किसानों को 100% फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित किया और गैर-ऋणी किसानों को फसल बीमा के कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया.
- ❖ वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण पर जोर दिया.
- ❖ बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया.
- ❖ ऋण प्रवाह के साथ किसानों को सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत कवरेज में सुधार हेतु किसानों ब्के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सभी ग्रामीण /अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने गांव स्तरीय साप्ताहिक कृषक संध्या शिबिर आयोजन किये.


वित्तीय समावेशन (एफआई)

1. बैंक ने 6387 बीसी एजेंटों को तैनात कर 22706 गांवों को कवर किया है और हमने 156 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं.
2. लेन देन की संख्या:




बीसी के माध्यम से खोले गए एफआई खातों में लेन देन की संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में 437.00 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 508 लाख हो गयी (वर्ष दर वर्ष 16.25 %की वृद्धि) .

3. बीसी के माध्यम से व्यवसाय



बीसी के माध्यम से 31 मार्च 2019 को हुए व्यवसाय ₹1573.47 करोड से बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹2088.33 करोड हो गया. (वर्ष दर वर्ष 32.72% की वृद्धि)

4. बीसी के माध्यम से खोले गए खाते:



बीसी के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या 31 मार्च 2019 को 117.00 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2020 को 126.00 लाख हो गयी. (वर्ष दर वर्ष 7.69%की वृद्धि).

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान एफआई- पीएमजेडीवाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- ❖ बीसी आउटलेट के माध्यम से व्यवसाय 32.72 %, की वृद्धि सहित ₹1573.47 करोड़ से बढ़कर ₹ 2088.33 करोड़ हो गया.
- ❖ कुल एफआई व्यवसाय ₹ 3307.16 में 21.41%, की वृद्धि के साथ ₹ 4015.17 करोड़ हो गया.
- ❖ पीएमजेडीवाय खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत 80.90 % से बढ़कर 82.25 % हो गया एवं सभी सक्रिय कासा खातों में 81.24 % से बढ़कर 84.66 % हो गया.
- ❖ बीसी आउटलेट के माध्यम से लेन देन की संख्या 16.25 % की वृद्धि के साथ 437.00 लाख से बढ़कर 508.00 लाख हो गयी.
- ❖ ₹10 लाख से अधिक का व्यवसाय करने वाले बीसी की संख्या में 20.39 % की वृद्धि हुई और यह 2693 से 3242 हो गया. इसी प्रकार ₹1.00 करोड़ से अधिक का व्यवसाय करने वाले बीसी की संख्या में 76.28% की वृद्धि हुई एवं यह 215 से 379 हो गयी.
- ❖ सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल पंजीकरण की मार्च 2019 की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को वृद्धि निम्नानुसार है
पीएमजेडीबीवाय - 15,59,877 ,14.17% की वृद्धि
पीएमएसबीवाय - 46,03,888, 16.05% की वृद्धि एवं
एपीवाय - 8,73,333, 40.70% की वृद्धि
- ❖ पीएमजेडीबीवाय के अंतर्गत कुल 7603 के मृत्यु दावों में से 7147 दावों का निपटान किया गया एवं पीएमएसबीवाय के अंतर्गत कुल 2307 मृत्यु दावों में से 2057 दावों का निपटान किया गया एवं अन्य दावे बीमा कंपनियों के पास विचाराधीन हैं.

अग्रणी बैंक के अंतर्गत कार्यनिष्पादन.

- ❖ हमारे पास सात राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश (18), बिहार (10), महाराष्ट्र (7), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(4), में 51 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व है. हमारी कुल शाखाओं का लगभग 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमशः इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में स्थित हैं.
- ❖ अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित स्टाफ पूरक और बुनियादी ढांचे जैसे स्वतंत्र / अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर / लैपटॉप (स्काइप स्थापित के साथ) और प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइटों की स्थापना आदि से सुसज्जित किया गया है.
- ❖ बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में आम जनता / जनता को अवगत कराने के लिए, हमने अग्रणी जिला प्रबंधक को दिए गए वाहन पर ग्रामीण जनता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केंद्रीय कारीगर क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान / आधार आदि से संबंधित कुछ उत्पादों को प्रदर्शित किया है.

- हमने सशक्तिकरण, युवाओं के प्रशिक्षण कौशल विकास और क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से समावेशी विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक गांव का चयन किया है। वित्तीय विकास / वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के पूर्ण कार्यान्वयन, आरसेटी में प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, एसएचजी / किसान क्लब / जेएलजी का गठन, ऋणात्मक गतिविधियों को पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासवात्मक गतिविधियाँ कार्यान्वित की गई हैं। यह अग्रणी जिलों के अन्य चयनित गांवों में भी दोहराया जा रहा है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं यथा मध्यप्रदेश(18), बिहार (10), महाराष्ट्र(7), उत्तरप्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़ (2) एवं 4 एफएलसीसी केरल राज्य के ब्लाक स्तर एवं 5 एफएलसीसी बिहार राज्य के दरभंगा के ब्लाक स्तर पर खोले गये हैं।
- इन सभी केन्द्रों द्वारा गांवों में 39430 आउटडोर विजिट की गई है जिसमें 542385 व्यक्तियों को साक्षरता/ परामर्श प्रदान किया गया इनके अंतर्गत जनअभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल है।
- लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिये बैंक ने उन्हें जनसंपर्क प्रणाली युक्त गाडियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिये एलसीडी प्रदान किये है। इसके अलावा गांव के दौरे एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि उपलब्ध कराई है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी है अर्थात मध्यप्रदेश(18), बिहार(09), महाराष्ट्र(6), उत्तरप्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), उड़ीसा(1), एवं असम (1)।
- वर्ष 2019-20 के दौरान आरसेटी ने 969 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें 27376 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 19170 यानि (70%) प्रशिक्षार्थी बैंक ऋण, मजदूरी निपटान एवं स्व वित्त पोषण में स्थापित किये गये।
- कुल प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 12045 यानि 44% क्रेडिट लिंकेज से स्थापित किये गये।

अन्य पहलें

- आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिये हमारे बैंक द्वारा "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीएस) नाम से एक सोसायटी / ट्रस्ट की स्थापना की गई है।
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी हेतु हमने हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संरक्षक के रूप में कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष के रूप में एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य के रूप में शीर्ष स्तर पर एक प्रशासकीय परिषद का गठन किया है।
- पीएमजेडीवाय ग्राहकों को ₹ 50,000/- तक के सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए "सेन्ट सरल बिजनेस" नामक एक नया सरलीकृत ऋण उत्पाद प्रारंभ किया गया।

एमएसएमई विभाग

एमएसएमई विभाग के वर्तमान में चल रहे उत्पाद निम्नवत है:

- सेन्ट बिजनेस गोल्ड ऋण
- सेन्ट सिरेमिक
- सेन्ट कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट फाइनेंस
- सेन्ट कॉन्ट्रैक्टर
- सेन्ट कस्टम हायरिंग
- सेन्ट डॉक्टर – चालू वर्ष के दौरान बंद करने हेतु प्रस्तावित
- सेन्ट डेंटिस्ट - चालू वर्ष के दौरान बंद करने हेतु प्रस्तावित
- सेन्ट होजियरी
- सेन्ट कल्याणी
- सेन्ट मुद्रा
- सेन्ट ट्रेड – आढ़ती

12. सेन्ट वेयर हाउस रसीद
13. सेन्ट विवर मुद्रा
14. सेन्ट लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
15. अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
16. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
17. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
18. एसआरटीओ
19. सेन्ट स्टैण्डअप इंडिया

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित 10 उत्पादों को बंद किया गया:

1. सेन्ट-सहयोग
2. सेन्ट-प्रोत्साहन
3. सेन्ट-प्रोस्पेरिटी (अल्पसंख्यक समुदाय के लिए)
4. सेन्ट-मत्स्य कन्या (फिशर महिलाओं के लिए)
5. सेन्ट-आर्टिजन क्रेडिट कार्ड
6. सेन्ट कास्टिंग एण्ड फोर्जिंग
7. सेन्ट-प्रोफेशनल
8. सेन्ट गति धारा (पश्चिम बंगाल राज्य हेतु)
9. सेन्ट रिटर्न एनआरआई बिजनेस ऋण योजना – केरल राज्य में वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए वित्तपोषण
10. सेन्ट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित नए उत्पादों की शुरुआत:

1. सेन्ट बिजनेस ऋण – उदारीकृत संपार्श्विक मानदंडों और ब्याज की कम दर के साथ व्यवसाय समुदाय को नकदी प्रवाह आधारित उधार देने के लिए इस योजना को दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था और 30.06.2020 तक रु.509 करोड़ का कारोबार जुटाया गया था.

1. निष्पादन

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित *	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित **	वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि पीएसएलसी रहित	वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि पीएसएलसी सहित
माइक्रो इंटरप्राइजेज	10735	16620	10650	13785	-0.79%	-17.06%
एमएसई	28275	34160	25927	29062	-8.30%	-14.92%
एमएसएमई(पीएस)	32090	37975	30286	33421	-5.62%	-11.99%
कुल एमएसएमई	32090	37975	30286	33421	-5.62%	-11.99%
कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम %	19.13%	22.64%	16.03%	17.69%		
भारतीय रिजर्व बैंक आदेशित (प्रधानमंत्री कार्यबल)	31.03.19 (आडिटेड)		31.03.2020 (आडिटेड)		लक्ष्य मार्च-20	
माइक्रो इंटरप्राइजेज में खातों की संख्या	813011		878407		894313	

विवरण	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित *	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित **	वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि पीएसएलसी रहित	वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि पीएसएलसी सहित
माइक्रो इंटरप्राइजेज के अधीन वर्ष-दर-वर्ष% खातों की संख्या में वृद्धि	20.24%		8.04%		10%	
भारतीय रिजर्व बैंक आदेशित (प्रधानमंत्री कार्यबल)	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2019 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित	लक्ष्य मार्च-20	
एमएसई संविभाग (राशि.)	28275	34160	25927	29062		
एमएसई के अधीन वर्ष-दर-वर्ष % साख वृद्धि	-4.16%	-7.74%	-8.30%	-14.92%	20%	
एमएसई क्रेडिट में माइक्रो क्रेडिट %	36.39%	44.89%	37.66%	40.35%	60%	

(*)पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यमों के अधीन रू.5885/करोड की खरीद एवं सिडबी में निवेश रू 1054 करोड जिसमें मुद्रा लिमिटेड रू. 235 करोड है.

(**)पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यमों के अधीन रू.3135/करोड की खरीद एवं सिडबी में निवेश रू 983 करोड जिसमें मुद्रा लिमिटेड रू. 235 करोड है.

सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत निष्पादन :

सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक	एएनबीसी मार्च - 20	दिनांक 31.03.19 की स्थिति पीएसएलसी रहित	दिनांक 31.03.19 की स्थिति पीएसएलसी सहित	दिनांक 31.03.20 की स्थिति पीएसएलसी रहित	दिनांक 31.03.20 की स्थिति पीएसएलसी सहित	लक्ष्य मार्च- 20 (एएनबीसी का 7.50%)
31.03.19 पीएसएलसी रहित	31.03.19 पीएसएलसी सहित	31.03.20 पीएसएलसी रहित	31.03.20 पीएसएलसी सहित	157750	6.09%	9.43%	6.75%	8.73%	11832

संकेतक	विवरण
मुख्य निष्पादन	<ul style="list-style-type: none"> एमएसई के लिये माइक्रो क्रेडिट पीएसएलसी रहित 37.66% और पीसीएलसी 40.35% है. बैंक ने माइक्रो के अधीन खातों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 8.04% की वृद्धि दर्ज की. डीएफएस, एम.ओ.एफ., भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाय के अधीन दिये गये लक्ष्यों में बैंक की उपलब्धि 96% रही. मार्च 2020 की नवीन स्वीकृति के अंतर्गत बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य रू.4400 करोड के विरुद्ध रू. 4211 करोड प्राप्त कर सका.
नवोन्मेष	<ul style="list-style-type: none"> बैंक ने ईसीएल फायनेंस लि. के साथ सह उद्भव के अधीन ऋणों के लिये टाई-अप किया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवीन उत्पाद सेंट बिजनेस ऋण प्रारंभ किया गया.
हमारे प्रयास	<p>माइक्रो इंटरप्राइजेज पर जोर एएनबीसी के 7.5% के भा.रि.बैं. एवं पीएमटीएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु माइक्रो इंटरप्राइजेज पर विशेष बल दिया जा रहा है.</p> <ul style="list-style-type: none"> इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा जोर मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इंडिया योजना, केवाईसी/पीएमईजीपीके के अधीन ऋण एवं सेंट वीवर मुद्रा योजना के अधीन वित्त प्रदान करने पर है. ऋण की गुणवत्ता में सुधार और झंझट मुक्त प्रसंस्करण और टीएटी को बेहतर बनाने के लिये बोर्ड ने 50 सीएसएमईसीपीसी केन्द्रों को अनुमोदित किया है जो सितम्बर 2020 तक कार्यात्मक हो जाएंगे.

खुदरा ऋण

दिनांक 31.03.2020 को खुदरा ऋण योजनाओं के अधीन कुल बकाया राशि ₹.40614 करोड़ थी. बैंक का खुदरा संविभाग कुल ऋणों का 23.59% है.
(₹ करोड़ में)

	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020
खुदरा ऋण	34939	38505	32008	48123	48666	40614
कुल ऋण	194967	190152	153008	177484	167729	172153
कुल ऋणों में रिटेल (%)	17.92	20.25	20.92	27.11	29.01	23.59

	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020
आवास ऋण	14004	16319	18006	21392	23301	25821
खुदरा ऋण	34939	38505	32008	48123	48666	40614
कुल रिटेल क्रेडिट में आवास ऋण (%)	40.08	42.38	56.25	44.45	47.88	63.58

नोट - यह आंकड़े आइबीपीसी एवं बैंक की स्वयं की मियादी जमाओं के विरुद्ध ऋण आदि के बगैर हैं.

दिनांक 31.03.2020 को आवास ऋण योजना में कुल बकाया राशि ₹. 25821 करोड़ थी. बैंक का आवास ऋण संविभाग कुल रिटेल अग्रिम का 63.58 % है. आवास ऋण पिछले वर्ष से 10.81 % बढ़ा है.

उत्पाद और सेवायें :

सुस्पष्ट विभेद सहित संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आम जनता के लिए बैंक के पास 20 खुदरा ऋण उत्पाद हैं. बैंक द्वारा यह सभी योजनाएं आम जनता को स्पष्ट विभेद सहित संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं.

क्र.संख्या	योजना का नाम
1.	सेन्ट होम लोन योजना – श्रेष्ठ होम लोन विशेषताओं एवं कमतर ब्याज दर के साथ घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण हेतु योजना
2.	सेन्ट होम डबल प्लस योजना – एक ऐसा होम लोन उत्पाद, जिसमें अधिक पुनर्भुगतान करना अनुमत है, ब्याज लाभ तथा जरूरत पड़ने के मामले में अधिक प्रदत्त भुगतान को आहरण करने की तरलता भी प्रदान करता है.
3.	सेन्ट होम – सीआरजीएफटीएलआईएच योजना – “ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना” के अंतर्गत, कवरेज के साथ इडल्यूएस एवं एलआईजी की योजना
4.	सेन्ट होम – प्रधानमंत्री आवास योजना – पीएमएवाय के अंतर्गत, अनुदान राशि के साथ होम लोन उत्पाद
5.	सेन्ट होम लोन लाभार्थियों को टॉप-अप मियादी ऋण सुविधा – व्यक्तिगत जरूरत के लिए टॉप-अप ऋण
6.	सेन्ट होम ऋण योजना – तीसरा अथवा चौथा घर खरीदने के लिए – दो घर से अधिक के लिए आवास ऋण
7.	सेन्ट मॉर्गेज मियादी ऋण – आसान शर्तों पर सम्पत्तियों के विरुद्ध ऋण
8.	सेन्ट रेन्टल – आसान शर्तों पर प्राप्य किराये के विरुद्ध ऋण
9.	सेन्ट स्वाभिमान प्लस – वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन भर के लिए वार्षिकी भुगतान योजना
10.	सेन्ट विद्यार्थी – विद्यार्थियों के लिए आसान शर्तों पर शैक्षणिक ऋण योजना
11.	सेन्ट विद्यार्थी - एनसीजीटीसी गारंटी – अनुदान राशि के साथ ₹. 7.5 लाख तक शिक्षा ऋण योजना
12.	सेन्ट स्किल लोन योजना – दक्षता हासिल करने के लिए शिक्षा ऋण योजना
13.	एक्सीक्यूटिव एमबीए के लिए शिक्षा ऋण – अनुभव के साथ कार्यपालकों के लिए शिक्षा ऋण योजना
14.	आईआईएम एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण – आईआईएम एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए शिक्षा ऋण योजना

क्र.संख्या	योजना का नाम
15.	आईआईटी विद्यार्थियों के लिए सेन्ट टेक विद्यार्थी – आईआईटी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना
16.	सेन्ट व्हीकल योजना – आसान शर्तों पर दो/चार पहिया वाहन खरीदने के लिये
17.	सेन्ट पर्सनल योजना – व्यक्तिगत ऋण योजना
18.	सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन योजना – स्वर्ण के विरूद्ध ऋण
19.	सेन्ट लिक्विड – शेयर्स के विरूद्ध ऋण
20.	पेंशन लोन योजना – पेंशनरों को ऋण

खुदरा ऋण बढ़ाने के लिये की गई पहल :

- खुदरा ऋणों में ब्याज दर संचरण को सुनिश्चित करने के लिये रेपो आधारित उधार दरों (आरबीएलआर) को शुरू किया गया.
- क्षेत्रीय कार्यालय में मार्केटिंग वर्टिकल स्थापित किया गया जिससे लीड उत्तपत्ति एवं लीड परिवर्तन की निगरानी की जा सके. आंचलिक कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी द्वारा खुदरा ऋणों/ आवास ऋणों में वृद्धि हेतु ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
- आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, ईएलबी, वीएलबी और सीसीपीबी में मार्केटिंग प्रयासों को प्रोत्साहित करना
- आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों शाखाओं के लिए ऑनलाइन पीएसबी 59 मिनट पोर्टल के साथ टाई-अप किया गया है. शाखाओं को पीएसबी 59 पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
- विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं के लिए सीआईसी स्कोर को युक्तिसंगत बनाना.
- **कोविड 19 महामारी** से उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम करने के लिए चार विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:
 1. हमारे बैंक के पूर्व स्टाफ पेंशनर के लिए विशेष पेंशन ऋण
 2. आम जनसाधारण के लिए विशेष पेंशन ऋण
 3. केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, भारतीय रेलवे और नगर निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए विशेष व्यक्तिगत ऋण.
 4. हमारे बैंक के वर्तमान में बंधक आधारित खुदरा उधारकर्ताओं के लिए विशेष बंधक ऋण
- जोखिम राहत के हिस्से के रूप में और समुचित सावधानी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केन्द्रीकृत ऋण प्रस्करण शाखा संकल्पना को 15.01.2020 से प्रारम्भ किया गया. .
- ईएएसई दिशानिर्देशों की आवधिक निगरानी की जाती है.
- खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए डबल डिलाईट अभियान, मॉनसून कार्निवाल और होम लोन स्प्रींग कार्निवाल सफलतापूर्वक संचालित किये गये, जिसमें प्रक्रिया शुल्क में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से छूट दी गई.

खुदरा ऋणों हेतु 49 केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण शाखा स्थापित की गई :-

- प्राप्त ऋण आवेदनों को योग्यता के आधार पर 24 घंटे के भीतर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है.
- संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 6 दिन के भीतर नियमित स्वीकृति प्रदान की जाती है.
- रू. 7.50 लाख से अधिक के सभी बंधक आधारित ऋणों की स्वीकृति सीसीपीबी द्वारा दी जाती है.
- लीड जनरेशन, प्रक्रिया, अतिदेय ऋणों का वितरण एवं सॉफ्ट वसूली का कार्य सीसीपीबी को सौंपा गया है.

आवास ऋणों में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- अन्य बैंको और अच्छे एनबीएफसी से आवास ऋणों को अधिग्रहण हेतु केन्द्रित करना
- पुनर्विक्रय आवासों के ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये रियल स्टेट एजेंटो को प्रोत्साहन प्रारम्भ करना.
- टियर-II, टियर- III एवं टियर- IV शहरो पर ध्यान केंद्रित करना.
- किफायती आवास एवं पीएमएवाय पर ध्यान केंद्रित करना.

- प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिये गुणवत्ता वाले बिल्डर्स के साथ अधिक टाई-अप करना.
- प्रतिक्रिया समय को कम करने एवं आवास ऋणों में वृद्धि के लिये हमने अच्छे बिल्डरों के साथ टाई-अप को प्रोत्साहित किया.
- वर्ष 2019-20 के दौरान पैन इंडिया में रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड 100 से अधिक बिल्डरों के साथ टाई-अप किया गया.

वाहन ऋणों में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- मारुति एवं टाटा मोटर्स के साथ टाई अप कर डीलरों को शाखाओं के साथ मैप किया गया, डीलरों से नियमित रूप से भेंट करके लीड प्राप्त कर उसे व्यवसाय में बदलना.
- डीलर/उप डीलर को आकर्षक प्रोत्साहन राशि.

व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- वेतन और पेंशन खाताधारकों के साथ निरंतर संवाद.
- कॉर्पोरेट्स/ सरकारी संगठनों से भेंट करके उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.
- डिजिटल प्रलेखन के माध्यम से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन खाता धारकों को तत्काल व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.
- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा बंधक धारकों को विशेष व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.

गोल्ड ऋण में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- संभावित शहरों/कस्बों में ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण. मूल्यांकक और सुरक्षित लॉकर का उचित प्रावधान.
- शाखा में बैंकों, स्टैंडी, पैम्फलेट्स का वितरण करके गोल्ड लोन उपलब्ध कराना.
- गोल्ड लोन राशि प्रति ग्राम सोने का मूल्य ₹2900 / - तक बढ़ाया गया.
- प्रमुख एनबीएफसी से गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की खरीदारी.

शिक्षा ऋण में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- आईआईएम, आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के लिये शिक्षा ऋण पर ध्यान देना.
- विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को ऋण.
- रुपये 7.50 लाख तक के ऋण सेंट विद्यार्थी- एनसीजीटीसी गारंटी योजना के तहत स्वीकृत किए जा रहे हैं.
- टीएटी को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय को स्वीकृति देने की शक्तियों में वृद्धि की गई.
- लीड उत्पत्ति के लिए चयनित किए गए शैक्षिक संस्थानों के साथ टाई अप व्यवस्था.
- आईआईएम एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के छात्रों के वित्त पोषण के लिये योजना में प्रतिष्ठित संस्थान जोड़े गये

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्य(वसाय देश भर में फैली 62 प्राधिकृत डीलर ("बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि निधि प्रबंधन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- दिनांक 31.03.2020 को बैंक का निर्यात पोर्टफोलियो रूपये 4,876 करोड़ रहा जो दिनांक 31.03.2019 को रूपये 5,314 करोड़ था. यह पिछले वर्ष के मुकाबले 8.24% कम रहा.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मर्चेन्ट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर रूपये 31,367 करोड़ रहा जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मर्चेन्ट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर रूपये 31,367 करोड़ रहा जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 42,995 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2019 को रूपये 4,941 करोड़ बढ़कर दिनांक 31.03.2020 को रूपये 5,130 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 3.83% की वृद्धि दर्शाती है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2019 को यूएसडी 226.73 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2020 को यूएसडी 230.66 मिलियन हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 1.73% की वृद्धि दर्शाती है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2020 को बढ़कर 1,47,357 करोड़ हो गया (गैर-एसएलआर, गैर-अंतरणीय भारत सरकार पुनःपूजीकरण बॉन्ड रूपये 14,780 करोड़ सहित) जो दिनांक 31 मार्च 2019 को रूपये 1,29,219 था, पिछले वर्ष की तुलना में 14.04% की वृद्धि दर्ज हुई। दस वार्षिक बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2019 के 7.35% की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को 6.14% पर बंद हुआ।
- वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट चार बार घटा कर प्रभावी रूप से रेट को 6.25% से 4.40% कर दिया। इससे बैंक दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा दर कम होकर 4.65% हो गयी।
- लघु और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) के खाते पर कोविड-19 व्यवधान के कारण खातों पर असर पड़ा है तरलता उपाय के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीआरटीआरओ) का संचालन किया है और बैंक ने रूपये 207 करोड़ आगे अभिनियोजन करने के लिए प्राप्त किये हैं।
- पिछले वर्ष के ट्रेडिंग लाभ रूपये 215 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-200 में ट्रेजरी ने रूपये 1214.85 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ दर्ज किया। निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2018-19 के 7.15% से कम होकर वर्ष 2019-20 के दौरान 7.01% हो गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार को रूपये 5566 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में एवं रूपये 6746 करोड़ की राशि एचटीएम से एएफएस में अंतरित की।
- बैंक द्वारा एक्सिस बैंक को 91 दिनों के लिए रूपये 1500 करोड़ के आईबीपीसी ऋण दिए गए।
- दिनांक 31 मार्च 2020 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्र निम्न प्रकार है :

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं	संघटन	31.03.2020	31.03.2019
1	एसएलआर	109,493.35	96,206.03
2	गैर-एसएलआर	37,864.51	33013.28
	योग	147,357.86	129,219.31

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से क्रेडिट, मार्केट और परिचालन जोखिम तथा पिलर छ जोखिमों के तहत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/ नीति की देखरेख करती है। समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है जिससे बाजार की गतिविधियों से समन्वय सहित सापेक्ष जोखिम वाले मॉडल का आकलन करती है और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी करती है। समिति नियमित रूप से कार्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम जोखिम के अनुपालन की निगरानी करती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

- ❖ परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति (आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरसीओ) गठित की गई है जिसमें शीर्ष प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल किए गए हैं।
- ❖ यह समितियां बैंक के विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के आकलन एवं निगरानी के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं।
- ❖ सभी आंचलिक कार्यालयों में बैंक ने मुख्य प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों को “जोखिम प्रबंधक” के तौर पर अभिचिन्हित किया है। यह जोखिम प्रबंधक, आंचलिक स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं। बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबंधन की सहायता के लिए “नोडल अधिकारी” के रूप में कार्य करते हैं।

बाजार जोखिम प्रबंधन

- ❖ मिड ऑफिस, बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न की समीक्षा करता है और एक्सपोजर, अवधि, काउंटर पार्टियों की सीमाओं और विभिन्न संवेदनशील मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

- ❖ वीएआर तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे उपकरणों का सतत उपयोग किया जाता है जिससे अल्पकाल में बैंक के लाभ को तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य को नापने और प्रबंध करने के लिए किया जाता है।
- ❖ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बेसल छः के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे लागू किया गया है।
- ❖ पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम की निगरानी के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। ट्रेजरी परिचालन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों की सीमाएं समकक्षों की नवीनतम, जोखिम सहबद्धता की स्थिति के अनुसार निर्धारित/ समीक्षित की गई है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

- ❖ बैंक की एक सुस्पष्ट लिखित एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है।
- ❖ विभिन्न मॉडलों जैसे लार्ज कॉर्पोरेट मॉडल, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडल, एनबीआई इत्यादि के अंतर्गत खातों की रेटिंग के लिए बैंक के पास क्रिसिल लि. से प्राप्त मॉड्यूल है।
- ❖ बैंक ने रिटेल ऋण कर प्रेडिग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इनका उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ ऋण जोखिम प्रबंधन की गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति द्वारा की जाती है।
- ❖ कॉर्पोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक प्रणाली के माध्यम पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है। जिसके लिए एसएस सोल्यूशन ले लिया गया है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

- ❖ बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है।
- ❖ परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधक समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया गया पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को प्रबल करता है।
- ❖ बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण के प्रति मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है। नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़े जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना लागू है जो बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ़ आईसीएएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है। बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मापदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी अनुपात रखने का इरादा है। पूंजी के प्रति अनुमान की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन पद्धतियां

- ❖ एएलएम प्रमुखतः बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है। आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 24 बार बैठकें की।
- ❖ विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, एएलएम द्वारा जमाओं पर ब्याज निधारण करने के साथ-साथ आधार दर, एमसीएलआर, आरबीएलआर और बीपीएलआर का निर्धारण भी किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान जमा ब्याज दरों में 13 (तेरह) बार, आधार दर में 4 (चार) बार एवं एमसीएलआर में 12 (बारह) बार संशोधन किया गया।
- ❖ भारिबै के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबै द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात 2019-20 के लिए 100%) पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए औसत एलसीआर 322.50% रहा है।

बेसल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2015 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बेसल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम हेतु मानकीकरण अवधि पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है।
- ❖ आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंकर आईआरएमएस (एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

- ❖ सभी आवश्यक नीतियां जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संप्राश्निक प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं।
- ❖ ऋण जोखिम के अधीन पूँजी प्रभार की गणना हेतु बैंक आइआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

सैम (एसएम) एवं वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति उपलब्ध है। इसमें एनपीए प्रबंधन के सभी क्षेत्र निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की वसूली, स्वीस चैलेंज पद्धति से एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता, एक मुश्त निपटान आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तन/गतिविधियां एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियां इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली अभियान चलाये।

1. वर्ष 2019-20 के दौरान, यद्यपि रूपये 2936 करोड़ की नकद वसूली और रूपये 423 करोड़ का अपग्रेडेशन, के बावजूद उच्च राशियों के कुछ नए खातों (रूपये 50 करोड़ एवं अधिक के 13 खाते कुल राशि रूपये 2838 करोड़) के कारण से कार्य-निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
 - ❖ सकल एनपीए का स्तर थोड़ा अर्थात रूपये 233 करोड़ बढ़कर रूपये 32356 करोड़ से रूपये 32589 करोड़ हो गया।
 - ❖ शुद्ध एनपीए रूपये 11534 करोड़ रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 11333 करोड़ था
 - ❖ सकल एनपीए, कुल ऋणों की तुलना में 19.29% से कम होकर 18.92% हो गया (37 बीपीएस)
 - ❖ शुद्ध एनपीए, शुद्ध ऋणों की तुलना में 7.73% से कम होकर 7.63% हो गया (10 बीपीएस)
 - ❖ बटटे खातों में नकद वसूली में (24.42%) की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2018-19) में रूपये 557 करोड़ से (वित्तीय वर्ष 2019-20) में रूपये 693 करोड़ हो गई।
2. एनपीए समाधान के लिए निम्न एक मुश्त समझौता (ओटीएस) योजना कार्यान्वित की गई:
 - ए) विवेकाधीन रहित /भेदभाव रहित (एनडीएनडी) 2019-20 विशेष एक मुश्त समझौता योजना जिसमें 31.03.2019 के अवमानक, डीए1, डीए2, डीए3, हानि लेखा एवं पीडब्लूओ/टीडब्लूओ खाते जिसमें ग्राहक का एक्सपोजर (बकाया सीआईएफ वार) रूपये 10.00 करोड़ तक है।
 - बी) सभी एनपीए खाते प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण के अंतर्गत ओटीएस योजना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन योजनाओं में रूपये 4591 करोड़ लेजर बकाया के ओटीएस प्रस्तावों का निपटान रूपये 2540 करोड़ में किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन योजनाओं में कुल रूपये 1354 करोड़ के प्रस्ताव विभिन्न समितियों के माध्यम से केन्द्रीय कार्यालय में स्वीकृत किए गए थे।
3. वर्ष के दौरान बैंक ने आस्ति वसूली कंपनियों (एआरसी) को 11 एनपीए खाते 100% नकद के अंतर्गत स्विस् चुनौती पद्धति के अंतर्गत बेचे गए (ज्योति लिमिटेड को छोड़कर 50% एसआर) जिसके अंतर्गत रूपये 388 करोड़ की नकद वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में रूपये 685 करोड़ की कमी हुई।
4. भारिबै के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के दिशानिर्देश अनुसार रूपये 1500 करोड़ या उससे अधिक बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों के लिए आईसीए हस्ताक्षरित किया गया।

कुल खाते	दिनांक 31.03.2020 को बकाया राशि	किया गया कुल प्रावधान
20	₹ 7071.06 करोड़	₹ 3698.78 करोड़

5. भारिबै के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के अनुपालन के लिए खातों में रेजोल्यूशन प्लान को अनुमोदित एवं कार्यान्वित कर दिया गया है।

कुल खाते	बकाया राशि	किया गया कुल प्रावधान
5	₹ 914.38 करोड़	₹ 147.19 करोड़

- i. जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लि. (निग्रई)
- ii. जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लि. (बीना)
- iii. रतन इंडिया पावर लि.

- iv. जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि.
 - v. बजाज हिन्दुस्तान शूगर लि.
6. भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम एवं द्वितीय सूची में प्रदर्शित खातों में एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वित किया गया.

खातों की संख्या	बकाया राशि	कुल प्रावधान
2	1221.27 करोड़	1009.46 करोड़

- i) एस्सार स्टील लिमिटेड
- ii) रूचि सोया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम एवं द्वितीय सूची के खातों में कुल पीसीआर 94.29% है.

7. वर्ष 2019-20 के दौरान एनपीए खातों में वसूली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था. एनपीए के उतार चढ़ाव की हमारे कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है. सरफेसाई के तहत कानूनी कार्यों और कार्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों के दौरान की जाती है और मासिक आधार पर वक्षेप्र/क्षेप्र और फील्ड महाप्रबंधक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है.
8. रूपए 10 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले एनपीए उधारकर्ताओं से वसूली के लिए शाखा स्टाफ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की वसूली टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया.
9. रू. 5 करोड़ से अधिक की राशि वाले सभी एनपीए खातों की फील्ड अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है. तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं. क्षेप्र/फीमप्र द्वारा खातों में वसूली की कार्रवाई शुरू की जाती है. मासिक आधार पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में एनपीए खातों में हो रही प्रगति की समीक्षा की जाती है.
10. एसएमए और एआरबी शाखाओं द्वारा वसूली पहल को बढ़ावा देने के लिए तिमाही आधार पर बारीकी से निगरानी की जाती है.
11. बट्टे खाते में डाले गए खातों की वसूली में तेजी लाने के लिए चूककर्ता खातेदारों से संपर्क किया जा रहा है.
12. क्षेत्र/आंका और विधि अधिकारी की सक्रिय भागीदारी से जिला स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन तिमाही आधार पर किया गया है.
13. लंबित मामलों के निपटान के लिए विधि अधिकारियों/ समन्वयकों द्वारा डीआरटी से सघन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.
14. सभी फील्ड महाप्रबंधकों और क्षेत्रीय प्रबंधकों को सलाह दी गई थी कि वे एनपीए खातों/ ओटीएस सेटलेमेंट आदि में नकद वसूली/ उन्नयन से संबंधित नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 10 लाख रूपए और उससे अधिक के सभी एनपीएखातों को सभी अधिकारियों को आबंटित करें.
15. चूककर्ता उधारकर्ताओं से नियमित रूप से नकद वसूली और उन्नयन को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड फंक्शनरीज को जागृत किया गया है.

बैंकाश्युरेंस

बैंकाश्युरेंस कक्ष जीवन, गैर जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण का कार्य करता है और कमीशन प्राप्त करता है. हमारे बैंक के पास बीमा व्यवसाय के लिए वर्ष 2003 से इरडा का मिश्रित कार्पोरेट एजेन्सी लाइसेंस है. जिसका अंतिम नवीकरण वर्ष 2019 में हुआ था तथा यह 31.03.2022 तक वैध है. बैंक ने बैंकाश्युरेंस व्यवसाय हेतु निम्न इंशोरेंस पार्टनर के साथ टाई-अप व्यवस्था की है:-

क्रम सं.	बीमा कंपनी का नाम	श्रेणी
1	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड	जीवन बीमा
2	टाटा एआईए जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा
3	न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
4	बजाज अलाएज जनरल इशोरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
5	अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	केवल स्वास्थ्य बीमा

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नानुसार रही:

- ❖ जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 57,908 पालिसियां एवं 169.06 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- ❖ साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 55.99 करोड़ प्रीमियम सहित 2,23,594 पालिसियां संग्रहित की है.

- ❖ स्वास्थ्य बीमा के एकल व्यवसाय में 13.90 करोड़ प्रीमियम सहित 16540 पालिसियां संग्रहित की है।
- ❖ बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय रू. 39.55 करोड़ की हुई है।
- ❖ वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या 110 बढ़कर अब बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय करने के लिए हमारे पास 1671 विनिर्दिष्ट व्यक्ति है।

डिपॉजिटरी सेवाएं :

बैंक सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड(सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत एक डिपॉजिटरी सहभागी है। सभी परिचालन केन्द्रीयकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूंजी बाजार सेवा शाखा द्वारा यें वाएं प्रदान की रही है। मुख्य केन्द्रों पर स्थित शाखाएं खाते खोलने, शेरों का क्रय तथा विक्रय, शेरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवाएं प्रदान कर रही है। बैंक के पास करीब 30319 डी-मैट खाता धारक है।

कैपिटल मार्केट सेवा शाखा, मुंबई आस्वा, डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंटों का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी पूंजी बाजार संबंधी सुविधायें प्रदान करती है। यह डी-मैट तथा एस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग समाधान

- ❖ दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है।
- ❖ बैंक ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक दक्षता एवं त्वरित सेवाएं देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।
- ❖ विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं को भविष्य के व्यावसायिक पूर्वांशुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार उन्नयन/ संवर्धन किया जाता है।
- ❖ बैंक द्वारा एक आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को नीति के अनुरूप नियमित डी आर ड्रिल की जाती है।
- ❖ बैंक एवं ग्राहक हित सुरक्षित रखने हेतु नीतियां एवं प्रक्रियाएं लागू की गई है।
- ❖ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने शून्य डाटा हानि सहित नियर साईट क्रियान्वित की है।
- ❖ सीबीएस में आवश्यकतानुसार, निरंतर नयी कार्यविधियां क्रियान्वित की जा रही है।
- ❖ बैंक, सीबीएस और इंटरफेस की तत्काल कार्यनिष्पादन की अनुकूलता हेतु और डाटा संग्रहण के अधिकतम उपयोग एवं डाटा अभिलेखीय सामधान की देख रेख के लिए एप्लीकेशन परफॉरमेंस मैनेजमेंट (एपीएम) समाधान को लागू करने की प्रक्रिया में है।

2. नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी

- ❖ बैंक का कॉर्पोरेट नेटवर्क 4668 स्थानों पर व्याप्त है जिनमें शाखाएं, विस्तार पटल, एआरबी तथा प्रशासनिक कार्यालय सम्मिलित है।
- ❖ बैंक ने व्यवहार्यता एवं आवश्यकता के आधार पर प्राथमिक अथवा बैंकअप के तौर पर 2 एमबीपीएस वायर्ड / वायरलेस लिंक / आरएफ / वीसेट लिंक खरीदने हेतु कई सेवा प्रदाताओं से टाई-अप किया है।
- ❖ बैंक ने लगभग सभी प्राइमरी लिंक को 2 एमबीपीएस एवं उससे अधिक में अपग्रेड कर दिया है। कुल स्थानों में 86% पर बैंकअप लिंक को 512 केबीपीएस और इसके ऊपर अपग्रेड किया गया है, जिससे 500+ बीएसएनएल वीसेट, 400+ एयरटेल वीसेट एवं 200+ ह्यूगस वीसेट शामिल है।
- ❖ बैंक, शेष 14% स्थानों पर उच्च बैंडविथ बैंकअप लिंक प्रदान करने एवं मौजूदा बैंकअप वीसेट्स को बदलने हेतु बीएसएनएल एलएल/ 2 एमबीपीएस आरएफ / 3जी / 4जी की खरीद की प्रक्रिया में है।
- ❖ बची हुई शाखाओं के लिए उपरोक्त की प्राप्ति हेतु 2 एमबीपीएस वायर्ड / वायरलेस लिंक खरीदने के लिए बैंक ने सिफि टेक्नालोजीज लिमिटेड एवं वोडफोन आईडिया लिमिटेड को खरीद आदेश जारी किया है।
- ❖ शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए है।
- ❖ बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने हेतु डीसी और डीआर में नई पीढ़ी के प्रमाणित फॉयरवॉल, वेब एप्लीकेशन फॉयरवॉल की खरीद एवं स्थापना की है।
- ❖ उत्कृष्ट नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने हेतु बैंक डीसी एवं डीआर में टॉप ऑफ रैक (टीओपी) स्विच, सर्वर लोड बैलेंसर, नेटवर्क बिहैविअर एनालिसिस टूल प्राप्त किए है।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी)

- ❖ बैंक की इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा 10000 उपयोगकर्ताओं को समवर्ती रूप सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। वेबसाइट, सुरक्षा बढ़ाने हेतु विस्तारित वैधता के साथ एसएसएल प्रमाणपत्र एवं टीएलएस 1.2 प्रोटोकाल का उपयोग करती है।
- ❖ वर्ष 2019-20 में जोड़ी गई नई सुविधाएं -
 1. इंटरनेट बैंकिंग अब दस भाषाओं, यथा: अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगू में उपलब्ध है।
 2. इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर ग्राहक अपना लोक भविष्य निधि (पीपीएफ खाता) ऑनलाइन खोल सकते हैं।
 3. लॉगइन पेज पर केप्चा शुरू किया गया है।
 4. ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने हेतु ऑनलाइन पासवर्ड जेनरेशन के लिए अधिप्रमाणन का दूसरा घटक प्रस्तुत किया गया है। अब इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर मौजूदा ओटीपी के अलावा केवाईसी/ डेबिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े सुरक्षा प्रश्न पूछकर अधिप्रमाणित करने को कहता है।
 5. इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक अब अपने रजिस्टर्ड ई-मेल पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उत्पाद एवं सेवाओं की एक बृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है। इनमें खुदरा एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु ऑनलाइन पासवर्ड बनाना, स्वेच्छा एवं सुविधा से लेनदेन हेतु ग्राहकों के लिए 2 एफए (ओटीपी, प्रिड एवं डिजिटल हस्ताक्षर) विकल्प देना, निधि अंतरण, ऑनलाइन जमा किए गए कर को देखना, उपभोक्ता बिलो का भुगतान, विभिन्न सरकारों हेतु करों का भुगतान, एयरलाईंस/ मूवी टिकटों की खरीदारी, मंदिरों को दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की फीस ऑनलाइन भुगतान, सरकारी ई-भुगतान/ प्राप्तियां, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाता विवरण, एनआरआई/ एनआरओ जमाओं सहित ऑन लाइन सावधि जमा, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन सॉवरन गोल्ड बांड हेतु अनुरोध, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को सक्षम, अक्षम एवं कार्ड की सीमा नियंत्रित करने हेतु कार्ड प्रबंधन की सुविधा, निफ्ट शैड्यूलिंग, आईएमपीएस से निधि अंतरण इत्यादि शामिल हैं।
- ❖ कर भुगतान की सुविधा का लाभ लेने के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु एक अलग समूह बनाया गया है। जांच एवं सहयोग के उद्देश्य से केवल देखने हेतु एडमिन को आंतरिक सुविधा प्रारम्भ की गयी है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा उच्च मात्रा में कर संग्रहण की सुविधा देने हेतु सीबीडीटी माॅड्यूल को नया रूप दिया गया है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह हेतु राजस्थान भुगतान पोर्टल एवं बिहार राज्य ट्रेजरी पोर्टल (सीटीएमआईएस) के साथ समन्वयन किया गया है।
- ❖ आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा ई-फ्रेट, आरटीजीएस / एनइएफटी इत्यादि सुविधाएं भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध है तथा कॉर्पोरेट (गैर- व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24x7 एनइएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है। ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइटवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारम्भ की गई है। कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यकतानुरूप खाता विवरण की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है। कॉर्पोरेट ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं।
- ❖ उड़ीसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से बिल्कुल नया मॉडल लगाया है। जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं। बैंक ने सिविल सेवा, खाद्य मंत्रालय एवं अन्य ई-पीएओ हेतु भी भुगतान पद्धति को कार्यान्वित किया है।
- ❖ कॉर्पोरेट ग्राहकों के खाते में आवश्यकतानुसार विवरण की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है। एनइएफटी के माध्यम से बल्क अपलोड की सुविधा भी इंटरनेट बैंकिंग के तहत उपलब्ध है। कॉर्पोरेट ग्राहक, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठाते हुए ग्राहकों की आवश्यकतानुरूप विभिन्न विकल्पों को चुन सकते हैं।
- ❖ वैयक्तिक आईएनबी ग्राहकों को पहले से ही उपलब्ध सेवाओं की तरह अब कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी केवल देखने की सुविधा युक्त आईएनबी / कर एवं उपभोक्ता बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

4. इंटरफेस :

- ❖ हमारा बैंक सरकारी भुगतानों की प्रक्रिया हेतु पीएफएमएस (लोक निधि प्रबंधन प्रणाली) के साथ जुड़ा हुआ है। दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां हमारा बैंक योजनाओं का प्रायोजक बैंक है, वहां यह प्रणाली मनरेगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त की जाती है।

❖ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए नये इंटरफेस विकसित किए गए हैं:

- महाराष्ट्र राज्य जहां हमारा बैंक योजनाओं का प्रायोजक बैंक है, के लिए पीएफएमएस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना क्रियान्वित की गई है।
- फीस विवरण को तत्काल लेने एवं शाखाओं में सफलतापूर्वक संग्रहण के पश्चात अद्यतन हेतु वेबसेवा का प्रयोग कर ग्राहकोनुकूल फीस संग्रहण माइयूल, यह मांडयूल अल्पावधिक सूचना पर नये संस्थानों को जोड़ने के लिए जेनरिक एपीआई उपलब्ध कराकर संस्थानों के उपयोग एवं फीस संग्रहण प्रारम्भ करने हेतु कॉन्फिगर किया जा सकता है।
- बस एक क्लिक पर सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश पेंशन प्रसंस्करण- यह मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है जिसमें 40 लाख लाभार्थियों को एक बार में ही पेंशन प्रदान की जाती है।
- हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग पेंशन प्रसंस्करण- इस परियोजना का उद्देश्य है कि केवल एक फाइल अपलोड करने से हमारे बैंक के लाभार्थियों की राशि जमा हो जाये।
- ग्राम पंचायत विभाग (डीजीओपी), मध्य प्रदेश – ग्राम पंचायत विभाग को बैंक प्रणाली में सीधे प्रसंस्करण हेतु डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त इससे दैनिक खाता विवरण मिलता है एवं डीओजीपी सेटअप अद्यतन होता है।
- राजस्थान भुगतान पोर्टल (आरपीपी): सीधे प्रसंस्करण हेतु आरपीपी को बैंक प्रणाली में डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- हमारे बैंक के एफसीआरए खातों के खाता विवरण विदेश मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएफएमएस खाता सत्यापन की मौजूदा व्यवस्था फिर से उपयोग की गई है। ताकि हमारे पास रखे गए एफसीआरए खातों के बारे में मांगी गई जानकारी विदेश मंत्रालय को प्रदान की जा सके।
- बैंक खाते के उपयोग से ईवीसी- ग्राहक की खाता संख्या का प्रयोग करके आयकर विवरणी फायरिंग के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की सुविधा विकसित की गयी है।

5. ई-मेल के माध्यम से ई विवरण:

❖ हमारे बैंक के ग्राहक को ई-मेल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित खाता विवरण प्रेषित करने के सेटअप को क्रियान्वित किया गया है। यह सुविधा ग्राहकों के ई-मेल पत्तों पर स्वतः हस्ताक्षर एवं प्रलेख प्रेषण भी उपलब्ध कराती है।

6. एम-पास बुक:

❖ ग्राहकों हेतु मोबाइल आधारित एम-पासबुक को गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है।

7. एसएमए – एनपीए ट्रेकर

❖ नियमित आधार पर ऋण पोर्टफोलियों की बेहतर निगरानी की खाता संचालन की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में कार्य करने वालों की सुविधा हेतु हमारे बैंक में एसएमए – एनपीए ट्रेकर सल्यूशन क्रियान्वित किया गया है। इस सोल्यूशन को केन्द्रीयकृत सर्वर पर नियोजित किया गया है जिसपर मोबाइल एप, डेस्कटॉप / लैपटॉप / टैबलेट / फोन से पहुंच बनाई जा सकती है।

❖ इस उत्पाद को फिनोविटी प्रोडक्ट – 2019 एवं आईबीए पुरस्कार – 2019 द्वारा नवोन्मेष उत्पाद के रूप में पुरस्कृत किया गया है।

8. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

यह बिल भुगतान व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसीआई की एक नई पहल है। हमारे बैंक को इस पहल के अंतर्गत एक संचालन इकाई के रूप में सहभागिता करने हेतु विनियामक लाइसेंस प्राप्त है। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीबीपीएस वेबसाइट सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दी गयी है एवं यह उत्पाद आईएनबी तथा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

9. एसएमएस बैंकिंग / अलर्ट

एसएमएस बैंकिंग सेटअप ग्राहकों को उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी तत्काल अलर्ट से खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराता है। नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी सूचनात्मक एसएमएस भेजे जाते हैं जिससे वे एनपीए की निगरानी सहित बेहतर हाउसकीपिंग हेतु शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी एवं खातों की देखरेख का वियंत्रण तथा नियंत्रण कर सके।

10. मिस्ट कॉल एलर्ट:

- ❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक क्रमशः 9555244442 एवं 9555144441 नंबर पर मिस्ट कॉल देकर खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की निःशुल्क जानकारी का एसएमएस प्राप्त करते हैं। ग्राहकोन्मुखी इस अभिनव पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा प्राप्त हुई है।
- ❖ एक ग्राहक के कई खातों के लिए खाता शेष एवं लघु विवरण प्रदान करने हेतु इस सुविधा का उन्नयन किया गया है।

11. आस्वा:

- ❖ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और 'राशि बंधन द्वारा आवेदन समर्थन' (अस्वा) नामक पूरक प्रक्रिया प्रारंभ की है। हम अपने सभी ग्राहकों को अस्वा सुविधा प्रदान करते हैं। जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को बंधक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा आस्वा समूहन एवं ई-आईपीओ के लिए भी विस्तारित की गई है।

12. मोबाईल बैंकिंग:

- ❖ सेन्ट मोबाइल बैंक का एक मोबाईल बैंकिंग एप्लीकेशन है। उपयोगकर्ता मोबाईल के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सेन्ट मोबाइल एंड्राइड, एप्पल (आईओएस) एवं ब्लैकबेरी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। यह संबंधित प्ले स्टोर / एप स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है। प्रि-लॉगिन विकल्प सभी के लिए उपलब्ध है। पोस्ट लॉगिन विकल्प सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हासिल कर सकते हैं।
- ❖ सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कार्य निम्नलिखित हैं:-

लॉगिन पूर्व विकल्प:

- शाखाओं के आईएफएससी कोड सहित कार्यालय पता, फोन नंबर, ई-मेल पता, एमआईसीआर कोड, पिनकोड, केन्द्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों का सम्पर्क विवरण
- शाखा एवं एटीएम अवस्थिति – जीपीएस आधारित मोबाइल हैडसेट में निकटतम एटीएम अथवा शाखाओं की सूची, राज्य, जिला, केन्द्र अथवा विनकोड आधारित समस्त भारत में ढूढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध है।
- एटीएम / शाखा / प्रशासनिक कार्यालय की दूरी एवं ड्राइविंग हेतु मार्गदर्शक मानचित्र।
- शाखाओं / प्रशासनिक अधिकारियों / कॉल सेंटर के फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए टच डायल
- कॉर्पोरेट वेबसाइट, अधिकारिक सोशल मिडिया पृष्ठों (फेसबुक, ट्वीटर) ? ई-मेल पते हेतु लिंक।
- जूम विकल्प सहित बैंक उत्पाद तथा सेवाओं संबंधी सूचना बैनर।
- बचत और विभिन्न परिपक्वता अवधियों हेतु सावधि जमा पर ब्याज दरें।
- चयनित खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें।
- एसएमएस द्वारा खाते की शेष राशि तथा पिछले कुछ लेनदेन जानने हेतु टच डायल द्वारा बैंक की मिस्ट कॉल सेवा (इस सेवा के लिए पंजीकृत ग्राहकों के लिए उपलब्ध)।
- नये उत्पाद / प्रस्ताव / योजनाओं में संशोधन आदि संबंधी तत्काल अधिसूचना / अलर्ट।
- प्रमुख शब्द आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न खोजना।
- नए दिए गए विकल्प – बीबीपीएस, जमा कैलकुलेटर, डेमो विडियो, सेंट एमपासबुक, डिजीपे भीम सेंट यूपीआई, ऑफर एवं डील, सरकारी योजनाएं ऋण हेतु आवेदन, सुरक्षा टिप और भाषा चुनाव

लॉगिन पश्चात विकल्प:

- **खाता संबंधी विशिष्टताएं :** खाता शेष पूछताछ खाता विवरण, लघु विवरण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खातों में निधि अंतरण, एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, चयनित संस्थानों को दान एवं नए सावधि जमा (आवर्ती, एडडीआर एवं एमएमडीसी खाते) खाते खोलना।
- **अनुरोध:** कार्ड अवरूद्ध करना, चेक बुक अनुरोध, भुगतान रोकने का अनुरोध, भुगतान रोक निरस्तीकरण का अनुरोध, चेक स्थिति पूछताछ, ई-मेल पर खाता विवरण पाने हेतु पंजीकरण एवं एनईएफटी / आईएमपीएस स्थिति पूछताछ।

- सेन्ट्रल मोबाइल एप्लीकेशन हेतु फीडबैक / सुझाव / रेटिंग प्रस्तुत करने का विकल्प देना.
- बिल भुगतान सेवा: उपभोक्ता बिल भुगतान, मोबाइल / डीटीएच रिचार्ज.
- क्रेडिट कार्ड सेवाएं : सेन्ट्रल बैंक कार्ड संबंधी जानकारी जैसे उपलब्ध सीमा, बिल राशि, शेष राशि, अंतिम बिल सारांश, कार्ड विवरण, रिवाइड पॉइन्ट, सेन्ट्रल कार्ड संपर्क विवरण एवं सेन्ट्रल कार्ड बिल भुगतान एवं क्रेडिट कार्ड अवरोद्ध करने हेतु अनुरोध.

कार्ड नियंत्रण विशिष्टताएं

ग्राहकों को डेबिट कार्ड संबंधी निम्नलिखित कार्य करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं सीबीएस में कार्ड नियंत्रण फीचर प्रारंभ किया गया है:

i) डेबिट कार्ड नियंत्रण

- ❖ मोबाइल बैंकिंग एप में प्रारंभ की गयी डेबिट कार्ड नियंत्रण मॉड्यूल ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग से डेबिट कार्ड संबंधी निम्न कार्य करने हेतु समर्थ बनाता है:
 - डेबिट कार्ड का अस्थायी निलम्बन
 - निलम्बित डेबिट कार्ड का पुनः सक्रियन
 - घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए ई-कॉम / पीओएस खरीद हेतु डेबिट कार्ड दैनिक सीमा तथा एटीएम नकद आहरण सीमा का निर्धारण

ii. क्रेडिट कार्ड नियंत्रण

- ❖ सेन्ट्रल मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित क्रेडिट कार्ड नियंत्रण मॉड्यूल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-
 - क्रेडिट कार्डों को देखना.
 - घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का अस्थायी निलम्बन.
 - निलम्बित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों को पुनः सक्रिय करना.
 - घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों को ई-कॉम एवं पीओएस के लिए मासिक लेन देन सीमा निर्धारित करना.

मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में प्रारंभ की गई नई विशेषताएं

- निधि अंतरण हेतु मोबाइल पर एसएमएस के अतिरिक्त ई मेल के माध्यम से ओटीपी भेजना.
- नयी एप्लीकेशन डिजाइन जिसमें विस्तारित यूजर इंटरफेस तथा दृष्टि और अनुभूति है.
 - ❖ बहुभाषी विकल्प दिया गया है.
 - ❖ मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई विकल्प प्रदान किया गया.
 - ❖ सेंट बी ओ टी - ऑन लाइन संवाद चैट सहायक
 - ❖ भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
 - ❖ लीड जेरनेशन - अभी आवेदन करें.
 - ❖ प्रधान मंत्री सामाजिक बीमा योजनाओं के नामांकन - पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, अटल पेंशन योजना.
 - ❖ टीडीएस एवं ऋण ब्याज का प्रमाण पत्र.
 - ❖ फार्म 15 जी / 15 एच प्रस्तुतीकरण
 - ❖ मेरा पोर्टफोलियों स्नैपशॉट.

13. किओस्क बैंकिंग:

बैंक ने 254 स्वयं सेवा किओस्क मशीनें नकद जमा, शेष राशि, पूछताछ की सुविधा के साथ और नगद जमा, शेष राशि पूछताछ मिनी स्टेटमेंट, पासबुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के साथ 407 मल्टी - फंक्शन कियोक्स मशीनें स्थापित की है.

14. यूपीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)

बैंक का यूपीफाइड भुगतान एप्लीकेशन (यूपीआई) भीम सेन्ट यूपीआई, एंड्राईड एवं आईओएस के लिए प्ले स्टोर पर निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उपलब्ध है:-

1. निम्नलिखित के उपयोग से धन प्रेषण
 - ए) वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए)
 - बी) खाता सं. एवं आईएफएससी
 - सी) मोबाइल न. एवं एमएमआईडी
 - डी) क्यूआरकोड
2. संग्रहण अनुरोध प्रेषित कर धन प्राप्त करना
3. बैंक खातों के लिए भुगतान पता सृजित करना
4. आदाता प्रबंधन
5. शेष राशि पूछताछ
6. लेनदेन इतिहास
7. लेनदेन स्थिति जानना
8. शिकायत प्रस्तुत करना
9. एम-पिन सृजन / परिवर्तन
10. संग्रहण अनुरोध के लिए सूचना
11. संग्रहण अनुरोध का अनुमोदन
12. ओटीपी को स्वतः खोजना.
13. ओटीपी का पुनः प्रेषण
14. यूपीआई एप्लीकेशन हेतु हिन्दी भाषा का विकल्प
15. यूपीआई के माध्यम से भारत क्यू आर का स्कैन एवं भुगतान.
16. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपयोगकर्ता की वीपीए ब्लॉक विकल्प.
17. यूपीआई का उपयोग करके व्यापी भुगतान के लिए भारत क्यूआर का एकीकरण.

यूपीफाइड पेमेंट इंटरफेस में प्रस्तुत नई विशेषताएं

- यूपीआई 2.0 सेवा प्रदाता के रूप में ग्राहकों को निम्न सुविधाएं प्रदान करता है
 - ❖ एक बार आदेश जन, अस्वा कार्यप्रणाली में खंडन करना और निष्पादन करना
 - ❖ विदेशी आवक प्रेषण.
 - ❖ यूपीआई में रेखांकित खाते के रूप में ओवरड्राफ्ट खाते तक पहुंच.
 - एनपीसीआई द्वारा अनुशंसित अनिवार्य सुरक्षा नियंत्रण को क्रियान्वित किया गया
 - यूपीआई के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन प्रतिबंधित करना
 - एक ही खाते से यूपीआई लेनदेन को प्रतिबंधित करना.

15. भीम प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार ने दो प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की हैं अर्थात ए) व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस योजना, बी) बैंक में कार्यान्वित भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायियों के लिए कैश बैंक योजना.

अन्य परियोजनाएं

16. वेबसाइट:

- ❖ ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझते हुए, वेबसाइट के प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरंतर बदलाव किया जा रहा है. यह वेबसाइट जमा खातों एवं शाखा में उपलब्ध लॉकर्स इत्यादि के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है.
- ❖ वेबसाइट के माध्यम से एमएसएमई ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करना.
- ❖ ग्राहकों इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं एवं उसकी स्थिति देख सकते हैं.
- ❖ बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं. तिमाही आधार पर सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है.
- ❖ वेबसाइट पर स्मार्ट पे के माध्यम से यूटीलिटि बिल भुगतान लिंक.
- ❖ ग्राहकों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर विभिन्न केन्द्रीय/राज्य कर भुगतान लिंक उपलब्ध है.
- ❖ ग्राहकों हेतु सुरक्षा उपाय (वीडियो प्रस्तुति)
- ❖ शाखा / एटीएम मार्गदर्शक
- ❖ टेंडर अनुभाग

17. भारिवैं भुगतान गेटवे प्रणाली:

- ❖ दिनांक 16.12.2019 से निफ्ट सुविधा 24 X 7 लागू की गई है.
- ❖ हमारे बैंक में एनईएफटी एवं आरटीजीएस दोनों ही स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अंतर्गत हैं.
- ❖ अनेक लाभार्थियों को एक साथ निधि अंतरण के लिए शाखाओं को बल्क एनईएफटी सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ अरेरा हिल शाखा (3312) भोपाल को सरकारी खजाना खाते के ग्राहकों के लिए चेक के माध्यम से एनईएफटी बल्क उपलोड भी प्रदान किया जाता है.
- ❖ रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 39 सहकारी बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा कराई गई है.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारंभ करने के साथ ही हमारे बैंक में नेक्स्ट जेन आरटीजीएस (एनजी - आरटीजीएस) सक्रिय कर दिया गया.
- ❖ नेक्स्ट जेनरेशन आरटीजीएस (एनजी - आरटीजीएस) सुविधा मध्य प्रदेश के 39 उप सदस्य सरकारी बैंकों को भी उपलब्ध करवायी गयी है.
- ❖ वर्चुअल खाता संख्या के आधार पर निधि संग्रहण की सुविधा डीडीए, एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ), साई बाबा सेन्ट्रल स्कूल एवं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करायी गयी है.

18. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है:
- ❖ दक्षिण ग्रिड में सीटीएस के लिए 247 चयनित केन्द्र.
- ❖ उत्तर ग्रिड में सीटीएस के लिए 280 चयनित केन्द्र.
- ❖ पश्चिमी ग्रिड में 161 चयनित केन्द्र.

19. कॉल सेंटर

- ❖ बैंक द्वारा 06 जुलाई 2011 से एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है और यह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है.
- ❖ वर्तमान में कॉल सेंटर द्वारा बैंक के उत्पाद और सेवाओं की जानकारी, शाखा/ए.टी.एम. के स्थान की जानकारी, सेवा शुल्क और ब्याज दर की जानकारी, शेष राशि की पूछताछ, बैंकिंग संव्यवहार की जानकारी, चैक क्रमांक की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, चैक का भुगतान रोकना, प्राप्त/प्रभारित ब्याज की जानकारी, टी.डी.एस.की जानकारी, लेन- देन का विवरण, जमा/जारी किए चैक की स्थिति, चालू खाता/नकद साख/अधिकर्ष सीमा एवं ब्याज की जानकारी, शिकायतों को अभिलेखित करना और उसके निवारण हेतु उसे उचित स्तर पर पहुंचाना आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

- ❖ ग्राहकों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर में आई.वी.आर. सिस्टम लागू किया गया है.
- ❖ ग्राहकों की बढ़ती आशाओं को देखते हुए और अधिक प्रभावशाली तरीके से उनको पूरा करने के लिए एक नए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है . ग्राहकों में बैंक के उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एस.एम.ए.उधारकर्ताओं को वसूली की सौम्य सूचना हेतु भी कॉल सेंटर का उपयोग किया जा रहा है.
- ❖ उत्पादों की जानकारी आदि के लिए ग्राहकों को की जाने वाली कॉल की सदैव उपलब्धता हेतु दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं की लिंक को लगाया गया है.
- ❖ ग्राहकों की विभिन्न शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु विभिन्न तकनीकी/परिचालन टीमों द्वारा कॉल सेंटर के कार्यपालकों को नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण दिया जाता है
- ❖ 90 चैनल के साथ अधिक स्थानों और अधिक प्रयोजनमूलक क्षेत्रों को कवर करते हुए एक आधुनिक कॉल सेंटर विकसित किया गया है जिसका टोल फ्री क्रमांक 1800221911 है.

20. एकल डेटा एकीकरण (एस.डी.आर.)/डेटा भंडारण (डी .डबल्यू.)

बैंक ने एक एकल डेटा एकीकरण (डेटा भंडारण) बनाया है जो विप्लेण के आधार पर व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोगी डेटा भंडार होने के साथ-साथ समस्त बैंक को सूचनाएं/रिपोर्ट उपलब्ध कराने का स्रोत भी है. यह, भंडारण, रिपोर्टिंग में निरंतरता सुनिश्चित करने और डेटा की सत्यता को बनाए रखते हुए उच्च प्रबंधन को विभिन्न सूचनासंग्रह उपलब्ध कराके उनके द्वारा निर्णय लिए जाने में सहायता के लिए है. स्थैतिक ए एल एम और गतिज ए एल एम ,निधिअंतरण कीमतें (एफ टी पी),अभियान प्रबंधन और कॉर्पोरेट कार्य निष्पादन प्रबंधन (आयोजना एवं बजट) के साथ विश्लेषणात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन को एकल डेटा एकीकरण (एस.डी.आर.)परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है. परियोजना को फिलहाल एस .डी. आर/डी. डबल्यू के अद्यतन संस्करण के साथ नवीनीकृत किया जा रहा है. निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होंगे:-

- i. उपयोग किए गए पूर्व उदाहरणों के माध्यम से व्यावसायिक निष्कर्षों के लिए डेटा और विप्लेण हेतु आंकड़ोंकी उपलब्धता
- ii. बेहतर अभियान प्रबंधन और विप्लेण पद्धति के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि में सुधार
- iii. विभिन्न व्यावसायिक प्रभागऔर रिपोर्टों से संबन्धित आंकड़ों के संग्रह के माध्यम से परिचालनात्मक सूचनाओं की तत्काल सुलभता
- iv. उच्च से निम्न और निम्न से उच्च दोनों ही दृष्टिकोणों से बेहतर आयोजना एवं बजट क्षमता की उपलब्धता
- v. ए एल एम मॉड्यूल के माध्यम से बेहतर जोखिम प्रबंधन एवं बेहतर तरलता प्रबंधन
- vi. ग्राहकों की बेहतर समझ ,ग्राहकों को संस्था से जोड़े रखना,विक्रय अंतर्दृष्टि ,मूल्य अनुपात आदि
- vii. बेहतर विशिष्टताओं वाले उत्पाद, बैंक के लिए पॉलिसी निर्माण में सहायक अंतर्दृष्टि आदि
- viii. इकलौते डेटा स्रोत से निरंतर सूचनाओं और डेटा संग्रह की प्राप्ति
- ix. ए.डी.एफ (एक्स. बी. आर. एल) रिपोर्टिंग

21. एंटरप्राइज सर्विस बस (भुगतान समाकलक समाधान)

क्यू के कारण भुगतान प्रक्रिया में होने वाले विलंब को टालने के लिए क्षमता निर्माण कार्यवाही की गई और समयबद्धता को पूरा करने के लिए मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग का आरंभ किया गया. बैंक ने विभिन्न बैच प्रोसेसिंग कार्य पद्धतियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली (एनईसीएस), सरकारी भुगतान (जीईपीजी) पेंशन प्रोसेसिंग और ईएफएमएस - खाता नंबर आधारित, ग्रहणाधिकार उन्मोचन तथा संव्यवहार प्रोसेसिंग (सोर्स ऐप अस्बा), कर्मचारियों के वेतन और अन्य दावों के भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट मैसेज (एमटी103) का एकीकरण, कॉर्पोरेट बैंक एनईएफटी, स्पीड विप्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस (केंद्रीय योजनाबद्ध योजना निगरानी प्रणाली) - डिजिटल सिग्नेचर वैधीकरण, पैन वैधीकरण (सीबीएस में सीआईएफ के निर्माण के समय), ई- विप्रेषण (फ्लैश रेमिटेस), खजाना एकीकरण, डीडीए के लिए आरटीजीएस, आधार समर्थित ईएफएमएस (इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली), मनरेगा आधार सीडिंग, कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सीटीएस, सीएमएस, आईएमपीएस एकीकृत भुगतान इंटरफेस 2.0, खजाना, पीएमजेबीवाई, विभिन्न विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याण योजना, ई-ग्रास, ग्रीन पिन इत्यादि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक भुगतान इंटीग्रेटेड समाधान आई बीएम इंटीग्रेशन बस (आईआईबी) का कार्यान्वयन किया.

22. एचआरएमएस

- ❖ बैंक ने ओरेकल के पिपुलसॉफ्ट समाधान का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक एचआरएमएस समाधान (सेंट स्वदर्पण) का कार्यान्वयन किया है जिसके अंतर्गत मैनेजर सेल्फ सर्विस जिसका उपयोग करते हुए अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी स्टाफ के विभिन्न दावों/अनुरोधों को मंजूर करते हैं, के अतिरिक्त

विभिन्न कार्यपद्धतियों को कवर किया गया यथा पैंरोल प्रबंधन, दौरे का अनुमोदन और दावा प्रोसेसिंग, एलएफसी, लुट्टी का प्रबंधन और उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रोसेसिंग, चिकित्सा सुविधा का प्रबंधन, एचआरडी /विधि विभाग, अनुशासनिक कार्रवाई प्रभाग (डी ए डी), उपदान प्रबंधन/ भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन और भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रोसेसिंग, निवासी आवासों का आवंटन, ब्रीफकेस/समाचार पत्र/ यात्रा प्रतिपूर्ति, रिपोर्टें (स्टाफ कार्यबल, पैंरोल, फॉर्म16, लुट्टी, यूनियन, वेतन वृद्धि रिपोर्ट) प्रशिक्षण प्रबंधन और मानव बल प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति प्रक्रिया अनुरोध फॉर्म, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन और संबंधित रिपोर्टें, सिल्वर जुबली अवार्ड प्रतिपूर्ति, फर्नीचर तथा फिक्सचर, अधिकारियों का स्थानांतरण, किराया प्रतिपूर्ति सुविधा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, शिकायत प्रबंधन इत्यादि.

- ❖ बैंक ने एचआरएमएस के माध्यम से जॉब फैमिली आवंटन और कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है.
- ❖ एचआरएमएस में द्विभाषिकता की सुविधा उपलब्ध की गई है.
- ❖ बैंक ने एचआरएमएस के लिए एक डीआर सेट अप भी स्थापित किया है.
- ❖ एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से एचआरएमएस का एक्सेस भी कार्यान्वित किया गया है. विभिन्न दावों यथा वाहन व्यय, समाचार पत्र, ब्रीफकेस प्रतिपूर्ति, सिल्वर जुबली, फर्नीचर रखरखाव इत्यादि दावों की सरल,सहज प्रक्रिया को भी सक्षम बनाया गया है.

23. आंतरिक संवर्धन

❖ बैंक की एक अपनी सुदृढ़ आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास टीम है जो बैंक के सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को प्रभाव पूर्ण रूप से प्रबंधित करती है अतः जहां कहीं संभव हो, सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों की आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती. 40 से भी अधिक पोर्टल विकसित किए गए और लाइव किए गए. कई पोर्टलों का उपयोग शाखाओं से डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है. आंतरिक विकास टीम द्वारा तैयार किए गए मुख्य पोर्टल निम्नानुसार हैं:

- सिर्फ स्टाफ के लिए - यह पोर्टल विभिन्न विभागों के परिपत्र, अनु देशों के मैनुअल, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, लेखा परीक्षा इत्यादि सहित बैंक की मुख्य नीतियों को प्रदर्शित करता है.
- एमओसी ऑनलाइन रिपोर्टिंग शाखाओं में लेखा परीक्षकों द्वारा जारी एमओसी की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल.
- परफॉर्मेट्रिक्स - आंतरिक विकास टीम द्वारा विकसित किया गया मोबाइल ऐप, जो शाखाओं के विभिन्न व्यवसाय पैरामीटरों के आंकड़े - चालू, पिछली तिमाही, पिछला वित्तीय वर्ष और पिछला वर्ष, प्रदर्शित करता है. यह डिजिटल संव्यावहारों की वृद्धि, जो खाते एन.पी.ए. एस. एम?ए इत्यादि हैं, उन खातों के संबंध में अधिसूचना आदि प्रदर्शित करता है और ग्राहक का मोबाइल नंबर प्रदर्शित करता है ताकि शाखा प्रबंधक ग्राहक से सरलता से संपर्क कर सके.
- बी.सी. के कमीशन की गणना के लिए पोर्टल - यह पोर्टल व्यवसाय प्रतिनिधियों के कमीशन की गणना करता है (वित्तीय समावेशन)

निम्नलिखित आंतरिक डेवलपमेंट पूर्ण हुए:

- सीएमसी रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल
- धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल (क्लोजिंग रिटर्न्स)
- बीसी कमीशन की गणना के लिए पोर्टल
- परफॉर्मेट्रिक्स - आई.ओ.एस संस्करण
- डी.आर.सी.फ़ाईलें बनाने हेतु पोर्टल
- आरएआरओसी केलकुलेटर
- सीआर अनुरोध हेतु वेब पोर्टल
- शाखाओं द्वारा अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की रिपोर्टिंग हेतु पोर्टल
- ईपीएस समाधान
- एसआईबीसी डाटा संग्रहण हेतु पोर्टल
- पीएमएवाई हेतु वेब पोर्टल
- क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों से वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शाखाओं की आकस्मिक भेंट की रिपोर्टिंग हेतु पोर्टल

- शाखा सुरक्षा ब्योरों की रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल
- दबाव ग्रस्त खातों की पुनरीक्षा हेतु वेब पोर्टल
- डायनेमिक पुनरीक्षा हेतु वेब पोर्टल
- विपणन कार्यबल हेतु वेब पोर्टल

24. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक 1174 शाखाओं के साथ दो आरआरबी को प्रायोजित कर रहा है। सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत हैं। संपूर्ण प्रणाली बैंक की आवश्यकता के अनुसार पुनःसंगठित की गई है। नवीकरण का कार्य आरआरबी की व्यवसाय वृद्धि और शाखाओं के विस्तार को परिकल्पित करते हुए किया गया है। वर्तमान में आरआरबी का शाखा नेटवर्क, जहां कहीं व्यवहार्य है, प्राथमिक रूप से बीएसएनएल पर है और शेष शाखाएं प्राथमिक लिंक के रूप में वीसेट के साथ कार्य कर रही हैं। अगस्त 2020 से सितंबर 2025 के लिए नवीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है और इसके लिए परामर्शक नियुक्त किया गया है।

प्रायोजक बैंक की सभी तकनीकी पहलों का कार्यान्वयन करने हेतु प्रयास किए गए हैं और मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं-

- आरआरबी के ग्राहकों के लिए ईवीएम चिप आधारित एटीएम कार्ड सुविधा
- आरआरबी में एसएमएस अलर्ट आरंभ किया गया
- शाखा सीबीएस उपयोगकर्ता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सोल्यूशन का नवीकरण
- रुपये डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा
- आरआरबी की व्यापक आईएस लेखा परीक्षा पूर्ण की गई दोनों ही आरआरबी में डीबीटीएल/ एसीएच का कार्यान्वयन
- माइक्रो एटीएम के माध्यम से रूपए कार्ड संव्यवहारों का कार्यान्वयन
- सभी बीसी बिंदुओं पर बीसी-ओडी की मैपिंग
- आइएमपीएस का कार्यान्वयन
- ई-कॉमर्स का कार्यान्वयन
- आरआरबी-सीबीएस का नवीकरण - परामर्शक की नियुक्ति
- आधार डाटा वॉल्ट
- एफआई माइग्रेशन पूर्ण
- मैसर्स विप्रो / जिब्रा के साथ एमएमएस का नवीकरण
- आरआरबी के ग्राहकों के लिए लघु विवरण और शेष पूछताछ हेतु मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा
- आरआरबी के लिए ऑफ साइट निगरानी अलर्ट
- आरआरबी 24 X 7 एनईएफटी सुविधा का कार्यान्वयन

25. वित्तीय समावेशन पहलें :

- ❖ डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) - गैस एजेंसियों से सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों के खातों में जमा और लाभार्थी के खातों में सरकार से प्राप्त लाभ जैसे मनरेगा जमा करने का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया और हमारा बैंक डीबीटीएल रिटर्न्स की कटौती में मार्च 2019 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के बीच पहला रहा।
- ❖ बीसी के अभिनिर्धारण के लिए एफआई टर्मिनल आईडी का वैधीकरण जिसके माध्यम से व्यवहार होते हैं।
- ❖ सीबीएस में आधार प्रमाणीकरण मेन्यू जिसमें संशोधन, हटाना और पूछताछ जैसे विकल्प हैं।
- ❖ सीबीडीटी के अनुसार खाता वैधीकरण संशोधित प्रारूप।
- ❖ पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं में आवश्यक फ्रंट एंड नामांकन संशोधन स्क्रीन को लागू किया गया।
- ❖ बीसी अनुपूरक रिपोर्ट और भंडारण में चूक के संव्यवहारों को सीबीएस में कारण सहित कस्टमाइज किया गया।

- ❖ ग्राहक के खातों के साथ निर्माता (मेकर) और जांचकर्ता (चेकर) के ब्योरो द्वारा आधार सीडिंग/लिकिंग को जानने के लिए आधार सीडिंग वृत्त सीबीएस यूआईडीएच टेबल में कस्टमाइज किए गए.
- ❖ सार्वजनिक अपंजीकृत डिवाइसों का पंजीकृत डिवाइसों में कोटि उन्नयन कार्यान्वित किया गया.
- ❖ 01.01.2019 से संशोधित कर्मशियल के लिए बीसी हेतु कमीशन के भुगतान के लिए रिपोर्टें.
- ❖ सीबीएस में संवर्धन/ हटाना/ पूछताछ विकल्प के साथ एसएसए के नाम.
- ❖ जीआईएस (जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रणाली) डाटा उन्नयन
- ❖ बीसी संपर्क स्थान पर दोहरी प्रमाणीकरण सुविधा के साथ एसएचजी संव्यवहार सुविधा का कार्यान्वयन किया गया.
- ❖ पुराने बीसी से नए बीसी में व्यवसाय रूपांतरण किया गया.
- ❖ बीसी संपर्क स्थान पर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन संभव किए गए.
- ❖ सीबीएस में चूक वाले संव्यवहारों को भंडारित करना संभव किया गया.
- ❖ शाखाओं में एपीवाई पेंशन राशि उन्नयन और अवनयन सुविधा समर्थित की गई.
- ❖ पीएमजेडीवाई ओडी खातों में एसएसएस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एपीवाई पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई सुविधा का नामांकन अनुमत किया गया.
- ❖ एनआरई खातों में वित्तीय संव्यवहारों को ब्लॉक करने का कार्य किया गया.
- ❖ बीसी संपर्क स्थान पर भारत बिल भुगतान सुविधा (बीबीपीएस) संभव की गई.
- ❖ एसएमएस/वेब के माध्यम से पीएमएसबीवाई/ पीएमजेबीवाई के नामांकन संभव किए गए.
- ❖ एनपीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्प्लिट संव्यवहारों को रोकने के लिए एडपीएस जारीकर्ता
- ❖ संव्यवहारों पर प्रतिबंध लगाने का कार्यान्वयन किया गया.
- ❖ डीबीटीएल रिटर्न्स - बड़ी संख्या में डीबीटीएल रिटर्न्स का मुद्दा परिशोधित किया गया.
- ❖ बायोमेट्रिक तथा ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी संभव किया गया.
- ❖ वेब के माध्यम से आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गई

26. आईटी शासन

- ❖ आईटी शासन के लिए आवश्यक संरचना बैंक के बोर्ड की आईटी रणनीति और जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ स्थापित की गई है.
- ❖ यह आईटी नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है. आईटी की संगठनात्मक संरचना बैंक द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधि के आकार, परिमाण तथा स्वरूप के और सूचना प्रणाली द्वारा व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रदान आधारभूत समर्थन के अनुरूप है. आईटी के संगठनात्मक संरचना के विस्तृत क्षेत्रों या कार्यों का विचार करने में 'तकनीक और विकास', 'आईटी परिचालन', 'आईटी बीमा' और 'आपूर्ति तथा संसाधन प्रबंधन' शामिल है. आईटी विभाग का मुखिया महाप्रबंधक पद का शीर्ष अधिकारी है जिन्हें उपमहाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है. आईटी विभाग के प्रत्येक शिखर कार्य का मुखिया उपयुक्त रूप से अनुभवी तथा प्रशिक्षित अधिकारी है.
- ❖ बैंक द्वारा आईटी कार्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए खंड प्रबंधन प्रणाली, स्वीकार्य उपयोग नीति, एंटी पाइरेसी नीति, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आईटी हार्डवेयर निपटान नीति, डेटा माइग्रेशन नीति, अपनाई गई है.

27. सूचना सुरक्षा

- ❖ विभिन्न उन्नत सुरक्षा उपकरण और सेवाओं का कार्यान्वयन करना ताकि बैंकिंग को वर्तमान तथा भविष्य के साइबर संकटों से सुरक्षित रखा जा सके.
- ❖ साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) - सावधानी परिदृश्यों का नियमित पुनरिक्षण. उठाई गई घटनाओं/चेतावनीयों का उचित तथा समय पर समापन. सी-एसओसी के साथ नई प्रणालियों का एकीकरण. 24x7 सहयोग और देखरेख.
- ❖ निर्णायक आधारभूत संरचना और आवेदनों का आवधिक सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करना ताकि कमजोरियां (यदि कोई हो) की पहचान की जा सके.

- ❖ विभिन्न सुरक्षा नीतियों और उनके अनुपालन का पुनरिक्षण, जहां भी लागू हो.
- ❖ सूचना सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित नियामक मार्गदर्शी तत्वों का अनुपालन.
- ❖ बैंक के निर्णायक आईटी संरचना के लिए नियमित साइबर बीमा करवाया जाना सुनिश्चित करना.
- ❖ बैंक में उचित घटना प्रबंधन यंत्रणा और साइबर संकट प्रबंधन यंत्रणा सुनिश्चित करना ताकि साइबर संबंधी संकट (यदि कोई हो) को कम किया जा सके.
- ❖ सप्रमाणन मानक घृ 27001:2013 घृए और घृ 22301:2012 बीसीएमएस प्रमाणन के लिए लगातार अनुपालन सुनिश्चित करना. वार्षिक आधार पर प्रमाणन समिति द्वारा आंतरिक लेखा तथा बाह्य लेखा करना.
- ❖ वर्तमान तथा नए सूचना सुरक्षा नियंत्रण के माध्यम से मूल्यांकन के विभिन्न उपाय जैसे साइबर अभ्यास, रेड टीमिंग और थ्रेट हंटिंग आदि में सहभागिता करना.
- ❖ स्टाफ/ग्राहकों में बेहतर सुरक्षा जागरूकता की दृष्टि से लगातार पहल.

28. सीबीएस उपयोगकर्ताओं (स्टाफ) के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणकीकरण:

- ❖ बैंक ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली (बीएस) के माध्यम से 2 प्रतिनिधि प्रमाणीकरण सक्रिय किए हैं.
- ❖ बैंक एप्लेट लेस उपाय के साथ बीएस आवेदन अपग्रेड कर रहा है.
- ❖ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए सभी शाखाएं और कार्यालय सक्षम है और लेन देन क्षमता वाले सभी उपयोगकर्ताओं को लॉग इन के लिए सीबीएस के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है.

29. जीवन प्रमाण

पेंशनर्स को जीवन प्रमाण आवेदन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बैंक के सभी क्षेत्र/आंका/शाखाओं में स्थापित किए गए हैं. केंद्र सरकार/रक्षा/राज्य सरकार पेंशनर्स को किसी भी आंका/क्षेत्र/शाखा से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए दाखिला लिया जा सकता है.

30. एलएलएमएस (लोन लाइफसाइकिल प्रबंधन प्रणाली) - लेंडसेफ

- ❖ बैंक में वर्तमान ऋण प्रबंधन प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया विचाराधीन है - सीएलएसएस को शुरू से अंत तक लोन लाइफसाइकिल प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) में बदलना - लेंड सेफ मूल रूप से सेवा और ऋण जीवनक्रम यात्रा के सभी चरणों के माध्यम से ग्राहक प्रबंधन - इसमें विभिन्न ऋण मोडयूल्स जैसे रिटेल, कृषि, एमएसएमई, कार्पोरेट क्रेडिट, साख देखरेख और एनपीए प्रबंधन शामिल है. एलएलएमएस में संपूर्ण ऋण जीवनक्रम यात्रा की पूर्णता में और इसमें सुराग उत्पन्नता, सुराग रूपांतरण, ऋण प्रक्रिया, निर्णय लेना, अतिरिक्त प्रबंधन, संग्रह प्रबंधन, साख देखरेख और एनपीए प्रबंधन का बुनियादी कार्य परिकल्पित है.
- ❖ स्वचालित ऋण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन से बैंक लागत बचाना चाहता है, सभी प्रकार के ऋण प्रस्तावों (जिसमें रिटेल, कृषि, माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम, और कार्पोरेट क्रेडिट शामिल है) के निर्णय में लगनेवाला समय कम करना तथा विभिन्न ऋण उत्पादों/प्रक्रियाओं में सहयोग और ग्राहक को सही मायने में डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करना चाहता है.
- ❖ इसके अलावा प्रणाली में शीघ्र चेतावनी संकेत के ट्रिगर समय रहते ही खाते में उत्पन्न दोष की पहचान करने की कार्यक्षमताएं होगी ताकि खाते के आस्ति वर्गीकरण में गिरावट को रोकने के उपाय किए जा सकें.

31. सरल टीडीएस वेब का उपयोग

केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधक समाधान अक्टूबर-2015 में कार्यान्वित हुआ है जो टीडीएस प्रेषण और आयकर विवरणों की प्रस्तुती के लिए मासिक आईटी चालान तैयार करने में सुविधा प्रदान करता है.

32. नकद प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

नकद प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन जनवरी-2015 से हुआ है जिससे कार्पोरेट ग्राहकों को तरलता, खाते का शेष, भुगतान और अन्य नकद प्रबंधन के कार्यों के प्रबंधन में सुविधा प्रदान करता है. इसके दो मुख्य मॉड्यूल्स हैं जैसे भुगतान और संग्रहण.

33. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)

एएमएल का प्रयोग जून 2015 से कार्यान्वित है जिसमें अनिवार्य रिपोर्ट्स (दैनिक/मासिक) जैसे एसटीआर, सीटीआर, एमटीआर, सीसीआर और सीबीडब्ल्यूटीआर बनाने की सुविधा है जो एफआईयू-आईएनडी (वित्तीय सूचना युनिट इंडिया) के साथ दायर किए जाते हैं।

34. विविध प्रोजेक्ट

- ❖ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का क्रियान्वयन
- ❖ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) का क्रियान्वयन
- ❖ दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के क्रियान्वयन के साथ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
- ❖ मेल मेसेजिंग सिस्टम
- ❖ कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए डिजिटल सिग्नेचर का क्रियान्वयन
- ❖ लायसेंसीकृत उत्पाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग का नियमितीकरण
- ❖ डेबिट कार्ड के प्राधिकरण हेतु ओटीपी का द्वितीय मद के रूप में क्रियान्वयन
- ❖ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक उपयोग, जिसे बैंक के कॉर्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया जाए।
- ❖ इस अवधि के दौरान आने वाली सभी नियमन अनुपालन अपेक्षाएं
- ❖ ऑफ साइट मॉनिटरिंग - लेखा परीक्षण विभाग को ऑफ साइट मॉनिटरिंग के लिए 90 अलर्ट पहले ही दिए गए हैं।
- ❖ ऑफ साइट मॉनिटरिंग

35. स्विफ्ट

- ❖ देश से बाहर के लेनदेनों के लिए स्विफ्ट का उपयोग होता है। जब भी क्रास-करेंसी लेनदेन होता है तो फॉरेक्स शाखाएं स्विफ्ट में लेनदेन करती हैं। यह मानक मेसेजिंग प्रणाली है, जहां संदेश स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से भेजा / प्राप्त किया जाता है एवं निपटान नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाता स्तर होता है। अलग-अलग तरह के स्विफ्ट संदेश अलग-अलग उद्देश्य के होते हैं।
- ❖ हमारे बैंक में देश से बाहर प्रेषण के लिए 72 शाखाएं स्विफ्ट समर्थित हैं। इन 72 शाखाओं में स्विफ्ट प्रणाली को केवल व्हाइट लिस्टेड पीसी से ही चलाया जा सकता है।
- ❖ व्हाइट लिस्टेड आईपी से पहचाने गए व्हाइट लिस्टेड उपयोगकर्ता के द्वारा ही 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग कर स्विफ्ट आवेदन पर कार्य किया जा सकता है।
- ❖ आईबीएम संदेश कतार का उपयोग कर बाहर जाने वाले संदेश के लिए व्यापार वित्त आवेदन, ट्रेजरी आवेदन एवं सीबीएस आवेदन का इंटरफेस
- ❖ सभी स्विफ्ट लेनदेनों के लिए 6 आई (ईवाईई) सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा 5,00,000 यूएस डॉलर एवं समान मुद्रा से अधिक के लेनदेनों के लिए 8 आई (ईवाईई) सिद्धांत का क्रियान्वयन किया गया।
- ❖ स्विफ्ट संलग्न वर्शन का अनिवार्यतः पैच एसए 7.3 से उन्नयन

36. व्यापार वित्त मॉड्यूल (एफएक्स -24)

अप्रैल 2018 से नया व्यापार वित्त मॉड्यूल (एफएक्स -24), एक्सिम बिल मॉड्यूल के स्थान पर क्रियान्वित किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- वेब आधारित समाधान हमारे बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग प्रबंधन प्रणाली से पूर्णतः एकीकरण। इसके कारण बैंक आरबीआई के 70% के निर्धारित अनुपालन के सापेक्ष ईडीपीएमएस रिपोर्टिंग में 76 अनुपालन प्राप्त कर सकें।
- भारतीय रिजर्व बैंक के इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग प्रबंधन (आईडीपीएमएस) के साथ सम्पूर्ण एकीकरण
- आयात और निर्यात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देशों का अनुपालन
- ग्राहक सूचना सुविधा नंबर (सीआईएफ) के डी-डुप्लिकेशन का अनुपालन

- एक्सपोर्ट बिल में आंशिक छूट / इम्पोर्ट बिल के आंशिक भुगतान की सुविधा
- सभी मोड्यूलों (बाह्य प्रेषण, आंतरिक प्रेषण, इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट लेनदेन) में क्रास करेंसी फोरवार्ड कंट्रैक्ट का उपयोग
- सभी उपयोगकर्ताओं को पीडीएफ /एक्सेल प्रारूप में सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टों की उपलब्धता
- एकल लेनदेन में रेडी, फोरवार्ड एवं कार्ड रेट के संयोजन का उपयोग
- रुपये 10,00,000 एवं अधिक के वित्तीय लेनदेनो के लिए दुहरा प्रमाणीकरण
- विदेशी आंतरिक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रिंटिंग
- डीजीएफटी / आरबीआई (शिपमेंट पूर्व एवं शिपमेंट पश्चात दोनों) के 416 अनुमत कोड पर आधारित ब्याज समानता
- ऑफसाइट मॉनिटरिंग अलर्ट (16 अलर्ट) का उत्पन्न होना तथा मॉनिटरिंग के लिए लेखा परीक्षण विभाग को दिया जाना
- निर्यात/आयात के सापेक्ष अग्रिम भुगतान के लिए कार्य प्रणाली
- एलसी / बीजी कमीशन का परिशोधन स्वचालित था. इससे पूर्व शाखाएँ तिमाही आधार पर मैनुअली रूप से एलसी/ बीजी कमीशन की गणना कर वाउचिंग करती थी.
- स्विफ्ट एकीकरण को एसआर 2018 परिवर्तनों के अनुसार पूर्ण किया गया है.
- एलसी / बीजी के आवधिक कमीशन की वसूली हेतु समर्थ बनाया गया है.

बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेट फायनेंस शाखा चेन्नई में व्यापार वित्त मॉड्यूल सहित सप्लाय चैन वित्त मॉड्यूल भी क्रियान्वित किया है.

37. व्यापक पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली (सीपीपीसी)

नई पेंशन प्रणाली मार्च 2018 से क्रियान्वित की गई है. सभी प्रकार की पेंशनों के भुगतानों के केंद्रीकृत संसाधन को सिस्टम में समर्थ बनाया गया है. सिस्टम में पीपीओ की स्कैनिंग एवं स्टोरेज की उपलब्धता की गई है. इससे पेंशनरों को निम्नलिखित लाभ हैं

- ❖ पेंशनरों के जीवन प्रमाणपत्र की छबि सहजता से लिया जाना, जिस हेतु वे किसी भी शाखा में जा सकते हैं.
- ❖ जीवन प्रमाणपत्र के सहज प्रस्तुति के लिए जीवन प्रमाण का एकीकरण
- ❖ पेंशन/एरिअर/डीए एरिअर /कम्यूटेशन /ग्रेच्युटी एवं अन्य भुगतानों पर पेंशनरों को एसएमएस.
- ❖ आसान पहुँच एवं सुरक्षित रखने हेतु पीपीओ के स्कैन छबि का स्टोरेज एवं पुनरप्राप्ति
- ❖ पेंशन राशि की आसान एवं उचित गणना. परिवार तथा स्लीट पेंशन के प्रसंस्करण एवं भुगतान की सुविधा
- ❖ पेंशनरों को किए गए भुगतान के लिए पेंशन भुगतान पर्ची निकलना
- ❖ पेंशन भुगतान पर्ची को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना
- ❖ टीडीएस को लागू करना
- ❖ पासबुक में पेंशनर के पीपीओ नंबर का लिखा जाना

38. “प्रोजेक्ट दिशा” - विश्लेषिकी आधारित व्यवसाय परिवर्तन कार्यक्रम

रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई क्रेडिट में नए व्यवसाय ट्रांसफॉर्मेशन पहल करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए कासा के माध्यम से शुल्क आधारित आय और बेहतर दक्षता और स्थिरता के लिए बिजनेस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने “प्रोजेक्ट दिशा” के तहत पहल की है. यह परिवर्तन, प्रक्रियाओं में मजबूत जोखिम शमन उपायों के साथ विश्लेषणात्मक क्षमताओं और डिजिटल उपकरणों पर बनाया जाएगा.

लेखा परीक्षा और निरीक्षण

बैंक की शाखाओं को आंतरिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के अधीन किया जाता है और प्रत्येक शाखा को समग्र जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. तदनुसार कुल 4648 शाखाओं में से, 4552 शाखाओं को आरबीआईए के अधीन किया गया और वित्त वर्ष 2019-20 में शाखाओं का मूल्यांकन किया गया. दिनांक 31.03.2020 को कुल मिलाकर 3420 शाखाएँ मध्यम रिस्क रेटिंग के तहत, 1149 शाखाएँ न्यून जोखिम रेटिंग के साथ, 79 शाखाएँ उच्च जोखिम रेटिंग के साथ थी. बैंक की कोई भी शाखा बहुत उच्च / अत्यंत उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आंकी गई है.

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 10 आंचलिक कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के 19 विभाग और 02 अनुषंगियां प्रबंधन लेखा परीक्षा के अधीन थे.

31.03.2020 को 849 सामान्य शाखाएँ / 23 एसएसबी / 49 सीसीपीसी / केका के 4 विभाग कुल 925 शाखाएँ / विभागों को चार्टर्ड एकाउंटेंट / बैंक अधिकारियों की फर्मों द्वारा किए जाने वाले समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत रखा गया था. सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं और 7 एसएमएम शाखाएं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड के अधिकारी द्वारा किए जाने वाले समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन हैं. दि 30.09.2019 तक बैंक के कुल कारोबार का लगभग 56.35% और कुल अग्रिमों का 66.71% समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आता है. समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य 818 चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को प्रदान किया गया, जिसमें से 403 फर्म आरबीआई श्रेणी I, 254 श्रेणी II, 123 श्रेणी III और 38 आरबीआई श्रेणी IV फर्म हैं.

बैंक हर साल 1 मार्च से 10 मार्च तक चार्टर्ड एकाउंटेंट, आंतरिक लेखा परीक्षकों और अन्य अधिकारियों की फर्मों के माध्यम से वार्षिक राजस्व जांच अभ्यास आयोजित करता है ताकि बैंक की पुस्तकों में वैध आय की बुकिंग सुनिश्चित की जा सके.

आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, 520 योग्य खातों में विधिक लेखा परीक्षण 01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान किया गया है और संबंधित अधिकारियों के साथ टायटल डीड का पुनः सत्यापन किया गया.

बैंक आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के माध्यम से शाखाओं में सख्त अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करता है. बैंक ऑडिट शाखाओं द्वारा प्रस्तुत ऑडिट अनुपालन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक आधार पर अनुपालन ऑडिट भी करता है. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 1013 शाखाएं अनुपालन लेखापरीक्षा के अधीन थी


शाखाओं के विभिन्न परिदृश्यों में निर्धारित सीमा से ऊपर के लेनदेन की निगरानी के लिए बैंक ऑफसाइट मॉनिटरिंग प्रणाली के तहत भी है. वर्तमान में 89 परिदृश्यों पर अलर्ट उत्पन्न होते हैं.

समवर्ती लेखा परीक्षकों के माध्यम से एडी शाखाओं के स्विफ्ट संदेशों का समाधान किया जा रहा है.

बैंक नियमित ऑडिट के अलावा केवाईसी अनुपालन ऑडिट भी करता है.

शाखा / एटीएम नेटवर्क

- दिनांक 31 मार्च 2020 को बैंक का 4,651 शाखाओं, 3642 एटीएम, 10 सेटलाइट कार्यालयों और 1 एक्सटेंशन काउंटर का नेटवर्क है. बैंक की देश के सभी 28 राज्यों में, 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों और ञ्ऊ दिल्ली में सेवारत है. 574 जिला मुख्यालयों में और 739 जिलों में से 642 जिलों में उपस्थिति है.



- वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने शाखाओं के परिचालन की मानीटरिंग करने तथा बेहतर भौगोलिक पहुंच तथा नियंत्रण हेतु संगठनात्मक पुनर्गठन योजना "संकल्प" शुरू की है.
- संशोधित संरचना के अनुसार, हैदराबाद, रायपुर और गुवाहाटी तीन अंचलों को क्रमशः चेन्नई, भोपाल और कोलकाता अंचल में मिला दिया गया, जिससे कि 13 के स्थान पर 10 अंचल बन गये और 31 नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई, इस प्रकार कुल क्षेत्रों की संख्या 90 हो गई.

- बैंक ने खुदरा ऋण ग्राहकों को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के लिए 49 केन्द्रीकृत रिटेल क्रेडिट प्रोसेसिंग सेंटर (बैंक ऑफिस) को 49 केन्द्रीयकृत रिटेल क्रेडिट प्रोसेसिंग शाखाओं (बैंकिंग आउटलेट्स) में परिवर्तित कर दिया है।
- बैंक को बैंक के कृषि और एमएसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो को मानकीकृत करने तथा बढ़ावा देने के लिए 20 केन्द्रीकृत कृषि ऋण प्रसंस्करण केंद्रों और 50 केन्द्रीकृत एमएसएमई क्रेडिट प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए नियामक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इन केंद्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्थापित और कार्यात्मक बनाया जाएगा।
- बैंक ने शाखाओं के युक्तियुक्तकरण के तहत 63 अव्यवहार्य/ हानि वाली शाखाओं का बंद/विलय कर दिया है।

परिचालन

- ❖ बैंक का विस्तारित आधुनिकीकृत काल सेंटर उत्पादों के प्रचार करने /ग्राहकों के ऋण खाते में किश्त ओवरड्यू के संबंध में अनुस्मरण कराने के अलावा ग्राहकों की पूछताछ / शिकायतों को हल करने के लिए भीतरी कॉल सुविधा प्रदान कर रहा है।
- ❖ भारत सरकार के ईज 2.0 मार्गदर्शनों के अंतर्गत 32 बेंचमार्क सेवाओं के बदले कॉल करने वालों को कुल 31 सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर परिचालनों को उन्नत किया है।
- ❖ उन्नत कॉल सेंटर अब ईज 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार 26 बेंचमार्कड कार्यक्षमताओ के बदले अब 25 कार्यक्षमताओं को संभाल रहा है
- ❖ कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान कर रहा है
- ❖ कॉल सेंटर के माध्यम से घर पहुंच बैंकिंग सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, नेत्रहीन और दिव्यांग ग्राहकों को उपलब्ध है।
- ❖ कॉल सेंटरों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण (वीआईपी) शिकायतों को अलग से नियंत्रित किया जा रहा है और 24 घंटों के भीतर उनका निवारण किया जा रहा है
- ❖ ग्राहक अब कॉल सेंटर के माध्यम से अपने खाते के डेबिट फ्रीज के लिए अनुरोध कर सकते हैं
- ❖ कॉल सेंटर के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनरों से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।
- ❖ ग्राहक, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ❖ नया पेंशन सॉफ्टवेयर पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली में गति, सटीकता और सुरक्षा में सुधार के लिए नया पेंशन सॉफ्टवेयर - जीबीएम-पेंशन मॉड्यूल शुरू किया गया है; यह पेंशनभोगियों को भुगतान और शीघ्र संशोधन लाभ के विवरण के बारे में एसएमएस भेजेगा .
- ❖ भारत सरकार के बैंकिंग सुधारों के लिए रोड मैप के अनुसार, ग्राहकों की आसानी के लिए संशोधित सरलीकृत खाता खोलने के फार्म (सीआईएफ और एओएफ - व्यक्तिगत / व्यक्तिगत) शुरू किए गए हैं।
- ❖ समाशोधन में चेक डेबिट करने से पहले ग्राहकों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। विवादित चेक के मामले में, ग्राहक 1800221911 पर होम-ब्रांच या कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं

वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों के लिए बैंकिंग सुविधा : हमने शारीरिक रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पहुंच बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करके एक अतिरिक्त मील का सफर तय किया है। उचित सेवा शुल्क पर हम निम्नलिखित सेवाओं को शुरू कर रहे हैं:

- 1) नगद राशि तथा चैकों को उनकी पावती देकर प्राप्त करना तथा उनको खाते में क्रेडिट करना
- 2) खाते से निकासी हेतु नगदी राशि की सुर्पदगी
- 3) मांग ड्राफ्ट की डिलीवरी
- 4) ऐसे ग्राहकों के परिसर/निवास से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेजों और जीवन प्रमाण पत्र का संग्रह,
- 5) फार्म 15 एच,
- 6) अन्य आधारभूत बैंक सेवायें जैसे कि चेक बुक का वितरण।

इन सेवाओं को नाममात्र के सेवा शुल्क पर होम शाखा के किलोमीटर के सेवाक्षेत्र के दायरे के भीतर प्रदान किया जाएगा।

- ❖ अब ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में पीपीएफ / वरिष्ठ नागरिक बचत योजना / सुकन्या समृद्धि खाते जैसी छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत खाते खोल सकते हैं।
- ❖ ग्राहकों की शिकायतों को तुरंत हल किया जाता है; निपटान का समय घटाकर पांच दिन कर दिया गया है।
- ❖ 01.01.2017 से ग्राहकों के लिए सीकेवायसीआर का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

- ❖ 21 दिसंबर 2019 को क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा 109 वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. केंद्रीय कार्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रबंधन हमारे विभाग द्वारा गया.
- ❖ खुदरा उत्पादों जैसे कि पर होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन पर बैंक का विज्ञापन दिवाली के मौके 12 दिनों के लिए रेडियो जिगल के माध्यम से पूरे भारत के 46 स्टेशनों पर 92.7 बिग एफएम पर प्रसारित हुए.
- ❖ क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल के मौसम के लिए हरवुड लीग - मुंबई में हमारी बैंकों की टीम की भागीदारी के लिए सीबीआई मनोरंजन क्लब को प्रायोजन प्रदान किया गया.
- ❖ महान नेता भारत रत्न डॉ बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर सेंट्रल बैंक डिप्रेस क्लास एम्प्लॉयज वेलफेयर आर्गनाइजेशन-मुंबई बहुमत (पंजीकृत) ने दिनांक 5 और 6 दिसंबर, 2019 को चैतन्य भूमि शिवाजी पार्क, दादर में बैनर लगाया तथा भोजन के पैकेट और पानी का वितरण किया.
- ❖ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अंचलों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा 70 वें संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
- ❖ डायरी और कैलेंडर 2020 की छपाई और आपूर्ति विभाग द्वारा समय से पूरी कर ली गई.
- ❖ कॉरपोरेट लुक के नए डिज़ाइन के साथ नेक टाई तैयार किया गया और कार्यपालकों, शाखा प्रबंधकों और वेतनमान IV और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को इसकी आपूर्ति की गई.
- ❖ कार्यपालकों के लिए नये लैपल पिन और कफ़लिन डिजाइन किए गए.
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुंबई में भारतीय एसएमई व्यवसाय बैठक के लिए प्रायोजन
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भारत भर में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र में टीवी टिकर के माध्यम से बैंक का विज्ञापन
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मराठी भाषा दिवस के लिए प्रायोजन
- ❖ आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव बसंतोत्सव के लिये मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से वार्षिक उत्सव के लिए बैंक का प्रायोजन
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एसटी डिपो में बिल बोर्ड और ट्रैफिक बैरिकेड पर प्रचार
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से पसबान-ई-अदब ट्रस्ट द्वारा आयोजित 5 मेगा कार्यक्रमों का प्रायोजन
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से ठाणे में ट्रैफिक पुलिस बूथ (32 डिस्प्ले) में बैंक का विज्ञापन
- ❖ दिल्ली अंचल के माध्यम से नई दिल्ली में अजमेरी गेट साइनेज में बैंक का विज्ञापन
- ❖ मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुंबई में गणपति माघी गणेश जयंती उत्सव के अवसर पर आर्क गेट प्रदर्शन
- ❖ दिल्ली अंचल के माध्यम से 39 वें भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में बैंक की भागीदारी
- ❖ अहमदाबाद अंचल में अहमदाबाद घरेलू एयरपोर्ट में स्टैंडी पर बैंक विज्ञापन
- ❖ भोपाल अंचल के माध्यम से आईआईएम इंदौर के आईआरआईएस-2019 वार्षिक समारोह का शीर्षक प्रायोजन.
- ❖ चेन्नई अंचल के माध्यम से द संगीत अकादमी, मद्रास द्वारा आयोजित किए जाने वाले 93 वें वार्षिक संगीत समारोह के लिए सहयोगी प्रायोजन.
- ❖ पटना जोन के माध्यम से आईआईएम रांची में आयोजित रश और विदाई 2020 का प्रायोजन
- ❖ चंडीगढ़ अंचल के माध्यम से केरल संपर्क क्रांति (ट्रेन नंबर 12217 और 12218) में 19 कोचों में कुल 38 पैनलों में ट्रेन के बाहरी भाग में प्रदर्शन पर बैंक का विज्ञापन.
- ❖ 2 कैटामरन्स के लिए 12 डिस्प्ले (गेटवे ऑफ़ इंडिया से मंडवा-अलीबाग तक), 160 सीटों के पीछे बैंक की ब्रांडिंग, .
- ❖ दिल्ली अंचल के माध्यम से जयपुर में भारत के पहले साइकिल पोलो लीग-2019 के लिए प्रायोजन.
- ❖ सीसीडी समय-समय पर केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों से सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए प्रस्ताव प्राप्त करता रहता है जैसे कि निविदा सूचनाएँ, नियुक्तियाँ, बैंक के परिणाम प्रकाशन और उनका समय पर निष्पादित कराया जाता है.
- ❖ विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रेस विज्ञप्तियाँ को जारी कराना.
- ❖ बैंक के तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा के समय और विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर , पत्रकार वार्ता विश्लेषण वार्ता की व्यवस्था की गई.
- ❖ हमारे बैंक में राष्ट्रीय एकता दिवस और संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया.
- ❖ हमारे शीर्ष प्रबंधन और मुंबई जाने वाले विभिन्न सरकारी / भारिबैं अधिकारियों / निदेशकों के लिए प्रोटोकॉल कर्तव्यों के लिए समन्वय करना

- ❖ हमारे बोर्ड सचिवालय और सुरक्षा / परिवहन विभाग के साथ बोर्ड सह प्रबंध समिति की बैठकों के लिए समन्वय करना
- ❖ मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग / एमबीडी विभाग के साथ हमारे बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए समन्वय करना
- ❖ हमारे बैंक के लिए मुंबई में सभी संसदीय समिति की बैठकों के लिए समन्वय करना

सोशल मीडिया :

- ❖ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ग्राहक जागरूकता और ग्राहक टिप्पणियों / प्रश्नों का जवाब देने के लिए फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है.
- ❖ बैंक ने स्पेशल होम लोन लीड जनरेशन अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक) पर लॉन्च किया था और इस अभियान के माध्यम से 6859 लीड्स प्राप्त की.

सतर्कता

1. प्रणालीगत सुधार:

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए:

- ए) सीबीएस-सेट होल्ड / ग्रहणाधिकार में प्रणाली में सुधार
- बी) अपवाद रिपोर्ट के जनरेशन में सुधार-
- सी) सीबीएस प्रणाली में दस्तावेज़ रखरखाव में सुधार
- डी) सप्लीमेन्ट्री जांच में प्रभावी निगरानी सुधार हेतु वाउचरों का ई-सत्यापन [e-VOV]

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, “सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019” बैंक द्वारा 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सही अर्थों में और इस वर्ष की थीम “ईमानदारी- एक जीवन शैली” के अनुरूप मनाया गया. 29.10.19 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई. इसी तरह के कार्यक्रम सभी 10 आंचलिक कार्यालयों, 90 क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंक के सभी 4600 शाखाओं और बैंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आयोजित किए गए.

हमारे बैंक ने ग्राहकों और कर्मचारियों को ई-प्रतिज्ञा लेने में सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट को “ईमानदारी की शपथ” लेने के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया.

बैंक ने ग्राहकों को 4.86 मिलियन एसएमएस भेजे हैं, जिससे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान ईमानदारी की शपथ लेने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की साइट पर हाइपरलिंक प्रदान किया गया है.

ग्राहकों को, साथ ही ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आम जनता को सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई गई, जहां ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा. बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की साइट में कुल 2.14 लाख सामूहिक शपथ अपलोड करने में सफल रहा.

निवारक सतर्कता से संबंधित अखिल भारतीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हमारे बैंक के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें काफी बड़ी संख्या में भागीदारी की गई और इस प्रतियोगिता में 118 उम्मीदवारों को पुरस्कार दिया गया था.

निरोधात्मक सतर्कता गतिविधियों के बारे में 14.91 लाख पैम्फलेट हमारे बैंक के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से पूरे भारत में वितरित किए गए.

बैंक ने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और अन्य हितधारकों के लिए संगठन की नीतियों / प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों के लिए 194 कार्यशालाएं / जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 154 स्कूलों और 57 कॉलेजों में वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, व्याख्यान आदि आयोजित किए हैं, जिसमें 9 निर्दिष्ट केंद्रों जैसे कि पटना, सिलीगुड़ी, जबलपुर, अहमदाबाद, नासिक, पिंपरी, चिंचवाड़, ग्रेटर मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में अखंडता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए 28000 छात्रों ने भाग लिया.

आम जनता / ग्राहकों/कर्मचारियों के लिए टाउन हॉल बैठकें विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गईं तथा इसमें न्यायपालिका, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, पुलिस विभाग, कॉलेजों आदि से विशेष निमंत्रण पर हमारे कार्यक्रमों में अतिथि शामिल हुए और सभाओं को संबोधित किया.

बैंक ने हमारे समाज में अखंडता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों पर पूरे देश में 3953 ग्राम सभाएं आयोजित की हैं, जिसमें लगभग 3.54 लाख लोगों ने भाग लिया.

देश भर में विभिन्न स्थानों पर शाखाओं, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों आदि पर लगभग 17000 बैनर / पोस्टर लगाये गये. पूरे भारत में विभिन्न शाखाओं द्वारा 7210 ग्राहक शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए गए. एफएम चैनल पर रेडियो जिगल्स द्वारा 29 केंद्रों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रसारण किया गया. सतर्कता जागरूकता का संदेश फेसबुक, ट्विटर के साथ-साथ यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश हमारे बैंक की हमारी शाखाओं, फेसबुक और ट्विटर पेजों में विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स पर प्रदर्शित किया गया.

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि मानव श्रृंखला, वॉकथॉन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया.

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति :

मार्च 20 के अंत में बैंक की स्टाफ संख्या पिछले वर्ष 35675 के मुकाबले 33481 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग अलग विवरण इस प्रकार रहा

श्रेणी	मार्च -18	मार्च-19	मार्च-20
अधिकारी	17166	16868	16563
लिपिक	12300	11766	10356
अधीनस्थ	7377	7041	6562
कुल योग	36843	35675	33481

2. मानव संसाधन विकास:

(i) मुख्यमंत्री राहत कोष- ओडिशा को दान

मई 2019 में चक्रवात फनी के कारण, ओडिशा के प्रभावित लोगों के साथ हमारी चिंता और एकजुटता व्यक्त करने के उपाय के रूप में, हमारे स्टाफ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राहत कोष - ओडिशा के लिए 1 दिन के विशेषाधिकार छुट्टी के माध्यम से दान किया.

(ii) ओडिशा राज्य में चक्रवात फनी से प्रभावित कर्मचारियों को राहत ऋण

चक्रवात फनी के कारण कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए ओडिशा में काम कर रहे हमारे स्टाफ के सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए, हमारे बैंक ने रियायती दर पर स्टाफ सदस्यों को राहत ऋण दिया है.

(iii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) को दान

हमारे स्टाफ सदस्यों ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (ईएनडी) के लिए एक दिन के विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के माध्यम से उदारता से योगदान दिया है.

(iv) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोनस का भुगतान

वर्ष 2018-19 के लिए बोनस यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक वेतन/मजदूरी का 8.33% की दर से सभी पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000/- का भुगतान किया गया.

(v) कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज:

कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकल इश्योरेंस का नवीनीकरण पहली अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए किया गया है.

❖ सेवानिवृत्त लोगों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी

सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 1 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2020 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत की गई.

❖ बैंक में कर्मचारी कल्याण योजनाएँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, बैंक के पास तीन कर्मचारी कल्याण योजनाएँ थीं

(ए) सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को राहत के लिए योजना.

(बी) हॉलिडे होम्स और ट्रांजिट होम्स-वर्तमान में 7 कार्यरत होम्स हैं.

(सी) कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान - मौजूदा अंशकालिक चिकित्सक को वेतन और दवाईयों का मूल्य.

(डी) कर्मचारियों हेतु कैटीन सब्सिडी की सुविधा.

❖ **स्टाफ ऋण**

घर की खरीद / निर्माण के लिए कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के मामले में ऋण की मात्रा और मोटर कार और मोटर साइकिल / स्कूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को वाहन ऋण की मात्रा को बढ़ाया गया है.

❖ **अधिकारियों के स्थानांतरण (मुख्य धारा / विशेषज्ञ) और अधिकारियों के करियर पथ-सह-पदोन्नति के लिए मानदंड (मुख्य धारा / विशेषज्ञ)**

वेतनमान I से III में अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कर्मचारी के अनुकूल मानदंड (मुख्यधारा / विशेषज्ञ) अधिकारियों के लिए कैरियर पथ-सह-नीति नीति, बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदित की गई.

3. प्रशिक्षण:

अनुमोदित प्रशिक्षण योजना के अनुसार, प्रशिक्षण कैलेंडर 2019-20 के लिए तैयार किया गया और क्रेडिट (रिटेल, एमएसएमई और कृषि), वसूली, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन और व्यवहार संबंधी पहलुओं को प्राथमिकता दी गई.

सभी प्रशिक्षण कॉलेजों और आंकप्रके ने प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है. (अपवाद - मार्च 2020 के महीने में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, क्योंकि आंकप्रके / प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ / संकायों को कोविड 19 महामारी के कारण आंचलिक कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया). हमारे प्रशिक्षण कॉलेजों और आंकप्रके के साथ-साथ बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण यहां दिया गया है:

❖ **वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की स्थिति (31.03.2020 तक):**

	कुल मानव शक्ति	मार्च 2020 तक प्रशिक्षित	मार्च 2020 तक कवर किये गये का %
अधिकारी	16563	14789	89.29
पंचाट कर्मचारी	16918	9168	54.19
कुल	33481	23957	71.55

वर्ष 2019-20 के दौरान की गई विशेष प्रशिक्षण पहलें निम्नानुसार हैं:

- ❖ माह अगस्त 2019 में एनआईबीएम-पुणे द्वारा एसपीबीटी कॉलेज मुंबई में आयोजित "आईटी और साइबर सुरक्षा पर प्रमाणपत्र कार्यक्रम" में 28 कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया.
- ❖ एनआईबीएम-पुणे द्वारा आयोजित सितंबर 2019 में दो बैचों में एसपीबीटी कॉलेज मुंबई में ईज पर 53 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया.
- ❖ आईआईएम इंदौर में बैंक के कार्यपालक अधिकारियों के लिए अनुकूलित प्रबंधन विकास कार्यक्रम की व्यवस्था की गई. कुल 143 कार्यपालक अधिकारियों (9-मप्र, 48-उमप्र, 9-वक्षेप्र और 77-क्षेप्र) ने उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया.
- ❖ इनफिनेट मैरियाद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसपीबीटीसी मुंबई में पूरे वर्ष में आयोजित 7 बैचों में विपणन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में 189 विपणन अधिकारियों ने भाग लिया है.
- ❖ एसपीबीटी कॉलेज द्वारा प्रबंधित ई-लर्निंग पोर्टल में ई-लर्निंग पर 22 रनिंग मॉड्यूल उपलब्ध हैं.

वर्ष 2019-20 के दौरान, क्लास रूम, स्थानीय, विशेष प्रशिक्षण सहित 1388 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें तीन प्रशिक्षण कॉलेजों तथा सीखने तथा विकास के 15केन्द्रों द्वारा 23420 प्रतिभागियों और 89781 मानव दिवस को कवर किया गया. इसके अलावा बाह्य प्रशिक्षण एजेन्सीज जैसे कि एनआईबीएम, सीएबी, आईडीबीपी, बीआईआरडी, आईआईबीएफ, एएससीआई, इन्फिनेट मैरियाद प्रा.लि. तथा आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 537 अधिकारियों को नामित किया गया.

4. भर्ती और पदोन्नति:

प्रमोशनल अभ्यास को अधिक प्रेरक बनाया गया है और एक कॉर्पोरेट लक्ष्य के रूप में, जहां तक संभव हो सभी वेतनमान/ श्रेणियों के लिए, पदोन्नति प्रक्रियाओं को करने के लिए इसे हल किया गया है. तदनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान अंतर-वेतनमान और अंतर-संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गईं और कर्मचारियों / अधिकारियों को उच्च संवर्ग / वेतनमान तक बढ़ाया गया, जिसमें से 105 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किया गया, 774 लिपिकों को वेतनमान-I में पदोन्नत किया गया. 1374 अधिकारियों को उच्च ग्रेड / वेतनमान में पदोन्नत किया गया.

5. आरक्षण नीति का क्रियान्वयन:

- बैंक ने आरक्षण नीति पर भारत सरकार/ भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशा निर्देशों / निर्देशों को लागू किया है तथा आरक्षण नीति में स्वीकार्य रियायतें / छूटें अजा /अजजा /ओबीसी /विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों को विस्तारित की हैं।
- श्रीमती माया चितामण इवनाटे, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 12.02.2020 को चेन्नई का दौरा किया और अखिल भारतीय सेन्दल बैंक अजा /अजजा / ओबीसी कर्मचारी महासंघ / एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और बैंक प्रबंधन के साथ अनुसूचित जनजातियों के मुद्दों पर चर्चा की।

6. औद्योगिक संबंध:

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध आम तौर पर सौहार्दपूर्ण रहा।

डिजिटल भुगतान और लेनदेन बैंकिंग -

- ❖ बैंक के पास 31 मार्च 2020 तक स्थापित कुल 3845 पीओएस / एमपीओएस स्थापित टर्मिनल है।
- ❖ 31 मार्च, 2020 तक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के लिए संचयी पंजीकृत उपयोगकर्ता क्रमशः 52.23 लाख, 24.89 लाख और 5.76 लाख हैं।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पीओएस /ईकाम लेनदेन प्रति दिन औसतन 2.10 लाख हैं।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मोबाइल बैंकिंग लेनदेन प्रति दिन औसतन 0.22 लाख हैं
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यूपीआई लेनदेन प्रति दिन औसतन 10.10 लाख है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आईएमपीएस का लेनदेन औसतन 1.86 लाख प्रति दिन है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन प्रति दिन औसतन 1.88 लाख हैं।

एटीएम / डेबिट कार्ड परिचालन:

- ❖ 31 मार्च 2020 तक कुल एटीएम की संख्या 3642 है।
- ❖ बैंक कर्मचारियों द्वारा केश भराई 1612 एटीएम के लिए किया जा रहा है।
- ❖ 31 मार्च 2020 तक 3350 शाखाओं को एटीएम से लिंक किया गया है।
- ❖ बैंक के 64.14% एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- ❖ वर्ष के दौरान औसत एटीएम अपटाइम लगभग 90% है।
- ❖ 31.03.2020 को सक्रिय डेबिट कार्ड 2.40 करोड़ है।
- ❖ एटीएम पिन की भौतिक छपाई को खत्म करने के लिए एटीएम, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्रीन पिन जनरेशन का कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के अनुकूल और तकनीक के अनुकूल कदम है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ❖ बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड और साथ ही एसबीआई कार्ड के साथ सह-ब्रांडेड कार्ड है।
- ❖ बैंक ने हमारे ग्राहकों के लिए सुखद क्रेडिट कार्ड अनुभव के लिए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ सहयोग किया है। सह-ब्रांडेड कार्ड से संबंधित विषयों का प्रबंधन और परिचालन एसबीआई कार्ड द्वारा किया जाता है।
- ❖ अक्टूबर 2019 से सह-ब्रांड कार्ड जारी करना शुरू हो गया है और स्टैंडअलोन कार्ड जारी करना बंद कर दिया गया है।
- ❖ 31 मार्च 2020 तक बैंक के पास 87470 का सेंट्रल बैंक क्रेडिट कार्ड आधार और 399387 का प्रीपेड कार्ड आधार है।
- ❖ 31 मार्च 2020 तक 24517 सह-ब्रांडेड कार्ड जारी किए गए थे
- ❖ अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड के लिए समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध है और साथ ही साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए वेबलिक प्रदान किया गया है।
- ❖ क्रेडिट कार्ड की कार्यात्मकता बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर भी उपलब्ध है।

आगामी पहल - डिजिटल विधा को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन के तहत पहल

- ❖ नेट बैंकिंग / डेबिट कार्डों के उपयोग से एनएसीएच प्लेटफार्म पर ऑनलाइन अधिदेश का कार्यान्वयन।
- ❖ नेट बैंकिंग को नया स्वरूप प्रदान करना।

- ❖ सकल व्यापार खाते में तत्काल निधि अंतरण के लिए, एंजिल ब्रोकिंग लिमिटेड सहित विभिन्न एग्रीगेटर्स के साथ नें बैंकिंग एकीकरण
- ❖ हमारे ग्राहक को फास्ट टैग जारी करना
- ❖ मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत यूटिलिटी पेमेंट.
- ❖ कतिपय उच्च प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हमारे ग्राहकों को डेबिट कार्ड ईएमआई सुविधा
- ❖ विद्यमान नेट बैंकिंग भुगतान विकल्प के साथ ही, सरकार के उपक्रमों / संगठनों जैसे सीबीडीटी, आईआरसीटीसी इत्यादि के लिए ऑनलाइन भुगतान हेतु डेबिट भुगतान विकल्प को सक्षम बनाना.
- ❖ यूपीआई के उपयोग द्वारा एटीएम से इंटरऑपरेबल कार्ड लेस कैश विड्रावल (आईसीसीडब्ल्यू) का कार्यान्वयन.
- ❖ कार्ड (क्रेडिट / डेबिट) के माध्यम से हमारे ग्राहकों के अनुदेशों के प्रबंधन (सृजन, संशोधन, परिवर्तन) करने हेतु स्थायी अनुदेश (एसआई) का कार्यान्वयन.

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

i. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- ❖ मार्च 2020 को शुद्ध स्व-निधि ₹ 122.60 करोड़ थी. कंपनी का कुल अग्रिम मार्च 2019 के ₹1270.72 करोड़ के समक्ष मार्च 2020 में ₹ 1230.65 करोड़ रहा.
- ❖ खुदरा जमा एवं संस्थागत जमा, मार्च 2019 के ₹ 486.60 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 को ₹ 469.99 करोड़ रही.
- ❖ कंपनी का शुद्ध लाभ 2019-20 के पूरे वर्ष के लिए ₹ 10.23 करोड़ रहा, जबकि 2018-19 के पूरे वर्ष के लिए यह ₹ 16.28 करोड़ था.
- ❖ प्रति शेयर आय ₹ 409 (₹ 10 प्रति शेयर) (गत वर्ष ₹ 6.51)
- ❖ मार्च 2019 में एनपीए ₹ 27.97 करोड़ था, जबकि यह मार्च 2020 में ₹ 49.92 करोड़ हो गया.
- ❖ मार्च 2020 को शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए का 2.34% था.
- ❖ आस्तियों पर प्रतिफल 0.78% रहा (गत वर्ष 1.26%)
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2020 को सीएआर 20.01% रहा.

31मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र

मद	नोट संख्या	31मार्च 2020 पर	31मार्च 2019 पर
		आधारित रू. लाख में	आधारित रू. लाख में
अ. इक्विटी एवं देयताएँ			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	2	2,500.00	2,500.00
(बी) आरक्षित और अधिशेष	3	10,229.75	9,207.09
		12,729.75	11,707.09
2. गैर चालू देयताएं			
(ए) दीर्घकालिक उधारियाँ	4	60,951.30	79,258.76
(बी) विलम्बित कर देयताएं	3(ए)	1,047.50	1,250.88
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	5	2,415.25	1,376.85
		64,414.05	81,886.49
3. चालू देयताएं			
(ए) अल्पावधिक उधारियाँ	6	36,352.73	31,163.24
(बी) व्यापारिक देनदारियां		-	-
(सी) अन्य चालू देयताएं	7	15,394.07	14,657.22
(डी) अल्पावधिक प्रावधानें	8	99.52	597.52
		51,846.32	46,417.98
कुल		1,28,990.12	1,40,011.56

मद	नोट संख्या	31मार्च 2020 पर आधारित	31मार्च 2019 पर आधारित
		रू. लाख में	रू. लाख में
(ब) आस्तियाँ			
1. गैर चालू आस्तियाँ			
(ए) स्थिर आस्तियाँ			
(i) मूर्त आस्तियाँ	9	58.07	61.60
(बी) गैर चालू निवेशों	10	2,724.05	2,976.04
(सी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	11	1,05,086.44	1,06,346.63
(डी) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	12	1,08,141.47	1,09,713.50
		108,141.47	109,713.50
2. चालू आस्तियाँ			
(ए) नगद एवं नगद समतुल्य	13	2,277.00	8,739.85
(बी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिमों	14	18,042.51	21,037.69
(सी) अन्य चालू आस्तियाँ	15	529.14	520.52
		20,848.65	30,298.06
योग		1,28,990.12	1,40,011.56

31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि का विवरण

	मद	नोट संख्या	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
			रू. लाख में	रू. लाख में
अ आय				
1.	परिचालन से राजस्व	16	14,184.58	13,910.49
2.	अन्य आय	17	24.13	174.63
3.	कुल राजस्व(1+2)		14,208.71	14,085.12
बी व्यय				
4.	(ए) कर्मचारी हितलाभ व्यय	18	839.32	844.80
5.	(बी) वित्त लागत	19	9,896.84	9,532.74
6.	(सी) विमूल्यन एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	9	20.35	20.36
7.	(डी) अन्य व्यय	20	880.43	1,024.27
8.	(ई) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	21	175.26	-82.49
9.	(एफ) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		840.21	185.98
10.	(जी) बट्टे खाते में डाला गया		0.00	37.57
11.	कुल व्यय(4+5+6+7+8+9+10)		12,652.41	11,563.22
सी कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें(3-11)			1,556.30	2,521.90
डी असाधारण मदें				
	योग:- विशेष मद	22	0	0
	घटाएँ -पूर्व अवधि समायोजन		21.79	120.34
इ कर पूर्व लाभ/(हानि) (इ-ई)			1,534.51	2,401.56

	मद	नोट संख्या	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
			समाप्त वर्ष हेतु	समाप्त वर्ष हेतु
			रू. लाख में	रू. लाख में
एफ	कर व्यय			
	(ए) वर्तमान वर्ष के कर व्यय		655.67	624.31
	(बी) विगत वर्ष के कर हेतु प्रावधान		59.55	0.00
	(सी) उपरोक्त के छोड़कर वर्तमान वर्ष के विलम्बित देयताएं/आस्तियाँ		322.53	6.44
	(डी) वर्तमान वर्ष की विशेष आरक्षित निधि भंडारों पर विलम्बित देयताएं		119.15	156.08
			511.84	773.95
जी	सतत परिचालन से लाभ(ई-एफ)		1,022.67	1,627.61
एच	वर्ष हेतु लाभ		1,022.67	1,627.61
आई	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड			
	प्रति शेयर अर्जन (रू.10/-प्रति)			
	(ए) बेसिक		4.09	6.51
	(बी) डायलुटेड		4.09	6.51

(ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

❖ सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चैरोटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.

❖ कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

❖ कंपनी ने 31 मार्च 2020 के वर्ष समाप्ति में ₹ 1.45 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष 31 मार्च, 2019 के वर्ष समाप्ति में ₹ 2.70 करोड़ था.

❖ खंडवार अर्जन :

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
निष्पादक न्यास से शुल्क	49,37,199	43,24,805
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास से शुल्क	1,07,89,735	2,70,82,673
अन्य आय (ब्याज)	2,43,05,867	2,51,22,941
कुल	4,00,32,801	5,65,30,419

● ईपीएस वित्त वर्ष 2018-19 के रू.541.41 के प्रति वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रू..290.03 रहा.

31मार्च 2020 पर आधारित तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

मद	नोट संख्या	31मार्च 2020 पर आधारित रू. लाख में	31मार्च 2019 पर आधारित रू. लाख में
I. इक्विटी एवं देयताएँ			
1. शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	1	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
(बी) आरक्षित और अधिशेष	2	31,75,16,192	32,71,25,844
2. गैर चालू देयताएं			
(ए) अन्य दीर्घकालिक उधारियाँ	3	60,35,188	60,35,188
(बी) दीर्घकालिक प्रावधानें	4	3,83,250	4,51,355

मद	नोट संख्या	31मार्च 2020 पर आधारित रू. लाख में	31मार्च 2019 पर आधारित रू. लाख में
3. चालू देयताएं			
(ए) अन्य चालू उधारियाँ	5	5,16,34,346	4,38,61,641
(बी) अल्पकालिक प्रावधान	6	1,52,679	1,74,279
कुल		42,57,21,655	42,76,48,307
(बी) आस्तियाँ			
1. गैर चालू आस्तियाँ			
(ए) स्थिर आस्तियाँ	7		
(i) मूर्त आस्तियाँ		1,64,848	1,87,307
(ii) अमूर्त आस्तियाँ		1,64,848	2,08,975
(बी) गैर चालू निवेश	8	1,50,03,000	1,50,03,000
(सी) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	9	56,15,818	60,23,003
(डी) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	10	6,05,41,365	14,09,29,065
2. चालू आस्तियाँ			
(ए) व्यापार प्राप्य	11	17,19,851	15,24,049
(बी) नगद एवं नगद समतुल्य	12	32,03,92,686	24,30,04,907
(सी) अलयावधि ऋण एवं अग्रिम	13	2,20,75,112	2,07,68,001
योग		42,57,21,655	42,76,48,307

31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि का विवरण

(राशि रूपयों में.)

मद	नोट संख्या	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
आय:			
परिचालन से राजस्व	14	1,57,26,934	3,14,07,478
अन्य आय	15	2,43,05,867	2,51,22,941
I. कुल आय		4,00,32,801	5,65,30,419
व्यय:			
परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय	16	79,75,749	80,96,498
कर्मचारी हितलाभ व्यय	17	1,07,91,886	1,11,30,817
मूल्य हास एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	18	22,460	1,52,458
II. कुल व्यय		1,87,90,095	1,93,79,773
III. कर पूर्व लाभ/(हानि)	(I- II)	2,12,42,706	3,71,50,646
IV. कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		55,04,300	1,04,28,930
(2) स्थगित कर		4,07,186	(3,48,639)
(3) पूर्ववर्ष कर व्यय		8,29,813	-
		67,41,299	1,00,80,291
V. अवधि हेतु लाभ(हानि)	(III-IV)	1,45,01,407	2,70,70,355
VI. प्रति शेयर आय			
प्रत्येक 1000 /- मूल्य के बराबर इक्विटी शेयर			
(ए) बुनियादी		290.03	541.41
(बी) समायोजित		290.03	541.41

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक (लि.)

- जाम्बिया में बैंक के संयुक्त उद्यम को जाम्बिया सरकार और संयुक्त रूप से तीन भारतीय बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित है। इन तीन भारतीय बैंकों में से प्रत्येक के पास 20% इक्विटी है, जबकि औद्योगिक विकास निगम (इओ) (जाम्बिया गणराज्य की सरकार के पूरी तरह से स्वामित्व वाली निवेश कंपनी), के पास जाम्बिया गणराज्य की सरकार की ओर से 40% इक्विटी शेष है।
- बैंक का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष है।
- उक्त बैंक सभी मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में जाम्बिया में छठा सबसे बड़ा बैंक है।
- 9 दिसंबर 2019 के अंत तक, हमारे बैंक के पास प्रति क्वच 1 के मूल्य के कुल 8,32,00,000 शेयर हैं।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बैंक की जमा राशि में 16.92% की और अग्रिम में 7.52% की वृद्धि हुई है।
- बैंक ने कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए क्वच 178.41 मिलियन (₹.89.43 करोड़) का शुद्ध लाभ कमाया है।
- हमें वर्ष 2019 के लिए इंडो जाम्बिया बैंक से ₹ 5.89 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है

iv क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

31 मार्च 2020 तक हमारे पास 2 राज्यों में 2 आरआरबी हैं जो 1174 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 23 जिलों को कवर करते हैं।

अनऑडिटेड

(करोड़ रुपए में राशि)

आरआरबी का नाम (प्र.का एवं जिला सहित)	जिले एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	16699.09	8392.70	1913.87	-401.59
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	5/142	3296.40	1974.58	131.98	3.05
कुल	23/1174	19995.49	10367.28	2045.85	

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- ❖ कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समुदाय और समाज के जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक विकास में योगदान हेतु सीएसआर व्यवसाय द्वारा सतत प्रतिबद्धता है।
- ❖ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं और समाज के समग्र सामाजिक कल्याण के लिए समाज के गरीब, पिछड़े लोगों के लिए काम करने वाले संगठन / ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर के तहत दान करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर बजट शून्य था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ था।

पुरस्कार और सराहना

- बैंक द्वारा अगस्त, अक्टूबर और नवंबर 2019 में आयोजित वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अभियान हेतु पात्रता हासिल की गई।
- कार्यकारी निदेशकों के लिए आयोजित मेकर ऑफ एक्सीलेंस -3 अभियान में 30000 एपीवाई के लक्ष्य के प्रति 50000 एपीवाई करने हेतु हमारे बैंक को विजेता शील्ड द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक को उत्कृष्टता के पुरस्कार के रूप में 3 उत्कृष्ट शील्ड और 20 उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।
- एलडीएम अमरावती ने सिटीजन चॉइस अभियान में पात्रता प्राप्त की है।

खेल उपलब्धियाँ(2019-20) (सीबीआरसी)

I. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फुटबॉल टीम

- 1) मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन में आयोजित अखिल भारतीय स्वर्गीय कैप्टन प्रताप सिंह मेमोरियल इंविटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2019-20 के फाइनल मैच की हमारे बैंक टीम ने जीता एवं चैंपियंस विनर्स ट्रॉफीके सम्मान से नवाजा गया।

2) हमारी बैंक टीम मुंबई में रिफोरमेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019-20 के फाइनल में पहुँची और उसे रनर अप ट्रॉफी साथ ही द फेयर प्ले ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

II. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया हॉकी टीम

मुंबई में बीएचए द्वारा आयोजित 1 डिवीजन मुंबई हॉकी लीग टूर्नामेंट 2019 में हमारी युवा हॉकी टीम ने चैंपियंस / विजेता ट्रॉफी जीतकर नंबर एक स्थान प्राप्त किया। हमारी बैंक टीम ने मुंबई में प्रतिष्ठित सीनियर डिवीजन स्तर पर एक उच्चतर स्तर प्राप्त किया।

III. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कबड्डी टीम

हमारी युवा कबड्डी टीम ने मुंबई में प्रतिष्ठित ठाणे मेयर राज्य स्तरीय आमंत्रण कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया और उसे रनर अप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

IV. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया क्रिकेट टीम

हमारी क्रिकेट टीम मुंबई में सीजन 2019-20 के लिए एमसीए द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित टाइम्स शील्ड और बैंक शील्ड टूर्नामेंट में विभिन्न स्तरों पर पहुँचने में सफल रही।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- ❖ बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेरधारकों के शेर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.
- ❖ बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

- ❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है.
- ❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2020 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2020 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 28 जून, 2019 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री तपन राय	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	23.05.2018 से	निरंक	वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीक, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन	आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, एचआर, पीई, एनसी* आरसी** एनएण्डआरसी	आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, एचआर, पीई, एनसी* आरसी**	1. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लि. 2. गिफ्ट सेज़ लि. 3. गिफ्ट पावर कं. लि.	जी हां
2.	श्री पल्लव महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	21.09.2018 से	13,000	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	(1) एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (2) आईआईबीएफ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (3) आईआईबीएम, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य, एवं (4) इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मुंबई को गवर्निंग बोर्ड के सदस्य	जी हां



क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2020 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2020 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 28 जून, 2019 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री पी रमण मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से 16.02.2020 तक	12,000	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	लागू नहीं, क्योंकि दिनांक 16.02.2020 को कार्यकाल समाप्त हुआ.	जी हां
4.	श्री बी एस शेखावत	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017 से	12,133	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	जी हां
5.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 23.01.2019 से	12,000	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हां
6.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	दिनांक 14.05.2018 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आईटीएस, बीसी, एमआरसी, एचआर, पीई	निरंक	आईएफसीआई लि.	जी नहीं
7.	श्री शेखर भटनागर	भारिबै द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से 26.04.2019	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, बीसी, आरसी**	निरंक	निरंक	जी नहीं
8.	श्री थॉमस मैथ्यू	भारिबै द्वारा मनोनीत निदेशक	26.04.2019 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसीबी, एसीबी, बीसी, आरसी**	निरंक	निरंक	जी नहीं

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2020 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2020 को अन्य कंपनी की निदेशकता	व्या. दि. 28 जून, 2019 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
9.	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 से 20.06.2019	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एनसी* आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी, सीसी#	एसीबी, आईटीएस सीसी	निरंक	लागू नहीं, क्योंकि कार्यकाल दिनांक 20.06.2019 को समाप्त हुआ.
10.	प्रो. (डॉ.) आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	27.12.2017 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी, एनसी* सीसी# एनएण्डआरसी आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एसीबी, आईटीएस, एनएण्डआरसी	प्रबंधन विकास संस्थान, मुर्शिदाबाद एवं पीटीसी इंडिया लि.	जी नहीं
11	सुश्री मिनी आइप	शेयरधारक निदेशक	01.07.2018 से	100	वित्त	एमसी, आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एनएण्डआरसी, एमआरसी, सीसी# पीई	निरंक	निरंक	जी नहीं

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- सीएससी - ऋण अनुमोदन समिति
- सीसी - क्षतिपूर्ति समिति(दिनांक 30.09.2019 से समाप्त)
- सीआरसी - पूंजी उगाही समिति
- सीआरआईडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- एचआर - मानव संसाधन समिति
- आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु बोर्ड की विशेष समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एमआरसी	-	वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति
एनएण्डआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (दिनांक 30.09.2019 से)
एनसी	-	नामांकन समिति(*दिनांक 30.09.2019 से समाप्त)
पीई	-	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति(**दिनांक 30.09.2019 से समाप्त)
आरसीएनसीबी	-	गैर सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एसआरसी	-	स्टेकधारक सम्बंध समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री तपन राय, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष - (जन्म तिथि 09.09.1957)

भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में श्री तपन राय को गैर- कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री तपन राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) को वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीकी, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में वृहद ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व, श्री तपन राय, गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के रूप में 35 वर्षों की सेवा के पश्चात, सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के रूप में कार्य कर चुके हैं. आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. आपने वुडरो विलसन स्कूल, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट और मैक्सवेल स्कूल, सिराकांस विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है. श्री राय ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से विदेशी व्यापार में एग्जेक्यूटिव मास्टर्स भी किया है. आपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी डिग्री हासिल की है. आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जैसे- रक्षा, कपड़ा, विद्युत उर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं योजना मंत्रालयों में अपनी सेवायें प्रदान की हैं. आप गुजरात राज्य में वित्तीय विभाग में मुख्य सचिव पद पर सेवा प्रदान कर चुके हैं. श्री राय गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (जीएसपीसी) एवं गुजरात राज्य पेट्रोनेट लि. (जीएसपीएल) के प्रबंध निदेशक भी थे. आप जीएसपीसी/ जीएसपीएल के अन्य समूह कम्पनियों के बोर्ड में भी रहे हैं. आपने सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स), के रूप में सेबी के बोर्ड में भी अपनी सेवायें प्रदान की है.

2. श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जन्म तिथि 25.02.1961)

दिनांक 21.09.2018 से भारत सरकार द्वारा श्री पल्लव महापात्र को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था. श्री महापात्र ने एम.ए. और सीएआईआईबी की डिग्री प्राप्त की है. आपने, अपना कैरियर भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में वर्ष 1983 में शुरू किया. आपने भारतीय स्टेट बैंक में साढ़े तीन दसकों से भी अधिक समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व संभाले हैं जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई काइर्स, उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधन, नये व्यवसाय कॉर्पोरेट केन्द्र, प्रबंध निदेशक एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा.लि. एवं उप अध्यक्ष (क्रेडिट एवं फॉरेक्स), एसबीआई (कैलिफोर्निया) लॉस एंजेलिस शामिल हैं. उप प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) के रूप में नियुक्त होने के पूर्व, आप मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई न्यू दिल्ली सर्कल के पद पर थे.

3. श्री बी.एस. शेखावत, कार्यपालक निदेशक - (जन्म तिथि 27.06.1962)

श्री बी.एस. शेखावत को दिनांक 09.10.2017 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री शेखावत ऑनर्स सहित कृषि विज्ञान स्नातक एवं सीएआईआईबी हैं. उन्होंने आईआईएम बैंगलुरु से प्रबंधन में स्नाकोतर सार्टिफिकेट कोर्स पूर्ण किया है. उन्होंने वर्ष 1986 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में अपना कैरियर आरम्भ किया था. अपने 34 वर्षों की लम्बी कार्यअवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों की शाखाओं, जयपुर एवं रांची क्षेत्र में क्षेत्रीय

प्रबंधक, पुणे एवं दिल्ली अंचलों में आंचलिक प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में दो वर्षों तक बैंक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। इस पदोन्नति के तुरंत पूर्व, वे बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन के प्रमुख थे।

4. श्री आलोक श्रीवास्तव (जन्म तिथि 22.11.1962)

श्री आलोक श्रीवास्तव ने अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर एवं एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 1985 में आपने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। आपको बैंकिंग के क्षेत्र में 34 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें बैंकिंग के लगभग सभी मुख्य हिस्सों, शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों इत्यादि में आपने कार्य किया है।

5. डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, भारत सरकार मनोनीत निदेशक (जन्म तिथि 20.07.1964)

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, दिनांक 14.05.2018 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। डॉ. सिन्हा वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी एवं नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एनयू), केनबेरा, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया है। डॉ. सिन्हा भारतीय वित्तीय सेवा के 1993 बैच से हैं एवं वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। वर्तमान के संयुक्त सचिव के कार्यभार के पूर्व, आप डीएफएस में आर्थिक सलाहकार थे। मई 2018 में डीएफएस में नियुक्त होने के पूर्व, डॉ. सिन्हा ने निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। डॉ. सिन्हा, आईएफसीआई लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक के पद पर आसीन हैं।

6. श्री थॉमस मैथ्यू (जन्म तिथि 13.11.1965)

श्री थॉमस मैथ्यू, दिनांक 26.04.2019 को श्री शेखर भटनागर के स्थान पर आरबीआई मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री मैथ्यू वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू (जे एण्ड के) के पद पर हैं। आपने वर्ष 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया था। श्री मैथ्यू बी.ए. (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट इन एएमएल एण्ड केवायसी तथा डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बैंकिंग एण्ड फाइनेंस के डिग्रीधारक हैं।

7. डॉ. आत्मानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 30.06.1959)

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद प्रबंधन विकास संस्थान, गुरगांव के निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और प्रबंधन विकास संस्थान, मुर्शिदाबाद के निदेशक हैं। आप पीटीसी इंडिया लि. के निदेशक मंडल में भी हैं। आप एमआईडी, गुरुग्राम में डीन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। एमडीआई में, आप प्रतिष्ठित एमडीआई के स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेंस एवं इकजीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के डीन के रूप में कार्यरत हैं। आप एमडीआई, मुर्शिदाबाद के संस्थापक डीन हैं। 30 वर्षों से अधिक समय तक आपने अर्थशास्त्र में अध्यापन, रिसर्च एवं कंसल्टेंसी पर कार्य किया है। 5 वर्ष के संक्षिप्त अल्पावधि के दौरान, जब यूएसएआईडी की सहायता से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से “स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट” की शुरुआत की गई थी, तब उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में आपने इस स्कूल को प्रसिद्धि दिलायी थी। आपके समर्पण और लगाव को मूल्यांकित करते हुए, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने आपके कार्यकुशलता एवं समर्पित सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशंसा पत्र जारी किया था। एमडीआई के बौद्धिक एवं प्रशासनिक कार्यों में मुख्य और निर्णायक भूमिका अदा करने के अलावा, आपने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। पॉलिसी निर्धारण में उनके योगदान को मूल्यांकित करते हुए, सेल के बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष), जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) एवं अन्य के कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र जारी किया था। आपने, आयुष मंत्रालय (सदस्य), भारत सरकार के साथ अपने एशोसिएशन, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एटीएफ, केबिनेट सचिव, भारत सरकार, राज्य वित्त आयोग, बिहार सहित विभिन्न राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का पद पर कार्य किया है। रिसर्च, अध्यापन एवं प्रशिक्षण में विस्तृत कार्य करने के अलावा, आपने 16 पुस्तकें और अनेक शोध पत्र लिखे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उनकी रुचि के कारण, परियोजना वित्त, समाजिक वित्त एवं व्यवसाय का आर्थिक परिदृश्य पर महत्व के साथ इस क्षेत्र में उन्होंने शोध एवं प्रशिक्षण पर भी कार्य किया है।

8. सुश्री मिनी आइप (जन्म तिथि 19.08.1963)

सुश्री मिनी आइप का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेरधारक निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2018 को चयन किया गया, आप ने वित्त, मार्केटिंग एवं मानव संसाधन के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुभव प्राप्त की है एवं वर्तमान में आंचलिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य आंचलिक कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), हैदराबाद के पद पर कार्यरत हैं। आपने एलआईसी में कार्यपालक निदेशक (एसबीयू-अंतर्राष्ट्रीय परिचालन) के पद पर भी कार्य किया है। आप एलआईसी एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेस लि. में निदेशक एवं सीईओ भी थीं। सुश्री मिनी आइप ने एलआईसी में क्षेत्रीय प्रबंधक, एस्टेट्स एवं पी एण्ड आईआर तथा सचिव, ईआर एण्ड मार्केटिंग के रूप में कार्य किया है।

बी) बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 17 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

18.04.2019	22.05.2019	06.08.2019	01.11.2019	28.01.2020
18.04.2019	18.06.2019	31.08.2019	17.12.2019	
15.05.2019	28.06.2019	30.09.2019	21.01.2020	
15.05.2019	06.08.2019	25.10.2019	28.01.2020	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से-तक)
श्री तपन राय	17	17	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पल्लव महापात्र	17	17	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी. आर. मूर्ती	17	17	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी. एस. शेखावत	17	17	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	15	17	01.04.2019 – 31.03.2020
डॉ. बी. के. सिन्हा	15	17	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री शेखर भटनागर	02	02	01.04.2019 – 26.04.2019
श्री थॉमस मैथ्यू	09	15	26.04.2019 – 31.03.2020
श्री एन. नित्यानंद	06	06	01.04.2019 – 20.06.2019
प्रो.(डॉ.) आत्मानंद	17	17	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	05	17	01.04.2019 – 31.03.2020

सी) बोर्ड की समितियों का विवरण

वर्तमान में, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित नियमों/विनियमों तथा निदेशों के अंतर्गत, बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल की कुल 16 समितियां विद्यमान हैं, इन समितियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

i)	बोर्ड की प्रबंधन समिति
ii)	ऋण अनुमोदन समिति
iii)	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
iv)	जोखिम प्रबंधन समिति
v)	बृहत मूल्य की धोखाधड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए, बोर्ड की विशेष समिति
vi)	ग्राहक सेवा समिति
vii)	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
viii)	स्टेकधारकों के सम्बंध प्रबंध समिति
ix)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
x)	सतर्कता समिति
xi)	मानव संसाधन समिति
xii)	वसूली की निगरानी के लिए समिति
xiii)	पूँजी उगाहने सम्बंधी समिति
xiv)	गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति
xv)	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हटाने के लिए समिति के आदेश की समीक्षा हेतु समिति
xvi)	बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

i) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2020 को इस समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 2 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयरधारक द्वारा नामित निदेशक तथा 1 शेयरधारक निदेशक शामिल हैं, तीन पद रिक्त है.
- वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 23 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं.

16.04.2019	22.07.2019	25.10.2019	30.12.2019	07.03.2020
15.05.2019	26.08.2019	19.11.2019	07.01.2020	18.03.2020
31.05.2019	09.09.2019	28.11.2019	21.01.2020	26.03.2020
18.06.2019	18.09.2019	09.12.2019	15.02.2020	
28.06.2019	27.09.2019	18.12.2019	28.02.2020	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	23	23	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी. आर. मूर्ती	19	19	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी. एस. शेखावत	21	23	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	22	23	23.01.2019 – 31.03.2020
श्री शेखर भटनागर	01	01	01.04.2019 – 26.04.2019
श्री थॉमस मैथ्यू	19	22	26.04.2019 – 31.03.2020
प्रो.(डॉ.) आत्मानंद	06	06	01.04.2019 – 05.08.2019
सुश्री मिनी आइप	06	23	01.04.2019 – 31.03.2020

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए ₹100 करोड़ से ₹400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव तथा ₹ 200 करोड़ से ₹800 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव ग्रुप कंपनियों/उधारकर्ताओं के लिए, ₹10 करोड़ से ₹50 करोड़ इत्यादि तक के समझौता/बट्टे खाते इत्यादि के प्रस्ताव सम्बंधी बोर्ड में निहित शक्तियों को प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक एवं जोखिम प्रबंधन, ऋण, लेखे/वित्त एवं ऋण निगरानी तथा नीति के प्रभारी महाप्रबंधकगण शामिल हैं.
- वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की 29 बैठकें आयोजित की गईं.

24.04.2019	29.06.2019	21.08.2019	18.10.2019	31.12.2019	29.02.2020
07.05.2019	11.07.2019	05.09.2019	07.11.2019	09.01.2020	09.03.2020
24.05.2019	23.07.2019	20.09.2019	22.11.2019	15.01.2020	18.03.2020
04.06.2019	26.07.2019	27.09.2019	07.12.2019	01.02.2020	26.03.2020
21.06.2019	08.08.2019	07.10.2019	23.12.2019	13.02.2020	

iii) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

- ❖ बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पध्दति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित, बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.
- ❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अनुवर्ती कार्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- ❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व, लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- ❖ तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व, सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ❖ लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- ❖ प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित, प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- ❖ मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता;
- ❖ लेखा परीक्षा के पश्चात, किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- ❖ आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- ❖ जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- ❖ सभी सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर-सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम-से-कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल हैं. स्टाफ निदेशकगण एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. दिनांक 31.03.2020 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामांकित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है.

दिनांक 31.03.2020 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	अध्यक्ष
2	श्री बी.एस. शेखावत	सदस्य
3	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
4	श्री थॉमस मैथ्यू	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें आयोजित की गईं.

15.05.2019	18.06.2019	31.08.2019	11.11.2019	17.12.2019	15.02.2020
22.05.2019	06.08.2019	01.11.2019	18.11.2019	28.01.2020	28.02.2020

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री एन. नित्यानंद	03	03	01.04.2019 – 20.06.2019
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	09	09	06.08.2019 – 31.03.2020
श्री पी. आर. मूर्ति	03	03	01.04.2019 – 18.06.2019
श्री बी.एस.शेखावत	09	09	19.06.2019 – 31.03.2020
डॉ. बी. के. सिन्हा	09	12	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री थॉमस मैथ्यू	09	12	26.04.2019 – 31.03.2020

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डॉ. गांगुली समूह की रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य :-

- ❖ यह समिति, बैंक द्वारा अनुभव की जा रही दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार की जोखिमों को देखेगी.
- ❖ दीर्घकालीन हित एवं तत्संबंधी निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, बैंक के जोखिम सिद्धांतों को सुस्पष्ट किया जाएगा तथा पूर्वानुमानित आधार पर उसे अद्यतन किया जाएगा.
- ❖ परिचालन को सुसंगत करने की दृष्टि से, यह बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगी तथा जोखिम से बेहतर तरीके से निपटने हेतु, यथेष्ट विभागों को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करेगी.
- ❖ यह समिति, विभिन्न जोखिम प्रबंधन के प्रयासों को बल देने तथा नीति दिशानिर्देशों के लिए सर्वोच्च समिति होगी. यह बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को सुस्पष्ट करने पर बोर्ड के निर्देशन को प्रदान करने हेतु सुलभता प्रदान करेगी. यह बैंक की जोखिम को समग्रता के साथ देखेगी, जिसे बैंक उठाने के लिए तैयार रहता है तथा बैंक के लिए जोखिम उठाने की सीमा को दर्शाने हेतु बोर्ड को दिशा प्रदान करेगी.
- ❖ यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि वे जोखिम सिद्धांतों तथा जोखिम प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं. यह संस्था में जोखिम प्रबंधन नीतियों के प्रति व्यापक जागरूकता तथा समझ उत्पन्न करने हेतु भी प्रतिबद्ध रहेगी. यह बैंक की परिचालन जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों एवं दिशानिर्देशी सिद्धांतों का आवधिक रूप से समीक्षा करेगी. यह समिति नीतियों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए, सूचना का आवधिक रूप से समीक्षा करेगी.
- ❖ पूरे बैंक के एएलएम मुद्दों के प्रति जागरूकता तथा समझ बढ़ाएगी. तुलन-पत्र संरचना, निधि संरचनात्मक मूल्य एवं कॉर्पोरेट आयोजना के क्षेत्रों के उपयुक्त दिशानिर्देशों का उपयोग करेगी ताकि बैंक की वांछित जोखिम प्राथमिकताओं और तुलन-पत्र प्रोफाइल को व्यवस्थित रखा जा सके.
- ❖ अनुदेशात्मक प्रणाली की आवधिक समीक्षा करना, जो पर्यवेक्षण आधारित और जोखिम प्रबंधन के कार्यों की समाप्ति के लिए तैयार की गई है.
- ❖ यह समिति, बैंक की ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार के जोखिम एक्सपोजर को शामिल करते हुए, एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा कार्यनीति तैयार करेगी.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 3 बैठकें आयोजित की गईं :

17.06.2019	30.09.2019	17.12.2019
------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से – तक)
श्री तपन राय	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पल्लव महापात्र	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी. आर. मूर्ति	03	03	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी. एस. शेखावत	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
डॉ. बी. के. सिन्हा	02	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री एन. नित्यानंद	01	01	01.04.2019 – 20.06.2019
प्रो.(डॉ.) आत्मानंद	02	02	06.08.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	01	03	01.04.2019 – 31.03.2020

v) बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई 2004.15 डीबीएस. एफजीवी नं.1004/23.04.01ए / 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्य के लिए किया गया था, जिनमें ₹1 करोड़ एवे उससे अधिक की राशि शामिल है। जबकि लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रख सकती है।

समिति का प्रमुख कार्य ₹1 करोड़ और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है, ताकि -

- (1) प्रणालीगत कमी की पहचान, यदि कोई है, हो सके, जो धोखाधड़ी के अपराध करने की सुविधा देता है और इनको नियंत्रण करने के लिए उपाय तैयार किए जा सके।
- (2) बैंक और आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर, यदि कोई है, तत्संबंधी कारणों का पता लगाया जा सके।
- (3) सीबीआई / पुलिस जांच की प्रगति, और वसूली की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके, और
- (4) सुनिश्चित हो सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ की जवाबदेही की सभी स्तरों पर जांच की जाती है, यदि आवश्यक हो, तथा बिना समय के नुकसान के स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई पूरी की जाती है।
- (5) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की जा सके।
- (6) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अन्य सुसंगत उपायों पर विचार करते हुए उन्हें तैयार किया जा सके।

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुईं :

18.06.2019	31.08.2019	27.12.2019	15.02.2020
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	04	04	01.04.2019-31.03.2020
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	04	04	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
डॉ. बी.के. सिन्हा	03	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री एन. नित्यानंद	01	01	01.04.2019 – 20.06.2019
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	03	04	06.08.2019 – 31.03.2020

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं से सम्बंधित ग्राहक सेवाओं में व्यापक सुधार पर आधारित सहायक के परिप्रेक्ष्य में, भारिबैं द्वारा डॉ.एस.एस. तारापोर की अध्यक्षता में स्थापित लोक सेवाओं पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और निष्पादन पर समिति के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2004 के सुझाव के अनुसार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया.

समिति की भूमिका :

- i) बैंक द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना.
- ii) बैंकों में सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना.
- iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभिनव उपायों को शुरू करना, सभी स्तरों पर ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार करना.

वर्ष के दौरान, समिति की 3 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुईं :

17.06.2019	31.08.2019	18.12.2019
------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	03	03	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री एन. नित्यानंद	01	01	01.04.2019 – 20.06.2019
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	03	03	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	01	02	01.04.2019 – 31.03.2020

vii) बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक के पास बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति है.

भूमिकाएं और उद्देश्य

- i) आईटी कार्यनीति और नीतिगत दस्तावेजों को मंजूरी देना.
- ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है.
- iii) अनुसमर्थन करना कि व्यावसायिक कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीतिक के अनुरूप है.
- iv) यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक संरचना, व्यवसाय मॉडल और उसकी तत्संबंधी दिशा सही है.
- v) यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी, व्यवसाय को समुचित महत्व प्रदान करता है.
- vi) सुनिश्चित करना कि निवेश जोखिमों और लाभों के मध्य संतुलन प्रदान करता है और यह बजट स्वीकार्य है.
- vii) कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने हेतु प्रबंधन की विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना.
- viii) बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए, आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- ix) आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के एक्सपोजर के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना.

- x) उच्च-स्तरीय नीति मार्गदर्शिका जारी करने वाली आईटी कार्यनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का आकलन करना (जैसे जोखिम से सम्बंधित, वित्त पोषण या सोर्सिंग टास्क).
- xi) यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुविद्या को डिजाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके.
- xii) बैंक के स्तर पर आईटी की कुल धनराशि का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं या नहीं.
- xiii) आईटी कार्यनिष्पादन का आकलन करना और व्यवसाय में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (यानी प्रतिबद्ध सेवाओं को प्रदान करना).
- वर्ष के दौरान, समिति की 5 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुई :

15.05.2019	17.06.2019	18.11.2019	30.12.2019	15.02.2020
------------	------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	05	05	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	05	05	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	05	05	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	05	05	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री एन. नित्यानंद	01	01	01.04.2019 – 20.06.2019
श्री बी.के. सिन्हा	02	05	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	05	05	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	00	02	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. एन. बालकृष्णन (आमंत्रित)	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020

VIII) स्ट्रेकधारकों के संबन्ध प्रबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्ट्रेकधारकों की संबन्ध प्रबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयरधारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबन्धित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबन्धित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. श्री तपन राय, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, स्ट्रेकधारकों के सम्बन्ध प्रबंध समिति (एसआरसी) के अध्यक्ष हैं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

वर्ष 2019-20 के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई :

18.04.2019	06.08.2019	24.10.2019	21.01.2020
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति की अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पल्लव महापात्र	04	04	04.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी. आर. मूर्ति	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री बी. एस. शेखावत	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	00	04	01.04.2019 – 31.03.2020

वर्ष 2019-20 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) के लिए, निवेशक शिकायतों के विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेरर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेरर के लिए पत्र	निरंक
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	19
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	45
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	01
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	निरंक
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	निरंक
8	प्राप्त कुल शिकायतें	65
9	निपटाई/समाधान की गई कुल शिकायतें	65
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड कमिटी सिस्टम को सुदृढ़ करने एवं पीएसबी गवर्नेंस सुधारों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के संप्रेषण सं. एफ.नं.16/19/2019-बीओ दिनांक 30.08.2019 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर.एपीपीटी सं.9/29.67. 001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार, बैंक ने दिनांक 30.09.2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति को मिलाकर एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया, जिसमें निदेशक मंडल के न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जिनका न्यूनतम आधा भाग स्वतंत्र निदेशकों का होगा और इसमें एक सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का होगा, ताकि व्यक्तियों के “सटिक और उचित” दर्जे का निर्धारण करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू की जा सके. बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रमों) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुना जा सकते हैं। भारत सरकार के मनोनीत निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मनोनीत निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे। तदनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30.09.2019 को हुई बैठक में दो समितियों को मिलाकर किया गया अर्थात् नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में प्रो. (डॉ.) आत्मानंद, गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। श्री तपन राय, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष तथा सुश्री मिनी आइप, शेररधारक निदेशक, समिति के सदस्य हैं।

x) बोर्ड की सतर्कता समिति

बैंक के पास सतर्कता अनुशासनिक मामले एवं विभागीय मामलों की समीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति है, जो तिमाही अंतराल पर बैठक करती है। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकगण इस समिति के सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं :

06.08.2019	06.08.2019	30.12.2019	07.03.2020
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री बी.के. सिन्हा	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री थॉमस मैथ्यू	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री परशुराम पंडा, सीवीओ	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संप्रेषण एफ नं. 9 / 18/2009-आईआर दिनांक मार्च 2012 के माध्यम से दिनांक 30.10.2013 को बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन किया गया था.

समिति का कार्य-क्षेत्र

समिति के कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :

1. पंचवर्षीय मानव शक्ति योजना और इसकी वार्षिक समीक्षा
2. उत्तरोत्तर पदग्रहण योजना के लिए, महत्वपूर्ण और नेतृत्व पदों की त्रैमासिक समीक्षा,
3. अभिचिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए, अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अभिचिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से संभावित अभिचिन्हित उत्तराधिकारियों की तिमाही मॉनिटरिंग कार्यवाही.
4. अन्य कोई मानव संसाधन मुद्दे, जिन्हें अध्यक्ष / एमडी और सीईओ / ईडी द्वारा महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है, जो एचआर नीतियां, व्यक्तिगत मुद्दे या पंचाट कर्मचारियों के द्विपक्षीय मुद्दों से संबंधित नहीं है, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, पंचाट कर्मचारियों की बहुसंख्यक यूनियन के साथ, अधिकारियों से सम्बंधित द्विपक्षीय नीतिगत मुद्दे इत्यादि का निपटान करने हेतु, समिति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होगा.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 4 बार बैठकें आयोजित हुईं :

18.04.2019	18.06.2019	30.09.2019	24.10.2019
------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	04	04	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री बी.के. सिन्हा	04	04	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. सी.पी. श्रीमाली (आमंत्रित)	03	03	22.05.2019 – 31.03.2020
श्री एस. सेनगुप्ता (आमंत्रित)	03	03	22.05.2019 – 31.03.2020

xii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

बैंक की दबावग्रस्त संपत्तियों की निगरानी और एनपीए खातों में वसूली के लिए बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया था.

भूमिकाएं और उद्देश्य

1. नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए, वसूली के सभी संभावित विकल्पों की जांच करना और उनको लागू करना.
2. विशेष उल्लिखित खातों की स्थिति का विश्लेषण करने और स्लिपेज को रोकने के लिए कार्यनीति तैयार करना.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 6 बार बैठकें आयोजित हुईं :

17.06.2019	22.07.2019	31.08.2019	18.11.2019	17.12.2019	28.02.2020
------------	------------	------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	06	06	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	05	05	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	06	06	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	06	06	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	06	06	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री बी.के. सिन्हा	00	03	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	01	03	01.04.2019 – 31.03.2020

xiii) पूंजी वृद्धि समिति

बैंक के पास बैंक की टियर 1 और टियर 2 दोनों प्रकार की पूंजी को तय करने और उन्हें उगाहने के लिए, बोर्ड की पूंजी उगाहने सम्बंधी समिति है और इससे सम्बंधित सभी परिचालित कदम उठाती है.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 7 बार बैठकें आयोजित हुईं :

21.09.2019	30.09.2019	29.10.2019	26.11.2019	04.02.2020	02.03.2020	20.03.2020
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	07	07	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री पी.आर. मूर्ति	05	05	01.04.2019 – 16.02.2020
श्री बी.एस. शेखावत	06	07	01.04.2019 – 31.03.2020
श्री आलोक श्रीवास्तव	07	07	01.04.2019 – 31.03.2020

xiv) गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई / 2014-15 / 362 डीबीआर नं.सीआईडी बीसी 54 / 20.16.064 / 2014-15 दिनांक 22 दिसंबर, 2014 के अनुसार, गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था. इस समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष और दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं.

गैर-सहकारी उधारकर्ता के रूप में किसी खाते के वर्गीकरण के लिए, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में ऋण निगरानी तथा वसूली विभागों के महाप्रबंधकों के सदस्यों वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करने में इस समिति की भूमिका होगी.

(xv) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हटाने के लिए समिति के आदेश की समीक्षा हेतु समिति

आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2015-16/100 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए, इस समीक्षा समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष और दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली इस समिति की भूमिका आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करना है, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए सदस्य के रूप में ऋण निगरानी और वसूली विभागों के महाप्रबंधकगण शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों में 2 बार बैठकें आयोजित हुईं :

25.10.2019	21.01.2020
------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	02	02	01.04.2019 – 31.03.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	02	02	01.04.2019 – 31.03.2020
सुश्री मिनी आइप	00	02	01.04.2019 – 31.03.2020

(xvi) बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम् कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के प्रदर्शन मूल्यांकन का कार्य करने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष के रूप में बैंक के अध्यक्ष, और सदस्यों के रूप में, भारत सरकार के निदेशक और शेरधारक निदेशक को नियुक्त किया गया है।

3. निदेशकों को पारिश्रमिक

✦ गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों/गैर-कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹40,000/- बैठक फीस एवं निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए ₹20,000/- बैठक फीस का भुगतान किया गया। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मण्डल और समितियों के बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए, क्रमशः ₹10,000/- एवं ₹5,000/- की अतिरिक्त बैठक फीस का भुगतान किया गया।

✦ वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है :

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री पल्लव महापात्र, (एमडी एवं सीईओ)	31.77
2.	श्री पी. आर. मूर्ति, (कार्यपालक निदेशक)	82.88
3.	श्री बी. एस. शोखावत, (कार्यपालक निदेशक)	28.30
4.	श्री आलोक श्रीवास्तव, (कार्यपालक निदेशक)	26.14

✦ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹20,50,000/- (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹19,20,000/- (रुपये उन्नीस लाख बीस हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया।

4. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार, श्री आनंद कुमार दास, उप-महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, इक्विटी शेर और नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्क्योरिटी, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं। साथ ही, बैंकर्स से सम्बंधित निर्गम गतिविधियों और डिबेंचर ट्रस्टी से सम्बंधित गतिविधियों के लिए अनुपालन अधिकारी हैं।

5. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए, वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए, मेसर्स आर. एस. पडिया एण्ड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इसके साथ संलग्न किया गया है।

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू, अधिमानी निर्गम इत्यादि से प्राप्त राशियां

बैंक द्वारा दिनांक 27.09.2019 को ₹3353.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई गई, इसके लिए प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के ₹21.17 प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर, 158,38,45,063 इक्विटी शेयर्स जारी कर आबंटित किए गए, इसमें भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रीमियम ₹11.17 प्रति इक्विटी शेयर के अधिमानी आधार पर जारी इक्विटी शेयर्स शामिल हैं।

दिनांक 15.05.2019 को बैंक ने ₹17 प्रति शेयर की प्रीमियम के साथ, प्रति शेयर ₹10/- के अंकित मूल्य के ₹27/- के निर्गम मूल्य पर, कुल ₹212.53 करोड़ की समेकित राशि के 787,16,224 इक्विटी शेयर्स, कर्मचारी शेयर क्रय योजना के तहत, पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए गए. गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹212.53 करोड़ की राशि पहले ही प्राप्त कर ली गई है और इसे दिनांक 31.03.2019 को 'शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट' में रखा गया है.

बैंक ने दिनांक 30.09.2019 एवं 20.03.2020 को दो चरणों में ₹1000 करोड़ की राशि जुटाई, इसे 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के आधार पर, प्रत्येक ₹10.00 लाख की अंकित मूल्य के प्रोमोट प्रकृति के गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय गैर-जमानती बेसल III के अनुसरण में, टियर 2 बॉण्ड्स (सीरीज़ IV एवं V) जारी करते हुए आबंटन किया और ₹10.00 लाख प्रत्येक के 10000 बॉण्ड्स आबंटित किए.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-1 और टियर-2 पूंजी को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ धनराशि जुटाई गई है. जुटाई गई धनराशि का उपयोग, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया जा रहा है.

7. संप्रेषण के साधन

त्रैमासिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित, परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) एवं अंकेक्षित वार्षिक परिणाम, सामान्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न प्रमुख अखबारों, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पुढारी (मराठी) इत्यादि में प्रकाशित किए गए. वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी अपलोड किया गया.

8. आचार संहिता

❖ बैंक ने निदेशक मंडल के लिए एक आचार संहिता अपनाई है और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का अनुमोदन, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. उसी के पाठ का मसौदा बैंक की वेबसाइट यानी लिंक "निवेशक संबंध" के तहत www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत, वर्ष के दौरान अपनी आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र, अनुलग्नक I में दिया गया है.

❖ बैंक ने अपने निदेशकों और नामित कर्मचारियों को बैंक की सुरक्षा में 'भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग)' को रोकने के लिए एक आचार संहिता भी तैयार की है, उसी की प्रति "निवेशक संबंध" लिंक के तहत बैंक की वेबसाइट यानी www.centralbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

9. अन्य प्रकटीकरण

❖ बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है.

❖ बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं. वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ, जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था.

❖ बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी को लागू पूंजी बाजार से संबंधित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.

❖ लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत, 'विसल ब्लोवर' शिकायतों पर, बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. "सेन्ट विजिल" नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है, जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए, जो कि केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है. जो अनाचार को नियंत्रित रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, "सेन्ट विजिल" निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर मिल सकते हैं. वर्ष 2019-20 के दौरान, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने लेखापरीक्षा समिति से संपर्क नहीं किया. इसके अतिरिक्त यह भी अभिप्रेषित किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.

- ❖ बैंक ने सेबी (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के साथ पठित सूचीबद्ध करार की सीमा तक, कि इन विनियमों एवं करारों की आवश्यकताएँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है।
- ❖ 'महत्वपूर्ण' अनुषंगियों के निर्धारण की नीति, "इंवेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है।
- ❖ संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार करने संबंधी नीति, "इंवेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

10. विवेकसम्मत आवश्यकताएँ (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का संस्था के खर्चे पर रखरखाव	जी हां, कार्यान्वयन किया गया।
2.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है।	बैंक ने दिनांक 30.09.2019 को समाप्त छःमाही के लिए एवं दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए गए थे।
3.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है।	बैंक के पास गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियां हैं।
4.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद।	बैंक में अध्यक्ष तथा एमडी एवं सीईओ के लिए अलग-अलग पद हैं। हमारा बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अंतर्गत शासित है।
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है।

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 13वीं वार्षिक साधारण बैठक :

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे 'चंद्रमुखी', नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई-400 021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जायेगी। बैठक के स्थल की सूचना विडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से दी जायेगी।

1. यह वार्षिक साधारण बैठक, वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है।
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 4 अगस्त, 2020 से 7 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2019-20 के लिए, कोई लाभांश की अनुशांसा नहीं की गई है।

12. पिछले तीन वर्षों के दौरान, साधारण सभा की बैठकों के आयोजन के विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय
1	बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 28 जून, 2019, पूर्वाह्न 12.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021	1) दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का एकल एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों में कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुमोदन किया एवं उन्हें स्वीकार किया। 2) एफपीओ/राईट इश्यू/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय
2	ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2018, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021	1) दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का एकल एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों में कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुमोदन किया एवं उन्हें स्वीकार किया. 2) एफपीओ/राईट इश्यू/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी वृद्धि का अनुमोदन किया गया. 3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव किया गया.
3	दसवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2017, पूर्वाह्न 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021	1) दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का एकल एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों में कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुमोदन किया एवं उन्हें स्वीकार किया. 2) एफपीओ/राईट इश्यू/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी वृद्धि का अनुमोदन किया गया.

13. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

बैंक के शेयर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत हैं :

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001	532885
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) "एक्सचेंज प्लाजा", बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	INE483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2020-21 के लिए, वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

बैंक ने प्रोनोट के रूप में समय-समय पर गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है :

दिनांक 31.03.2020 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति :

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
अपर टियर II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
अपर टियर II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
बेसल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
बेसल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
बेसल III अनुपालित क्र. III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
बेसल III अनुपालित क्र. IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023
बेसल III अनुपालित क्र. V	20.03.2020	500.00	INE483A08031
Total		4800.00	

ये सभी बॉण्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं। बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए, एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।

बाजार मूल्य आंकड़े :

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है :

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
	अप्रैल, 2019	36.90	31.30	2306795	11856.15
मई, 2019	32.10	24.85	1540911	12041.15	11108.30
जून, 2019	25.50	19.65	3111229	12103.05	11625.10
जुलाई, 2019	21.55	17.20	2177462	11981.75	10999.40
अगस्त, 2019	20.90	15.70	2203374	11181.45	10637.15
सितम्बर, 2019	20.75	17.30	1264122	11694.85	10670.25
अक्तूबर, 2019	24.65	16.15	4985619	11945.00	11090.15
नवम्बर, 2019	25.50	19.10	6427096	12158.80	11802.65
दिसम्बर, 2019	22.30	17.45	2147984	12293.90	11832.30
जनवरी, 2020	22.40	17.20	2436006	12430.50	11929.60
फरवरी, 2020	18.60	15.35	1060073	12246.70	11175.05
मार्च, 2020	16.50	10.10	1278257	11433.00	7511.10

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है :

माह	बीएसई			सेसेक्स	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
	अप्रैल, 2019	36.70	31.25	176878	39487.45
मई, 2019	31.95	24.90	125313	40124.96	36956.10
जून, 2019	25.65	19.70	173348	40312.07	38870.96
जुलाई, 2019	21.50	17.30	154460	40032.41	37128.26
अगस्त, 2019	20.95	16.80	154666	37807.55	36102.35
सितम्बर, 2019	21.05	17.65	174593	39441.12	35987.80
अक्तूबर, 2019	23.90	15.55	617462	40392.22	37415.83
नवम्बर, 2019	25.80	19.15	481180	41163.79	40014.23
दिसम्बर, 2019	22.15	17.45	224768	41809.96	40135.37
जनवरी, 2020	20.50	17.55	501168	42273.87	40476.55
फरवरी, 2020	18.50	15.25	125644	41709.30	38219.97
मार्च, 2020	16.15	10.20	434610	39083.17	25638.90

14. शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/ कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई-400 083
टेली.: 022-49186270
फैक्स: 022-49186060
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता :

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंद्रमुखी
नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022-6638 7818
फैक्स : 022-2283 5198
ई-मेलआईडी:dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

15. शेयरधारिता का संवितरण

- i) दिनांक 31.03.2020 को शेयरधारिता का संवितरण
(डीपीआईडी/ग्राहक आईडी एवं फोलियो नं. पर आधारित)

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	139476	78.83	17774477.00	0.3113
501-1000	13104	7.41	11213126	0.1964
1001-2000	7330	4.143	11597222	0.2031
2001-3000	4302	2.4315	11761493	0.206
3001-4000	2187	1.2361	7888441	0.1382
4001-5000	3057	1.7279	14976520	0.2623
5001-10000	6192	3.4998	42641235	0.7468
10001 और अधिक	1277	0.7218	5591910210	97.9359
कुल	176925	100.00	5709762724	100.00

- ii) "पब्लिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

"पब्लिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	246659233	4.3200

- iii) "पब्लिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

"पब्लिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
निरंक	निरंक	निरंक



iv) दिनांक 31.03.2020 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2020 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिताका %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	5275014715	0	1	0	5275014715	92.3859
क्लियरिंग मेम्बर	729825	0	97	0	729825	0.0128
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	20719010	90	551	1	20719100	0.3628
निदेशकगण	37233	0	4	0	37233	0.0007
वित्तीय संस्थाएं	246659233	0	1	0	246659233	4.3200
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.0000
हिंदू अविभाजित परिवार	2316008	0	3843	0	2316008	0.0406
म्यूचुअल फंड	1449172	0	4	0	1449172	0.0254
राष्ट्रीयकृत बैंक	132876	0	3	0	132876	0.0023
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	530679	0	3	0	530679	0.0093
अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय)	1045014	121600	705	1	1166614	0.0204
अनिवासी भारतीय (अप्रत्यावर्तनीय)	512177	0	486	0	512177	0.0090
सार्वजनिक	142431079	5075	167592	90	142436154	2.4945
ट्रस्ट	130128	0	12	0	130128	0.0023
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6531875	0	4	0	6531875	0.1144
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	11388521	0	14	0	11388521	0.1995
भारिबैं में पंजीकृत एनबीएफसी	7714	0	3	0	7714	0.0001
कुल	5709635959	126765	173324	92	5709762724	100

v) रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग)
1	भारत के राष्ट्रपति	5275014715	92.3859
2	पब्लिक	78716224	1.3786
	कुल	5353730939	93.7645

vi) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

vii) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन श्रेयर्स, कुल श्रेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर श्रेयर्स की संख्या	कुल श्रेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

viii) श्रेयर्स का डीमेट्रियलाइजेशन

बैंक के श्रेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही श्रेयर्स के डीमेट्रियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्क्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया था.

दिनांक 31.03.2020 को श्रेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में (डीपीआईडी /ग्राहक आईडी एवं फोलियो नं. पर आधारित) धारित श्रेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	श्रेयरधारकों की संख्या	श्रेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	92	126765	0.02
एनएसडीएल	93429	340826964	5.96
सीडीएसएल	83404	5368808995	94.02
कुल	176925	5709762724	100.00

ix) भौतिक रूप से धारिता का डीमेट्रियलाइजेशन – एक विशेष अनुरोध

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति सं. 12/2019 दिनांक 27/03/2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानान्तरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के स्थानान्तरण प्रभावी करने के लिए अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि दिनांक 01.04.2019 से प्रतिभूतियां डीमेट्रियलाइजेशन स्वरूप में डिपॉजिटरी के पास नहीं रखी जाती हैं. अतः हम श्रेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने भौतिक रूप से रखी हुई धारिता को तत्काल डीमेट करें.

डीमेट्रियलाइजेशन श्रेयरधारक के लिए उनके सम्बंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से संपर्क करें, जहां वे अपना डीमेट खाता रखते हैं. डीमेट्रियलाइजेशन के लाभ निम्नानुसार हैं :

- इंज़टमुक्त अंतरण
- श्रेयर प्रमाणपत्र के नष्ट हो जाने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का सीधे और तत्काल जमा
- नामांकन सुविधा
- असबा/आईपीओ इत्यादि के माध्यम से सीधे आवेदन, इत्यादि

जिन श्रेयरधारकों ने अपने श्रेयर्स, भौतिक रूप से/डीमेट स्वरूप में रखे हैं और उन्होंने अब तक बैंक के आरटीए / उनके सम्बंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, भारत सरकार के 'ग्रीन इनिशियेटिव' में सहायता देने हेतु, उनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा लें.

x) अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स :

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2020 को "अदावाकृत उचंत खाता" में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	233	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	निरंक	निरंक
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	233	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

[पल्लव महापात्र]

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच कर ली है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- I. इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा कोई विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - II. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण, स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.
- डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:
- I. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - II. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2019-20 के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
 - III. धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(मुकुल दंडिगे)

महाप्रबंधक एवं सीएफओ

(पल्लव महापात्र)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 जून, 2020

प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित किए अनुसार कर ली है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो यह लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755
यूडीआईएन: 20133755AAAACY3276

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585
यूडीआईएन : 20039585AAAAEJ5963

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348
यूडीआईएन: 20093348AAAABT3678

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892
यूडीआईएन: 20057892AAAAFY5198

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>	<p>मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई - 400057</p>
<p>एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024</p>	<p>एस जयकिशन सनदी लेखाकार, 12 हो-शि-मिन्ह सरणी, सूट 2डी, 2 ई, 2एफ कोलकाता - 700071</p>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र, लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं जिसमें समाप्त वर्ष के लिए उक्त दिनांक को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2487 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा इनमें उन 2144 शाखाओं के तुलन-पत्र, लाभ हानि खाते एवं नकद प्रवाह विवरण भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.64 %, जमाओं का 28.20 %, ब्याज आय का 11.03 % तथा ब्याज व्यय की 27.53 % हिस्सेदारी है।
- हमारे अभिमत में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी एवं हमें प्राप्त स्पष्टिकरणों के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरणियां, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप तथा बैंकों के लिए अनिवार्य तरीके से बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (आगे जिसे "अधिनियम" कहा गया है) द्वारा आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करती है और:
 - तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष प्रदर्शन करती हैं;
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है।
 - नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है।

अभिमत का आधार

- हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का जोर

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट 27 की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर होगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। इस सम्बंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में हमारे व्यावसायिक निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। नीचे वर्णित मामलों को हमने मुख्यलेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
<p>1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है। गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है।</p> <p>एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है। पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का बैंक की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है।</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से :</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मुख्य आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है। <p>मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने, (ए) उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिस्कीकरण की समय पर पहचान की हैं; (बी) इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार अस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं।</p> <p>हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते हैं।</p>
<p>2. निवेश</p> <p>बैंक के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों /दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)</p>	<p>निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भा.रि.बैं. के परिपत्रों/ आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यहास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:</p> <ul style="list-style-type: none"> अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है।

<p>उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है।</p> <p>भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।</p> <p>इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मुल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है। ● हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुसंग निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है। ● हमने, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है। ● हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।
<p>3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग –</p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।</p> <p>प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।</p> <p>बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है।</p> <p>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है।</p>	<p>हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मुख्य आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मुख्य परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है। ● हमने बैंक के मुख्य आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है। ● हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मुख्य स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई समाधान न किया हुआ आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में संशोधित लेखापरीक्षा पद्धतियों का उपयोग:

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, राष्ट्रीय लॉक डाउन और केंद्र/राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों और जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं है वहां दूर से लेखा परीक्षा करने के बैंक के लिए आरबीआई के निर्देशों के कारण बैंक की कुछ शाखाओं/केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में जाकर लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

जैसा कि लेखापरीक्षक व्यक्तिगत रूप से/ भौतिक रूप से/ शाखाओं/विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं जुटा सके हैं, लेखापरीक्षकों ने इस संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मूल लेखापरीक्षा मामला माना है।

तदनुसार, दूर से (रिमोट) लेखापरीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संशोधित की गई हैं।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, राष्ट्रीय लॉक डाउन और केंद्र/राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) बैंक की कुछ शाखाओं/विभागों में नहीं जा सके और उनकी लेखापरीक्षा नहीं कर सके।

जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था बैंक ने लेखापरीक्षकों को आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यम, ई-मेल और सीबीएस के रिमोट एक्सेस तथा अन्य संगत अप्लिकेशन से उपलब्ध कराए गए। इस हद तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्डों के आधार पर की गईं जिनके उपर इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा तथा रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में विश्वास किया गया।

तदनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नानुसार संशोधित की गई हैं:

- ए. बैंक की कुछ शाखाओं/केन्द्रीय कार्यालय के विभागों, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था, वहां आवश्यक रिकार्ड/ दस्तावेज/ फॉर्म 111/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन रिमोट एक्सेस/ई-मेल के माध्यम से एलेक्ट्रॉनिकली किया गया।
- बी. ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के रिमोट एक्सेस के जरिए लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराई गईं दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों और सम्बंधित रिकार्डों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया।
- सी. विडिओ कॉन्फरेंसिंग, फोन कॉल/कॉन्फरेंस कॉल, ई-मेल और अन्य तत्सम संप्रेषण चैनलों के माध्यम से संवाद और चर्चा के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाए गए।
- डी. बैंक के नामित अधिकारी के साथ आमने-सामने चर्चा के बजाय लेखापरीक्षा निरीक्षणों का समाधान फोन पर या ई-मेल के माध्यम से किया गया।

एकल वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेवार है। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबन्धतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है। हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी।

गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी

7. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए बैंक आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण है और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधतंत्र कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है तब तक प्रबंधन न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। निदेशक मंडल बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, भले ही यह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों की अनुक्रयशीलता के लिए लेखापरीक्षा डिजाइन तथा कार्यान्वित करना और हमारी राय के आधार हेतु पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी? से उत्पन्न विषयी अयथार्थ का पता नहीं लगाने का जोखिम एक त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से कई अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटपूर्णता, जालसाजी, आंतरिक चूक, गलत आंकड़ें अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- स्थितिअनुरूप लेखापरीक्षा पद्धति तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना परंतु यह उद्देश्य नहीं कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय दें।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधारित कार्यशील संस्था के उपयोग पर प्रबंधन के औचित्य का निष्कर्ष भले ही यह घटना अथवा परिस्थिति जनित विषयी अनिश्चितता कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की निरंतर होने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह व्यक्त करता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विषयी अनिश्चितता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों में तत्सम्बंधी प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमारी राय को संशोधित करें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक लिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था के तौर पर कायम रखने में रोकने हेतु कारण हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, ढांचा एवं विषय तथा क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं की प्रस्तुति को ऐसे क्रम में रखती हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

स्टैंडअलोन विवरणी में एक विषयी अयथार्थ की महत्ता है जो वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में इसे संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों के एक तर्कसंगत अनुभवी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित अयथार्थ विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक घटकों का विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ साथ लेखापरीक्षा की योजना और समयसीमा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां और आंतरिक नियंत्रण की किसी महत्वपूर्ण कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है, जैसे तथ्य गोवर्नेंस को रिपोर्ट करते हैं .

हम विवरणी के साथ परिचालन सहित उन आरोप को भी उपलब्ध कराते हैं जो हमने स्वतंत्र संबंधी नैतिक अपेक्षाओं सहित संकलित किया है और सभी संबंधी एवं अन्य मामलों के साथ, जिन्हें हमने स्वतंत्र रूप से विचार कर उचित समझा और सुरक्षा सम्बंधी उपाय जहां लागू हो, उन्हें सूचित करते हैं.

परिचालन सहित उन आरोप के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं कि चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा में अतिमहत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं ताकि विधि अथवा विनियामक मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण अथवा जब विशेष असाधारण कारणों को प्रतिबंधित नहीं है, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रभावशाली प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक हित प्रतिलाभ पर तर्कसंगत असंभावी होंगे.

अन्य मामले

9. बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 2487 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं में दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल ₹ 95,691.37 करोड़ का अग्रिम एवं इस तारीख को समाप्त पूर्ण वर्ष के लिए ₹ 7,457.41 करोड़ की ब्याज आय परिलक्षित है जोकि एकल वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं में यह समझी गयी है कि इन शाखाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, एवं हमारी राय में जहां तक यह राशि प्रकटीकरण से संबंधित है, शाखाओं के संबंध में सम्मिलित है, पूर्ण तौर पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.
हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.
अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
10. स्टैंडअलोन तुलन पत्र एवं स्टैंडअलोन लाभ हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.
11. उपर्युक्त पैरा 7 से 9 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
ए. हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं निष्ठापूर्वक प्राप्त कर लिए हैं एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.
बी. हमारे ध्यान में आए बैंक के सभी लेन देन बैंक की शक्तियों के अनुसार हैं ; एवं
सी. लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए बैंक के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां पर्याप्त पायी गयी हैं.
12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
ए. हमारी राय में, कानून की आवश्यकता के अनुसार खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा रखी गयी हैं एवं हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से पता लगता है एवं हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है.
बी. इस रिपोर्ट से संबंधित स्टैंडअलोन तुलन पत्र, स्टैंडअलोन लाभ हानि खाता एवं स्टैंडअलोन नगद प्रवाह विवरणियां खातों की बहियों एवं उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है, के समरूप हैं.
सी. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2487 शाखाओं की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उनका उचित रूप से उपयोग किया गया; एवं
डी. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाते एवं नगद प्रवाह विवरणियां लागू लेखा मानकों का अनुसरण करती हैं और इस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं है.
13. "सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए)की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं)" पर पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 , सहपठित आरबीआई द्वारा जारी अनुषंगी सम्प्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त वर्णित पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :
ए. हमारी राय में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप हैं एवं काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं हैं.

- बी. बैंक के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई भी वित्तीय लेन-देन या मामलें सामने नहीं आये हैं और इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है.
- सी. निदेशकों से दिनांक 31 मार्च, 2020 को प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164-उप धारा (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2020 को अपात्र नहीं है.
- डी. खातों के रखरखाव और तत्संबंधी अन्य मामलों में कोई भी पात्रता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी, नहीं है.
- ई. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को अनुमत किए अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से "वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को कार्यान्वित करने का विकल्प चुना है, हम इस सम्बंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं.

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755
यूडीआईएन: 20133755AAAACK2512

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585
यूडीआईएन : 20039585AAAADW4470

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348
यूडीआईएन: 20093348AAAABF5444

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892
यूडीआईएन: 20057892AAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

आस्तियों एवं देयताओं का स्टैंड अलोन विवरण

(000 को छोड़कर)

विवरण	31.03.2020 को लेखापरीक्षित	31.03.2019 को लेखापरीक्षित
पूँजी एवं देयताएँ		
पूँजी	5,70,97,627	4,04,72,014
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	15,71,97,102	14,88,76,552
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	-	21,25,409
जमा राशियाँ	3,13,76,31,641	2,99,85,54,368
उधार राशियाँ	5,78,71,971	5,23,90,616
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	15,45,60,232	6,47,57,680
कुल	3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	30,02,17,518	20,77,90,850
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	6,01,72,948	10,42,08,458
निवेश	1,42,51,75,354	1,25,29,80,697
अग्रिम	1,51,10,08,778	1,46,52,53,606
अचल आस्तियां	4,33,61,846	4,31,02,438
अन्य आस्तियां	22,44,22,129	23,38,40,590
कुल	3,56,43,58,573	3,30,71,76,639

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुपदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं.133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2020 को ₹	31 मार्च 2019 को ₹
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	5,70,97,627	4,04,72,014
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	15,71,97,102	14,88,76,552
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित			21,25,409
जमा राशियां	3	3,13,76,31,641	2,99,85,54,368
उधार राशियां	4	5,78,71,971	5,23,90,616
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	15,45,60,232	6,47,57,680
कुल		3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	30,02,17,518	20,77,90,850
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	6,01,72,948	10,42,08,458
निवेश	8	1,42,51,75,354	1,25,29,80,697
अग्रिम	9	1,51,10,08,778	1,46,52,53,606
अचल आस्तियां	10	4,33,61,846	4,31,02,438
अन्य आस्तियां	11	22,44,22,129	23,38,40,590
कुल		3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
आकस्मिक देयताएं	12	56,18,46,938	86,66,82,022
संग्रहण हेतु बिल		14,27,67,407	16,24,73,915
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं. 133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	23,56,24,655	22,63,85,707
अन्य आय	14	3,63,68,216	2,41,29,368
कुल		27,19,92,871	25,05,15,075
II. व्यय			
व्यय ब्याज	15	15,93,36,197	15,86,63,898
परिचालन खर्चे	16	6,92,15,209	6,05,86,250
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		5,46,54,988	8,76,79,726
कुल		28,32,06,394	30,69,29,874
III. पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)		(1,12,13,523)	(5,64,14,799)
घटाएं: पूर्वावधि मदें		-	-
पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		(1,12,13,523)	(5,64,14,799)
लाभ/(हानि) आगे ले जाया गया		(16,25,10,138)	(10,55,31,577)
कुल		(17,37,23,661)	(16,19,46,376)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित		-	-
निवेश आरक्षित		15,70,277	5,63,762
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		-	-
राजस्व आरक्षित		-	-
बीमा के बदले में निधि		-	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
लाभांश कर		-	-
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		(17,52,93,938)	(16,25,10,138)
कुल		(17,37,23,661)	(16,19,46,376)
ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल) रूपों में (प्रति शेयर ₹10/- नाममात्र की कीमत पर)		(1.81)	(20.19)
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं. 133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

दिनांक 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2020 को		31/03/2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		5,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक ₹ 10/- के (गत वर्ष 500,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	5,70,97,627		4,04,72,014	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 5709762724 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4047201437 इक्विटी शेयर) सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 5275014715 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 3691169652 इक्विटी शेयर)				
कुल		5,70,97,627		4,04,72,014
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,06,35,979		2,06,35,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		2,06,35,979		2,06,35,979
II. प्रारक्षित निधि				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,07,45,958		3,13,02,428	
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन के दौरान	-		91,575	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	5,68,075		6,48,045	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	5,51,895		-	
		2,96,25,988		3,07,45,958
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,16,55,147		1,10,91,385	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,70,277		5,63,762	
		1,32,25,424		1,16,55,147
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	22,15,38,334		16,99,08,791	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	1,95,31,935		5,16,29,543	
		24,10,70,269		22,15,38,334
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,58,11,273		2,52,66,772	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	5,68,075		6,48,045	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस इल्यू निधि)	5,51,895		6,959	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	2,137		1,10,503	
		2,69,33,380		2,58,11,273
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii) के अंतर्गत		10,00,000		10,00,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		(17,52,93,938)		(16,25,10,138)
कुल		15,71,97,102		14,88,76,552

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2020 को		31/03/2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	33,48,395		1,32,14,516	
ii) अन्य से	15,07,96,890		15,09,51,022	
		15,41,45,285		16,41,65,538
II. बचत बैंक जमाराशियां		1,30,19,99,950		1,22,13,88,674
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	3,22,89,481		2,70,05,949	
ii) अन्य से	1,64,91,96,925		1,58,59,94,207	
		1,68,14,86,406		1,61,30,00,156
कुल		3,13,76,31,641		2,99,85,54,368
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
		3,13,76,31,641		2,99,85,54,368
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशियां

I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	66,90,000		-	
ii) अन्य बैंक	17,964		44,471	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	17,73,007		29,55,145	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉण्ड्स (गौण ऋण)	50,00,000		50,00,000	
V) अपर टियर II बॉण्ड्स	1,30,00,000		2,30,00,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बेसल III बॉण्ड्स (टीयर II)	3,00,00,000		2,00,00,000	
		5,78,71,971		5,23,90,616
II. भारत के बाहर उधारराशियां				
		-		-
कुल		5,78,71,971		5,23,90,616
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां			निरंक	निरंक

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान

I. देय बिल	62,03,584		64,54,286	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	8,77,45,538		-	
III. उपचित ब्याज	80,63,393		83,71,940	
IV. आस्थगित कर देयता		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)	5,25,47,717		4,99,31,454	
कुल		15,45,60,232		6,47,57,680

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2020 को		31/03/2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा रुपये सहित)		1,62,92,611		1,33,75,164
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	17,99,24,907		14,04,15,686	
अन्य खातों में	10,40,00,000		5,40,00,000	
		28,39,24,907		19,44,15,686
कुल		30,02,17,518		20,77,90,850

अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि

I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	7,92,279		6,65,590	
बी) अन्य जमा खातों में	1,278		6,880	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	1,93,50,000		19,00,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		10,15,66,371	
		2,01,43,557		10,41,38,841
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	4,00,29,391		69,582	
बी) अन्य जमा खातों में	-		35	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		4,00,29,391		69,617
कुल		6,01,72,948		10,42,08,458

अनुसूची 8 : निवेश

I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,09,49,33,558		96,20,60,271	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	54,38,140		83,42,097	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	27,66,12,442		21,46,94,317	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	21,77,632		30,39,987	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	4,55,38,697		6,43,69,140	
		1,42,47,00,469		1,25,25,05,812
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		4,74,885		4,74,885
कुल		1,42,51,75,354		1,25,29,80,697

* भारत में निवेश

सकल मूल्य	1,47,31,03,771		1,29,17,18,017	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	4,84,03,302		3,92,12,205	
शुद्ध मूल्य		1,42,47,00,469		1,25,25,05,812

** भारत के बाहर निवेश

सकल मूल्य	4,74,885		4,75,100	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		215	
शुद्ध मूल्य		4,74,885		4,74,885

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2020 को		31/03/2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	87,07,602		1,11,08,722	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	71,56,97,210		70,50,21,260	
iii) मीयादी ऋण	78,66,03,966		74,91,23,624	
कुल		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,46,01,38,716		1,37,15,43,682	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	24,80,671		71,60,273	
iii) अरक्षित	4,83,89,391		8,65,49,651	
कुल		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	73,49,15,379		77,46,50,563	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	3,52,55,809		4,18,77,509	
iii) बैंक	4,684		11,452	
iv) अन्य	74,08,32,906		64,87,14,082	
कुल		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनुसूची 10 : अचल आस्तियां

I. परिसर

(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

वर्ष के दौरान परिवर्धन

कुल

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

इस दिनांक को मूल्यहास

कुल

II. अन्य अचल आस्तियां

(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन

कुल

वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन

कुल

इस दिनांक को मूल्यहास

कुल

कुल (I और II)

4,02,29,395

44,780

4,02,74,175

49,009

79,40,090

3,22,85,076

3,12,10,539

37,42,293

3,49,52,832

7,85,996

3,41,66,836

2,30,90,066

1,10,76,770

4,33,61,846

4,03,28,001

14,580

4,03,42,581

1,13,186

73,27,018

3,29,02,377

2,90,61,087

27,56,744

3,18,17,831

6,07,292

3,12,10,539

2,10,10,478

1,02,00,061

4,31,02,438

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2020 को		31/03/2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,99,12,752		1,84,62,354	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	5,37,20,014		5,16,34,457	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,09,837		2,01,811	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. आस्थगित कर आस्तियां	7,61,68,000		7,89,40,100	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		12,55,928	
VII. अन्य	7,44,11,526		8,33,45,940	
कुल	22,44,22,129		23,38,40,590	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.	10,14,448		10,52,491	
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	1,73,50,729		2,56,91,553	
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	40,10,248		52,498	
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	35,02,01,250		64,44,32,269	
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	11,88,38,461		11,56,86,575	
बी) भारत के बाहर	74,99,916		71,56,062	
	12,63,38,377		12,28,42,637	
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	4,27,13,097		6,61,57,213	
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	2,02,18,789		64,53,361	
कुल	56,18,46,938		86,66,82,022	

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते के भाग की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	12,50,54,586	12,94,97,463
II. निवेशों पर आय	9,91,56,372	8,45,42,399
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	48,08,903	87,28,057
IV. अन्य को	66,04,794	36,17,788
कुल	23,56,24,655	22,63,85,707

अनुसूची 14 : अन्य आय

I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,13,62,724	1,20,38,126
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	1,21,49,423	21,51,879
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(2,24,145)	(44,269)
V. विनिमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	23,03,830	14,04,372
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	1,76,364	52,200
VII. विविध आय	1,06,00,020	85,27,060
कुल	3,63,68,216	2,41,29,368

अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज

I. जमाराशियों पर ब्याज	15,40,18,417	15,27,63,230
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	87,769	47,690
III. अन्य	52,30,011	58,52,978
कुल	15,93,36,197	15,86,63,898

अनुसूची 16 : परिचालन व्यय

I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	4,21,67,195	3,56,52,216
II. किराया, कर एवं बिजली	49,36,401	47,24,267
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	3,09,282	2,87,739
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,08,755	1,05,710
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	28,52,754	27,77,242
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	12,886	14,557
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,81,709	3,03,412
VIII. विधि प्रभार	3,35,104	1,67,276
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,05,745	8,99,275
X. मरम्मत एवं रखरखाव	10,44,343	9,88,942
XI. बीमा	37,86,167	30,00,804
XII. अन्य व्यय	1,24,74,868	1,16,64,810
कुल	6,92,15,209	6,05,86,250

अनुसूची 17 - समेकित खातों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ए) तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो। वास्तविक परिणाम एवं अनुमानों के मध्य अंतर की गणना इस वर्ष में की जाती है, जिस वर्ष के परिणाम ज्ञात/ समक्ष होते हैं।

2. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

- 2.1 लेनदेनों को पहले, विगत दिवस के अंतिम दर पर अभिलिखित किया जाता है।
- 2.2 विदेशी मुद्राओं में आर्थिक आस्तियों एवं देयताओं को फिबिल की अधिसूचना के अनुसार तिमाही के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है तथा परिमाणतः लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है।
- 2.3 आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की संबंधित तिथि पर लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- 2.4 विदेशी मुद्राओं में गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्व को फिबिल द्वारा अधिसूचित तिमाही की अंतिम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- 2.5 बकाया वायदा अनुबंधों को फिबिल द्वारा अधिसूचित तिमाही भी अंतिम दरों पर परिवर्तित किया जाता है, तथा परिणामतः लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है।

3. निवेश :

- 3.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”, “व्यापार हेतु धारित” तथा “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

- i. सरकारी प्रतिभूतियां
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii. शेयर्स
- iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स इत्यादि).

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है। अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश को भी “परिपक्वता तक धारित” के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है।
- ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

इस श्रेणी में वर्गीकृत प्रतिभूतियों का तीन श्रेणियों के बीच अंतरण / परिवर्तन को अंतरण दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर लेखागत किया जाता है ऐसे अंतर में यदि कोई मूल्यहास हो तो उसका पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन, अलग-अलग प्रत्येक निवेश के लिए, अस्थायी प्रकृति के अलावा, हास के कम कर रखाव लागत पर किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिप्ट बाजार के लिए निम्नवत चिह्नित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा घोषित कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1/- प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानि शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹ 1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है। प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, यदि कोई है, को गणना में नहीं लिया गया है।

3.5 लागत निर्धारण :

- निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है।
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि (लागू करों एवं सांविधिक आरक्षित खाते में अंतरित की जाने की अपेक्षित राशि की निवल राशि) "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है।
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा अवमानक/ संदिग्ध / हानि जैसा लागू हो के अनुसार वर्गीकृत किया गया है एवं गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों अथवा समय-समय पर जारी भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा अपेक्षित के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों।
- प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

3.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ऋण के रूप में मान्य किया जाता है।

4. डेरिवेटिव्स :

4.1 हेजिंग के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकित किया गया है।

- ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

4.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

- एमसीएक्स – एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बजार हेतु चिन्हित किया जाता है।
- एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए।
- बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं। किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।
- स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

5. अग्रिम :

- 5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.
- 5.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली, सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है. तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई कोई भी वसूली को सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम के ब्याज [अर्थात् दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (बाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना)] में जमा किया जायेगा जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था.
- 5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.
- 5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान – अन्य में शामिल हैं.
- 5.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:
 - 5.5.1 यदि प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी) / आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.
 - 5.5.2 यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.
 - 5.5.3 यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- 6.1 अचल आस्तियों का मूल्यहास “मूल्यहासित मूल्य प्रणाली” के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i. परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii. फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii. वाहन	20%
iv. वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v. सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)
- 6.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
- 6.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.
- 6.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन को “पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधी” से अंतरित कर “राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधीयाँ” में जमा किया गया है.
- 6.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों पर अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है। बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है।

भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है। यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद बैंक में नियुक्ति पाई है, एक निर्धारित योगदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है। बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है। यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है।

8. आय एवं व्यय की पहचान :

- 8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यतः उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है।
- 8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता है।

9. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पञ्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं। आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो। आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यहास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा। आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है।

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आड्डप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं. 133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. पूँजी

दिनांक 31.03.2020 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी बढ़कर ₹ 5,709.46 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष ₹ 4,047.20 करोड़ थी. यह वृद्धि दो आबंटनों में ₹ 10/- के प्रत्येक के 1662561287 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 15.05.2019 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के पात्र कर्मचारियों को ₹ 17.00 के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 78716224 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 26.11.2019 को भारत सरकार को ₹ 11.17 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹10/- प्रत्येक के 1583845063 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

2. बहियों का समतुलन/ मिलान

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है:

- अंतर शाखा / कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाते
- समशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते
- कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋणों का डाटा/सिस्टम अद्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समय प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय करे संबंधी अन्य आस्तियां {अनुसूची 11 (ii) में} ₹ 1735.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,569.16 करोड़) शामिल है. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

4. परिसर :

4.1 बैंक द्वारा पट्टे पर लिए गए परिसरों में ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.75 करोड़) की सम्पत्ति शामिल है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकाएँ अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.2 ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 112.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.80 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है.

5. अग्रिम / प्रावधान

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्र्रीय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹47.34 करोड़) की शुद्ध की गई है.

6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएँ प्रकट की गई हैं:

ए. (i) पूँजी अनुपात (बेसल III के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	31.03.2020	31.03.2019
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	9.33%	7.49%
2	टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	9.33%	7.49%
3	टियर 2 पूँजी अनुपात (%)	2.39%	2.12%
4	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.72%	9.61%
5	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	92.39%	91.20%
6	पूँजी वृद्धि इक्विटी की राशि	3565.54*	6804.54
7	पूँजी वृद्धि अतिरिक्त टियर 1 पूँजी की राशि; जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) : शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	निरंक	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूँजी की राशि; जिसमें से - ऋण पूँजी लिखत : - अधिमानी शेयर पूँजी लिखत : [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)] - वर्ष के दौरान उठाए गए गौण ऋण की राशि	निरंक निरंक 1000.00	निरंक निरंक 500.00

* इसमें भारत सरकार का पूँजी निवेश ₹3353 करोड़ शामिल है. बैंक ने दिनांक 27.09.2019 को ₹ 11.17 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹10 के 1583845063 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आर्बिट्रि किए.

दिनांक 15.05.2019 को, बैंक ने ₹ 27 के अंकित मूल्य के प्रत्येक ₹ 10/- के 787,16,224 इक्विटी शेयर आर्बिट्रि किए, जिसमें ₹ 17 प्रति शेयर, प्रीमियम शामिल है, कुल मिलाकर ₹ 212.53 करोड़ कर्मचारी शेयर खरीद योजना थी. पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 212.53 करोड़ राशि प्राप्त की गई तथा उसे दिनांक 31.03.2019 से शेयर आवेदन राशि खाते में रखा गया.

* बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10.00 लाख के अंकित मूल्य के प्रामिसरी नोट की प्रकृति के अपरिवर्तनीय मोचनीय असुरक्षित बेसल III कम्प्लायंट टियर 2 बॉन्ड (श्रृंखला - IV एवं V) को जारी एवं आर्बिट्रि कर दि. 30.09.2019 एवं 20.03.2020 को दो बार में ₹ 1000.00 करोड़ प्राप्त किए एवं ₹ 10.00 प्रति के 10000 बॉन्ड आर्बिट्रि किए.

बी. (i) निवेश:

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2020	31.03.2019
1)	निवेश मूल्य		
	i) सकल निवेश मूल्य	147357.87	129219.31
	ए) भारत में	147310.38	129171.80
	बी) भारत के बाहर	47.49	47.51
	ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान	4840.32	3921.24
	ए) भारत में	4840.32	3921.22
	वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यहास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
	बी) भारत के बाहर	0.00	0.02
	iii) निवेश का शुद्ध मूल्य	142517.55	125298.07
	ए) भारत में	142470.06	125250.58
	बी) भारत के बाहर	47.49	47.49
2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी		
	i) प्रारंभिक शेष	3921.24	2663.07
	ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1413.82	2561.64
	iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान बढ़े खाता/ प्रतिलेखन प्रावधान	494.73	1303.47
	iv) अंतिम शेष	4840.32	3921.24

नोट : उपर्युक्त राशि में दिनांक 31 मार्च, 2020 को सीसीआईएल में मार्जिन के रूप में रखे प्रतिभूतियाँ जिनकी औसत अंकित मूल्य ₹ 1365 (करोड़ में) और ₹ 641 (करोड़ में) का डिफॉल्ट फंड तथा बैंक विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 11(2)(बी)(ii) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 19345 (करोड़ में) के अंतिम मूल्य की प्रतिभूतियाँ शामिल है।

(ii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो करार के तहत खरीदी/बेची प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2020 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	1499.00 (750.00)	73.08 (38.09)	669.00 (0.00)
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	26186.19 (34878.98)	7685.78 (10797.67)	10399.00 (11059.84)
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं)

(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो:

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन : 31 मार्च, 2020

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	"निवेश श्रेणी से कम" सीमा तक प्रतिभूतियाँ	"गैर-श्रेणीकृत" प्रतिभूतियाँ	"गैर-सूचीबद्ध" प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	केन्द्र सरकार रिकैप बॉन्ड	14,780 (11,427)	0 (0)	0 0	14,780 (11,427)	14,780 (11,427)
ii)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	2,259 (3,170)	0 (0)	0 0	2,259 (3,170)	0 0
iii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5,977 (5,123)	3,130 (18)	762 0	22 (3,869)	1,777 (1,777)
iv)	वित्तीय संस्थाएं	1,834 (372)	135 (127)	0 0	0 (44)	0 (44)
v)	बैंक	276 (150)	1 0	64 0	69 0	69 0
vi)	निजी कॉर्पोरेट	3,180 (1,868)	964 (120)	410 (227)	624 (500)	673 (692)
vii)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ क्षेत्राबै/ इंडो-जाम्बिया	265 (421)	265 (421)	0 0	265 (421)	265 (421)
viii)	अन्य	9,293 (10,483)	3,296 0	648 (438)	4,976 (5,132)	6,924 (6,508)
	कुल	37,864 (33,013)	7,791 (686)	1,884 (665)	22,995 (24,562)	24,488 (20,869)
	घटाये: मूल्यहास के लिए प्रावधान	4,840 (3,921)	0 0	0 0	0 0	0 0
	शुद्ध	33,024 (29,092)	7,791 (686)	1,884 (665)	22,995 (24,562)	24,488 (20,869)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं.

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.

(iv) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2020	31.3.2019
प्रारंभिक शेष	1546.86	2084.48
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	939.67	653.74
वर्ष के दौरान कमी	333.14	1191.36
अंतिम शेष	2153.39	1546.86
धारित कुल प्रावधान	1932.84	1333.64

सी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2020	31.3.2019
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	1125.00	50.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	11.57	0.42
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं है.	महत्वपूर्ण नहीं है.
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	-1.15	-0.42

(ii) मुद्रा दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2020	31.3.2019
i) स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	360.74	344.19
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	19.39	3.65
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं है.	महत्वपूर्ण नहीं है.
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	निरंक	निरंक

(iii) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स :

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	मदें	31.3.2020	31.3.2019
	ब्याज दर वायदा		
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव का दैनिक बाजार मूल्य	निरंक	निरंक

(iv) विनियम सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राशि	राशि
		31.03.2020	31.03.2019
i)	वर्ष के दौरान, विनियम सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव का काल्पनिक मूलधन		
	ए) मुद्रा वायदा	8259.04	3211.51
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
ii)	बकाया विनियम सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) मुद्रा वायदा	1255.03	0.00
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनियम सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) मुद्रा वायदा	0.00	0.00
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनियम सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य		
	ए) मुद्रा वायदा	2.66	0.00
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

v) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है।
- निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मित के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है।
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टि एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं।

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है।
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है।

व्यापारिक स्थितियां

- एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं।
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है।
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है। एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती हैं जबकि लाभा को छोड़ दिया जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

दिनांक 31.03.2020 को संविदा व्यापारी और अंतर बैंक को अग्रेषित बकाया

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2020 को बकाया	32974.35
बचाव व्यवस्था स्थिति	10537.69
व्यापार स्थिति	22436.66

vi) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020		31.3.2019	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)				
ए)	बचाव व्यवस्था के लिए	10537.69	0.00	4936.31	0.00
बी)	व्यापार के लिए	22436.66	1125.00	60278.66	50.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति				
ए)	आस्ति (+)	569.19	11.57	1178.39	0.40
बी)	देयता (-)	642.84	12.72	1149.84	0.00
iii)	ऋण एक्सपोजर (1)				
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	-	0.01	-	0.01
ए)	बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.00	-	0.00
बी)	व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.01	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
ए)	बचाव व्यवस्था पर	-	अधि-0.00 न्यू-0.00	-	अधि.0.00 न्यू.-0.00
बी)	व्यापार पर	-	अधि-0.04 न्यू- 0.01	-	अधि.0.04 न्यू.-0.01

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) अनर्जक आस्तियां

		(₹ करोड़ में)	
	मदें	31.3.2020	31.3.2019
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	7.63	7.73
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
ए)	प्रारंभिक शेष	32356.04	38130.70
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन*(i)	8150.61	10328.64
सी)	वर्ष के दौरान कमी	(7917.57)	(16103.30)
डी)	अंतिम शेष	32589.08	32356.04
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
ए)	प्रारंभिक शेष	11333.24	17377.87
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3579.11	7087.01
सी)	वर्ष के दौरान कमी	(3377.89)	(13131.64)
डी)	अंतिम शेष	11534.46	11333.24

		(₹ करोड़ में)	
		मदें	
		31.3.2020	31.3.2019
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
ए)	प्रारंभिक शेष	19933.58	19601.31
बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4571.50	12471.57
सी)	बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	(4633.00)	(12139.30)
डी)	अंतिम शेष	19872.08	19933.58

(बी) पुनर्गठित खातों के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर मेकैनिज़म के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन मेकैनिज़म के तहत					अन्य					कुल					
		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1.	वित्तीय वर्ष को 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े) इष्ट	उधारकर्ताओं की संख्या	1	2	17	0	20	2615	38	110	1	2764	9327	291	2279	0	11897	11943	331	2406	1	14681
		बकाया शेष	171.06	45.09	1322.27	0.00	1538.42	219.18	7.15	87.17	0.04	313.54	1421.85	160.25	1772.51	0.00	3354.61	1812.09	212.49	3181.95	0.04	5206.57
		उसके लिए प्रावधान	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.99	0.00	7.22	133.58	6.80	31.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.98
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	17480	673	13	0	18166	2320	139	188	0	2647	19800	812	201	0	20813	
		बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	697.52	50.57	1.13	0.00	749.22	308.16	7.76	9.20	0	325.12	1005.68	58.33	10.33	0.00	1074.34	
		उसके लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	26.55	2.45	0.10	0.00	29.10	7.46	0.39	0.28	0	8.13	34.01	2.84	0.43	0.00	37.28
3.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में कोटि-उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	-1	0	18	-13	-1	-4	0	58	-44	-13	-1	0	77	-57	-14	-6	0
		बकाया शेष	1.65	0.00	0.00	-1.65	0.00	1.02	-0.78	-0.04	-0.20	0.00	4.42	-4.19	-0.22	0.00	0.01	7.09	-4.97	-0.26	-1.85	0.01
		उसके लिए प्रावधान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	-0.04	0.00	0.01	0.01	0.22	-0.21	-0.01	0.00	0.00	0.27	-0.25	-0.01	-0.01	0.02
4.	वर्ष के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिनके लिए उच्च प्रावधान और अनिश्चित जोखिम भारिता बंद कर दिया है, अतः अगले वर्ष के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	0				0	0			0	0				0	
		बकाया शेष	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				0.00	
		उसके लिए प्रावधान	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				0.00	
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों में श्रेणी अवनति	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-403	304	50	49	0	-1025	827	184	14	0	-1428	1131	234	63	0
		बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.08	26.16	8.21	1.71	0.00	-149.09	137.02	11.68	0.39	0.00	-185.17	163.18	19.89	2.10	0.00
		उसके लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	0.65	0.23	0.08	0.00	1	-1.25	0.58	0.02	0.00	-0.31	-0.60	0.81	0.10	0.00
6.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-2	-8	1	-9	-305	-24	25	-46	-350	-1269	-146	-265	-13	-1693	-1574	-172	-248	-58	-2052
		बकाया शेष	0.43	-45.09	-755.86	1.65	-798.87	-21.41	-6.36	-27.37	-1.55	-56.69	-197.63	-156.05	-791.33	-0.39	-1145.40	-218.61	-207.50	-1574.56	-0.29	-2000.96
7.	31.03.2020 को पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	9	0	11	19405	978	197	0	20580	9411	1067	2373	0	12851	28818	2045	2579	0	33442
		बकाया शेष	173.14	0.00	566.41	0.00	739.55	860.23	76.74	69.10	0.00	1006.07	1387.71	144.79	1001.84	0.00	2534.34	2421.08	221.53	1637.35	0.00	4279.96
		उसके लिए प्रावधान**	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	31.40	3.10	0.68	0.00	35.18	56.83	1.64	29.98	0.00	88.45	88.24	4.74	30.66	0.00	123.64

*उन मानक पुनर्गठित ऋणों के आकड़ों को छोड़कर जिनमें उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भारिता (यदि लागू हो) नहीं है।

**धारित प्रावधान में अधिल्याग किए गए प्रावधान के आंकड़े हैं।

\$वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्गठित खातों में बंद खाते तथा वसूली शामिल है।

एनएसए टेक्सटाइल (डीए श्रेणी में सीडीआर) तथा बजाज हिन्दुस्थान लि. (स्टैंडर्ड श्रेणी में अन्य) भी शामिल हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निकाल दिया गया था जो एस4ए खाते थे।

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निमाण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2020	31.3.2019
i)	खातों की संख्या	11	6
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	335.42	864.89
iii)	कुल प्रतिफल	387.74	1405.55
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	87.23	37.73
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	112.86	578.39

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2020	31.3.2019
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	2689.51	2715.38
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीयसंस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	2.28	2.77
	कुल	2691.79	2718.15

सी. प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षों से 8 वर्षों के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षों से अधिक के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	529.03	2078.27	82.21
(i)	के विरूद्ध किया गया प्रावधान	97.41	1405.28	82.21
(ii)	बैंक / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	0.21	0.31	1.76
(ii)	के विरूद्ध किया गया प्रावधान	0.00	0.00	1.76
	कुल बही मूल्य (i)+(ii)	529.24	2078.58	83.97

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2020	31.3.2019
1	ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2020	31.3.2019
1	खातों की संख्या	निरंक	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक	निरंक

(ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2020	31.3.2019
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	611.95	478.83

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्रम सं.	मदें	31.3.2020	31.3.2019
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	7.40	6.81
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	1.14	0.73
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.36	0.94
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	(0.35)	(1.70)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	1405.98	1278.03
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(3.27)	(15.55)

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न (₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां *	विदेशी मुद्रा	
					आस्ति	देयताएं
एक दिन	1413.23	2513.72	-	1.79	376.15	496.44
2 दिन से 7 दिन	3063.81	1183.43	1530.52	32.70	1107.15	1337.79
8 दिन से 14 दिन	2032.29	119.99	1284.46	-	76.30	780.18
15 दिन से 30 दिन	6261.73	5854.95	2846.32	-	3111.60	5001.24
31 दिन से 2 माह	9259.20	1296.64	2094.76	-	-	21.52
2 माह से अधिक व 3 माह तक	8858.47	1768.93	4764.68	32.88	1807.35	2327.02
3 माह से अधिक व 6 माह तक	13409.22	3985.05	10073.90	-	6343.84	6629.21
6 माह से अधिक व 12 माह तक	23319.99	7558.26	4807.76	65.34	3981.82	3759.85
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	139864.19	76422.47	11605.91	706.78	632.67	602.13
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	56105.15	15273.31	10918.50	7.83	0.34	385.21
5 वर्ष से अधिक	50175.88	35124.13	92590.73	0.33	2.19	3.82
कुल	313763.16	151100.88	142517.54	847.65	17439.40	21344.39

नोट : -

* टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एच. एक्सपोजर

(i) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	श्रेणी	31.3.2020	31.3.2019
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
	(i) आवासीय मार्गेज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र है)	27903.39 (16822.40)	27083.50 (13955.55)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मार्गेज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :	2619.51	4180.29
	(iii) मार्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - आवासीय, - वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	0.00 68.18	0.00 66.23
बी)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	2133.67	2001.99
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	15902.35	19376.46

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2020	31.3.2019
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	446.55	521.84
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूत आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम	2.18	2.95
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूत के रूप में लिया गया है.	50.23	144.60
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	0.00	0.00
v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	77.15	327.30

	मदें	31.3.2020	31.3.2019
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनितों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x)	जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	496.65	0.00
	पूँजी बाजार का कुल एक्सपोजर	1072.76	996.69

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2020 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2020 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2019 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2019 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	671.99	निरंक	745.22	निरंक
निम्न	627.47	निरंक	437.08	निरंक
मध्यम	27.36	निरंक	49.26	निरंक
उच्च	7.68	निरंक	46.42	निरंक
अत्यधिक	1.09	निरंक	0.57	निरंक
सीमित	0.00	निरंक	0.00	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	1335.59	निरंक	1278.55	निरंक

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है.

(iv) बैंक द्वारा अतिक्रमित उन एकल ऋणी सीमा/समूह ऋणी सीमाओं का विवरण, जिनके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

बैंक के पूँजी आधार (एकल कंपनी अथवा संबद्ध) पर कंपनियों/को दिया गया बड़ी राशि का ऋण (टियर I पूँजी ₹ 15331.70 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उधारकर्ता/ग्राहक का नाम	एकल (एस) अथवा समूह (जी)	एक्सपोजर	टियर I पूँजी ₹ 15331.70 करोड़ का एक्सपोजर %
1	विडीओकोन समूह	समूह (जी)	4471.80	29.17%

तथापि दिनांक 31.03.2020 को विडीओकोन समूह खातों में ₹. 4064.20 करोड़ के प्रावधान पर विचार करते हुए, इस समुह ने एलईएफ पर भा.रि.बैंक के परिपत्र दिनांक 03.06.2019 के पैरा 7.2 के अनुसार कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जो कि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

₹ निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अनारक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है.

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹ 1500 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जोखिम साझेदारी आधार पर अधिकतम 91 दिन से 180 दिनों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं, तदनुसार इन्हें बैंक के अग्रिमों से समायोजित करना होगा. इन उधारों के खिलाफ ₹ 1.52 करोड़ की ब्याज आय को मान्यता दी गई है.

(vii) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में बिक्री की लागत, प्रतिभूतियों का आवक जावक अंतरण (लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंक द्वारा निदेशक मंडल की अनुमति से एचटीएम प्रतिभूतियों का आवक जावक एक-बारगी अंतरण, पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालनिक निलामी के तहत भारिबैंक को बिक्री और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को छोड़कर) वर्ष की शुरुआत एचटीएम श्रेणी में रखे निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है. 31 मार्च, 2020 को एचटीएम श्रेणी

(viii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में बिक्री का मूल्य और आवक जावक अंतरण (लेखा वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड के अनुमोदन से बैंक द्वारा किए गए एक बारगी प्रतिभूतियों के अंतरण, पूर्वघोषित खुला बाजार परिचालन निलामी के तहत भारिबैंक को बिक्री और भारत सरकार द्वारा की गई सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को छोड़कर) वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे निवेशों के बही मूल्य के 5 % से अधिक नहीं है. 31 मार्च, 2020 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों का बाजार मूल्य रु. 84,398 करोड़ रहा, जिनका बही मूल्य 81,091 करोड़ है, जिसमें अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में लागत मूल्य पर किए गए निवेश शामिल हैं. निवेशों का बही मूल्य बाजार मूल्य से कम होने के कारण इनके लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

i. एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में आयोजित निवेश का बही मूल्य एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए.

ii. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.102/21.04.008/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक को निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित को निर्मित करना जरूरी है.

आईएफआर में अंतरण निम्न में से कम होगा :

ए) वर्ष के दौरान निवेश के बिक्री पर शुद्ध लाभ अथवा

बी) जब तक आईएफआर की राशि एचएफटी के कम से कम 2% तथा एएफएस पोर्टफोलियो निरंतर आधार होगा, वर्ष में शुद्ध लाभ का कम अधिदेशात्मक विनियोजन होगा.

पिछले दो वित्तीय वर्ष में बैंक को हुई हानि के कारण बैंक में निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) नहीं रखा है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकाटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (ए) के अंतर्गत बैंक को र. 0.27 करोड़ (गत वर्ष ₹1.16 करोड़) का दण्ड लगाया.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4) के प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ट्रेजरी परिचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य आवश्यकता के साथ गैर अनुपालन के लिए; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शर्तें अथवा आदेश , नियम शून्य है.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण :

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	14136.35	14654.59
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	4.51%	4.89%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	17851.93	16180.76
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	10.37%	9.65%

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व है।

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	29786.25	30600.38
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	11.41%	12.00%

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के ऋण और निवेश एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व है।

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	6355.09	5820.88

II. क्षेत्रवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2020			31.03.2019		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	34419.40	5054.21	14.68	35655.42	3446.76	9.67
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	10672.00	2449.27	22.95	11287.64	2288.24	20.27
3	सेवाएं	18578.16	2952.44	15.89	19780.88	2945.76	14.89
4	व्यक्तिगत ऋण	16318.38	1197.93	7.34	16477.36	1007.58	6.11
	उप-योग (ए)	79987.94	11653.85	14.57	83201.30	9688.34	11.64
बी	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	52952.66	18930.02	35.75	48682.02	19035.17	39.10
3	सेवाएं	14964.92	1193.37	7.97	16126.42	2916.55	18.09
4	व्यक्तिगत ऋण	24338.23	811.84	3.34	19719.17	715.98	3.63
	उप-योग (बी)	92255.81	20935.23	22.69	84527.61	22667.70	26.82
	कुल (ए+बी)	172243.75	32589.08	18.92	167728.91	32356.04	19.29

III. ए. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
दिनांक 1 अप्रैल को सकल एनपीए* (प्रारंभिक शेष)	32356.04		38130.70	
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	8150.61		10328.64	
उप-योग (ए)		40506.65		48459.34
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	422.53		567.53	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)* एनपीए की बिक्री	3325.85		5160.56	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	3388.95		8522.52	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	780.24		1852.69	
उप-योग (बी)		7917.57		16103.30
31 मार्च को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		32589.08		32356.04

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	16077.80	9239.32
जुड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	3388.95	8522.52
उप-योग (ए)	19466.75	17761.84
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)	1261.91	1684.04
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	18204.84	16077.80

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 602.27 करोड़ (गत वर्ष ₹1184.63 करोड़) का परिवर्तन शामिल है।

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियां	निरंक	निरंक
कुल एनपीए	निरंक	निरंक
कुल राजस्व	निरंक	निरंक

V. इतर तुलन-पत्र प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना आवश्यक है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	ओवरसीज
निरंक	निरंक



VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं. *	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	हानि	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक

* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(ए)	इंट्रामुप एक्सपोजर की कुल राशि	785.34	706.42
(बी)	टॉप 20 इंट्रामुप एक्सपोजर की कुल राशि, (इस श्रेणी में केवल 6 कम्पनियां हैं)	785.34	706.42
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह –एक्सपोजर का प्रतिशत	0.30%	0.28%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई हो	निरंक	निरंक

VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
डीईएएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	251.15	83.61
जोड़े - वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	289.93	168.69
घटाएं - दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	4.94	1.15
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	536.14	251.15

अनावंटित जमा के स्वरूप में निश्चित पात्र ऋण अग्रिम हैं जिसका विप्रेषण लंबित समाधान के कारण अभी नहीं किया गया.

9. तरलता कवर

एलसीआर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020		31.03.2019	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां				
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	105871.78		85927.25
नकद बहिर्वाह				
2	रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहकों से जमाएं जिनमें:			
(i)	स्थिर जमाएं	75907.10	3795.46	72633.00
(ii)	कम स्थिर जमाएं	193480.79	19348.25	184159.00
3	अराक्षित थोक निधियाँ जिनमें:			
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	32079.03	15371.13	36819.75
(iii)	अरक्षित कर्ज	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन		0.00	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें			
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पांशिक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह	5365.36	5413.51	10491.00
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	18715.68	2137.63	21291.25
6	अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	1803.78	1822.30	1785.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	19589.34	655.41	19813.50
8	कुल नकद बहिर्वाह		48553.68	52968.50
नकद अंतर्वाह				
9	रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	7653.67	0.00	11499.00
10	पूर्णांत: कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	2287.16	2287.61	2883.75
11	अन्य नकद अंतर्वाह	17853.64	13450.31	24501.25
12	कुल नकद अंतर्वाह	27794.46	15737.46	38884.00
		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए	105871.78		85927.00
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह	32816.22		30706.50
15	तरलता कवरेज अनुपात	322.62		279.83

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण		
एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें	व्याख्यात्मक टिप्पणियां	
ए. एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	<p>एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है</p> <ol style="list-style-type: none"> एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है - सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है - अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह. 	
बी. अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	लागू नहीं	
सी. एचक्यूएलए की संरचना	<p>एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है –</p> <ol style="list-style-type: none"> स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (एफएलएलसीआर) का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 13.50%- 14.50% भारिबैंक के परिपत्र सं. भारिबैंक/2018-19/164 डीबीआर.बीपी. बीसी. सं. 34/21.04.098/2018-19 दिनांक 04.04.2019 होता है. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉण्ड्स, राज्य उर्जा संवितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉण्ड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर ए ए- एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉण्ड भी होते है. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से एए श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बॉण्ड्स होते है. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेसेक्स शेयर भी शामिल होते है. 	
डी. निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण	<p>बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद /लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है ("महत्वपूर्ण" से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)</p>	
ई. डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	<p>बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है –</p> <ol style="list-style-type: none"> ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवर्ड्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स 	

		<p>2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्स</p> <p>ए- करेंसी फ्यूचर</p> <p>बी- ब्याज दर फ्यूचर</p> <p>सम्भाव्य सम्पार्थिक कॉल्लस तब सक्रिय होते हैं जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) हस्ताक्षरित किया होता है.</p> <p>करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत बैंक, व्यापार के एक्सपोजर के लिए सम्पार्थिक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखते हैं जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है.</p> <p>हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) है. बैंक, अंतर बैंक यूएसडी / आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए सीसीआईएल में सम्पार्थिक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखता है.</p> <p>मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है. जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीपी में रखी जाती है. वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है. अतः कोई भी सम्भाव्य सम्पार्थिक कॉल उत्पन्न नहीं होगा.</p>
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा "महत्वपूर्ण" तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा "महत्वपूर्ण" में एक्सपोजर नहीं है.
जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते हैं परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.
आई.	अन्य सूचना	कोई नहीं.

10. अन्य प्रकटीकरण

बीमा व्यवसाय :

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकएश्युरेंस व्यवसाय के संबंध में शुल्क/परिलब्धियाँ निम्नानुसार रहीं:

	31.03.2020		31.03.2019	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन	74447	31.22	20883	10.02
गैर-जीवन	223167	8.32	186558	10.59
योग		39.54		20.61

11. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक- 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

बी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

सुपरभाषित अंशदान योजना :

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :-

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 91.85 करोड़ (पिछले वर्ष 79.62 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है.

सुपरभाषित लाभ योजना :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है : (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाता है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1648.13	14245.10	1741.56	13821.17
ब्याज लागत	128.39	1108.27	136.36	1076.67
चालू सेवा लागत	64.61	71.81	66.18	83.98
गत सेवा लागत (अनिहित)	0.00	0.00	0.00	0.00
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण बाह्य	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(300.88)	(1191.08)	(270.50)	(1170.59)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	82.98	1187.72	25.47	433.87
वर्ष के अंत में देयताएं	1623.23	15421.82	1648.13	14245.10
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1878.26	14645.14	2124.94	13515.58
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.32	1139.39	166.38	1048.81
अंशदान	0.00	0.00	(100.00)	1324.00
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
कंपनी से/को अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(300.88)	(1191.08)	(270.50)	(1170.59)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1720.32	14939.64	1878.26	14645.14
मान्यता प्राप्त पर कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	(86.36)	(841.53)	(17.09)	(506.33)
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :				
चालू सेवा लागत	64.61	71.81	66.18	83.98
ब्याज लागत	128.36	1108.27	136.36	1076.67
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(146.32)	(1139.39)	(166.38)	(1048.81)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
स्वीकृत संक्रमित देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) /हानि	86.36	841.53	17.09	506.53
लाभ हानि खाते में चिन्हित खर्चे	133.04	882.22	53.25	618.37
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.32	1139.39	166.38	1048.81
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	142.94	1485.58	123.82	976.15
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(6.34)	12.65	(29.08)	422.24
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.38	(346.19)	(42.56)	72.66
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	6.84	6.83	7.79	7.78
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	6.84	6.83	7.79	7.78
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान संघर्षण दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 99.27 करोड़ (गत वर्ष ₹ 84.09 करोड़) का व्यय माना है।

सी) लेखांकन मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/संपूर्ण बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय निर्धारण किया है। द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

व्यवसाय खंड

₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कॉर्पोरेट/समष्टिगत बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	12,252.52	10,016.80	7,212.85	7,115.12	7,733.92	7,919.59	-	-	27,199.29	25,051.51
परिणाम	2,380.29	10.77	(2,802.95)	(8,268.62)	(333.55)	243.93	-	-	(756.22)	(8,013.92)
अनाबंटित व्यय									153.27	156.30
परिचालन लाभ									(909.49)	(8,170.22)
आय कर									211.86	(2,528.74)
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ									(1,121.35)	(5,641.48)
अन्य सूचना										
खंड आस्तियां	1,76,075.99	1,62,107.96	82,540.75	72,130.18	82,542.57	81,040.22	-	-	3,41,159.31	3,15,278.36
अनाबंटित आस्तियां									15,276.55	15,439.30
कुल आस्तियां									3,56,435.86	3,30,717.66
खंड देयताएं	1,81,122.41	1,66,200.97	77,633.98	68,454.78	76,250.00	76,910.81	-	-	3,35,006.39	3,11,566.56
अनाबंटित देयताएं									-	-
कुल देयताएं									3,35,006.39	3,11,566.56
नियोजित पूंजी	(5,046.42)	(4,093.01)	4,906.78	3,675.40	6,292.56	4,129.41	-	-	6,152.92	3,711.80
अनाबंटित									15,276.55	15,439.30
कुल नियोजित पूंजी									21,429.47	19,151.10

* जहां प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है। वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- iii. रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, विवरण मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है।
- iv. कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- v. अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- vi. सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।

डी. लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टि

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii)	श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री बजरंग शेखावत	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2019 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियाँ

i)	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
ii)	सेन्ट बैंक फाइनेशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड

(सी) सहयोगी

(i)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
i)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
ii)	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
(ii)	इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक :

(₹ लाख में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
श्री पल्लव महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	31.77	14.68
श्री राजीव ऋषि (दिनांक 31.07.2018 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-	39.50
श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	82.88	24.98
श्री बजरंग शेखावत	कार्यपालक निदेशक	28.30	24.47
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	26.14	4.60
कुल		169.09	108.23

नोट : आईसीएआई द्वारा जारी एस-18, सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियाँ एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है।

ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.03.2020	31.03.2019
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(1121.35)	(5641.48)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	6210075175	2794601814
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(1.81)	(20.19)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(1.81)	(20.19)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10

एफ. लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थागित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकारण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2020 को ₹ 7616.80 करोड़ आस्थागित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2020 को आस्थागित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थागित कर आस्तियां		आस्थागित कर देयताएं	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
व्यवसाय हानि	1591.74	346.89	0.00	0.00
नकदीकरण के लिए प्रावधान	285.56	250.87	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	6579.73	8004.11	0.00	0.00
सेवांत लाभ	0.00	0.00	33.93	0.00
उपचित ब्याज, लेकिन निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00	695.83	645.15
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर हास	0.00	0.00	75.53	27.77
योग	8457.03	8601.87	840.23	707.86
शुद्ध आस्थागित कर देयताएं	7616.80	7894.01		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2019-20 के लिए आस्थागित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी ₹ 277.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2525.98 करोड़) मानी गई।

जी) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियाँ हैं, जिन्हे आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है। जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर- लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2020	31.03.2019
निवेश पर प्रावधान/हास (शुद्ध)	1065.54	983.88
एनपीए हेतु प्रावधान	4229.40	11029.86
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	172.35	(114.93)
कर हेतु किए गए प्रावधान	211.86	(2528.74)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(158.82)	(425.02)
अन्य प्रावधान	(54.83)	(177.08)
कुल	5465.50	8767.97

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण बफर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्र्रीय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

12. शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें (एटीएम एवं सेंट्रल कार्ड को छोड़कर)	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2020	31.03.2019
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	321	654
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	15208	11131
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	15104	11464
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	425	321

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2020	31.03.2019
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	5	0
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	2	0
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0*	0

* चूँकि सक्षम अधिकारी (उप गवर्नर भारिबैंक) के समक्ष अपील लंबित है, अतः 3 अवार्ड को लागू नहीं माना गया है.

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

निवेशकों की शिकायतें		शिकायतों की संख्या	
		31.03.2020	31.03.2019
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	65	73
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	65	73
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहकों की शिकायतें	31.03.2020	31.03.2019
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2656	2917
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	288818	310581
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	281609	310842
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	9865*	2656

*जिनमें से आज की तारीख में कोई शिकायत लंबित नहीं है.

सेंट्रल कार्ड लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहकों की शिकायतें	31.03.2020	31.03.2019
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	8
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2166	8824
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	2166	8832
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

13. दिनांक 31.03.2020 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00
वर्ष के दौरान परिपक्व /निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	819.09
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं.

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

तकनीकी अपलिखित के साथ पीसीआर (सकल एनपीए की तुलना में प्रावधान का अनुपात) 77.29% रहा (गत वर्ष 76.60%)

तकनीकी गैर अपलिखित के साथ (सकल एनपीए की तुलना में प्रावधान का अनुपात) 64.61% रहा (गत वर्ष 64.97%)

15. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे बेंडर्स, जिनकी सेवाएँ बैंक द्वारा में ली गई एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर

दिनांक 31.03.2020 को आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर ₹ 6736.39 करोड़ हुआ था. (दिनांक 31.03.2019 को ₹. 5612.12 करोड़ था)

बैंक ने फॉरेक्स बाजार की अस्थिरता के कारण होने वाले विनियम जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम कम करने के लिए उचित प्रावधान किए हैं. बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाले ऋण जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए हैं. यूएफसीई के साथ संस्थाओं को एक्सपोजर के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 0.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.62 करोड़) का प्रावधान किया है.

17. धोखाधड़ी हेतु प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376/डीबीआरसं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी एवं प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए 900 मामलों में ₹ 3993.76 करोड़ (गत वर्ष 650 मामलों में ₹ 2895.13 करोड़)के कुल धोखाधड़ी में से, 101 मामलों में ₹ 3983.75 करोड़ की राशि धोखाधड़ी के रूप में अग्रिमों को प्रस्तुत करती है. वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक बकाया राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

18. ऋण चूक स्वैप

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है.

(पिछले वर्ष - निरंक)

19. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 20.05.2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

20. एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण

भारिबैं के परिपत्र सं. क्रमशः डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के लिए बैंक ने दिनांक 31.03.2020 को कुल ₹ 5935.94 करोड़ का प्रावधान किया है. (कुल बकाया शेष का 94.40%)

21. तनाव आस्तियों का संकल्प

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार अपने 5 उधारकर्ताओं के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 तक ₹ 914.38 करोड़ का एक्सपोजर प्लान लागू किया है. संकल्प योजना कार्यान्वित नहीं के मामले में, बैंक ने 4 उधारकर्ताओं के मामले में जिनका एक्सपोजर ₹ 1067.15 करोड़ है, ₹ 213.43 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान 20% की दर से किया है.

आगे, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सं. बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को अपने 2 उधारकर्ताओं के लिए जिनका एक्सपोजर ₹ 122 करोड़ है, संकल्प अवधि विस्तारित की है.

22. आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान पर प्रकटीकरण :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान एवं आकस्मिकता के पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ की प्रारंभिक सीमा से 10% अधिक है. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन के संबंध में भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए	32356.04
2.	दिनांक 31.03.2019 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित सकल एनपीए	34921.04
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2565.00
4.	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध एनपीए	11333.24
5.	दिनांक 31.03.2019 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित शुद्ध एनपीए	13898.24
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	2565.00
7.	दिनांक 31.03.2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	19933.58
8.	दिनांक 31.03.2019 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित एनपीए के लिए प्रावधान	20721.58
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	788.00

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
10.	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(5641.48)
11.	प्रावधान में विचलन को शामिल करते हुए दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ (पीएटी)	(6429.48)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक ने इन परिवर्तनों के समक्ष आवश्यक प्रावधान किए हैं।

23. दबावग्रस्त एमएसएमई खातों (सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित एमएसएमई) के यथार्थ पुनर्गठन को सहज बनाने के परिप्रेक्ष्य में भारिबैंक ने अपनी अधिसूचना भारिबैं/2018-19/100 डीबीआर.सं. बीपी.बीसी. 18/21.04.048 - 1 जनवरी, 2019 और अनुवर्ती अधिसूचना भारिबैं/2019-20/160 डीओआर. सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 11 फरवरी, 2020 के माध्यम से एमएसएमई के विद्यमान ऋणों को एक बार पुनर्गठित कर आस्ति वर्गीकरण में निम्न स्तर पर लिए बिना नियमित ("स्टैंडर्ड") में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 31.03.2020 को पुनर्गठित एमएसएमई खातों के विवरण निम्नानुसार है :

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
17480	697.52

24. कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में प्रकटीकरण - भारिबैंक परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

भारिबैंक ने अपने अधिसूचना संख्या भारिबैंक/2019-20/186 डीओआर सं. बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से कोविड- 19 महामारी के कारण उत्पन्न अवरोधों से बने ऋण भार को कम करने और उद्योगों की निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु उपाय घोषित किए हैं। इन उपायों में भुगतानों को पुनर्निर्धारित करना - मियादी ऋण तथा कार्यशील पूँजी सुविधाएँ, कार्यशील पूँजी वित्तीयन को सुलभ बनाने, विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) और गैर- निष्पादित आस्तियों (एनपीए) आदि का वर्गीकरण शामिल है।

कोविड-19 से संबंधित भारिबैं दिशानिर्देश दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार बैंक ने सभी "कोविड-19" में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं के 01 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक देय अथवा 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय यदि, कोई हो सभी किस्तों और / अथवा ब्याज के भुगतानों को तीन माह की अधीस्थगन अवधि दी है। इन सभी खातों के लिए जहाँ यह अधीस्थगन अवधि प्रदान की गई है, आस्ति वर्गीकरण अधीस्थगन अवधि (अर्थात आय निर्धारण , आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों के तहत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अधीस्थगन अवधि में पिछले देय दिनों की संख्या शामिल नहीं की जाए) के दौरान यथा स्थिति रहेगा।

उक्त परिपत्र का प्रभाव निम्नानुसार है:

क्र	विवरण	राशि (₹. करोड़ में)
1.	एसएमए / अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ अधीस्थगन अवधि/ मोहलत बढ़ाई गई है।	33577.18
2.	संबंधित राशि जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाए गए हैं।	2864.99
3.	वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	143.25
4.	संबंधित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्लीपेज तथा अवशिष्ट प्रावधान के कारण समायोजित प्रावधान	निरंक

25. वर्ष के दौरान निकाले गई आय/खर्चे तथा प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का व्यौरा (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कृषि		सामान्य		माइक्रो		छोटे एवं मझले कृषक		कुल मात्रा	कुल लाभ/हानि
	मात्रा	लाभ/हानि	मात्रा	लाभ/हानि	मात्रा	लाभ/हानि	मात्रा	लाभ/हानि		
जून 19			(8,930.00)	60.35	2,125.50	(17.68)	3,470.00	57.28	(10,274.50)	99.95
सितं 19			(1,000.00)	4.48	1,010.00	(7.41)			10.00	(2.93)
दिसं 19							(1,800.00)	33.23	(1,800)	33.23
मार्च 20							(1,125.00)	10.13	(1,125.00)	10.13
कुल			(9,930.00)	64.83	3,135.50	(25.09)	(6,395.00)	100.64	13,189.50	140.38

नोट : (-) ऋण पीएसएलसी की बिक्री का संकेत तथा (+ve) पीएसएलसी की खरीद का संकेत देता है।

उपरोक्त श्रेणियों के पीएसएलसी की कमिशन दर 0.43% से 1.98% है।

26. दिनांक 19 मई, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-मेल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को सलाह दी थी कि "वित्तीय विवरणियों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालनिक प्रभाविता" पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में रिपोर्ट करने की आवश्यकता वित्तीय 2019-2020 के लिए वैकल्पिक है, जो बैंक ने नहीं चुना है.
27. कोरोना विषाणू (कोविड-19) महामारी के भारत सहित वैश्विक प्रकोप के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तथा आर्थिक गतिविधियों में मंदी आयी है. कोविड-19 महामारी का प्रभाव बैंक के वित्तीय परिणामों पर किस हद तक होगा यह भावी घटना क्रमों पर निर्भर है, जो अत्याधिक अनिश्चित है. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न इस अनिश्चितता के होते हुए समूह भावी वित्तीय स्थितियों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर निरंतर निगरानी कर रहा है जिसका प्रभाव समूह के परिचालन और उसके वित्तीय परिणामों पर भविष्य में घटनाक्रमों के अनुसार होगा जो
28. आरक्षित में आहरण द्वारा कमी
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरक्षित में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई (पिछले वर्ष निरंक)
29. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2020	31- 03- 2019
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	(909.49)	(8,170.22)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	285.28	277.72
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	1,065.54	983.88
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	4,070.58	10,626.30
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	172.35	(114.93)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(54.83)	(198.54)
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	22.41	4.43
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(17.64)	(5.22)
	उप योग	4,634.20	3,403.42
II	समायोजन हेतु :		
	जमाओं में वृद्धि (कमी)	13,907.72	5,016.58
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	548.14	(467.06)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	8,788.80	(1,103.64)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(8,646.10)	(609.48)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(18,285.01)	(23,650.34)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	928.02	2,635.47
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(143.20)	187.43
	उप योग	(2,901.63)	(17,991.04)
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	1,732.57	(14,587.62)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	7.18	3.48
	अचल आस्तियों की खरीद	(321.51)	(254.12)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	17.64	5.22
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(296.69)	(245.42)
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	3,403.22	6,592.00
	शेयर आवेदन राशि	—	212.54
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	—	—
	लाभांश कर	—	—
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	3,403.22	6,804.54

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2020	31- 03- 2019
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	4,839.10	(8,028.50)
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	20,779.09	35,999.91
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	10,420.85	3,228.53
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	31,199.94	39,228.44
एफ	अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	30,021.75	20,779.09
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	6,017.29	10,420.85
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	36,039.04	31,199.94

टिप्पणी :

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारित किए अनुसार "अप्रत्यक्ष माध्यम" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समाहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACK2512

यूडीआईएन: 20039585AAAADW4470

यूडीआईएन: 20093348AAAABF5444

यूडीआईएन: 20057892AAAAFL4824

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

दिनांक 31.03.2020 को पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

समेकित खातों (वार्षिकतः प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियामक समेकन के दायरे में नहीं

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (₹) ए.में दर्शाए अनुसार	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण तथा मॉर्गेज ऋण प्रदान करना है.	25	1290
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	5	43
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	516	18956
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	91	3915

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर I के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, और अग्रिम दृष्टिकोण के तहत जोखिम वजन की गणना के लिए एसएस समाधान स्थापित किया है.

<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</p> <p>(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :</p> <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9% प्रतिभूति एक्सपोजर 	<p>₹ 10882 करोड़ निरंक</p>
<p>(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण: <ul style="list-style-type: none"> ब्याज दर जोखिम – विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) – इक्विटी जोखिम – 	<p>₹ 1171 करोड़ ₹ 4 करोड़ ₹ 306 करोड़</p>
<p>(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक दृष्टिकोण – 	<p>₹ 875 करोड़</p>
<p>(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात -</p> <ul style="list-style-type: none"> सामान्य इक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूंजी अनुपात 	<p>9.33 % 9.33 % 11.72 %</p>

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने शीर्ष प्रबंधन की जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन, ऋण प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रभारी मुख्य जोखिम अधिकारी (महाप्रबंधक) हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं. महाप्रबंधक को उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबंधकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

सभी आंचलिक कार्यालय में जोखिम प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं जो केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे. क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जोखिम प्रबंधकों की पदस्थापना की गई है.

बैंक में विस्तृत नीतियां हैं जैसे ऋण जोखिम नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, उद्यम जोखिम, प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति आदि .

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण स्रोतों के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन पर दिशानिर्देश, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करते हैं. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

₹ 300 करोड़ से अधिक के सभी खातों की एक्सपोजर के साथ डायनामिक समीक्षा भी विशिष्ट आवृत्ति पर की जाती है. ऋण निगरानी नीति ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्य प्रणाला निर्धारित करती है.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के अलग खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा उधार देने एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा सभी काउंटर ग्राहक की समग्र रेटिंग करने के लिए खाते का संचालन करना जरूरी है. जहां मूल संस्था से समर्थन कोर्पोरेट गारंटी के तहत उपलब्ध है. जोखिम वापसी का मूल्यांकन करने के लिए इसमें भी तथ्य है कि आरएआरओसी की गणना और निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है.

तालिका डीएफ - 3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

अनर्जक :

दिनांक 20.07.2012 को अपने रिपोर्ट में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने वाले कार्यरत समूह ने यह पाया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार खाते, सामान्यतया पुनर्संरचना हेतु हास के रूप में व्यवहरित होते हैं और अनुमोदन करते हैं कि यही समान प्रक्रिया भारत में भी व्यवहरित की जाए. भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों में पहचान, गैर-पहचान, वर्गीकरण और वित्तीय वित्तीय लिखतों के माप के साथ-साथ हास और बचाव लेखांकन की शामिल है.

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

- मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.
- दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.
- डेरिवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित:

कोई खाता तब "अनियमित" दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम – निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- देश एवं मुद्रा ऋण
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,

<ul style="list-style-type: none"> • अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू, • बैलेंस शीट इतर एक्सपोजर में ऋण जोखिम, • ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं • अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन, • देश जोखिम तथा अन्य परिचालन सम्बंधी मामले. 	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	(₹ करोड़ में)
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
<ul style="list-style-type: none"> • निधि आधारित*: • गैर-निधि आधारित: <p>*बैंक, निवेश इत्यादि में नकद शेष सहित</p>	<p>302982</p> <p>35210</p>
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
<ul style="list-style-type: none"> • विदेशी • घरेलू 	<p>4003</p> <p>334189</p>

	₹ करोड़ में निधि	₹ करोड़ में गैर-निधि	₹ करोड़ में निवेश
सी) उद्योग का नाम			
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	631	170	0
ए.1 कोयला	266	165	0
ए.2 अन्य	365	5	0
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 तक)	5786	1090	495
बी.1 चीनी	1822	139	434
बी.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	1292	653	0
बी.3 चाय	292	3	0
बी.4 कॉफी	18	0	0
बी.5 अन्य	2362	294	61
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	191	19	0
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	67	2	0
सी.2 अन्य	124	17	0
डी. टेक्सटाईल	10247	365	210
डी.1 सूती	2121	83	184
डी.2 जूट	128	32	0
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	4606	145	0
डी.4. अन्य	3393	105	26
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	574	33	0
ई चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	141	5	0
एफ लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	193	19	0
जी कागज एवं कागज के उत्पाद	812	216	45
एच पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	2116	91	289
आई रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	2347	852	11
आई.1 उर्वरक	503	4	0
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	704	798	9

सी) उद्योग का नाम	₹ करोड़ में		
	निधि	गैर-निधि	निवेश
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	123	33	0
आई.4 अन्य	1016	17	2
जे रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	1003	97	0
के कांच एवं कांच के सामान	101	5	0
एल सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1656	104	0
एम मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	5630	1659	125
एम.1 लोहा एवं स्टील	3629	657	51
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2000	1002	74
एन सभी अभियांत्रिकी (एन.1 + एन.2)	6178	2971	55
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	4406	340	20
एन.2 अन्य	1772	2632	35
ओ वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	936	80	16
पी रत्न एवं आभूषण	2606	118	0
क्यू निर्माण	3145	661	281
आर बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	26401	5558	7789
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	7945	1163	1524
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	5285	922	1524
आर ए.2 बंदरगाह	621	0	0
आर ए.3 अंतर्देशीय जलमार्ग	97	0	0
आर ए.4 एयरपोर्ट	831	224	0
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, सुरंग, सेतु, ब्रिज	832	11	0
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	249	2	0
आर ए 7 शिपयार्ड	27	0	0
आर.ए. लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	4	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	10319	901	5897
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	7781	530	439
बी.1.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3752	2	0
बी.1.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	1070	34	0
बी.1.3 निजी क्षेत्र	2960	495	439
बी.2 विद्युत (संप्रेषण)	471	98	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	308	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	101	69	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	62	29	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	556	271	5458
बी.3.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	41	0	1111
बी.3.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	407	271	4347
बी.3.3 निजी क्षेत्र	107	0	0
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	0	0	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	1511	3	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	0	0	0

सी) उद्योग का नाम	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
	निधि	गैर-निधि	निवेश
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	1109	10	0
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	10	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	139	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	145	4	0
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	547	1	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	268	5	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0	0
आर.डी. सम्रोषण (डी.1 से डी.3)	1615	2236	39
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	992	413	39
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	380	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	244	1824	0
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.12)	1665	49	0
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	478	9	0
आर.ई.2 हॉस्पिटल (कैपिटल स्टॉक)	421	2	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	94	15	0
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	277	1	0
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	1	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	33	6	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	3	15	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0	0
आर.ई. 9 कोल्ड श्रृंखला	0	0	0
आर.ई. 10 खेल संरचना	302	0	0
आर.ई.11 पर्यटन – रोप वे एवं केबल कार	50	0	0
आर.ई.12 वहन योग्य आवास	6	0	0
आर.एफ. अन्य, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	3748	1199	329
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	17792	2693	38
सभी उद्योग (ए से एस तक)	87912	16772	9355
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	128525	7620	11480
कुल	216437	24393	20836
कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर			
	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित	निवेश
बुनियादी संरचना (उर्जा सहित)	26401	5558	7789
उर्जा	10319	901	5897

(डी) कार्यनिष्पादन आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :	
1 दिन :	2514
02 दिनों से 07 दिनों तक:	2714
08 दिनों से 14 दिनों तक:	1404
15 दिनों से 30 दिनों तक:	8701
31 दिनों से 2 महीनों तक:	3391
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	6534
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	14059
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	12366
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	88028
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	26192
5 वर्ष से अधिक :	127715
कुल	293618
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) –	
• अवमानक	5294
• संदिग्ध 1	6704
• संदिग्ध 2	12075
• संदिग्ध 3	5766
• हानि	2750
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	11534
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	18.92%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	7.63%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
• प्रारम्भिक शेष	33259
• वृद्धि	440
• कमियां	1110
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	32589
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन	
• प्रारम्भिक शेष	19934
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	4571
• बढ़ा खाता / अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	4633
• इति शेष	19872
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	2153
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	1933
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:	
• प्रारम्भिक शेष	3921
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	1396
• बढ़ा खाता	निरंक
• अतिरिक्त प्रावधान की वापसी	477
• इति शेष	4840

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।</p> <p>(बी) बैंक ने आरबीआई द्वारा अभिचिन्हित सात बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. एक्व्यूटी (समेरा) रेटिंग ब्रिकवर्क एवं इनफोर्मेशन को अपने उधारकर्ताओं के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है।</p> <p>(सी) ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेंसियों द्वारा बैंक के उधारकर्ताओं को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती है।</p> <p>(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा।</p>	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ करोड़ में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर	
<ul style="list-style-type: none"> • 100 % जोखिम भारिता से कम : • 100 % जोखिम भारिता • 100 % जोखिम भारिता से अधिक • घटाई गई राशि - सीआरएम 	<p>268221</p> <p>49925</p> <p>20046</p> <p>11826</p>

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

<ul style="list-style-type: none"> • संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें; बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं। • बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण; बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं। 	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ करोड़ में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
<ul style="list-style-type: none"> • पात्र वित्तीय संपार्श्विक- • निधि आधारित • गैर-निधि आधारित 	<p>10397</p> <p>1429</p>

तालिका डीएफ -6 : प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ करोड़ में
वैकिंग वही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
गुणात्मक प्रकटीकरण:	
ट्रेडिंग वही:	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शोषराशि –जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरीत परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवाधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ करोड़ में)
ब्याज दर का जोखिम	₹1171
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹306
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹4
योग	₹1481

तालिका डीएफ -8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम “कोरडेक्स”का सदस्य भी है।

बैंक ने एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए एसएस पद्धति स्थापित की है।

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2020 को परिचालन जोखिम के लिए ₹875 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है।

तालिका डीएफ -9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण	
ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :	
1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)	
इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.	
2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:	
इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	456
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	1842

तालिका डीएफ-10 : प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(ए) बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है.		
बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है.		
बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.		
गुणात्मक प्रकटीकरण	₹ करोड़ में	
विवरण	राशि	
(बी) संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य	184	
शुद्ध लाभ	0	
शुद्ध चालू साख ऋण	184	
संपार्श्विक प्रतिभूति	0	
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	413	
(सी)	₹ करोड़ में	
मद	काल्पनिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	7845	307
क्रास करेंसी ब्याज दरस्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप	1616	83
ब्याज दर संविदाएं	1125	23

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन
भाग III: दिनांक 31 मार्च, 2020 से उपयोग किए जाने के लिए टेम्पलेट

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	5710	A1
2	प्रतिधारित उपार्जन	-17372	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	31466	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी	19804	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
9	अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
10	आस्थगित कर आस्ति (व्यवसाय हानि)	1390	
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	
15	परिभाषित – लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	7	
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	4386	
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26सी	जिसमें से: बहुसंख्यक मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु कुल विनियामक समायोजन	5783	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	14021	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0	
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)		
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)		
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत		
36	विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	0	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	बहुसंख्याक मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	0	
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)	0	
45	टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	14021	

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष	2600	
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	360	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0	
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0	
50	प्रावधान (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	634	
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	3594	
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	0	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)		
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (पात्र लघु स्थिति का शुद्ध)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	बहुसंख्यांक मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी		
57	टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	0	
58ए	टीयर 2 पूंजी	3594	
58बी	टीयर 2 पूंजी (टी2) विनियामक पूंजी उद्देश्यों हेतु समायोजन	3594	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	17615	
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	150352	
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां	120907	
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां	18512	
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियां	10933	
पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	9.33 %	
62	टीयर 1 (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	9.33%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारत आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	11.72%	

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
64	संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकताएं)	7.375%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से: जीएस.आई.बी बफर आवश्यकता	0.00%	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से अलग हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	10.875%	
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
73	वित्तीय निकायों की सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की उच्चतम सीमा.	लागू नहीं	
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)			
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	1800	
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	1440	

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि करोड़ में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	संदर्भ
		दिनांक 31.03.2020	
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	चुकता पूंजी	5710	
	जिसमें से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	5710	ए1
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	15720	
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	0	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	21430	
ii	जमाराशियां	313763	
	जिसमें से: बैंकों से जमा	3564	
	जिसमें से: ग्राहकों से जमा	310199	
	जिसमें से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	उधारराशियां	5787	
	जिसमें से: आरबीआई से	669	
	जिसमें से: बैंकों से	2	
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं एवं संस्थानों से	177	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	0	
	जिसमें से: गौण ऋण	500	सी1
	जिसमें से:अपर टीयर 2	1300	सी2
	जिसमें से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बेसल III बाण्ड्स (टीयर2)	3000	सी3
	जिसमें से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	139	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	15456	
	कुल	356436	
वी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	30022	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना राशि	6017	
ii	निवेश:	142518	
iii	ऋण एवं अग्रिम	151102	
	जिसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	1	
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	151101	
iv	अचल आस्तियां	4336	
v	अन्य आस्तियां	22442	
	जिसमें से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमें से: आस्थगित कर देयताएं	7617	
vi	समेकन पर गुडविल	0	
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	356436	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	₹ 5710
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	लागू नहीं
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य लेनदार, बॉण्ड्स एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर-कम्प्लायंट विशेषताएं बताएं	

श्रृंखला वर्णन	श्रृंखला. II पीडीआई
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बेसल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णातः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णातः या अंशतः	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	पूर्णातः अमान्य, बेसल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09229	INE483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बेसल III नियम	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	200	60
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख	₹10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ
यदि हाँ, तो गैर कम्प्लायंट विशेषताएं बताएं	आलेखन, बेसल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बेसल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बेसल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	100
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	बेसल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बेसल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बेसल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
जारीकर्ता					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286	INE483A08023	INE483A08031
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार					
परिवर्ती बेसल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूँजी में मान्य की गई राशि (₹ करोड़ में, अधिकांश, नवीन रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार)	600	500	500	500	500
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां	हां	हां	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं	07.05.2022	29.05.2024	31.11.2024	20.05.2025
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन/लाभांश					
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी

	बेसल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	अंशतः	अंशतः	अंशतः	अंशतः	अंशतः
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शोयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शोयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शोयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शोयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शोयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.

	बेसल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	शृंखला I	शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV	शृंखला V
	<p>एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है.</p> <p>एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>	<p>एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए., यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है.</p> <p>एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>	<p>एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है.</p> <p>एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>	<p>एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है.</p> <p>एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>	<p>एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए., यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है.</p> <p>एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.</p>
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
यदि हां, तो गैर कम्प्लायंट विशेषताएं बताएं	-	-	-	-	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	टीयर 1	पीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बेसल III कम्प्लायंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

टेबल डीएफ-16: इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2020 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	<p>निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है। 	<ul style="list-style-type: none"> भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का इक्विटी में निवेश (संयुक्त उद्यम वह होता है जिसमें बैंक अपनी अनुषंगियों के साथ 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह कार्यनीतिक संबंधों को बनाये रखने अथवा कार्यनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कार्यनीतिक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की खरीद की तिथि पर ही “व्यापार हेतु रखा गया” (एचटीएफ), “बिक्री हेतु उपलब्ध” (एएफएस) और “परिपक्व होने तक रखा गया” (एचटीएम) श्रेणियों में (इसके पश्चात “श्रेणीयां” कहा जायेगा) वर्गीकृत किया गया है। उन निवेशों को जिनको बैंक परिपक्वता तक रखना चाहती है, को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखे गये इक्विटी निवेश की पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया गया है। <p>एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार में चिन्हित नहीं किया जाता है। अस्थायी के अलावा, कोई भी कमी, इक्विटी निवेश के मूल्य में प्रदान की जाती है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई भी हानि, लाभ और हानि विवरणी में चिन्हित किया जाता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी लाभ “आरक्षित पूंजी” के लिए शुद्ध करें और सांविधिक आरक्षित निधियों के साथ विनियोजित किया जाता है।</p>

गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये करोड़ में	
		बही मूल्य 31.03.2020	उचित मूल्य 31.03.2020
1	तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य।	273	273
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना।	-	-
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:	-	-
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
	निजीतौर पर धारित	273	273
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनेंस)	22	22
	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	48	48
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	191	191
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.)	5	5
	कार्यनीतिक निवेश – सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कापेरेशन	2	2
	कार्यनीतिक निवेश – आईएफसीआई	3	3
	कार्यनीतिक निवेश – अन्य वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	2	2
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	-	-
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)*	-	-
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)**	निरंक	निरंक
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा प्रांडकादरिंग“ प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2020 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीवरेज अनुपात

बेसल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लेवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

टेबल डीएफ 17 : लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना

	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	357337
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	0
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	139
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	924
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	534
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	18936
7	अन्य समायोजन	(5780)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	372090

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट

	(₹ करोड़ में)
तुलनपत्र एक्सपोजर	
1 तुलनपत्र मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपाश्विक शामिल हैं)	347077
2 (बेसल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	(5780)
कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)	341297
व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4 सभी व्युत्पन्नी लेनदेन (अर्थात पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर) के साथ सम्बद्ध स्थानापत्र राशियां	262
5 सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	662
6 प्रदत्त व्युत्पन्नी संपाश्विक के लिए ग्राँस-अप जहाँ परिचालनात्मक लेखागत संरचना के अनुसार तुलन-पत्र से घटाया गया है.	0
7 (व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8 (क्लाईट-क्लियरड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9 लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10 (लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)	924
प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12 सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	10920
13 (सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14 एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	13
15 एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)	10933
अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	

17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	59205
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(40269)
19	तुलनपत्र इतर मदे (मद 17 और 18 की राशि)	18936
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूंजी	14150
21	कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)	372090
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल छद्म लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)	3.80%

अतुल सहाय
उप महाप्रबंधक (आरएमडी)

ए. डी. श्रीनिवास
महाप्रबंधक (आरएमडी)

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

(पल्लव महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>	<p>मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई - 400057</p>
<p>एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024</p>	<p>एस जयकिशन सनदी लेखाकार, 12 हो-शि-मिन्ह सरणी, सूट 2डी, 2 ई, 2एफ कोलकाता - 700071</p>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुरूप हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("मूल बैंक"), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें "समूह" के रूप में संबोधित किया गया है) की समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट (इसके पश्चात इन्हें "समेकित वित्तीय विवरणियां" से संबोधित किया गया है) शामिल है, समाहित मूल समूह के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमने की है, 2 अनुषंगियों एवं 1 एसोशिएट के लेखा परीक्षित खातों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है तथा दो एसोशिएट्स के खाते अलेखा परीक्षित है।
- हमारे अभिमत में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी एवं हमें प्राप्त स्पष्टिकरणों के अनुरूप, तथा स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और अनुषंगियों और एसोशिएट्स की अन्य वित्तीय जानकारी, प्रबंधन द्वारा दिए गए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर उक्त समेकित वित्तीय विवरणियां, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप तथा बैंकों के लिए अनिवार्य तरीके से बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (आगे जिसे "अधिनियम" कहा गया है) द्वारा आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करती है और:
 - समेकित तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समूह की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष प्रदर्शन करती है;
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाती है।
 - नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है।

अभिमत का आधार

- हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम समूह से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का जोर

- समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट 5.11 और 5.12 की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मूल बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर होगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। इस सम्बंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

5. मूल लेखापरीक्षा मामले वे मामले है जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में हमारे व्यावसायिक निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में सप्रेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
<p>1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व समूह द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)</p> <p>अग्रिम में समूह की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है.</p> <p>एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है. पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का समूह की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचारित किया जाता है.</p>	<p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में मूल बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; ● हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है. <p>मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने,</p> <p>(ए) उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिस्कीकरण की समय पर पहचान की हैं;</p> <p>(बी) इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार अस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं.</p> <p>हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते हैं.</p>
<p>2. निवेश</p> <p>समूह के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश में समूह के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है.</p> <p>निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)</p>	<p>निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भा.रि.बैं. के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यहास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने मूल बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है.



<p>उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरें, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है।</p> <p>भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।</p> <p>इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मुल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है। ● हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनु रूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है। ● हमने, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है। ● हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में समूह के निवेश मुल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।
<p>3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -</p> <p>समूह की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।</p> <p>प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।</p> <p>समूह के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है।</p> <p>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है।</p>	<p>हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया है। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मूल बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है। ● हमने समूह के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए समूह के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है। ● हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रिय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

<p>4. कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में संशोधित लेखापरीक्षा पद्धतियों का उपयोग:</p> <p>लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, राष्ट्रीय लॉक डाउन और केंद्र/राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों और जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं है वहां दूर से लेखा परीक्षा करने के बैंक के लिए आरबीआई के निर्देशों के कारण बैंक की कुछ शाखाओं/केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में जाकर लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी.</p> <p>जैसा कि लेखापरीक्षक व्यक्तिगत रूप से/ भौतिक रूप से/ शाखाओं/विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं जुटा सके हैं, लेखापरीक्षकों ने इस संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मूल लेखापरीक्षा मामला माना है.</p> <p>तदनुसार, दूर से (रिमोट) लेखापरीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संशोधित की गई हैं.</p>	<p>लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, राष्ट्रीय लॉक डाउन और केंद्र/राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षक (मूल बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों सहित) समूह की कुछ शाखाओं/विभागों में नहीं जा सके और उनकी लेखापरीक्षा नहीं कर सके.</p> <p>जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था बैंक ने लेखापरीक्षकों को आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यम, ई-मेल और सीबीएस के रिमोट एक्सेस तथा अन्य संगत अप्लिकेशन से उपलब्ध कराए गए. इस हद तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्डों के आधार पर की गई जिनके उपर इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा तथा रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में विश्वास किया गया.</p> <p>तदनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नानुसार संशोधित की गई हैं:</p> <p>ए. मूल बैंक की कुछ शाखाओं/केन्द्रीय कार्यालय के विभागों, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था, वहां आवश्यक रिकार्ड/दस्तावेज/ फॉर्म 111/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का सत्यापन रिमोट एक्सेस/ई-मेल के माध्यम से एलेक्ट्रॉनिकली किया गया.</p> <p>बी. ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के रिमोट एक्सेस के जरिए लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों और सम्बंधित रिकार्डों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया गया.</p> <p>सी. विडिओ कॉन्फरंसिंग, फोन कॉल/कॉन्फरंस कॉल, ई-मेल और अन्य तत्सम संप्रेषण चैनलों के माध्यम से संवाद और चर्चा के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाए गए.</p> <p>डी. मूल बैंक के नामित अधिकारी के साथ आमने-सामने चर्चा के बजाय लेखापरीक्षा निरीक्षणों का समाधान फोन पर या ई-मेल के माध्यम से किया गया.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

6. अन्य सूचनाओं के लिए मूल बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेवार है. अन्य सूचना मे अनुलगनकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबन्धतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरणियों में हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता दांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे.

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है. हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है.

जब हम अनुलगनकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी.

7. गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और समेकित वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी

मूल बैंक का प्रबंधतंत्र और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन और समेकित नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए समूह के आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण हैं और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में समूह का सम्बंधित निदेशक मंडल कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए समूह की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है तब तक निदेशक मंडल न तो समूह का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। सम्बंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, भले ही यह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों की अनुक्रयशीलता के लिए लेखापरीक्षा डिज़ाइन तथा कार्यान्वित करना और हमारी राय के आधार हेतु पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी से उत्पन्न विषयी अयथार्थ का पता नहीं लगाने का जोखिम एक त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से कई अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटपूर्णता, जालसाजी, आंतरिक चूक, गलत आंकड़ें अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- स्थितिअनुरूप लेखापरीक्षा पद्धति तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना परंतु यह उद्देश्य नहीं कि समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अपनी राय दें।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधारित कार्यशील संस्था के उपयोग पर प्रबंधन के औचित्य का निष्कर्ष भले ही यह घटना अथवा परिस्थिति की अनिश्चितता के कारण कार्यशील संस्था के रूप में समूह की निरंतर होने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह व्यक्त करता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक विषयी अनिश्चितता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों में तत्सम्बंधी प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमारी राय को संशोधित करें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक लिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को कार्यशील संस्था के तौर पर कायम रखने में रोकने हेतु कारण हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, ढांचा एवं विषय तथा क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं की प्रस्तुति को ऐसे क्रम में रखती हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

समेकित वित्तीय विवरणियों में गलत विवरणों का प्रभाव वित्तीय विवरणों का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले उपयोगकर्ता के वित्तीय निर्णयों पर होता है। हमने (i) हमारे लेखा कार्य की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों के प्रभाव को पहचानने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार किया है।

हम अन्य मामलों के साथ साथ लेखापरीक्षा की योजना और समयसीमा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां और आंतरिक नियंत्रण की किसी महत्वपूर्ण कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है, जैसे तथ्य गोवर्नेंस को रिपोर्ट करते हैं .

हम विवरणी के साथ परिचालन सहित उन आरोप को भी उपलब्ध कराते हैं जो हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं सहित संकलित किया है और सभी संबंधी एवं अन्य मामलों के साथ, जिन्हें हमने स्वतंत्र रूप से विचार कर उचित समझा और सुरक्षा सम्बंधी उपाय जहां लागू हो, उन्हें सूचित करते हैं.

परिचालन सहित उन आरोप के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं कि चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा में अतिमहत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं ताकि विधि अथवा विनियामक मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण अथवा जब विशेष असाधारण कारणों को प्रतिबंधित नहीं है, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रभावशाली प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक हित प्रतिलाभ पर तर्कसंगत असंभावी होंगे.

अन्य मामले

9. (i) समूह के समेकित वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित दो अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2020 को कुल ₹ 1332.47 करोड़ का की कुल आस्तियां एवं इस तारीख को समाप्त पूर्ण वर्ष के लिए ₹ 146.09 करोड़ कुल राजस्व और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1.89 करोड़ का शुद्ध नकद प्रवाह परिलक्षित है. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की 1 एसोशिएट के सम्बंध में शुद्ध हानि का हिस्सा ₹ 143.31 करोड़ समाहित है, जिसके वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है. इन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्राप्त हुई है, एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट जहां तक इन अनुषंगियों एवं एसोशिएट से सम्बंधित राशि एवं प्रकटीकरण का सम्बंध है, यह पूर्ण तौर पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.
- (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में दो एसोशिएट के सम्बंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई, के समेकित वित्तीय विवरणों में यथा विचार किया गया. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु, शुद्ध लाभ ₹18.54 करोड़ में समूह का अंश भी सम्मिलित है. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जो प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, इन एसोशिएट के सम्बंध में राशि एवं प्रकटीकरण से यथा सम्बंधित पूरी तरह इन अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टिकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और निम्न अन्य विधिक तथा सांविधिक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र एवं समेकित लाभ हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.
11. उपर्युक्त पैरा 7 से 9 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए. हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं निष्ठापूर्वक मांगे थे और प्राप्त कर लिए हैं एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - बी. हमारे ध्यान में आए समूह के सभी लेन देन समूह की शक्तियों के अनुसार हैं ; एवं
 - सी. लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए समूह के कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां पर्याप्त पायी गयी हैं.
12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए. हमारी राय में, कानून की आवश्यकता के अनुसार खातों की उचित बहियां समूह द्वारा रखी गयी हैं एवं हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से पता लगता है एवं हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है.
 - बी. इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नगद प्रवाह विवरणियां खातों की बहियों एवं उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है, के समरूप हैं.
 - सी. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/कार्यालयों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उनका उचित रूप से उपयोग किया गया; एवं

डी. हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते एवं नगद प्रवाह विवरणियां लागू लेखा मानकों का अनुसरण करती हैं और इस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755
यूडीआईएन: 20133755AAAAACL3842

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585
यूडीआईएन : 20039585AAAAADX1018

कृते एएजेवी एंड एण्डोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348
यूडीआईएन: 20093348AAAAABE4853

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892
यूडीआईएन: 20057892AAAAAFN4042

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2020 को ₹	31 मार्च 2019 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	5,70,97,627	4,04,72,014
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	15,82,67,393	15,13,62,928
अल्पांश हित	2A	4,53,179	4,34,572
आबंटन लंबित होने तक शेयर आवेदन राशि		-	21,25,409
जमा राशियां	3	3,14,20,11,415	3,00,31,13,856
उधार राशियां	4	6,07,60,328	5,63,96,659
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	15,47,84,525	6,49,40,977
कुल		3,57,33,74,467	3,31,88,46,415
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	30,02,19,245	20,77,94,497
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	6,04,45,599	10,51,81,420
निवेश	8	1,42,52,56,688	1,25,45,27,365
ऋण एवं अग्रिम	9	1,51,95,23,754	1,47,42,54,768
अचल आस्तियां	10	4,33,68,183	4,31,09,150
अन्य आस्तियां	11	22,44,72,102	23,38,90,319
समेकन पर गुडविल		88,896	88,896
कुल		3,57,33,74,467	3,31,88,46,415
आकस्मिक देयताएं	12	56,18,70,308	86,67,30,384
संग्रहण हेतु बिल		14,27,67,407	16,24,73,915
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आडुप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं. 133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACL3842

यूडीआईएन: 20039585AAAADX1018

यूडीआईएन: 20093348AAAABE4853

यूडीआईएन: 20093348AAAABE4853

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	23,67,55,902	22,74,86,195
अन्य आय	14	3,62,23,979	2,41,63,327
कुल		27,29,79,881	25,16,49,522
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	16,00,45,607	15,93,46,579
परिचालन व्यय	16	6,93,89,948	6,08,01,586
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		5,48,17,444	8,77,78,525
कुल		28,42,52,999	30,79,26,690
III. लाभ/(हानि)			
अल्यांश ब्याज के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		(1,12,73,118)	(5,62,77,168)
घटायें: अल्यांश ब्याज		36,407	57,943
अल्यांश ब्याज घटाने के पश्चात्, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		(1,13,09,525)	(5,63,35,111)
जोड़े: एसोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		(12,47,709)	1,65,860
वर्ष के लिए समूह का स्रोतजन्य समेकित लाभ/(हानि)		(1,25,57,234)	(5,61,69,251)
जोड़े: समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		(16,01,01,106)	(10,32,87,865)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(17,26,58,340)	(15,94,57,116)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांवाधिक आरक्षित		-	-
निवेश आरक्षित		15,70,277	5,63,762
राजस्व आरक्षित		13,304	15,900
लाभांश पर कर		4,111	10,730
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		40,920	53,598
तुलन पत्र में लाया गया शेष		(17,42,86,952)	(16,01,01,106)
कुल		(17,26,58,340)	(15,94,57,116)
प्रति शेयर आय (₹ में)- मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		(2.02)	(20.10)
प्रति शेयर आय (₹ में)- डाइल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		(2.02)	(20.10)
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार

सदस्यता सं. 133755

सदस्यता सं. 039585

सदस्यता सं. 093348

सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAACL3842

यूडीआईएन: 20039585AAAADX1018

यूडीआईएन: 20093348AAAABE4853

यूडीआईएन: 20093348AAAABE4853

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		5,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,00,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	5,70,97,627		4,04,72,014	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 5709762724 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 4047201437 इक्विटी शेयर)सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 5275014715 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 3691169652 इक्विटी शेयर)				
कुल		5,70,97,627		4,04,72,014
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,07,59,131		2,07,59,131	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		2,07,59,131		2,07,59,131
II. प्रारक्षित निधि				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,07,45,959		3,13,02,429	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	-		91,575	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	(5,68,075)		(6,48,045)	
वर्ष के दौरान कमी	(5,51,895)		-	
		2,96,25,989		3,07,45,959
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,16,55,145		1,10,91,383	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,70,277		5,63,762	
		1,32,25,422		1,16,55,145
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	22,15,38,334		16,99,08,791	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	1,95,31,935		5,16,29,543	
		24,10,70,269		22,15,38,334
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,54,80,952		2,49,18,268	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	5,68,075		6,48,045	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11,64,129		22,859	
(* जोड़े: प्रारंभिक शेष समायोजन	(6,67,192)		2,283	
जोड़े/घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	2,137		(1,10,503)	
		2,65,48,101		2,54,80,952
V विशेष प्रारक्षित निधियाँ धारा 36 (1) (viii)		13,25,433		12,84,513
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		(17,42,86,952)		(16,01,01,106)
कुल		15,82,67,393		15,13,62,928

(*) यह समायोजन मुख्यतः क्षे.ग्रा.बैं. के पिछले लेखापरीक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया. पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षे.ग्रा.बैं. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर संकलित की गई थी.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 2 ए : अल्पांश ब्याज				
उस तारीख को अल्पांश ब्याज जबसे प्राथमिक/अनुषंगी संबंध स्थापित हुए	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/ कमी	4,28,679		4,10,072	
तुलन पत्र के की तारीख को अल्पांश ब्याज		4,53,179		4,34,572

अनुसूची 3 : जमाराशियां

ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	33,48,395		1,32,14,516	
ii) अन्य से	15,07,26,625		15,08,78,553	
		15,40,75,020		16,40,93,069
II. बचत बैंक जमाराशियां		1,30,19,99,950		1,22,13,88,674
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	3,69,89,420		3,18,29,169	
ii) अन्य से	1,64,89,47,025		1,58,58,02,944	
		1,68,59,36,445		1,61,76,32,113
कुल		3,14,20,11,415		3,00,31,13,856
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,14,20,11,415		3,00,31,13,856
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशियाँ

I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	66,90,000		-	
ii) अन्य बैंक	26,06,321		37,50,514	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	17,73,007		29,55,145	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	53,00,000		53,00,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	1,30,00,000		2,30,00,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बेसल III बॉण्ड्स (टीयर II)	3,00,00,000		2,00,00,000	
		6,07,60,328		5,63,96,659
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		6,07,60,328		5,63,96,659

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान

I. देय बिल	62,03,584		64,54,286	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	8,77,45,538		-	
III. उपचित ब्याज	80,63,393		83,71,940	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	5,27,72,010	15,47,84,525	5,01,14,751	6,49,40,977
कुल		15,47,84,525		6,49,40,977

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		1,62,94,338		1,33,78,811
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	17,99,24,907		14,04,15,686	
अन्य खातों में	10,40,00,000		5,40,00,000	
		<u>28,39,24,907</u>		<u>19,44,15,686</u>
कुल		30,02,19,245		20,77,94,497
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	8,05,530		6,66,151	
बी) अन्य जमा खातों में	2,60,678		9,79,281	
		<u>10,66,208</u>		<u>16,45,432</u>
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	1,93,50,000		19,00,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	—		10,15,66,371	
		<u>1,93,50,000</u>		<u>10,34,66,371</u>
कुल. I		2,04,16,208		10,51,11,803
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	4,00,29,391		69,582	
बी) अन्य जमा खातों में	—		35	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	—		—	
कुल. II		4,00,29,391		69,617
कुल..... (I + II)		6,04,45,599		10,51,81,420
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,09,52,05,963		96,23,57,875	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—		—	
iii) शेयर्स	54,38,140		83,42,097	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	27,66,12,442		21,46,94,317	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	9,17,892		32,78,914	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	4,55,53,697		6,43,84,140	
		<u>1,42,37,28,134</u>		<u>1,25,30,57,343</u>
II. भारत के बाहर निवेश **				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	—		—	
ii) एशोसिएट्स में निवेश	15,28,554		14,70,022	
		<u>15,28,554</u>		<u>14,70,022</u>
कुल		1,42,52,56,688		1,25,45,27,365
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,47,21,31,436		1,29,22,69,548	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधान	4,84,03,302		3,92,12,205	
शुद्ध निवेश		1,42,37,28,134		1,25,30,57,343
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	15,28,554		14,70,237	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधान	—		215	
शुद्ध निवेश		15,28,554		14,70,022
कुल		1,42,52,56,688		1,25,45,27,365

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	87,07,602		1,11,08,722	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	71,74,91,219		70,62,78,283	
iii) मीयादी ऋण	79,33,24,933		75,68,67,763	
कुल	1,51,95,23,754		1,47,42,54,768	
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,46,86,53,692		1,38,05,44,844	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	24,80,671		71,60,273	
iii) अरक्षित	4,83,89,391		8,65,49,651	
कुल	1,51,95,23,754		1,47,42,54,768	
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	73,90,82,594		78,08,25,482	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	3,52,55,809		4,18,77,509	
iii) बैंक	4,684		11,452	
iv) अन्य	74,51,80,667		65,15,40,325	
कुल	1,51,95,23,754		1,47,42,54,768	
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनुसूची 10 : अचल आस्तियां

I. परिसर

(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

4,02,29,395

4,03,28,001

वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)

44,780

14,580

कुल

4,02,74,175

4,03,42,581

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

49,009

1,13,186

कुल

4,02,25,166

4,02,29,395

इस दिनांक को मूल्यहास

79,40,090

73,27,018

कुल I

3,22,85,076

3,29,02,377

II. अन्य अचल आस्तियां

(फर्नीचर एव जुड़नार सहित)

पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि

3,12,44,089

2,90,91,778

वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन

37,43,980

27,59,755

कुल

3,49,88,069

3,18,51,533

वर्ष के दौरान कमी / समायोजन

7,86,270

6,07,444

कुल

3,42,01,799

3,12,44,089

इस दिनांक को मूल्यहास

2,31,18,692

2,10,37,316

कुल II

1,10,83,107

1,02,06,773

कुल.... (I + II)

4,33,68,183

4,31,09,150

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,99,53,120		1,85,19,612	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	5,37,37,981		5,16,70,499	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,09,837		2,01,811	
IV. आस्थगित कर आस्तियां	7,60,68,866		7,88,21,035	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	—		12,55,927	
VI. अन्य	7,45,02,298		8,34,21,435	
कुल	22,44,72,102		23,38,90,319	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		10,14,448		10,54,991
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		1,73,71,599		2,57,34,915
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		40,10,248		52,498
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		35,02,01,250		64,44,32,269
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	11,88,38,461		11,56,86,575	
बी) भारत के बाहर	74,99,916		71,56,062	
		12,63,38,377		12,28,42,637
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		4,27,13,097		6,61,57,213
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		2,02,21,289		64,55,861
कुल		56,18,70,308		86,67,30,384

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	12,60,92,661	13,05,38,318
II. निवेशों पर आय	9,92,49,408	8,46,02,032
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	48,08,903	87,28,057
IV. अन्य	66,04,930	36,17,788
कुल	23,67,55,902	22,74,86,195
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,13,78,451	1,20,69,533
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	1,21,49,423	21,51,879
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	23,03,830	14,04,372
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि)	(2,24,129)	(44,269)
V. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
VI. विविध आय	1,06,16,404	85,81,812
कुल	3,62,23,979	2,41,63,327
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाओं पर ब्याज	15,40,00,683	15,27,48,176
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	8,04,915	7,43,715
III. अन्य	52,40,009	58,54,688
कुल	16,00,45,607	15,93,46,579
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	4,22,58,653	3,57,44,821
II. किराया, कर एवं बिजली	49,53,346	47,40,970
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	3,10,361	2,89,078
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,09,291	1,06,284
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	28,54,811	27,79,348
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	17,073	18,525
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,82,930	3,05,825
VIII. विधि प्रभार	3,46,065	1,81,712
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,07,565	9,01,393
X. मरम्मत एवं रखरखाव	10,45,430	9,90,100
XI. बट्टाकृत अशोध्य ऋण	-	3,757
XII. बीमा	37,86,203	30,01,136
XIII. अन्य व्यय	1,25,18,220	1,17,38,637
कुल	6,93,89,948	6,08,01,586

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. ए) तैयार करने का आधार :

इसके साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई है एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निदेशन, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समेकित वित्तीय विवरणों को समूह (2 अनुषंगियों एवं 3 एसोशिएट के साथ [2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी. अनुषंगियों में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है, इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया गया है तथा इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां, स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन एसोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

डी. एसोशिएट्स अर्थात इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है। ऐसे मामले जिनमें एसोशिएट्स का लेखांकन वर्ष, मूल बैंक से भिन्न है तो, लेखापरीक्षित अवधि के लिए लाभ/ हानि का आनुपातिक हिस्सा लिया गया एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों का आनुपातिक लाभ का हिस्सा लिया गया है।

ई. यह समेकित वित्तीय विवरणी, लेनदेन एवं समान तथ्यों के अन्य मामलों के लिए उपयोग की जा रही एकल लेखांकन नीतियों पर तैयार की गई हैं तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति में यथासम्भव प्रस्तुत की गई है।

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्प शेषों में निम्न शामिल हैं

- अनुषंगी में किए गए निवेश की तारीख को अल्प शेषों के कारण इक्विटी की राशि, जिस दिन अनुषंगी में निवेश किया गया, एवं
- मूल बैंक एवं अनुषंगी का सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में अंतरण।

3. बी) विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन

3.1 शुरुआत में लेनदेनों को पिछले दिन के अंतिम दर पर दर्ज किया जाता है।

3.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण फाइनांशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि (एफआईबीआईएल) द्वारा तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

- 3.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 3.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित किए जाते हैं।
- 3.5 बकाया वायदा संविदाएं तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा संसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

4. निवेश :

(ए) मूल बैंक

- 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है
 - i. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - iii. शेयर्स
 - iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
 - v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
 - vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)

4.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जाता है :

- i) परिपक्वता तक धारित
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है। अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश को भी "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ii) व्यापार के लिए धारित
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
- iii) विक्रय के लिए उपलब्ध
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

4.3 श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत / बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से न्यूनतम के आधारित लेखांकित किया जाता है। इस अंतरण पर मूल्यहास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

4.4 मूल्यनिर्धारण :

- ए) परिपक्वता तक धारित :
इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।
अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत के अनुसार किया जाता है।
- बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :
इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां,	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1/- प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एसआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूतियों के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा फाइनेंशियल बेंचमार्कर्स इंडिया प्रा.लि. (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

4.5 लागत निर्धारण :

- निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

4.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.
- प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

4.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) :

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ ऋण के रूप में मान्य किया जाता है।

(बी) अनुषंगियाँ :

4.8 अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। यदि मूल्य में हास स्थायी प्रकृति का है तो हास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है।

5. डेरिवेटिव्स :

5.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखांकन किया गया है।
- स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

- एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है।
- एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/ नामे द्वारा लेखांकन किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित किया जाता है।
- बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं। किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।
- स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

6. अग्रिम :

6.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्यथा आवश्यक हो, किए गये हैं।

6.2 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई) / एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कापेरेशन ऑफ़ इंडिया (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

6.3 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं।

6.4 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

- यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है।
- यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है।
- यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वित्तीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है।

- 6.5 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
- 6.6 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) जहां ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है, ऐसे मामले को छोड़कर ब्याज आय उपचय आधार पर मानी जाती है। ऋणों में, मूलधन एवं ब्याज सहित चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ब्याज की गणना माह के आरम्भ में बकाया शेष के आधार पर की जाती है। संपूर्ण ऋण संवितरित होने के पश्चात ईएमआई शुरू होती है। ईएमआई का आरम्भ होना लम्बित रहने पर, प्री-ईएमआई मासिक ब्याज वसूल किया जाता है। एनपीए के मामले में वसूली होने पर पहले बकाया ईएमआई के ब्याज अंश को वसूल किया जाता है एवं इसके पश्चात बकाया ईएमआई के मूलधन अंश को वसूल किया जाता है।

7. अचल आस्तियां/मूल्यहास:

(ए) मूल बैंक

7.1 अचल आस्तियों का मूल्यहास “मूल्यहासित मूल्य प्रणाली” के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i. परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii. फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii. वाहन 20%	
iv. वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v. सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

- 7.2 99 वर्षों से अधिक के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है। पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- 7.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास सम्मिश्र लागत पर किया गया है।
- 7.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन को “पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि” से अंतरित कर “राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि” में जमा किया गया है।
- 7.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

(बी) अनुषंगियां

- 7.6 अचल संपत्तियों में अधिग्रहण की लागत कम जमा मूल्यहास के रूप में बताई गई है। लागत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्चों के आकस्मिक सभी खर्च शामिल है।
- 7.7 सेन्ट बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यहास कम्पनी, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के अधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है।

8. कर्मचारी लाभ :

- 8.1 कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माने गए हैं।
- 8.2 परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेज्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमाकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है। बीमाकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है।

- 8.3 भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.
- 8.4 राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिनकी बैंक में नियुक्ति दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद हुई है, एक निर्धारित योगदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.
- 8.5 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि., एक अनुषंगी के मामले में ग्रेच्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में कम्पनी का योगदान सरकारी भविष्य निधि द्वारा किया जाता है एवं लाभ-हानि के विवरणियों में प्रभारित किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष अर्जित अवकाश के आधार पर गणना की जाती है.

9. आय एवं व्यय की पहचान :

- 9.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यतः उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है.
- 9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.
- 9.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता है.
- 9.4 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रियों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.
- 9.5 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.
- 9.6 सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंधों में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है. डिबेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व, आवधिक आधार पर निर्धारित किया जाता है एवं दखिल किए गए वाद और/ अथवा बीआईएफआर कम्पनियों के डिबेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से होने वाली आय जिसमें प्राप्य आधार पर गणना की जाती है, को छोड़कर उपचय आधार पर गणना की जाती है.

10. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पञ्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यहास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

11 प्रति शेयर आय:

बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर की गणना ईक्विटी शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोग्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है.

12. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि., एक अनुषंगी के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थी की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के "विविध लेनदार, अदावाकृत लाभांश/ब्याज एवं अनाबंटित मोचन पर अदावाकृत प्राप्तियां" में जमा की जाती है.

भुगतानकर्ता से जैसे ही लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

13. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों, जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है।

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

(आलोक श्रीवास्तव) कार्यपालक निदेशक	(बी.एस. शेखावत) कार्यपालक निदेशक	(पल्लव महापात्र) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(तपन राय) अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	प्रो.(डॉ.) आत्मानंद निदेशक	श्रीमती मिनी आइप निदेशक	
कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू	कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू	कृते एएजेवी एंड एशोसिएट सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 007739एन	कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार एफ.आर. सं. 309005ई
(सीए दर्शित दोशी) भागीदार सदस्यता सं.133755 यूडीआईएन: 20133755AAAACL3842	(सीए ए.वी. कामत) भागीदार सदस्यता सं. 039585 यूडीआईएन : 20039585AAAADX1018	(सीए दीपक गर्ग) भागीदार सदस्यता सं. 093348 यूडीआईएन: 20093348AAAABE4853	(सीए नेमाई गौराई) भागीदार सदस्यता सं. 057892 यूडीआईएन: 20057892AAAAFN4042

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

अनुसूची 18 : समेकित वित्तीय लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं एसोशिएट्स

- 1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से "द ग्रुप" के संदर्भित किया गया है) एवं 4 एसोशिएट, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2020 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2018 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

नोट :

गजट अधिसूचना एफ सं.7/8/2017-आरआरबी (मध्य प्रदेश) दिनांक 11 जनवरी, 2019 के माध्यम से भारत सरकार ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया) एवं सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा (प्रायोजक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को मिलाकर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम दिया गया है, के रूप में एकीकरण की योजना का अनुमोदन कर दिया है. यह एकीकरण दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हो गयी है. परिणामस्वरूप सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक छिन्दवाड़ा को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के एक एसोशिएट के रूप में नहीं माना गया है.

- 1.2 अनुषंगियां तथा एसोशिएट में जिन वित्तीय विवरणियों का समेकन के लिए उपयोग किया गया है, उनको उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयारी की गई है अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2020 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है. तदपि लाभ की राशि दिनांक 31.12.2019 को समाप्त 9 माह के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर ली गई है एवं दिनांक 31.03.2020 को समाप्त 3 माह के लिए लाभ की राशि अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर ली गई है. इंडो जाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणियों स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार की गई है. प्रबंधन के अभिमत में प्रभाव कोई खास नहीं है.
- 1.3 एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया गया है.
- 1.4 अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.
- 1.5 अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अनुषंगियों और एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है, सिवाय दो क्षेत्रीय बैं. (एसोशिएट) जिनके नाम उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हैं, जो कि अलेखापरीक्षित है, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गई है.
2. समेकित वित्तीय विवरणियों बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोशिएट द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, जैसे कि, प्रबंधन के विचार से यह कोई बड़ी बात नहीं है, समायोजन नहीं किए गए.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी

- 3.1.1 दिनांक 31.03.2020 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹5709.76 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 4047.20 करोड़ थी. यह वृद्धि दो आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 1662561287 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.
- ए. दिनांक 15.05.2019 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पात्र कर्मचारियों को ₹ 17.00 प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 78716224 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.
- बी. दिनांक 26.11.2019 को भारत सरकार को ₹ 11.17 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 1583845063 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

3.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है. हालाँकि कुछ प्रविष्टियाँ प्रगति पर है :

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाते
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेंट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते
- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अद्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर:

- 3.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान, विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.
- 3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 1735.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2569.16 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.4 परिसर :

बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त परिसरों की परिसम्पत्तियों की लागत ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.75 करोड़) है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन है.

ऐसी आस्तियां, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 112.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.80 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है.

3.5 अग्रिम / प्रावधान :

- 3.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.
- 3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्र्रीय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.
- 3.5.3 अनर्जक आस्तियों के लिए अस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन का प्रकटीकरण
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारिबै द्वारा अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं प्रावधानों एवं आकस्मिक व्यय के पूर्व दर्ज लाभ के 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक है, यह निम्नलिखित प्रकटीकरण आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन से संबंधी भारिबै की परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार बनाई गई है.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	32356.04
2.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल एनपीए	34921.04
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2565.00
4.	बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को शुद्ध एनपीए	11333.24
5.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार 31 मार्च, 2018 को शुद्ध एनपीए	13898.24
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	2565.00
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	19933.58
8.	भारिबैंक के निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	20721.58
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	788.00
10.	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(5641.48)
11.	प्रावधानों में विचलन की गणना करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक)	(6429.48)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक, उपरोक्त को इसके कार्यशील परिणामों के प्रभावों को विधिवत अभिलेखित करती है।

3.6 भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को 0.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.16 करोड़) से दण्डित किया है।

अधिनियम के किसी प्रोवीजन के विपरीत अथवा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949; अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य अपेक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आदेश, नियम अथवा विशिष्ट शर्त के अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ट्रेजरी परिचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दण्ड शून्य है।

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी की प्रकटीकरण किया जाता है :

4.1 लेखांकन मानक - 9 राजस्व पहचान

मूल लेखांकन नीति संख्या 8 के अनुसार, आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है। तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

4.2 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ

4.2.1 कर्मचारी लाभ :

i) सुपरिभाषित अंशदान योजना :

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 91.85 करोड़ (पिछले वर्ष 79.62 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है।

ii) सुपरिभाषित लाभ योजना :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेज्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन पर्दर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1648.13	14245.10	1741.56	13821.17
ब्याज लागत	128.39	1108.27	136.36	1076.67
चालू सेवा लागत	64.61	71.81	66.18	83.98
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(300.88)	(1,191.08)	(270.50)	(1170.59)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	82.98	1187.72	25.47	433.87
वर्ष के अंत में देयताएं	1623.23	15421.82	1648.13	14245.10
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1878.26	14645.14	2124.94	13515.58
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.32	1139.39	166.38	1048.81
अंशदान	0	0	0	0
अन्य कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(300.88)	(1191.08)	(270.50)	(1170.59)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1720.32	14939.64	1878.26	14645.14
मान्य हेतु कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	(86.36)	(841.53)	(17.09)	(506.33)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :				
चालू सेवा लागत	64.61	71.81	66.18	83.98
ब्याज लागत	128.39	1108.27	136.36	1076.67
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(146.32)	(1139.39)	(166.38)	(1048.81)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	0	0	0	0
वास्तविक लाभ/हानि	86.36	841.53	17.09	506.53
लाभ/हानि में स्वीकृत व्यय	133.04	882.22	53.25	618.37
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	146.32	1139.39	166.38	1048.81
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	142.94	1485.58	123.82	976.15

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(6.34)	12.65	(29.08)	422.24
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.38	(346.19)	(42.56)	72.66
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
चालू छूट दर	6.84	6.83	7.79	7.78
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	6.84	6.83	7.79	7.78
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 99.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 84.09 करोड़) का व्यय माना है।

4.2.2सेन्ट बैंक होम फाइनांस लि., अनुषंगी, पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी कवर प्रदान करती है। अपने देयता की निधियों के लिए, कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ले रखी है, अपने कर्मचारियों की संचित ग्रेच्युइटी देयता का कवर एवं इस पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान लाभ एवं हानि खाते से किया जाता है। अवकाश नकदीकरण देयता हेतु प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च, 2020 को कर्मचारियों की की सावधि अवकाश के शेष पर की जाती है। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए यही दिया गया है..

4.3 लेखांकन मानक 17 – समूह का खंडवार रिपोर्ट

व्यवसाय खंड

₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री		कांपैरिट/समष्टिगत बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
राजस्व	12,252.52	10,016.80	7,212.85	7,115.12	7,733.92	7,919.59	-	-	27,199.29	25,051.51
परिणाम	2,380.29	10.77	(2,802.95)	(8,268.62)	(333.55)	243.93	-	-	(756.22)	(8,013.92)
अनाबंटित व्यय									153.27	156.30
परिचालन लाभ									(909.49)	(8,170.22)
आय कर									211.86	(2,528.74)
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ									(1,121.35)	(5,641.48)
अन्य सूचना										
खंड आस्तियां	1,76,075.99	1,62,107.96	82,540.75	72,130.18	82,542.57	81,040.22	-	-	3,41,159.31	3,15,278.36
अनाबंटित आस्तियां									15,276.55	15,439.30
कुल आस्तियां									3,56,435.86	3,30,717.66
खंड देयताएं	1,81,122.41	1,66,200.97	77,633.98	68,454.78	76,250.00	76,910.81	-	-	3,35,006.39	3,11,566.56
अनाबंटित देयताएं									-	-
कुल देयताएं									3,35,006.39	3,11,566.56
नियोजित पूंजी	(5,046.42)	(4,093.01)	4,906.78	3,675.40	6,292.56	4,129.41	-	-	6,152.92	3,711.80
अनाबंटित									15,276.55	15,439.30
कुल नियोजित पूंजी									21,429.47	19,151.10

*जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है। वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

- जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेज़री परिचालन, कांपैरिट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है। द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
- ट्रेज़री परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।

- iv) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, प्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.
- v) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.
- vi) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.
- vii) रिटेल बैंकिंग खंड प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, इनके द्वारा लिए गए निधियों हेतु रिटेल बैंकिंग खंड की क्षतिपूर्ति करती है, जिसे इनके द्वारा अर्जित जमाओं की औसत लागत माना गया है.

viii) **लागत का आबंटन :**

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

4.4 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टि प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टि (मूल बैंक की)

1 संबद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) दिनांक 31.03.2020 को प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ii)	श्री पी. आर. मूर्ती (16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री बी.एस. शेखावत (दिनांक 09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आलोक श्रीवास्तव (दिनांक 23.01.2019 से)	कार्यपालक निदेशक

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 21.09.2018 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	31.77	14.68
श्री राजीव ऋषि (दिनांक 31.07.2018 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	-	39.50
श्री पी. आर. मूर्ती (16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	82.88	24.98
श्री बजरंग शेखावत	कार्यपालक निदेशक	24.47	24.47
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	26.14	4.60
कुल		165.26	108.23

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

4.5 लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

(₹ लाख में)

	31.3.2020	31.3.2019
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	(1255.72)	(5616.92)
भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	6210075175	2794601814
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(2.02)	(20.19)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(2.02)	(20.19)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

4.6 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2020 को ₹7606.88 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
मूल बैंक				
व्यावसायिक हानि	1591.74	346.89	0.00	0.00
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	285.56	250.87	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	6579.73	8004.11	0.00	0.00
सेवानिवृत्ति लाभ	0.00	0.00	33.93	0.00
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	695.83	645.15
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	75.53	27.77
सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.				
अग्रिमों पर प्रावधान	7.14	4.29		0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	0.02	0.00		0.01
अन्य	0.10	0.00	1.37	1.60
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	16.37	15.18
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (शुद्ध)	0.56	0.60	0.00	0.00
योग	8464.85	8606.76	857.97	724.65
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	7606.88	7882.11		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2019-20 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध कमी रु. 275.23 करोड़ (पिछले वर्ष बढ़ोत्तरी रु. 2524.52 करोड़) मानी गई.

4.7 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2020 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मानक आधार पर मान्य करने की आवश्यकता है.

4.8 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष "व्यय" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2020	31.03.2019
निवेश पर प्रावधान/हास (शुद्ध)	1065.54	983.88
एनपीए हेतु प्रावधान	4229.40	11029.86
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	172.34	(114.93)
कर हेतु किए गए प्रावधान	211.86	(2528.74)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(158.82)	(425.02)
अन्य प्रावधान	(54.83)	(177.08)
कुल	5465.49	7837.89

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण बफर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्र्रीय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

5. अन्य प्रकटीकरण

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स, अनुषंगी ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.39 करोड़) खर्च किए.

5.2 प्रोवीजनिंग कवरेज रेशो (पीसीआर)

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 77.29% (गत वर्ष 76.60%) रहा - मूल बैंक.

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 64.61% (गत वर्ष 64.97%) रहा - मूल बैंक.

5.3 सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी, शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निवर्हन किया जाता है.

5.4 एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.59 करोड़ की राशि सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित / आबंटित नहीं की हैं, जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2019 को ₹ 1.50 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2020 को यह बढ़कर ₹ 1.59 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

5.5 भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, 91 दिनों से 180 दिनों के लिए जोखिम साझेदारी आधार पर दिनांक 31.03.2020 को ₹ 1500 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य करोड़) के अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी किए थे, जिस कारण दिनांक 31.03.2019 को मूल बैंक के कुल अग्रिमों में इतनी मात्रा कम हो गई.

5.6 प्रबंधन के द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार, वेन्डर्स, जिनकी सेवाएं ली गयी हैं एवं जिनसे मूल बैंक द्वारा खरीदी की गयी है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं. यह लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

5.7 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 20.05.2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

5.8 मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.9 एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में मूल बैंक ने दिनांक 31.03.2020 को ₹ 5813.74 करोड़ का कुल प्रावधान (कुल बकाया का 92.46%) रखा है.

5.10 तनावग्रस्त हो चुके एमएसएमई खातों (एमएसएमई, जैसा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया है) की अर्थपूर्ण पुनर्रचना करने के दृष्टिकोण से, भारिबैं द्वारा अधिसूचना भारिबैं/2028-29/100 डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 जनवरी 1, 2019 एवं तत्पश्चात अधिसूचना भारिबैं/2019-20/160 डीआरआर सं. बीपी.बीसी.34/21 04.048/2019-20 फरवरी 11, 2020 यह निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई के विद्यमान ऋणों की एक बारी पुनर्रचना की अनुमति देकर, आस्ति वर्गीकरण में बिना स्तर कम किए इन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाए. दिनांक 31.03.2020 को एमएसएमई के पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
17480	697.52

5.11 कोविड 19 विनियामक पैकेज के संबंध में प्रकटीकरण - भारिबैं परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार मूल बैंक के आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

भारिबैं ने अधिसूचना सं. भारिबैं/2019-20/186 डीआरआर सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधान के कारण ऋण सेवा के भार को कम करने एवं व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने एवं व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की है.

कोविड-19 के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देश दि.17 अप्रैल, 2020 के अनुसार, बैंक मानक के रूप में वर्गीकृत यदि वे 29 फरवरी, 2020 को

अतिदेय हों, तब भी सभी पात्र उधारकर्ताओं को सभी किश्तों और/अथवा ब्याज के भुगतान पर तीन महिनों का एक मोरेटोरियम प्रदान करेगा. ऐसे सभी खाते जिनमें मोरेटोरियम प्रदान किया गया है. आस्ति वर्गीकरण, मोरेटोरियम अवधि में यथावत रहेगा (अर्थात् देय दिनों की संख्या को, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान नियमों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से मोरेटोरियम अवधि से घटा दिया जाएगा)

उपरोक्त परिपत्रों का प्रभाव निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	एसएमएम/अतिदेय वर्ग, जहां मोरेटोरियम दिया गया है, में संबंधित राशि	33577.18
2.	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है.	2864.99
3.	चौथी तिमाही क्यू4, वित्तीय वर्ष 2019;20 के दौरान कृत प्रावधान	143.25
4.	गिरावट एवं अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित किए गए प्रावधान	शून्य

5.12 भारिबैं ने एक ई-मेल दि.19 मई, 2020 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्टमें "क्या बैंक वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा उन नियंत्रणों पर परिचालनात्मक प्रभाव रखता है" पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता वैकल्पिक है, जिसे मूल बैंक ने नहीं चुना है.

5.13 भारत सहित विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी फैल जाने के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में कमी एवं वित्तीय बाजारों में अस्थिरता हो गई है. कोविड-19 महामारी किसी सीमा तक समूह के वित्तीय परिणामों पर प्रभाव डालेगी. यह भावी घटनाओं पर निर्भर है, जो बहुत अनिश्चित है. कोविड-10 महामारी के कारण अनिश्चितता को देखते हुए समूह भावी आर्थिक स्थिति में किसी भी तथ्यात्मक परिवर्तन पर लगातार निगरानी रख रहा है, जो भविष्य में समूह के परिचालन तथा इसके वित्तीय परिणामों पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के दिनांक के अनुरूप आकलन भावी घटनाओं के आधार पर भिन्न हो सकता है.

5.14 जहां पर आवश्यक हुआ है, वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुर्नसमूहित / पुर्नवर्गीकृत किया गया है.

(आलोक श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

(वी.एस. शेखावत)
कार्यपालक निदेशक

(पल्लव महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(तपन राय)
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो.(डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आड्डप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755
यूडीआईएन:
20133755AAAACL3842

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585
यूडीआईएन : 20039585AAAADX1018

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348
यूडीआईएन:
20093348AAAABE4853

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892
यूडीआईएन:
20057892AAAANFN4042

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31- 03- 2020	31- 03- 2019
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
टैक्स एवं माइनारिटी इंटररेस्ट पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(1,034.43)	(8,131.13)
I समायोजन हेतु:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	285.48	277.93
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	1,065.54	983.88
अनर्जक आस्तियों के संबंध में डूबत ऋण अपलिखित / प्रावधान	4,079.06	10,628.26
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	174.10	(115.75)
अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	(54.61)	(198.54)
अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	22.41	4.43
उप योग	4,537.56	3,449.08
II समायोजन हेतु:		
जमा में वृद्धि / (कमी)	13,889.76	4,956.90
उधारों में वृद्धि / (कमी)	436.37	(386.02)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	8,789.87	(1,103.14)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(8,605.96)	(574.21)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(18,138.47)	(23,667.15)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	927.96	2,635.91
प्रत्यक्ष प्रदत्त कर का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	(149.18)	178.64
उप योग	(2,849.67)	(17,959.07)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	1,687.89	(14,509.98)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	7.18	3.48
अचल आस्तियों की खरीद	(321.96)	(254.42)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(314.78)	(250.94)
सी वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	3,403.22	6,592.00
शेयर आवेदन राशि	-	212.54
लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(7.00)	(7.00)
लाभांश कर	(0.44)	(1.43)
वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	3,395.78	6,796.11
डी नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ - ई) में शुद्ध वृद्धि	4,768.89	(7,964.81)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31- 03- 2020	31- 03- 2019
ई वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
नकद एवं भारिबै में जमा शेष	20,779.45	36,000.12
बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	10,518.14	3,262.29
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य (ई)	31,297.59	39,262.41
एफ वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद समतुल्य		
भारिबै में नकद एवं जमा शेष	30,021.92	20,779.45
बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	6,044.56	10,518.14
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य (एफ)	36,066.48	31,297.59

नोट:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार "अप्रत्यक्ष माध्यम" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समाहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

श्रीमती मिनी आड्डप
निदेशक

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 309005ई

(सीए दर्शित दोशी)
भागीदार
सदस्यता सं. 133755

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

(सीए नेमाई गौराई)
भागीदार
सदस्यता सं. 057892

यूडीआईएन: 20133755AAAAACL3842

यूडीआईएन: 20039585AAAAADX1018

यूडीआईएन: 20093348AAAAABE4853

यूडीआईएन: 20057892AAAAAFN4042

स्थान: मुंबई

दिनांक: 29 जून, 2020



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Stakeholders,

It is my privilege to address you and release the Annual Report for the financial year 2019-20. Your Bank has made material progress in several key areas during the financial year 2019-20 and has put in place some of the best practices for the benefit of customers, while at the same time taking care of stakeholders' interests. The Bank has continued to focus its attention on creating efficiency at every step, with a view to generate value in discharge of its functions.

As we are aware, the novel Covid-19 pandemic has caused unprecedented disruptions across the world leading to considerable adverse impact on the global economy. The country-wide lockdowns, as one of the unavoidable measures that most countries have adopted to fight this invisible enemy, has resulted in slowdown, in production, consumer demand, trade and commerce, etc. affecting both the supply side and the demand side of the economy. As per the latest IMF projection of June 2020, Indian economy is likely to contract by 4.5% in 2020-21 and then to grow by 6.0% in 2021-22.

The banking system is an important driver of economic growth as it mobilizes savings and channelizes them into productive investment. The Government of India announced recapitalization of public sector banks in 2019 and also took various measures to strengthen the banking system. Banks have now moved towards risk based pricing, creation of stressed asset verticals, cash-flow ring fencing, etc. with a view to improve efficiency. Such measures would inevitably strengthen the efficacy of the banking system and increase credit flow in the economy. To ensure better transmission of policy rates to the real economy, the banks have linked their various products to external benchmarks. This move would further enhance the efficiency gains for the economy as a whole.

I am glad to report that your Bank has taken various initiatives during the year, such as organizational restructuring for better focus on business, rationalization of retail lending products to suit the customers, setting up of Centralized Credit Processing branches for retail loans, setting up of separate vertical for marketing in all regional offices, etc. Further, your Bank has taken initiatives as regards analytics based business transformation programme, in the process of upgradation of data warehousing, as well as for planning of MSME hubs, among others. All these efforts should take your Bank towards a path of sustained efficiency and profitability. Going forward, the efficiency should be further boosted by the various reforms undertaken, effective resolution of stressed assets, speeding up the process of recovery, having effective fraud control mechanisms in place, improved transmission, etc.

The Government of India had announced reforms agenda for public sector banks in January 2018 under the Enhanced Access & Service Excellence (EASE) Reforms Index. The EASE 1.0 (2018-19) and EASE 2.0 (2019-20) addressed different issues of public sector banks in a systematic manner and thus paved the way for more effective governance by the Boards and leadership. The reforms have resulted in the improvement in various dimensions such as underwriting, monitoring, recovery, smart banking, etc. Thus, having laid down a strong foundation for robust banking in EASE 1.0 and

EASE 2.0, the EASE 3.0 aspires to make the public sector banks “prime movers of smart lending and tech-enabled EASE of banking for an aspiring and inclusive India, while simultaneously hard-wiring sound banking through IT systems and adopting a transformative agenda for governance and outcome-centric HR”.

Your Bank has embraced the core value of customer centricity through effective branch banking and other novel mechanisms to keep pace with the fast evolving standards of the financial services industry. The Bank continues to leverage technology for better customer service. Your Bank has put in place a strong risk management practice and structures for compliance with very high standards of governance including internal controls and vigilance that will definitely have a long lasting impact on the overall performance of the Bank.

As regards corporate governance, your Bank has adhered to the highest degree of transparency. The thrust of corporate governance has always been to maximize stakeholder value by pursuing ethical practices in the conduct of business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various committees of the Board.

In conclusion, I would like to thank our customers for allowing us to serve them diligently. I also thank our stakeholders for their constant support in all our endeavors.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Tapan Ray

Place: Gandhinagar

Date: June 29, 2020



MESSAGE FROM THE DESK OF MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dear Shareholder,

The global economic environment in recent times have significantly been disrupted by several factors such as geo-political tensions, trade related escalations and most recently outbreak of novel Covid-19 that led to “free fall” of global output, rarely observed in the past as countries went for unprecedented “great lockdown”. Many countries went for substantial stimulus measures - both fiscal and monetary – to combat the economic fallout of the Covid-19 pandemic. Several countries globally have resorted to providing income support to households, incentives to businesses, cash and food transfer to poor, and others. On the monetary front, the central banks of many countries have reduced their policy rates and adopted other measures to improve liquidity in the system. For 2020, it is expected that the global growth would contract significantly and then would bounce back in 2021 on the back of low base effect, positive impact of stimulus measures and anticipated advancement in Covid-19 treatment.

The domestic economy has moderated in Q4 2019-20 with real GDP came in at 3.1% YoY vis-à-vis 4.1% YoY in Q3 2019-20. As per the provisional estimates, real GDP for the fiscal year 2019-20 stood at 4.2% as against 6.1% in 2018-19. Private final consumption expenditure moderated in 2019-20 but Government consumption expenditure exhibited double digit growth in 2019-20. High frequency data indicated that the Covid-19 pandemic adversely impacted the economy in Q1 of FY 2020-21. Both the manufacturing as well as service industries remained in contraction zone for April and May 2020 as indicated by PMI numbers.

The Government of India in a move to provide stimulus to the economy announced “Atmanirbhar Bharat Package”. Overall stimulus provided under the package stood at ₹ 20,97,053 crore. The Government of India announced support to various sections of the society under the Package. Under the Atmanirbhar Bharat Package, the Government has provided for support to migrant workers, farmers, MSMEs, businesses, etc. Government announced insurance coverage of ₹ 50 lakh for per health worker who are fighting Covid-19 in a bid to provide security. The Government announced for cash transfers to poor and also announced to provide food and gas cylinders, etc.

The Reserve Bank of India (RBI) reduced the policy rates several times in the recent period. Earlier, the RBI introduced Targeted Long Term Repo Operations (TLTROs) to enhance system liquidity. The RBI also granted loan moratorium on terms loans initially for 3 months and then extended by another 3 months. For Scheduled Commercial Banks (SCBs), both the credit and deposit growth in March 2020 moderated as compared to growth in those in March 2019.

Let me elucidate the highlights of your Bank’s performance in the year. During the Financial Year 2019-20, Business of the Bank stood at ₹ 4,86,007 crore as compared to ₹ 4,67,584 crore in the Financial Year 2018-19. The Deposit of the Bank stood at ₹ 3,13,763 crore as against ₹ 2,99,855 crore in March 31, 2019. The CASA share as a percentage of Total

Deposits stood at 46.83% as against 46.39% in Financial Year ended March 31, 2019. Total Advances stood at ₹ 1,72,244 crore in March 31, 2020 as against ₹ 1,67,729 crore in March 31, 2019 registering growth of 2.69% on YoY basis.

Asset Quality continued to be the major concern of the Banking Industry in general and particularly in the Bank for last 3-4 years. Cash recovery (including sale of NPA) reduced to ₹ 3326 crore in the financial year ended March 31, 2020 as compared to ₹ 5161 crore in the previous financial year ended March 31, 2019. Although, Gross NPA percentage reduced to 18.92% as of March 31, 2020 compared to 19.29% as of March 31, 2019 and also Net NPA percentage was brought down to 7.63% as on March 31, 2020 from 7.73% as of March 31, 2019. Recovery in written off accounts is ₹ 693 crore against ₹ 557 crore in the previous Financial Year. We expect resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC and outside during 2020-21. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2020-21.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 5.11% during the financial year 2019-20 as against 5.21% during the financial year 2018-19. Net Interest Income of the Bank increased to ₹ 7,629 crore from ₹ 6,773 during 2019-20 whereas Non Interest Income increased to ₹ 3,637 crore from ₹ 2,413 crore during 2019-20. Net Interest Margin (NIM) was at 2.80% vis-à-vis 2.54% during financial year 2019-20.

The Operating Profit of the Bank stood at ₹ 4,344 crore as against ₹ 3,127 crore in financial year 2019-20. However, Bank has incurred Net Loss of ₹ 1,121 crore as compared to Net Loss of ₹ 5,641 crore during previous financial year. The Bank's Provision Coverage Ratio improved to 77.29% as on 31.03.2020 from 76.60% as on 31.03.2019 which has strengthened the Balance Sheet. The Cost to Income ratio also improved significantly from 65.96% as on 31.03.2019 to 61.44% as on 31.03.2020. The Capital to Risk Asset Ratio CRAR (Basel-III) improved from 9.61 % in FY 2019 to 11.72% in FY 2020. All these financial indicators show change in the right direction with positive outlook.

As on 31st March, 2020, Bank has a network of 4,651 branches, 3,642 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 642 Districts out of 739 districts in the country, is a source of strength to the Bank.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended on March 31, 2020.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Pallav Mohapatra

Place: Mumbai

Date: June 29, 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the 13th (Thirteenth) Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 7th August, 2020 at 11.00 A.M. at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To raise Capital through FPO/Rights/QIP, etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all

such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Deputy General Manager

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 29.06.2020

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- i. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Bank is being held through VC/OAVM.
- ii. Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.
- iii. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been

sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 31st July, 2020 being the immediate preceding working day to Sunday, 2nd August 2020.

iv. **Registration of email ID and Bank Account details:**

In case the shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/ Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.
OR

(ii) In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

v. The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

vi. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

Instructions for Shareholders/Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

1) Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> and register with your following details:

- a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
- b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
- c. Mobile No.
- d. Email ID

2. Click "Go to Meeting"

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6270.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: smmdbd@centralbank.co.in from 04.08.2020 at 10.00 am to 06.08.2020 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail : investors@centralbank.co.in . The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutiniser during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

1. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".
2. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on '**Submit**'.
3. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
4. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired.
Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'.
5. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
6. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6270.

3. REMOTE E-VOTING

- I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 04th August 2020 at 10.00 AM and ends on Thursday, 06th August 2020 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 31st July 2020, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

Log-in to e-Voting website of Link Intime India Private Limited (LI IPL)

1. Visit the e-voting system of LI IPL. Open web browser by typing the following URL: <https://instavote.linkintime.co.in>.
2. Click on "Login" tab, available under 'Shareholders' section.
3. Enter your User ID, password and image verification code (CAPTCHA) as shown on the screen and click on "SUBMIT".
4. Your User ID details are given below:
 - a. **Shareholders holding shares in demat account with NSDL:** Your User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID
 - b. **Shareholders holding shares in demat account with CDSL:** Your User ID is 16 Digit Beneficiary ID
 - c. **Shareholders holding shares in Physical Form (i.e. Share Certificate):** Your User ID is Event No + Folio Number registered with the Company
5. Your Password details are given below:

If you are using e-Voting system of LI IPL: <https://instavote.linkintime.co.in> for the first time or if you are holding shares in physical form, you need to follow the steps given below:

Click on "Sign Up" tab available under 'Shareholders' section, register your details and set the password of your choice and confirm (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character, at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).

For Shareholders holding shares in Demat Form or Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders). <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with depository Participant or in the Bank record are requested to use the sequence number as communicated vide e-mail. In case sequence number is not received through e-mail, Members can write an email to instameet@linkintime.co.in or call at Telephone no. 022-4918 6270, for obtaining sequence number.
DOB/ DOI	Enter the DOB (Date of Birth)/ DOI as recorded with depository participant or in the Bank record for the said demat account or folio number in dd/mm/yyyy format.
Bank Account Number	Enter the Bank Account number (Last Four Digits) as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio number. <ul style="list-style-type: none"> • Please enter the DOB/ DOI or Bank Account number in order to register. If the above mentioned details are not recorded with the depository participants or the Bank, please enter Folio number in the Bank Account number field as mentioned in instruction (iv-c).

If you are holding shares in demat form and had registered on to e-Voting system of LI IPL: <https://instavote.linkintime.co.in>, and/or voted on an earlier voting of any company then you can use your existing password to login.

If Shareholders holding shares in Demat Form or Physical Form have forgotten password:

Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character, at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE: The password is to be used by demat shareholders for voting on the resolutions placed by the Bank in which they are a shareholder and eligible to vote, provided that the company opts for e-voting platform of LIPL.

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Cast your vote electronically

6. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
7. On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.

Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired.

Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.

8. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
9. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
10. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
11. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

General Guidelines for shareholders:

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body' login for the Scrutinizer to verify the same.

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Friday, 31st July, 2020. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 31st July, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.
 - IV. Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 31st July 2020, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
 - V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.
 - VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
 - VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
 - VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
4. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.**
 5. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**
The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 04th August, 2020 (Tuesday) to 07th August, 2020 (Friday) (both days inclusive).
 6. **VOTING RIGHTS**
In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
 7. **EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS**
As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.
 8. **Shareholders are requested to access the Annual Report from the Bank's website for the Meeting.**
 9. **Intimation to shareholders holding shares in physical form:**
As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.
 10. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**
The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.
As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). Therefore, your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) through various modes such as - Follow-on-Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutions Placements, etc. subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Deputy General Manager

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 29.06.2020

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20
Total Business	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007
YoY Growth	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%
Total Deposits	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763
YoY Growth	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%
Total Loans & Advances	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244
YoY Growth	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%
Investments	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358
YoY Growth	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.04%
CD Ratio	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%
Return on Assets	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20
Gross Income	11,525	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	25,200
YoY Growth	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	0.59%
Gross Expenses	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,855
YoY Growth	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.24
Operating Profit	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344
YoY Growth	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%
Net Profit/Loss	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)
YoY Growth	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%
NIM (%)	1.97%	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.50%
Net Interest Income	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629
YoY Growth	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%
Non Interest Income	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637
YoY Growth	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73

DIRECTORS' REPORT 2019-20

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2020.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank stood at ₹ 486007 crore as at March 31, 2020 compared to ₹ 467584 crore as at March 31, 2019.
- ❖ Total Deposits stood at ₹ 313763 crore as against ₹ 299855 crore in March 31, 2019.
- ❖ Total Advances of the Bank stood at ₹ 172244 crore as against ₹ 167729 crore in March 31, 2019.
- ❖ Total Income for the financial year ended March 31, 2020 was ₹ 27200 crore as compared to ₹ 25052 crore for the financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 3637 crore for the financial year ended March 31, 2020 compared to ₹ 2413 crore for the financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Operating Profit of the Bank increased to ₹ 4344 crore for the financial year ended March 31, 2020 as compared to ₹ 3127 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2019 showing increase of 38.92%.
- ❖ The Bank has incurred Net Loss of ₹ 1121 crore for the financial year ended March 31, 2020 as compared to Net Loss of ₹ 5641 crore during previous financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Expenses on employees increased by ₹ 651 crore during the financial year ended March 31, 2020 to ₹ 4217 crore from ₹ 3566 crore in the previous financial year ended March 31, 2019 due to higher provisions for terminal benefits.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.95 with Tier I at 7.57% and Tier II at 4.38% for the financial year ended March 31, 2020. Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 11.72% with Tier I at 9.33% and Tier II at 2.39% for the financial year ended March 31, 2020.
- ❖ Net worth stood at ₹ 18467 crore.
- ❖ Cash Recovery (including sale of NPA) reduced to ₹ 3326 crore in the financial year ended March 31, 2020 as compared to ₹ 5161 crore in the previous financial year ended March 31, 2019.
- ❖ Gross NPA to Gross Advances improved to 18.92% as on March 31, 2020 from 19.29% as on March 31, 2019.
- ❖ Net NPA to Net Advances reduced to 7.63% as on March 31, 2020 as against 7.73% as on March 31, 2019.
- ❖ Provision Coverage Ratio improved to 77.29% as on March 31, 2020 from 76.60% as on March 31, 2019.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) improved to 2.80 % in the financial year ended March 31, 2020 from 2.54% in the Financial Year ended March 31, 2019.
- ❖ Business per Employee stood at ₹ 14.06 crore in the financial year ended March 31, 2020.
- ❖ Return on Assets (ROA) is -0.35% for the Financial Year ended March 31, 2020.
- ❖ The credit deployment under priority sector stood at ₹ 79988 crore during FY 2019-20. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 16325 crore under PS Advances and purchased PSLC's worth ₹ 3136 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹ 13190 crore.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 34419 crore for the financial year ended March 31, 2020 as against ₹ 35655 crore for the previous financial year ended March 31, 2019.
- ❖ MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2020 stood at ₹ 29250 crore without PSLC and Investment in SIDBI and Mudra Ltd. constituting 16.98 % of the total Loans & Advances.
- ❖ Retail Loans increased to ₹ 46106 crore in financial year ended March 31, 2020 from ₹ 41042 crore in financial year ended March 31, 2019.

- ❖ Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 25821 crore for the financial year ended March 31, 2020 as against ₹ 23301 crore for financial year ended March 31, 2019, registering y-o-y growth of 10.81%. Housing Loan Portfolio constitutes 63.58% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2020.
- ❖ There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Odissa(1) and Assam(1). During the year 2019-20, the RSETIs conducted 969 training programmes and imparted training to 27376 candidates. Out of this, 19170 (i.e.70%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 12045 i.e. 44%.
- ❖ Bank has 2 RRBs as on 31st March 2019 in 2 states covering 23 districts with a network of 1174 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion, Bank has covered 22706 villages by deploying 6,387 BC Agents. Bank has opened 156 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 126 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹39.55 crore for the financial year ended March 31, 2020.
- ❖ As on 31st March 2020, Bank has network of 4651 branches, spanning 63.32% branches in rural & semi-urban areas, 3642 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2019-20 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2020	31.03.2019	Variation	%
1 INTEREST INCOME	23563	22639	924	4.08
– Advances	12506	12950	(444)	(3.43)
– Investments	9916	8454	1462	17.29
– Others	1141	1235	(94)	(7.61)
2 NON INTEREST INCOME	3637	2413	1224	50.73
3 TOTAL INCOME (1+2)	27200	25052	2148	8.57
4 INTEREST EXPENDED	15934	15866	68	0.43
– Deposits	15402	15276	126	0.82
– Others	532	590	(58)	(9.83)
5 OPERATING EXPENSES	6922	6059	863	14.24
– Establishment	4217	3565	652	18.29
– Others	2705	2494	211	8.46
6 TOTAL EXPENSES (4+5)	22856	21925	931	4.25
7 SPREAD (1-4)	7629	6773	856	12.64
8 OPERATING PROFIT (3-6)	4344	3127	1217	38.92
9 PROVISIONS	5465	8768	(3303)	(37.67)
10 PROVISIONS FOR TAX	212	(2529)	2741	108.38
11 NET PROFIT/(LOSS) (8-9)	(1121)	(5641)	4520	80.13

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 5465 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2019-20 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2020 (FY)	31.03.2019 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	172	(115)	287
Provisions for NPAs	4230	11011	(6781)
Provisions for Restructured Accounts	(159)	(425)	266
Provision on Investments	1065	984	81
Provisions for Taxes	212	(2529)	2741
Others	(55)	(158)	103
TOTAL	5465	8768	(3303)

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2020 (FY)	31.03.2019 (FY)
Cost of Deposits	5.11	5.21
Cost of Funds	5.18	5.28
Yield on Advances	7.53	7.28
Yield on Investments	7.01	7.15
Net Interest Margin	2.80	2.54
Cost to Income Ratio	61.44	65.96

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2020 (FY)	31.03.2019 (FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.40	6.81
Non-Interest Income to AWF	1.14	0.73
Operating Profit to AWF	1.36	0.94
Return on Average Assets	(0.35)	(1.70)
Business Per Employee (₹ in crore)	14.06	12.78
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(3.27)	(15.55)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2020 (FY)		31.03.2019 (FY)	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	7.57	9.33	5.70	7.49
Tier-II	4.38	2.39	4.43	2.12
Capital Adequacy Ratio	11.95	11.72	10.13	9.61

7. NET PROFIT/LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 1121 crore during the financial year ended March 31, 2020. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2019-20.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri Thomas Mathew was appointed as RBI Nominee Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 26th April, 2019.
- ❖ Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 26th April, 2019 in terms of Notification of Ministry of Finance, Government of India.
- ❖ Shri N. Nityananda, part time non-official director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 20th June, 2019.
- ❖ Shri P. Ramana Murthy, Executive Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 16th February, 2020.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Shekhar Bhatnagar, Shri N. Nityananda and Shri P. Ramana Murthy who ceased to be the Directors of the Bank during the Financial Year 2019-20.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the General Manager – Central Audit and Inspection only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising thereof will help in improving overall performance of the Bank.

11. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2020:

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2020;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis;
- ❖ Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively; and

- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

13. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well documented system and practice on Corporate Governance.

14. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Tapan Ray

Chairman

Place : Gandhinagar

Date : June 29, 2020

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March 2020.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read alongwith SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Central Bank of India**, (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Central Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review)**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not Applicable during the year under review as there were no Buybacks)**
 - e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**
 - h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - i) The Following other Laws as applicable to the Bank:
 - (a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.
 - (b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
 - (c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
 - (d) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items in the meeting for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. Special Resolutions were passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank on 28th February 2019:
Create, grant, offer, issue and allot upto 10 Crore new equity shares of face value of ₹ 10/- each under the Central Bank of India Employee Stock Purchase Scheme, 2019 (Central Bank of India - ESPS, 2019) in one or more tranches, at such price and on such terms and conditions as may be decided by the Board / Committee in its absolute discretion.
Accordingly, The Compensation Committee in its meeting held on 15th May, 2019 allotted 7,87,16,224 equity shares of ₹ 10.00 each at the issue price of ₹ 27.00 per equity share as per SEBI(Share Based Employee Benefit) Regulation, 2014.
2. The Bank in its Board meeting held on 31st August, 2019 approved the proposal for increase in authorized share capital of the Bank from ₹ 5000 crore to ₹ 10,000 crore subject to the approval of the Government of India and Reserve Bank of India.
Accordingly, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide notification no. F.No. 11/8/2019-BOA-I dated 3rd October, 2019 increased the authorized share capital of Central Bank of India ₹ 5,000 crore to ₹ 10,000 crore.
3. The Bank violated Regulation 13(a),13A(b),15(i)(n) of SEBI(Debenture Trustee) Regulation, 2011, and also the provisions of SEBI circular no. MIRSD/DPS III/Cir-11/07 dated 6th August, 2017 and Regulations 23(4), (5), (6) of SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. In view of the violations abovementioned, SEBI imposed penalty of ₹ 3,00,000/- (Three lakh rupees only) in terms of 15HB of Securities and Exchange Board of India Act, 1992. On account of which, Bank filed an appeal against the said order before Hon'ble Securities Appellate Tribunal on 11th September, 2018. As a result of which, Hon'ble Securities Appellate Tribunal vide its order dated 9th September, 2019 has set aside the order of the Adjudicating Officer of SEBI and the Bank was let off on censure for the violations.
4. The Capital Raising Committee Meeting held on 30th September, 2019 allotted 5000 Basel III compliant Tier II Bonds (Series IV) of face value of ₹ 10,00,000 each issued at a coupon of 9.80% with a maturity period of 122 months to State Bank of India.
5. The Bank in its Annual General Meeting conducted on 28th June, 2019 passed special resolution to create, offer, issue and allot such number of equity shares upto the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches.

However, shares have not been allotted till date.

6. The Bank in its Extraordinary General Meeting held on 26th November, 2019 passed the special resolution to create, offer, issue, and allot and allot upto 158,38,45,063 Equity Shares of the face value of ₹10/- each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of ₹ 21.17 per Equity Share including premium of ₹11.17 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹3353.00 crore (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty Three crore only).

Accordingly, The Capital Raising Committee in its meeting held on 26th November, 2019 allotted a total of 158,38,45,063 equity shares of ₹ 10 each at a issue price of ₹ 21.17 per equity shares including premium of ₹ 11.17 per equity shares determined as per SEBI ICDR Regulation,2018 to President of India.

7. The Capital Raising Committee of the Board of Directors in its meeting held on 4th February, 2020 considered and approved the proposal for raising capital funds upto ₹ 500 crore by issuance and allotment of Non-convertible redeemable Unsecured Basel III Compliant Tier 2 Bonds(Series V) in the nature of promissory notes. Further, the Bank has successfully raised ₹ 500 crore and allotted 5000 bonds of ₹ 10 lakh each.
8. Bank has redeemed following debt instruments in terms of information memorandum and approval granted by Reserve Bank of India:

Date of Redemption	Nature of instrument	Amount of redemption (in ₹)	Purpose
23-06-2019	Upper Tier II Series III	500,00,00,000	As per clause of Information Memorandum
20-01-2020	Upper Tier II Series IV	500,00,00,000	As per clause of Information Memorandum

9. Pursuant to Regulation 57(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015 the Bank made payment of interest for the following non-convertible debt securities and intimated the stock exchange on principle or interest or both becoming due.

Sr.No.	Particulars	Due Date	Amount
1.	Lower Tier II Bonds Series XIV of ₹ 500 crore at a coupon rate of 9.33%	21.12.2019	₹ 46,65,00,000/-
2.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series III of ₹ 500 crore at a coupon rate of 10.80%	30.03.2020	₹ 54,00,00,000/-
3.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series II of ₹ 500 crore at a coupon rate of 8.62%	07.03.2020	₹ 43,10,00,000/-
4.	Upper tier Series VI of ₹ 300 crore at a coupon rate of 9.20%	21.01.2020	₹ 27,60,00,000/-
5.	Basel III compliant Tier II Series I of ₹ 1000 crore at a coupon rate of 9.90%	08.11.2019	₹ 99,00,00,000/-
6.	Perpetual Bond Series II of ₹ 139.10 crore at a coupon rate of 9.40%	30.09.2019	₹ 13,07,54,000/-
7.	Upper Tier II Bonds Series V of ₹ 1000 crore at a coupon rate of 8.57%	11.06.2019	₹ 85,70,00,000/-

**Note: Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020

Therefore, the compliance documents for secretarial audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia

FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000369287

Date :23rd June, 2020

Place: Mumbai

Annexure-I to the Secretarial Audit Report

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

To,

The Members of Central Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Central Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia

FCS: 6804; CP: 7488

UDIN: F006804B000369287

Date :23rd June,2020

Place: Mumbai

****Note:** Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020

Therefore, the compliance documents for secretarial audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Central Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Central Bank of India having its Head office at Chander mukhi, Nariman Point, Mumbai – 400021 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804B000369463

Date :23rd June,2020
Place: Mumbai

Secretarial Compliance Report of Central Bank of India FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

[Pursuant to SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 Dated 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

1. We have examined:

- (a) All the documents and records made available to us and explanation provided by Central Bank of India ("the listed entity"), arising from the compliances of Specific Regulations listed under para 2 infra
 - (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges in connection with the above
 - (c) website of the listed entity,
 - (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,
- for the year ended 31st March 2020 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

- (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
- (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
- (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;
- (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

Based on my examination and verification of documents and records produced to me and according to the information and explanation given by the Bank, we report that:

- (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of the regulations mentioned below.
- (b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.
- (c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

Sr No.	Action Taken by	Details of violations	Details of action taken E.g. fines, warning letter, debarment, etc.
1.	Securities and Exchange Board of India	(i) Regulation 13(a),13A(b),15(i) (n) of SEBI (Debenture Trustee) Regulation, 2011, (ii) SEBI circular no. MIRSD/DPS III/Cir-11/07 dated 6th August, 2017 and; (iii) Regulations 23(4), (5), (6) of SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.	SEBI imposed penalty of ₹ 3,00,000 (Three lakh rupees only) in terms of 15HB of Securities and Exchange Board of India Act, 1992. On account of which, Bank filed an appeal against the said order before Hon'ble Securities Appellate Tribunal on 11th September, 2018. As a result of which, Hon'ble Securities Appellate Tribunal vide its order dated 9th September, 2019 has set aside the order of the Adjudicating Officer of SEBI and the Bank was let off on censure for the violations.

- (d) The Company was not required to take any action with regard to compliance with the observations made in previous reports.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804B000369287

Date :23rd June,2020

Place: Mumbai

****Note:** Due to the outbreak of COVID 19 which is also declared as a global pandemic by the World Health Organization and as a result of which Indian government on 24th March, 2020 announced a strict 21-day lockdown which was further extended by 19 days across the country to contain the spread of the virus. Further, due to increase in cases the lockdown was further extended till 30th June, 2020

Therefore, the compliance documents for secretarial audit were obtained through electronic mode, verified with requirements and were finalized on the basis of clarifications obtained from the Bank.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: Economic Outlook

The world economy is impacted due to outbreak of the Covid-19 that created serious health hazard across many countries. To protect lives and ensure health safety, many countries chose to have unprecedented prolonged lockdowns. The global growth for the year 2020 is thus expected to contract significantly. Much of the global growth recovery could depend on the course of the pandemic, efforts and outcome of the controlling measures, possible vaccine, other treatments, etc. The International Monetary Fund (IMF) in June 2020, projected global economy to contract by 4.9% in 2020. While the IMF projected advanced economies to de-grow by 8.0% in 2020; for emerging markets and developing economies it projected a negative growth to the extent of 3.0% in 2020. (IMF, June 2020).

US real GDP increased by 2.3% in 2019 vis-à-vis 2.9% in 2018. Main growth drivers were government spending, personal consumption expenditure, non-residential fixed investment, etc. While exports expanded, the imports witnessed contraction in 2019. As per the 3rd estimate (25th June 2020), the Real GDP of US in March 2020 quarter decreased at an annual rate of 5% vis-à-vis an increase of 2.1% in December 2020. The March 2020 quarter GDP reflected the impact of Covid-19 on US economy. Inflation in the US softened in May 2020 further due to subdued demand. The demand for US 10-year Government bonds increased due to safe heaven investment that led to yields to come down less than 1% in later parts of March 2020. The IMF in June 2020, projected US real GDP to de-grow by 8.0% in 2020.

Euro Area has faced a rapidly deteriorating economic outlook. The real GDP of Euro Area moderated to 1.3% in 2019 from 1.9% in 2018. The industrial production contracted by 28% YoY in Euro Area in April 2020 as member states introduced Covid-19 containment measures. The PMI for manufacturing and service remained in contraction zone in May 2020. The quarterly GDP data showed that Euro Area GDP contracted by 3.1% YoY in March 2020 as compared to 1% growth YoY in December 2019. Euro Area inflation continued to soften and came in at 0.1% YoY in May 2020 vis-à-vis 0.3% YoY in April 2020. The European Central Bank further decided to ease the conditions of "targeted long-term refinancing operations" and launch a "pandemic emergency longer-term refinancing operations" to improve funding and liquidity in the economy. The IMF in June 2020 projected Euro Area economy to contract by 10.2% in 2020.

Japan's GDP contracted in March 2020, driven largely by contraction in exports, household consumption, private investment, etc. With this Japan entered into a technical recession as its GDP contracted even in December 2019 quarter. Consumer price index of Japan was up by 0.1% in May 2020. Manufacturing PMI remained in contraction in May 2020. The IMF in June 2020 projected Japan's growth to contract by 5.8% in 2020.

Among the emerging economies, Chinese economy contracted in March 2020, first time in several years. However, the monthly data indicated that Chinese value-added industrial output increased by 4.4% YoY in May 2020 vis-à-vis 3.9% in April 2020. On the other hand, retail sales declined by 2.8% in May 2020. As per IMF June 2020 projection, China's economy is projected to grow by 1.0% in 2020 from 6.1% in 2019.

In the domestic front, as per the provisional estimates, real GDP growth of India for the financial year 2019-20 moderated to 4.2% as compared to real GDP growth of 6.1% (RE) in 2018-19. Gross value added grew at a rate of 3.9% in 2019-20 as compared to 6% in 2018-19. Private final consumption expenditure grew by 5.3% in 2019-20 vis-à-vis 7.2% in 2018-19. Government final consumption expenditure had a double digit growth of 11.8% in 2019-20 as compared to 10.1% in 2018-19. Gross fixed capital formation contracted by 2.8% in 2019-20 as compared to a positive growth of 9.8% in 2018-19. The agriculture sector expanded by 4% in 2019-20 against 2.4% growth registered in 2018-19. Mining and quarrying industry grew by 3.1% in 2019-20. Manufacturing had a growth of 0.03% in 2019-20. Construction sector grew by 1.3% in 2019-20. Trade, Hotels, Transport, Communication and Services related to Broadcasting had a growth of 3.6% in 2019-20. Financial, Real Estate & Professional Services witnessed a growth of 4.6% in 2019-20. Public administration, defence and other services grew by 10% in 2019-20 as compared to 9.4% in 2018-19.

Retail inflation measured by consumer price index (CPI) in March 2020 eased to four month low of 5.84%. However, the index of industrial production (provisional) declined by 16.7% YoY in March 2020 owing to Covid-19.

The Government of India has taken various significant measures to address economic concerns. The RBI reduced the policy rates a few times in recent past to increase credit flow in the economy. The RBI has taken several other measures to improve liquidity in the system.

Part B: Banking Industry

As per RBI's latest Financial Stability Report of December 2019, the Scheduled Commercial Banks' capital adequacy ratio observed significant improvement in September 2019. The provision coverage ratio of the SCBs increased in September 2019 as compared to March 2019 that indicated improvement in resilience of the banking industry. Government of India

has recapitalized the public sector banks from time to time and undertaken various other reform measures. As per RBI data, the monthly outstanding credit growth of the SCBs moderated in March 2020 as compared to December 2019. Similarly, the deposit growth of the SCBs also moderated in March 2020 vis-à-vis December 2019. The provisional figures of RBI showed that SCBs' credit growth to agriculture and allied activities in March 2020 moderated as compared to growth in December 2019. SCBs' credit growth to industrial segment remained muted as on March 2020. However, credit growth to the service sector witnessed a better growth rate in March 2020 as compared to growth rate in December 2019. Personal loan segment witnessed impressive growth in March 2020.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on March 31, 2020, the Total Business of the Bank was ₹ 4,86,007 crore compared to ₹ 4,67,584 crore as on March 31, 2019. High Cost Deposits have been increased to ₹ 62 crore as on March 31, 2020 from ₹ 57 crore as on March 31, 2019.

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 4,344 crore for the financial year ended March 31, 2020 as compared to ₹ 3,127 crore for financial year ended March 31, 2019. The Bank posted a Net loss of ₹ 1121 crore in financial year ended March 31, 2020 as against Net loss of ₹ 5,641 crore in financial year ended March 31, 2019, on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2020 stood at ₹ 3,13,763 crore, after increase of High Cost Deposits to the extent of ₹ 5 crore. Saving Bank Deposits increased to ₹ 8,061 crore with a growth of 6.60% in financial year ended March 31, 2020 from ₹1,22,139 crore in financial year ended March 31, 2019. Similarly, Current Deposits decreased to ₹ 15,079 crore in financial year ended March 31, 2020 from ₹ 15,095 crore in financial year ended March 31, 2019, registering a decline of 0.11%. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 46.83 % as of March 31, 2020 as against 46.39% as of March 31, 2019. Core Term Deposits increased by 3.98 % and reached to the level of ₹ 1,64,858 crore as of March 31, 2018-19 from ₹1,58,542 crore as of March 31, 2019.

STRATEGY AND PROGRESS OF INDAS IMPLEMENTATION IN THE BANK

As per the original Roadmap announced by the Ministry of Corporate Affairs, all Banks (except RRBs) were required to prepare their Financial Statements according to IndAS for accounting period beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018 or thereafter. Accordingly, the Bank had engaged services of an IndAS Consultant and constituted a Core IndAS Team and commenced the process of IndAS implementation. Steering Committee headed by an Executive Director was formed to monitor the progress of implementation. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically have been reviewing the progress of the same.

On April 5, 2018, the RBI, vide their "Statement on Development and Regulatory Policies", deferred the implementation of IndAS stating that necessary legislative amendments are under consideration of the Government. In view of this and also level of preparedness of many Banks, implementation of IndAS in Banks has been further deferred by RBI for one year by when the necessary legislative changes were expected. In view of this, IndAS were to be implemented from April 1, 2019.

RBI vide notification dated 22.03.2019, stated that the legislative amendments recommended by the RBI are under consideration of the Government of India. Accordingly, it has been decided by RBI to defer the implementation of IndAS in Banks till further notice. However, as required by RBI, Bank submits the Proforma IndAS Financials to RBI every quarter since June 2018.

INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR

- ❖ Organizational Restructuring done by creating 31 new Regional Offices and reducing the number of Zonal Offices from 13 to 10 for better focus on the business.
- ❖ 7 Corporate Finance Branches and 6 Mid Corporate Branches are now reporting directly to Corporate Office for ensuring faster TAT.
- ❖ 49 Centralised Credit Processing Branches have been set up for sanction, documentation, disbursement and post disbursal monitoring of Retail Loans for ensuring quality in Retail Loan processing and started functioning smoothly.
- ❖ In a new set up, 7 Stressed Asset Management Branches (for stressed assets above Rs.25 Crores) and 8 Asset Recovery Branches (for stressed assets of Rs 5 Cr to Rs.25 Crores) are reporting directly to Corporate Office for ensuring faster resolution. Resolution in big accounts like Essar Steel, Ruchi Soya has taken place in Q3FY20.
- ❖ Separate vertical for Marketing set up in all Regional Offices for marketing, sourcing of fresh business. Corporate Office has started follow-up of lead generation and monitoring of conversion of leads on all India basis.

- ❖ New Performance Management System (PMS) based on the model of Balance Scorecard Method, focusing on Business, Customer, Process and People Factors has been launched.
- ❖ Succession Planning, which includes Competency Mapping Model to develop Robust Leadership Plan has been initiated.
- ❖ Concept of Job Family introduced and identification process for 8 job family completed. All the officers upto Assistant General Managers are grouped under one of the job families for nurturing for various roles.
- ❖ Whole training architecture of the Bank is being revamped through Training Impact Analysis project.
- ❖ Mobile based E-learning as a method of imparting knowledge, implemented for staff to undergo role based courses.
- ❖ Human Resource Management System (HRMS) launched on mobile platform.
- ❖ End to end loan life cycle management system (LLMS) is being introduced which will have credit origination, monitoring and various API interface to improve credit underwriting, Turn Around Time (TAT) and monitoring including Early Warning Signals (EWS). LLMS will have the facility of online tracking of loan application.
- ❖ Enterprise wise Fraud Risk Management Solutions (EFRMS) is initiated in three phases. The first phase with 5 delivery channels rolled out for alert generation on real time basis for identifying the potential fraudulent transactions.
- ❖ Under "Open architecture" concept (IRDA guidelines), we have tied up with 5 insurance partners (2 Life, 2 Non Life and one Health) to procure more business under Bancassurance to boost fee based income.
- ❖ We have rationalised the Retail Lending products and introduced new products, Cent Business and Cent Saral to suit the financial needs of the customers.

NEW INITIATIVES

- **"Project DISHA" - Analytics-Based Business Transformation Program**

In order to take new Business Transformation initiatives in Retail, Agriculture, MSME Credit and Fee Based Income through CASA for propelling Business Growth and to reinvent the Business Processes for better efficiency and sustainability, Bank has taken initiative under "Project DISHA". This is built on analytical capabilities and Digital Tools with robust Risk Mitigation measures in the Change Processes. Diagnostics and designing is already done and the pilot phase is expected to be launched in July'20.

- **Single Data Repository (SDR) / Data Warehouse (DW)**

Bank is in the process of major upgradation of its data warehousing through Single Data repository, which will be a source to provide information/ reports across the Bank, besides being a treasure for analytics driven business decisions. This will ensure consistency in reporting and will provide various Dashboards to the users including the Top Management, thus enhancing the Decision Support System.

- **Setting up of MSME Hubs**

To increase and improve quality of lending, the share of MSME portfolio, the Bank has planned to set up 50 MSME processing hubs at identified locations. Approval from RBI has also been received and these hubs are likely to be set up by 31st July'2020.

CREDIT

- ❖ The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 1,72,244 crore as on 31.03.2020 as against ₹ 1,67,729 crore as on 31.03.2019, with a growth of 2.69% against negative growth of 5.50% on year to year basis despite the fact that ₹ 3,389 crore amount has been technically written-off from the Gross Credit.
- ❖ During Financial Year 2019-20, fresh corporate credit exposure of about ₹15000 crore was taken against last year's exposure of ₹ 5000 crore achieving a growth of 200% during the year.
- ❖ Organizational Structure of Corporate Credit was changed wherein MCB and CFB Branches were directly placed under Corporate Office to remove two layers to reduce delay in decision making of corporate advances.
- ❖ Most of the big advances above ₹ 5 crore were concentrated in selective branches so as to provide professionalized services and reduce turnaround time.

- ❖ Loan Policy and Master Circulars were updated to improve asset quality, managing credit risks, making the systems and control more effective and speedier decision making.
- ❖ Rationalization of Interest Rates was made to make the Bank competitive in the market.
- ❖ All borrowal accounts brought under Large Exposure Framework limits.
- ❖ Unsecured Exposure of the Bank was substantially reduced and kept within the benchmark under PCA guidelines.
- ❖ Scope of Pre-Inspection Reports and Due Diligence was widened to improve the asset quality.
- ❖ Major EASE action points to implement clean corporate lending through rigorous due diligence and appraisal for sanctions was implemented including establishment of TEV Cell at Corporate Office.
- ❖ To improve the asset quality, focus was given to High Rated accounts and Govt. Guaranteed accounts to optimize capital requirement. 95% of the corporate advances sanctioned during the Financial Year are 'A' and above category or State Government Guaranteed accounts.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

In order to improve our Credit portfolio a separate vertical for Credit Monitoring & Policy headed by General Manager is functioning. Major activities being undertaken by the department are enumerated below:

- ❖ Credit Monitoring Committee has been constituted at various controlling offices and large branches and it is being ensured that meetings of the committee are held periodically to deliberate on the following points:-
 - Assessment of sanctions/rejections during the month
 - Root-cause analysis of SMA accounts
 - Status of coverage under Loan Review Mechanism wherein all loan accounts with exposure of ₹ 5.00 crore & above are thoroughly monitored at fixed intervals
 - Status of conduct of Stock-Audit in borrowal accounts enjoying Book debt limit of ₹ 1.00 crore & above or other Working Capital Limits of ₹ 5.00 crores & above
 - Status of conduct of Periodical inspection of Securities
 - Status of Perfection of Securities
- ❖ Generation of financial transaction based alerts on Early Warning Signals through Portal for quick follow up and close monitoring
- ❖ Red-Flagging of borrowal accounts on observance of Early Warning Signals for further investigation as per RBI guidelines
- ❖ Agencies for Specialized Monitoring (ASM) are being engaged for all the accounts with exposure above ₹ 250 Crores from the banking system in order to monitor the operations and transactions of large value borrowal accounts on ongoing basis
- ❖ A system for Quarterly review of loan accounts of listed and unlisted companies having exposure of ₹1 crore & above has been implemented in the Bank for initiating Corrective Action Plan wherever warranted
- ❖ Impact assessment of Early Warning Signals (EWS) on Risk Rating of loan accounts has been started through the process of Dynamic Review of Rating.
- ❖ The department is ensuring submission of loan account details to the Credit Information Companies periodically
- ❖ The department is ensuring submission of data of loan accounts to NeSL(Information Utility)
- ❖ The department is monitoring registration of security interest created by various branches with CERSAI
- ❖ The department is ensuring that the credit related policies are updated in line with the notifications made by RBI, Government of India, etc.

PRIORITY SECTOR

As per RBI directives, 40% of Adjusted Net Bank Credit or Credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher is to be lent to Priority Sector. Lending under this sector is therefore the thrust area of the Bank.


The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2020 (audited) is as under:

(₹ In crore)

S.No.	Particulars	March 2018	March 2019	March 2020	Growth (%)
1.	Priority Sector Advance	82835	83201	79987.91	-3.86
	Percentage achievement of ANBC	49.74%	47.22%	45.07%	
2.	Total Agriculture Advance	34192	35655	34419.40	-3.47
	Percentage achievement of ANBC	20.53%	20.24%	19.54%	
3.	MSME	32346	31036	29250.15	-5.75
4.	Education Loan	2773	2522	2341.42	-7.16
5.	Housing Loan (upto ₹25 Lakh)	13392	13956	13939.37	-0.12
6.	Other Priority Sector	107	20	17.51	-12.45
7.	Renewal Energy	6	0	0	0.00
8.	Social Infrastructure	9	8	7.22	-9.75
9.	Export Credit	8	5	12.84	156.80

The Credit deployment under priority sector decreased to ₹ 79,987.91 Crore during 2019-20, recording a decline of ₹ 3213.09 Crore over previous year. However, to take advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/ purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 16,325 crores under Priority Sector (9,930 crores under General PS, 6,395 crores under Small and Marginal Farmers) and Purchased ₹ 3,135.50 under Micro Enterprises. Thus, net sale as at the close of Financial year was ₹ 13,189.50 crores. There is outstanding RIDF to the tune of ₹ 4,295.87 crores under Priority Sector of which ₹ 2,795.93 crores under Agriculture as on 31.03.2020.


(Amount in Rupee crore)

**AGRICULTURE**

During the year under review, total Agriculture credit decreased by ₹1235.60 crores from the level of ₹ 35655 crores as on March 31, 2019 to ₹ 34419.40 crores as on March 31 2020. The net percent of agriculture credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 19.54% against the stipulated target of 18% achieved.

Agriculture

(Amt. in Rupee crore)



Following are the details of main products offered by the Bank in agriculture and rural development segment:-

S.No.	Scheme Name	Description
1.	Cent Kisan Credit Card	Single window Credit for Short Term Expenses cultivation of crops/Post-Harvest Expenses/Marketing of produce/consumption requirement/ Working capital for maintenance of farm assets & activities allied to agriculture/investment credit requirement for agri. & allied activities.
2.	Cent Agri Gold Loan	Quick Finance crop production and investment credit in agriculture & allied activities against pledge of gold ornaments & gold coin issued by our bank.
3.	Cent SHG Bank Linkage	Lending to SHGs –revolving Cash Credit/Term Loan.
4.	Cent SHG-PI Linkage	Promoting & financing of SHGs with the help of NGOs/Other Organizations.
5.	Cent Kisan Gold Card	To Provide single Term Loan limit for farmer's long term credit needs like farm mechanization, land development, MI, Horticulture etc.-
6.	Cent AMI (Agriculture Marketing Infrastructure) Scheme	Finance for creation of marketing infrastructure with latest technology, facilities for grading, standardization, quality certification, creation of scientific storage facility for effectively managing marketable surplus of agri. & allied sector.
7.	Cent Poly House, Green House, Shade-Net House	Financial assistance for undertaking protecting farming of high quality commercial Horti--culture crop.
8.	Cent Dairy	Establishment of Dairy Units for milk production.
9.	Cent Agri Farm House	Finance for construction, repair, renovation& extension of agri farm house.
10.	Cent Vermi Compost	Finance for setting of & running vermin-compost units
11.	Cent Agri Clinic /Agri Business	Financial assistance for setting up Agri. Clinics & Agri. Business Centers by candidates who have required qualification & trend as per the scheme.
12.	Cent Farm Machinery	Financing to tractors trailers & other agri. Implements.
13.	Cent Kisan Sathi	To help in-debted farmers to reduce their outstanding dues payable to money-lenders, brokers etc.
14.	Cent Scheduled Tribe	Financial assistance to weaker sections under Scheduled Tribe.
15.	DAY-NRLM	Scheme launched by MoRD for identified districts for financing Women SHGs under Mission Mode.
16.	Cent Poultry	Finance for Establishment & running of Poultry Farm units.
17.	Cent Fishery	Finance for Traditional & commercial fishing activity

Following are the details of New Agriculture products introduced during FY 2019-20:

S. No.	Scheme Name	Description
1.	Cent Saral	To provide finance upto Rs.50000 for a small business/service activities to PMJDY/BSBD account holders.

Following are the details of New Agriculture products introduced during the current FY 2020-21:

S. No.	Scheme Name	Description
1.	Cent Kisan Vahan Loan	To provide finance for purchase of all types of vehicles i.e. Two/Four wheelers & transport vehicle to farmers & persons engaged in agri. allied activities.
2.	Cent Solar Scheme	To Provide finance to people engaged in agriculture & or ancillary activities for installation of solar lights/solar pump sets/solar water heaters.
3.	Cent Flexi Agri Business Loan	To provide finance upto Rs.10 Cr. to individuals/firms engaged in Agri. Business-Food & Agro Processing/Agri. Infrastructure/Seed Production/Bio-Pesticides & Bio Fertilizers/Service Providers/Any other ancillary activities.
4.	Cent Kisan Covid-19 CARE	To provide immediate finance upto Rs.50000 to all existing KCC holders or Term Loan borrowers for Crop/fisheries/poultry/dairy/animal husbandry to overcome COVID-19.
5.	Special Loan Scheme for SHGs-COVID-19 CARE	To provide immediate financial support upto Rs.1 Lakh to SHG members to overcome COVID-19.


Initiatives taken to accelerate flow of credit to Agriculture sector:

Special Credit Campaigns:

- ❖ All Rural and Semi urban branches have organized minimum one Mega Credit Camp in each month to canvass and sanction new Agricultural loans.
- ❖ All Rural and Semi Urban branches have organized special Credit Camps for SHGs Bank Linkage.
- ❖ Bank ensured 100% crop Insurance coverage to eligible Loanee farmers under "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" (PMFBY) and canvassed non-loanee farmers for coverage of crop insurance.
- ❖ During the financial year Bank have given thrust on Investment credit under Agriculture.
- ❖ Bank has focused on extending credit to small & marginal farmers.
- ❖ All Rural/Semi Urban Branches organised village level weekly Krishak Sandhya Camps for creating awarness among farmers for improving credit flow as well as coverage under Social Semeer Schemes to the Farmers.


FINANCIAL INCLUSION (FI)

1. Bank has covered 22706 villages by deploying 6387 BC agents and we have opened 156 Urban Financial Inclusion centres also.
2. No. Of Transactions:




Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased from 437.00 lacs in FY 2018-19 to 508.00 lacs in FY 2019-20. (YoY growth of 16.25 %).

3. Business through BC



Business through BCs increased from ₹ 1573.47 Crores on 31 March 2019 to ₹ 2088.33 Crores on 31 March 2020. (YoY growth of 32.72 %).

4. Account Opening through BCs:



No. of accounts opened through BCs increased from 117.00 lacs on 31 March 2019 to 126.00 lacs as on 31st March 2020. (YoY growth of 7.69 %).

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y.2019-20

- ❖ Business through BC Outlets increased by 32.72 %, from ₹ 1573.47 Crores to ₹ 2088.33 Crores.
- ❖ Total FI Business increased by 21.41%, from ₹ 3307.16 Crores to ₹ 4015.17 Crores.
- ❖ Percentage of Aadhaar seeding is increased to 82.25 % from 80.90 % in PMJDY accounts and increased to 84.66 % from 81.24 % in all operative CASA accounts.
- ❖ No. of Transactions through BC-Outlets increased by 16.25 % i.e. from 437.00 lacs to 508.00 lacs.
- ❖ No. of BC with business more than ₹ 10 lac is increased by 20.39 % i.e. from 2693 to 3242. Similarly No. of BC with business more than ₹ 1.00 Crore is increased by 76.28 % i.e. from 215 to 379.
- ❖ Total enrollment under Social Security Scheme as on 31.03.2020 with a growth achieved over march 2019 is as under
 - PMJJBY—15,59,877, 14.17% growth
 - PMSBY—46,03,888, 16.05% growth and
 - APY— 8,73,333, 40.70% growth

- ❖ Out of 7603 death claims under PMJJBY,7147 claims are settled and out of 2307 death claims under PMSBY,2057 claims are settled and other claims are under consideration with insurance companies.

Performance under Lead Bank.

- ❖ We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- ❖ For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- ❖ To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.
- ❖ We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- ❖ We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2) and 4 FLCCs at block level in the state of Kerala and 5FLCCs at block level in the Darbhanga District of Bihar .
- ❖ All these centres have conducted 39430 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 542385 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- ❖ Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- ❖ There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- ❖ During the year 2019-20, the RSETIs conducted 969 training programmes and imparted training to 27376 candidates. Out of this, 19170(i.e.70%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Credit linkage of settled candidates achieved 12045 i.e.44 %.

Other Initiatives

- ❖ Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have formed Governing Council at Apex Level with MD & CEO as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- ❖ A new simplified credit product named "Cent Saral Business Loan" has been launched for providing micro credit upto ₹ 50,000/- to PMJDY customers.

MSME DEPARTMENT

MSME Department have following active products:

1. Cent Business Gold Loan
2. Cent Ceramic

3. Cent Construction Equipment Finance
4. Cent Contractor
5. Cent Custom Hiring
6. Cent Doctor – proposed for closure during the current year
7. Cent Dentist - proposed for closure during the current year
8. Cent Hosiery
9. Cent Kalyani
10. Cent Mudra
11. Cent Trade - Arthias
12. Cent Warehouse Receipt
13. Cent Weaver Mudra
14. Cent Laghu Udyami Credit Card
15. Credit Guarantee scheme for Scheduled Caste
16. Mukhya Mantri Swarojgar Yojana
17. Mukhya Mantri Yuva Udyami Yojana
18. SRTO
19. Cent Standup India

Following 10 products have been discontinued during FY 2019-20:

1. Cent-Sahyog,
2. Cent-Protsahan
3. Cent-Prosperity (for minority community)
4. Cent-Matsya Kanya (for fisher women)
5. Cent-Artisan Credit Card
6. Cent-Casting & Forging
7. Cent – Professional
8. Cent Gati Dhara (for State of West Bengal)
9. Cent Returned NRI Business Loan Scheme for financing returned Non- Resident Indians in Kerala State
10. Cent GST Input Tax Credit.

Following new product has launched during FY 2019-20:

1. Cent Business Loan – For providing cash flow based lending to business community with liberalized collateral norms and low rate of interest. The scheme was launched in December 2019 and mobilized a business of Rs. 509 crore by 30/06/2020.

1. PERFORMANCE :

(Amount in Crore)

Particulars	31.03.2019 (audited) Without PSLC	31.03.2019 (audited) With PSLC*	31.03.2020 (audited) Without PSLC	31.03.2020 (audited) With PSLC**	Y-O-Y % Growth without PSLC	Y-O-Y % Growth with PSLC
MICRO Enterprises	10735	16620	10650	13785	-0.79%	-17.06%
MSE	28275	34160	25927	29062	-8.30%	-14.92%
MSME (PS)	32090	37975	30286	33421	-5.62%	-11.99%
TOTAL MSME	32090	37975	30286	33421	-5.62%	-11.99%

Particulars	31.03.2019 (audited) Without PSLC	31.03.2019 (audited) With PSLC*	31.03.2020 (audited) Without PSLC	31.03.2020 (audited) With PSLC**	Y-O-Y % Growth without PSLC	Y-O-Y % Growth with PSLC
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	19.13%	22.64%	16.03%	17.69%		
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.19(audited)		31.03.2020 (audited)		TARGET MAR-20	
No. of Accounts in Micro Ent.	813011		878407		894313	
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises	20.24%		8.04%		10%	
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2019 (audited) Without PSLC	31.03.2019 (audited) With PSLC	31.03.2020 (audited) Without PSLC	31.03.2019 (audited) With PSLC	TARGET MAR-20	
MSE Portfolio (Amt.)	28275	34160	25927	29062		
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	-4.16%	-7.74%	-8.30%	-14.92%	20%	
% of Micro Credit to MSE Credit	36.39%	44.89%	37.66%	40.35%	60%	

(*) under PSLC Micro Enterprises Purchase ₹5885/= Crore and investment IN SIDBI ₹ 1054 Crore in which Mudra Ltd. is ₹235 Crore

(**) under PSLC Micro Enterprises Purchase ₹3135/= Crore and investment IN SIDBI ₹ 983 Crore in which Mudra Ltd. is ₹243 Crore

Performance under MICRO Enterprises:

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.19 without PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.19 With PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.20 Without PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.20 With PSLC	ANBC As on March-20	STATUS ON 31.03.19 without PSLC	STATUS ON 31.03.19 with PSLC	STATUS ON 31.03.20 without PSLC	STATUS ON 31.03.20 with PSLC	TARGET MAR-20 (7.50% OF ANBC)
10735	16620	10650	13785	157750	6.09%	9.43%	6.75%	8.73%	11832

INDICATORS	DETAILS
PERFORMANCE HIGHLIGHTS	<ul style="list-style-type: none"> ❖ % of Micro credit to MSE is 37.66% without PSLC & 40.35 % with PSLC ❖ Bank achieved Y-o-Y growth in number of accounts under Micro is 8.04%. ❖ Under PMMY our Bank's achievement is 96 % of Target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against Target of ₹ 4400 crore, our Bank could achieve ₹4211 crore under fresh sanction as of Mar-2020.
INITIATIVES	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bank has Tie up with ECL Finance Ltd for Loans under Co origination. ❖ New Product Cent Business Loan was launched during FY 2019-20
WAY FORWARD	<p>Thrust is on Micro Enterprises for achieving Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes, and Cent Weaver Mudra Scheme. ❖ In order to improve quality of loans and hassle free processing and to improve TAT, Board has approved 50 CSMECPC Centres which will be functionalize by Sept. 2020.

Retail Credit

Total Outstanding under Retail Lending Schemes was ₹40614 Crore as on 31.03.2020. The Retail portfolio of the Bank is 23.59% of its total advances.

₹ In crore

	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020
RETAIL CREDIT	34939	38505	32008	48123	48666	40614
TOTAL CREDIT	194967	190152	153008	177484	167729	172244
RETAIL TO TOTAL CREDIT (%)	17.92	20.25	20.92	27.11	29.01	23.58

	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020
HOUSING LOAN	14004	16319	18006	21392	23301	25821
RETAIL CREDIT	34939	38505	32008	48123	48666	40614
HOUSING LOAN TO TOTAL RETAIL CREDIT (%)	40.08	42.38	56.25	44.45	47.88	63.58

Note: Figures are exclusive of IBPC & Loan against Bank's own Time Deposits etc.

Total Outstanding of Housing Loan Scheme was ₹25821 Crore as on 31.03.2020. The Housing Loan portfolio of the Bank is 63.58 % of its total Retail Advances. Housing Loan grew by 10.81 % over previous year.

Product and Services in Retail Credit :

The Bank has 20 retail loan products on offer to general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation. Bank offer these entire schemes for general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation.

Sr. No.	Name of the scheme
1.	Cent Home Loan Scheme – Scheme for purchase/construction of House/Flat with best home loan features and low Rate of Interest.
2.	Cent Home Double Plus Scheme – A Home loan variant in which excess repayment fetches , interest benefit and also provides liquidity in the form of withdrawal of the excess amount paid in case of need.
3.	Cent Home- CRGFTLIH Scheme – Scheme of EWS & LIG with coverage under “Credit Risk Guarantee Fund Scheme”.
4.	Cent Home-Pradhan Mantri Awas Yojana – Home loan variant with subsidy under PMAY.
5.	Top up Term Loan Facility to Cent Home Loan Beneficiaries – Top up loan for personal need.
6.	Cent Home Loan Scheme for purchasing 3rd or 4th House – Housing loan for more than two houses.
7.	Cent Mortgage-TL – Loan against Properties on easy terms.
8.	Cent Rental – Loan against rent receivables on easy terms.
9.	Cent Swabhiman Plus – An annuity payment scheme for lifetime for senior citizens.
10.	Cent Vidyarthi – Education Loan scheme on easy terms for students.
11.	Cent Vidyarthi - NCGTC Guarantee – Education loan scheme up to Rs. 7.5 Lakh with subsidy.
12.	Cent Skill Loan Scheme – Education loan scheme for acquiring skills
13.	Educational Loan for Executive MBA – Education loan scheme for executives with experiences
14.	Education Loan to the students of IIMs & other Reputed Institutions – Education loan scheme for IIMs and other reputed Management Institutes.
15.	Cent Tech Vidyarthi for IIT's students – Education loan scheme for IIT students
16.	Cent Vehicle Scheme – For purchase of two/four wheelers on easy terms
17.	Cent Personal Loan – Personal loan scheme
18.	Cent Personal Gold Loan Scheme – Loan against gold
19.	Cent Liquid – Loan against shares
20.	Pension Loan Scheme – Loan to Pensioners

Initiative taken for growth of Retail Loans

- To ensure Interest Rate Transmission in Retail Loans, Repo Based Lending Rates (RBLR) introduced.
- Marketing vertical set up at. RO to monitor the leads generation and conversion officer at ZO & RO should concentrate on promotion of Retail Loans/ Housing Loans.
- Encouraging the marketing efforts at ZOs, ROs, ELBs, VLBs and CCPBs.
- Tie up with Online PSB Loans in 59 Minutes Portal for Housing, Vehicle & Personal Loans. Branches are encouraged to use PSB59 portal.
- Rationalizations of CIC Scores for different retail loan schemes introduced.
- Four Special Loan Schemes have been introduced to alleviate financial stress arising out of COVID 19 pandemic which are as under:
 1. Special Pension Loan for Ex-staff pensioners of our Bank
 2. Special Pension loan for General Public
 3. Special Personal Loan for employees of Central & State Govt., PSUs, Indian Railways & Municipal Corporations etc.
 4. Special Mortgage Loan for existing Mortgage based Retail Borrowers of our Bank
- As a part of Risk Mitigation & to enhance due-diligence process, Centralized Credit Processing Branch concept has been introduced w.e.f. 15.01.2020
- EASE guidelines are monitored periodically.
- To increase retail loan portfolio, Double Delight Campaign, Monsoon Carnival & Home Loan Spring Carnival conducted successfully, in which concessions in processing charges fully/partially waived.

Established 49 Centralized Credit Processing Branches for Retail Loans

- In-principle sanction conveyed within 24 hours after receipt of loan application on merit basis.
- Regular sanction being conveyed within 6 days after receipt of all documents.
- All Mortgage based Loans above ₹7.50 lakh are being sanctioned at CCPBs.
- Lead generation, Processing, Disbursement & Soft Recovery of overdue loans are assigned to CCPBs.

Action Taken for growth of Housing Loans

- Focus on takeover of Housing Loans from other Banks and Good NBFCs.
- Introduction of incentive to Real Estate agents to focus on Loans of Resale Houses.
- Focus on Tier-II, Tier- III & Tier- IV cities.
- Focus on PMAY and affordable Housing.
- More Tie-up with quality Builders to reduce TAT.
 - We encouraged Tie up with good builders to reduce TAT as well as for growth of Housing Loan.
 - More than 100 tie-up with RERA registered builders have been entered Pan-India during 2019-20.

Action Taken for growth of Vehicle Loans

- Tie ups with Maruti and Tata Motors and dealers are mapped with Branches, regular visits to dealers for getting leads to convert it to business.
- Attractive Incentive to Dealer/Sub Dealer.

Action Taken for growth of Personal Loans

- Continuing communication with salary and pension account holders.
- Visit to Corporates/Government Organizations for canvassing of Personal Loans to their employees.
- Instant personal loan to salary account holders of Govt./PSUs through digital documentation.
- Special Personal loan to existing mortgage holders to meet exigencies arising out of Covid-19 pandemic.

Action Taken for growth of Gold Loans

- Cluster based approach to lending in prospective cities/towns. Proper provision of appraiser and safe keeping locker.
- Providing Gold Loan at Branch by display of banners, standee, distribution of pamphlets.
- Gold Loan Amount per gram of Gold enhanced to ₹2900/-.
- Buyout of Gold Loan portfolio from leading NBFCs.

Action Taken for growth of Education Loans

- Focus on Education loan to students of IIMs, IITs and other Reputed Institutions.
- Loans to students persuing higher education abroad.
- Loans up to ₹7.50 lakh are being sanctioned under Cent Vidyarthi- NCGTC Guarantee Scheme.
- Enhancement of sanctioning powers to RO/ZO to reduce TAT.
- Tie up arrangements with identified Educational Institutions for lead generations.
- Reputed Institutes added in scheme for financing IIMs students & Reputed Institutes.

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 62 Authorized Dealer ('B' category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- As on 31.03.2020 the Export Credit portfolio of the Bank is ₹4876 crore in comparison to ₹5314 crore as on 31.03.2019, decrease of 8.24% over previous year.
- Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 31367 crore in FY 2019-20 as against ₹ 42995 crore in FY 2018-19.
- NRE Deposits increased from ₹4941 crore as on 31.03.2019 to ₹5130 crore as on 31.3.2020; an increase of 3.83% over the previous year.
- FCNR Deposits increased from USD 226.73 million as on 31.3.2019 to USD 230.66 million as on 31.03.2020, an increase of 1.73% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to ₹1,47,357 crore (Including Non-SLR, Non-Transferable Govt. of India Recapitalisation Bond ₹ 14780 crore) as on 31st March 2020 as against ₹1,29,219 crore as on 31st March 2019 thereby recording an increase of 14.04% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 6.14% as on 31st March 2020 vis-à-vis 7.35% on 31.03.2019.
- During the year RBI decreased the Repo rates on four occasions, effectively bringing the rate from 6.25% to 4.40%. Thus the Bank rate and Marginal Standing Facility rate stood reduced at 4.65%.
- As part of liquidity measure to small and mid-sized corporates, including non-banking financial companies (NBFCs) and micro finance institutions (MFI) impacted on account of COVID-19 disruptions, RBI has conducted Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) and Bank has availed ₹207 crore for further deployment.
- Treasury recorded trading profit of ₹1214.85 crore in FY 2019-20 as compared to previous year trading profit of ₹215.00 crore. The yield on investment (excluding trading profit) decreased from 7.15% during 2018-19 to 7.01 % during 2019-20.

- In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt. securities amounting to ₹5566 crore from AFS to HTM and ₹6746 crore from HTM to AFS during 2019-20.
- Bank has done IBPC lending for 91 days to Axis Bank amounting to ₹1500 crore.
- The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2020 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2020	31.03.2019
1	SLR	109,493.35	96,206.03
2	Non-SLR	37,864.51	33013.28
	TOTAL	147,357.86	129,219.31

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assess the risk models so as to remain in sync with to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- ❖ At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- ❖ These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- ❖ The Bank has identified officers in the rank of Chief Manager/Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- ❖ The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- ❖ The tools such as VaR and Duration gap analysis are used as an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run.
- ❖ A model to estimate Capital charge on trading portfolio as ongoing basis is developed and is implemented as per the Basel III guidelines in the Market Risk.
- ❖ The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counter party limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per their latest standing risk associated of the counterparties.

Credit Risk Management

- ❖ Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy.
- ❖ The Bank has in place the Rating Module from CRISIL Ltd. for rating of account under different models viz. Large Corporate Model, Infrastructure Model, NBF, etc.
- ❖ The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- ❖ The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Management Committee headed by the MD & CEO.

- ❖ As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of implementing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio through the system for which SAS solution is already procured.

Operational Risk Management

- ❖ The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- ❖ Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- ❖ Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework is in Vogue which guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ❖ ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 24 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- ❖ Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate, MCLR, RBLR and BPLR fixation. During the year 2019-20, revision was made thirteen (13) times in deposit interest rates, Base rate was reviewed four (04) times and MCLR was reviewed Twelve (12) times.
- ❖ In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio remained above the threshold limit (i.e. 100% for 2019-20) fixed by RBI. The average LCR for FY 2019-20 is 322.50%.

Implementation of Basel III Guidelines

- ❖ Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- ❖ Bank is in the process of implementation of IRMS (Integrated Risk Management Solution) for moving to Advanced Approaches.
- ❖ All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- ❖ Bank is taking necessary steps to graduate to IRB (Internal Rating Based) Approach for computation of capital charge under Credit Risk.

SAM AND RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs under Swiss Challenge Method, Wilful Defaulters, One Time settlement Schemes etc.

The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in economy and trends in NPA Resolution/Management. The Bank has launched Recovery Campaigns during the financial year.

1. During the year 2019-20, inspite of Cash Recovery of ₹2936 Crore and Up gradation of ₹423 Crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (13 accounts of ₹ 50.00 Crore and above amounting to ₹2838 Crore).
 - ❖ Gross NPA level has increased marginally from ₹32356 Crore to ₹32589 Crore, i.e. by ₹233 Crore
 - ❖ Net NPA stood at ₹11534 Crore vis-à-vis ₹11333 Crore in FY 2018-19.

- ❖ Gross NPA vis-à-vis total advances have decreased from 19.29% to 18.92% (37BPS).
- ❖ Net NPA vis-à-vis net advances have decreased from 7.73% to 7.63% (10BPS).
- ❖ Cash Recovery in Written off accounts increased (24.42%) from ₹557 Crore (FY 2018-19) to ₹693 Crore (FY 2019-20).

2. Following One Time Settlement (OTS) schemes were implemented for NPA resolution:

- a) Non-Discretionary/Non-Discriminatory (NDND) Special OTS Scheme 2019-20 for Sub Standard, DA1, DA2, DA3, Loss accounts & PWO/TWO A/Cs as on 31.03.2019 having Customer Exposure (O/s CIF wise) up to ₹10.00 Crore,
- b) OTS Scheme under Net Present Value (NPV) Approach for all NPA accounts either with security or without security.

OTS Proposals with ledger outstanding of ₹ 4591 Crore were settled for ₹2540 Crore under these schemes during FY 2019-20.

OTS proposals, aggregating to ₹1354 Crore were sanctioned at Central Office level through various Committees during FY 2019-20.

3. During the year Bank has sold 11 NPA A/cs to ARCs under Swiss Challenge Method on 100% Cash Basis (except Jyoti Limited with 50% SR) with Cash Recovery of ₹388 Crore resulting thereby reduction in NPA to the extent of ₹685 Crore.
4. ICA were signed in accounts with banking exposure of ₹ 1500 crore and above in terms of RBI guidelines of circular dated 07.06.2019.

No of accounts	Amount Outstanding as on 31.03.2020	Total Provision held
20	₹ 7071.06 crore	₹ 3698.78 crore

5. Resolution Plans approved and implemented in accounts in compliance of RBI circular dated 07.06.2019.

No of accounts	Amount Outstanding	Total Provision held
5	₹ 941.38 crore	₹ 147.19 crore

- i. Jaiprakash Power Ventures Ltd. (Nigrei)
- ii. Jaiprakash Power Ventures Ltd. (Bina)
- iii. Rattan India Power Ltd
- iv. GMR Kamalanga Energy Ltd
- v. Bajaj Hindustan Sugar Ltd

6. Resolution Plans approved by NCLT and implemented during the FY 2019-2020 in accounts appearing in RBI list 1 & 2

No of accounts	Amount Outstanding	Total Provision
2	1221.27 crore	1009.46 crore

- i. Essar Steel Ltd
 - ii. Ruchi Soya Industries Ltd
- Total PCR in RBI list I & II accounts 94.29%.

7. Recovery in NPA accounts was a major thrust area for the year 2019-20. The movement of NPA are being monitored closely by our executives on daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and action under SARFAESI are reviewed during review meetings on regular basis and video conferences are being held with SRMs/RMs and FGMs on monthly basis.
8. NPA Borrowers with an outstanding of ₹ 10 lacs & above are being contacted individually by RO recovery team along with branch staff for its recovery.
9. All NPA accounts above ₹5.00 crore are discussed with the field functionaries. Necessary guidelines are issued accordingly. Recovery actions are initiated by RMs/FGMs in the accounts. Progress made in the NPA accounts were reviewed in video conferences held on monthly basis.

10. SAM & ARB Branches are closely monitored on Quarterly basis to give impetus for Recovery initiative.
11. Persuasion with defaulting borrowers to accelerate Recovery in Written off accounts.
12. Lok Adalat at District level were organized on quarterly basis with an active participation of RO/ZO and Law Officer.
13. Vigorous follow up with DRTs by the Legal Officers /Coordinators is made to dispose off the pending cases.
14. All Field General Managers & Regional Managers were advised to allocate all NPA accounts of ₹10 lacs and above to all officers for regular follow-up related to Cash Recovery/Upgradation in NPA accounts/ OTS settlement etc.
15. Field Functionaries are sensitized to pursue with the defaulting borrowers for Cash Recovery and Upgradation on regular basis.

BANCASSURANCE

Bancassurance Cell deals with distribution of Life, Non-life and Health Insurance products and receives commission. Our bank is holding composite corporate agency license from IRDAI for insurance business since 2003 which is last renewed in 2019 and valid upto 31.03.2022. Bank has tie up arrangement with following Insurance Partners for Bancassurance Business:-

Sr. No.	Name of the Insurance Company	Category
1	Life Insurance Corporation of India Ltd.	Life Insurance
2	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Life Insurance
3	The New India Assurance Co. Ltd.	General Insurance
4	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	General Insurance
5	Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd.	Standalone Health Insurance

The performance highlights for the year ended on 31.03.2020:

- ❖ Bank has canvassed 57,908 policies with premium of ₹169.06 Crores in Life Insurance Business.
- ❖ Under General Insurance business, Bank has mobilized 2,23,594 policies with premium collection of ₹55.99 Crores.
- ❖ Under Standalone Health Insurance Bank has mobilized 16540 policies with premium collection of ₹13.90 Crores.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 39.55 crore.
- ❖ Augmented number of Specified Persons (SP) by 110 during the year. Now we have 1671 Specified Persons to carry Bancassurance Business.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital Market Services Branch located at Fort, Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 30319 Demat account holders.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for Demat and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION

- ❖ The Bank achieved 100% coverage of branches under Core Banking Solution (CBS) in December' 2010.
- ❖ The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the services to the customers.
- ❖ Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements were recently completed to cater the future business projections and other statutory and security obligations.

- ❖ Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy.
- ❖ Policies and Procedures have been introduced and adhered to safeguard the assets of the Bank and interests of the customers.
- ❖ Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- ❖ New functionalities are being implemented in CBS as per requirements on an on-going basis.
- ❖ Bank is in the process to implement Application Performance Management (APM) solution to monitor the real time performance of CBS and Interfaces and Data Archival Solution for optimum utilization of core storage and performance optimization of CBS.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- ❖ Bank's Corporate Network covers 4668 locations consisting of branches, extension counters, ARBs and administrative offices.
- ❖ Bank has also tied up with multiple service providers for procurement of 2 Mbps Wired/ Wireless/ RF/ VSAT links either as primary or as backup depending upon the feasibility and requirements.
- ❖ Bank has upgraded almost all the primary links to 2Mbps and above. The backup links at 86% of the total locations have been upgraded to 512 kbps and above which includes 500+ BSNL VSATs, 400+ Airtel VSATs and 200+ Hughes VSATs.
- ❖ Bank is in the process to procure BSNL Lease Line/ 2 Mbps RF/ 3G/ 4G to provide higher bandwidth backup link at the remaining 14% locations and replace the existing backup VSATs,
- ❖ To achieve the above, Bank has recently issued Purchase order for 2 Mbps wired/ wireless links at remaining branches from Sify Technologies Ltd and Vodafone Idea Ltd.
- ❖ Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- ❖ Bank has procured and installed/ commissioned new generation firewall, Web Application firewall at DC & DR to enhance the security. Bank has also procured firewall for third party locations and is in the process to install/ commission the same.
- ❖ To enhance the state of art network infrastructure Bank has procured and installed Top of Rack (ToR) switches, Server load balancer, Network Behaviour Analysis tool at DC & DR.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

3. INTERNET BANKING (INB)

- ❖ The Internet Banking (INB) facility is capable of catering to 10000 users concurrently. The website uses SSL certificate with extended validation (EV) and TLS 1.2 protocol for enhanced security.
- ❖ New facilities added during 2019-20:
 1. Internet Banking is now available in 10 languages including: English, Hindi, Marathi, Punjabi, Gujarati, Bengali, Kannada, Malayalam, Tamil and Telgu.
 2. Using INB, customers can open PPF account online.
 3. CAPTCHA is introduced in Login Page.
 4. Another factor of authentication has been introduced for online password generation for enhanced customer security. Now the INB system asks user to authenticate himself using KYC/ Debit Card/ INB Security question besides the existing OTP on registered mobile number.
 5. Customers can now receive OTP through registered E-mail from Internet Banking.
- ❖ Internet Banking facility offers a wide range of products and facilities which include online password generation for Retail & Corporate customers, Introduction of multiple 2FA (OTP, GRID, & Digital Signature) options for customers to make transactions using their choice and convenience. Funds transfer, Online Tax Credit View, Utility Bill

payments, Online Tax payment for various Govt., Airlines/ Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/ Universities, Govt. e-payments/ receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, Online time deposits including NRE/ NRO deposit creation. Online sovereign Gold Bond request through INB, Facility of card control through INB to enable, disable and control limits for cards, NEFT Scheduling, Fund transfer through IMPS, etc.

- ❖ Separate group has been created for corporate users to enjoy facility of tax payment. Additional facility of view only Admin launched for RO and Non Officers for enquiry and support purpose, CBDT module has been revamped to facilitate high volume Tax collection through INB, Integration with Rajasthan Payment portal for Online Tax Collection. Integration with Bihar State Treasury Portal (CTMIS) for collection of taxes through INB
- ❖ IRCTC Ticket Booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24 X 7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing.
- ❖ Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 Banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of Civil Services, Food and other e-PAO's.
- ❖ Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customers.
- ❖ Corporate customers can now be offered INB with view only, INB with tax & Utility Bill payment only facility in line with the facility already available for personal INB customers.

4. INTERFACES

- ❖ Our Bank is integrated with PFMS (Public fund management system) for processing of the Govt. Payments. This system is used to process MGNREGA DBT payments for two states of Madhya Pradesh and Maharashtra, where our Bank is the sponsor Bank for the scheme.
- ❖ New interfaces have been developed for the following projects:
 - PM KISAN Yojna has been implemented through PFMS where our Bank is acting as the sponsor Bank for Maharashtra State.
 - Customisable module for Fee collection using web services for real-time fetching of fee details and updation after successful collection at Branches. This module can be configured to add new institutions at short notice by providing generic APIs for institutions to consume and start fee collection.
 - Dept. of Social Justice (DoSJ), Madhya Pradesh pension processing on single click - This is a prestigious project of MP Govt. where 40 Lakh beneficiaries get the pension in one go.
 - Dept. of Social Justice Haryana pension processing - This project is aimed at crediting beneficiaries of our Bank through a single file upload.
 - Dept. of Gram Panchayat (DoGP) Madhya Pradesh - A facility to upload digitally signed files in Bank's system for straight through processing has been provided to DoGP. Additionally the functionality also generates account statements daily and updates the DoGP setup.
 - Rajasthan Payment Portal (RPP) - A facility to upload digitally signed files in Bank's system for straight through processing has been provided to RPP.
 - Sharing of account statements for FCRA accounts held with our Bank. The existing setup of PFMS account validation has been reused to provide Ministry of external affairs the information sought regarding the FCRA accounts maintained with our Bank.
 - EVC using Bank account - The facility of Electronic verification (EVC) of Income Tax return filing using account number of the customer has been developed.

5. E-STATEMENT THROUGH E-MAIL

- ✦ A setup to send digitally signed account statement through e-mail to our Bank customers had been implemented. The facility also provides an option to share the infrastructure with other IT projects for signing and dispatching documents automatically to customer e-mail IDs.

6. M-PASSBOOK

- ✦ Mobile based M-Passbook for customers has been highly rated by our customers in Google play store.

7. SMA-NPA TRACKER

- ✦ Loan and NPA Monitoring forms an important part of the Bank's regular activities. SMA-NPA Tracker solution has been implemented in our Bank which aims to facilitate the field functionaries and ensures better monitoring of loan portfolio and tracking of their day to day activities. The solution is deployed on centralized server and can be accessed from Mobile Apps, browser of desktop/ laptop/ tablets and phones.
- ✦ This product has been awarded as innovative product by Finnoviti-2019 and IBA Awards- 2019.

8. BHARAT BILL PAYMENT SYSTEM (BBPS)

This is a new initiative by NPCI to address the concerns of Bill payment business. Our Bank has got regulatory licence to participate as an operating Unit under this initiative and same is being implemented. The BBPS website has been launched successfully and the product is offered through Internet Banking and Mobile Banking.

9. SMS BANKING/ ALERTS

SMS Banking setup provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Informational SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring by Branch Managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.

10. MISSED CALL ALERTS

- ✦ This facility is available to our CASA customers, whereby customers receive SMS regarding balance and last three transactions free of cost by giving missed call to 9555244442 and 9555144441 respectively. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Banks' Association for this customer initiative.
- ✦ The facility has been upgraded to accommodate account balances and mini-statement for multiple accounts of the same account holder.

11. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA)

- ✦ Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application Supported by Blocked Amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the Bank to block the application from his/ her Bank account and thereafter remit the allotment amount. The facility is also extended to syndicate ASBA and e-IPO.

12. MOBILE BANKING

- ✦ Cent Mobile is a Mobile Banking Application of the Bank. Users can access most of the Banking services anywhere anytime through mobile device. Cent Mobile is available for Android and Apple (iOS), Blackberry platforms. It can be downloaded from respective Play Store/ App Store. Pre login options are accessible to all. Post login options can be accessed by customers of our Bank after completing one time registration process.
- ✦ The functionalities available through Cent Mobile application as follows:-

Pre Login Options:

- Contact details of Central Office/ Zonal/ Regional Offices/ Branches including- office address, phone number, email address, MICR Code, Pin Code, IFSC Code.
- Branch and ATM Locations - mobile handset GPS based list of nearby ATMs or Branches. State, District, Centre or Pin code based pan India search option is also available.
- Map showing distance/ driving directions for ATM/ Branch/ Admin Offices.

- Touch dial to display phone numbers of Branches/ Admin Offices/ Call Centre.
- Link for Corporate website, Official social media pages (Facebook, Twitter), email address.
- Information banners related to products and services of Bank with zoom option.
- Interest rates on Savings and Time Deposit for different maturity periods.
- Interest rates on selected Retail Loan Schemes.
- Touch dial to Missed Call service of Bank for getting Account Balance or last few transactions over SMS (available to Customers registered for this service).
- Real time Notifications/ Alerts regarding new launch/ offers/ modification in schemes etc.
- Search FAQ content based on key words.
- New options provided - BBPS, Deposit calculator, Demo Videos, Cent m-Passbook, DigiPay, BHIM Cent UPI, Offers & deals, Government schemes, apply for loan, Security tips and Language selection

Post Login Options

- **Account Related Features:** Account Balance Enquiry, Account Details, Mini Statement, Fund transfer to accounts with Central Bank of India, Fund transfer to other bank accounts through NEFT, Fund transfer to other banks through IMPS, Donation to selected Institutions and Open New Time Deposit Account (RDS, FDR and MMDC Accounts).
- **Requests:** Card Blocking, Request for Cheque Book, Request for Stop Payment, Request to Revoke Stop Payment, Cheque Status Enquiry, Registration for getting Account Statement over Email and NEFT / IMPS Status Enquiry.
- Option to submit feedback/ suggestion/rating for Cent Mobile Application.
- **Bill Payment services:** Utility Bill payment, Mobile/ DTH Recharge.
- **Credit Card Services :** Central Bank Card related information such as Available Limit, Billed Amount, Unbilled Amount, Last bill summary, Card Statement, Reward Points, Central Card contact details and Central Card Bill payment and Request for blocking Credit Card.

Card Control Features

Card Control features have been introduced in Internet Banking, Mobile Banking and CBS for enabling customers to perform the following functions related to Debit/ Credit cards:

i) Debit Card Control

- ◆ Debit Card Control module introduced in Mobile Banking app enabling customers to perform the following functions through Mobile Banking related to Debit card:
 - Temporary suspension of Debit cards.
 - Re-activation of suspended Debit cards
 - Setting limits of ATM Cash withdrawal and E-Com/ POS purchase of Debit Card for Domestic and International transactions.

ii) Credit card Control

- ◆ Credit card Control module incorporated in Cent Mobile application containing the following features:-
 - Viewing of credit cards
 - Temporary suspension of domestic and International credit cards
 - Re-activation of suspended domestic & international credit cards
 - Setting the E-com and POS monthly transaction limit for Domestic and International credit cards

New features introduced in Mobile Banking application

- Sending OTP through email in addition to SMS on mobile for fund transfer.
- New application design with enhanced User interface and look and feel

- ❖ Multi lingual option provided
- ❖ UPI option provided through Mobile Banking
- ❖ Cent BOT- On line conversational chat assistant
- ❖ Bharat Bill Payment System (BBPS)
- ❖ Lead Generation- Apply Now
- ❖ Prime Minister Social insurance scheme enrolment- PMSBY, PMJJBY, APY
- ❖ TDS and Loan Interest Certificate
- ❖ Submission of form 15-G/ 15 H
- ❖ My portfolio snapshot

13. KIOSK BANKING:

Bank has installed 254 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 407 Multi-function Kiosks with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

14. UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)

BHIM Cent UPI, the Unified Payment application (UPI) of the Bank is available on Play Store/ App Store for Android and iOS with the following features:-

1. Send Money using
 - a. Virtual Payment Address(VPA),
 - b. Account Number and IFSC
 - c. Mobile number and MMID
 - d. QR Code
2. Collect Money by sending collect request
3. Creation of Payment address for Bank Accounts
4. Manage Payee
5. Balance enquiry
6. Transaction history
7. Know Transaction status
8. Raise Complaints
9. Generate/ Change MPIN
10. Notification for collect request
11. Approval of collect Request
12. Auto detection of OTP
13. Resending of OTP
14. Hindi Language option for UPI application
15. BHARAT QR to scan and Pay through UPI
16. VPA block option to users for specified period
17. Integration of Bharat QR for merchant payment using UPI

New features introduced in Unified Payment Interface (UPI)

- UPI 2.0 made live as an issuer enabling following features to customer.
 - ❖ One time mandate creation, Revoke and execution with ASBA functionality.
 - ❖ Foreign Inward Remittance.

- ❖ Access Over-Draft (OD) account as an underline account in UPI
 - Implemented mandatory security controls recommended by NPCI
 - Restricting Aadhaar based transactions through UPI
 - Restricting UPI transactions within the same account

15. BHIM Incentive Scheme

Government of India launched incentive schemes i.e. a) Referral Bonus schemes for Individuals b) Cash back scheme for merchants for promoting the usage of digital payments through BHIM UPI is implemented in the Bank.

OTHER PROJECTS

16. WEB SITE:

- ❖ Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website provides apply online facility for Deposit Accounts and information availability of Lockers at Branches etc.
- ❖ Facility for online submission of application for MSME loan through the website.
- ❖ Grievance can be logged by the customer and can check the status.
- ❖ Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis.
- ❖ Utility bill Payment link on the website through Cent Smart pay.
- ❖ Various Central/ State tax payment links available on the website for convenience of the customers.
- ❖ Security tips for the customers (a video presentation)
- ❖ Branch/ATM Locator
- ❖ Tender Section

17. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS

- ❖ NEFT 24 X 7 has been implemented from 16th December, 2019 as mandated by Reserve Bank of India.
- ❖ NEFT & RTGS are under Straight Through Processing (STP) in our Bank.
- ❖ Bulk NEFT facility is available to branches to remit funds to multiple beneficiaries at a time.
- ❖ NEFT bulk upload through Cheque mode is also provided to Arera Hill Branch (3312) Bhopal for their customer viz. Government treasury A/C.
- ❖ RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. Two RRB's and 39 Cooperative Banks have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional in our Bank since its launch by RBI.
- ❖ Next Generation RTGS (NG-RTGS) facility had been extended to 39 sub-members Co-operative Banks of Madhya Pradesh.
- ❖ Facility of Collection of funds on basis of Virtual account number has been provided to DDA, Allen Career institute, India Trade Promotion Organization (ITPO), Sai Baba Central School and North Maharashtra University (NMU).

18. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System (CTS) has been successfully implemented at:

- ❖ 247 identified Centers for CTS in Southern Grid
- ❖ 280 identified Centers for CTS in Northern Grid
- ❖ 161 identified Centres in Western Grid

19. CALL CENTRE

- ❖ Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- ❖ Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Stop Payment of Cheque, Enquiry on Interest

Earned/ Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and capturing it in Bank's Customer Grievance System for its redressal at an appropriate level. Bank has implemented CRM at Call Centre.

- ❖ For convenience of the customers IVR system has been implemented at Call Centre.
- ❖ Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is established. Bank is making outbound calls to create awareness of products offered and making soft recovery calls to SMA borrowers.
- ❖ For redundancy of lines for outbound calls to customers for feedback/ guidance, product awareness etc, two links of different service providers have been installed.
- ❖ Periodical Trainings to Call Centre executives are being provided by various technical/ operational teams for instant resolution of various queries raised by the customers.
- ❖ Bank has upgraded to an advanced Call Centre with more seats and covering more functional areas with new Toll Free Number- 1800221911 with 90 channels.

20. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR) / DATA WAREHOUSE (DW)

Bank has set up a Single Data Repository (Data Warehouse), which is a source to provide information/ reports across the Bank besides being a treasure for analytics driven business decisions. This is to ensure consistency in reporting and maintaining single version of truth, providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System. Static ALM, Dynamic ALM, Fund Transfer Pricing (FTP), Analytical CRM including Campaign Management and Corporate Performance Management (Planning & Budgeting) modules have been implemented under SDR Project. The project is now under renew / refresh with updated version of SDR/DW. The main outcomes include -

- i) Leveraging data and analytics for business outcomes through use-cases.
- ii) Improving Customer Experience and touch points through Analytics and Better Campaign Managements
- iii) Operational Information on fingertips through Dash Boards catering to various Business Verticals and reports
- iv) Better Planning and Budgeting Capabilities both through top down and Bottom up approach available
- v) Better Risk Management and Liquidity management through ALM module
- vi) Better customer insight, customer retention, value proposition, sales insights etc
- vii) Better product design, insights to help formulate policy for the Bank etc.
- viii) Consistent reports and Dash boards from a single point of data source
- ix) ADF (XBRL) reporting

21. ENTERPRISE SERVICE BUS (PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION)

Capacity building exercise has been done to avoid delays in payment processes due to queue up and introduced multi thread processing to meet timelines. Bank implemented a payment integrator solution viz. IBM Integration Bus (IIB) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, and EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for payment of salary and other claims of employees, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Co-operative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS (Central Planned Scheme Monitoring System) – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS (Electronic Fund management System), MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System, IMPS, Unified Payment Interface 2.0, Khazana, PMJBY, Welfare scheme of various State Governments, E-GRASS, Green PIN, etc.

22. HRMS

- ❖ Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (CENT SWADARPAN) using Peoplesoft solution of Oracle, covering various functionalities such as Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Brief case/Newspaper/ Conveyance reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll,

Form 16, Leave, Union, Increment Report), Training Management and Manpower Training (MPT), Investment, Promotion Process Request Form, Annual Performance Appraisal Management and related reports, Silver Jubilee Award Reimbursement, Furniture & Fixtures, Transfer of officers, Rent reimbursement facility, VRS, Grievance Management etc. in addition to Manager Self Service, using which approving authorities sanction various claims/requests of the staff.

- ❖ Bank has implemented Performance Management System and Job family allocation through HRMS.
- ❖ Bilingual facility is made available in HRMS.
- ❖ Bank has also established a DR set up for HRMS.
- ❖ Access to HRMS through Android based mobile app has been implemented. Straight Through Processing of various claims like Conveyance, Newspaper, Briefcase reimbursement, Silver Jubilee, Furniture Maintenance etc. has been enabled.

23. INHOUSE DEVELOPMENT

- ❖ Bank has a robust in-house Software Development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of software development activities, wherever possible. More than 40 portals have been developed and made live. Many of portals are used for data collection from branches. Major portals which are developed by in-house development team are:
 - For staff only—this portal displays the circulars of various departments, manual of instructions, major Policies of the Bank including HR, IT, Information Security, Audit etc.
 - MOC Online Reporting—Portal for reporting MOCs issued by auditors in branches.
 - Performatrix—Mobile App developed by In-house Development Team, which displays figures of various Business parameters of Branches – Current, last quarter, last FY and previous year. It also shows the growth of digital transactions, Notifications regarding accounts which are NPA, SMA etc. and shows the mobile number of the customer so that branch manager can easily contact the customer.
 - Portal for BC Commission Calculation - This portal calculates the Business correspondent commission (Financial Inclusion).

Following In-house developments completed:

- Web portal for CMC reporting
- Portal for Fraud Reporting & Monitoring (Closing Returns)
- Portal for BC Commission Calculation
- Performatrix - IOS Version
- Portal for DRC file generation
- RAROC Calculator
- Web portal for CR Request
- Portal for reporting Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) by the Branches
- AEPS Reconciliation
- Portal for SIBC data collection
- Web portal for PMAY
- Portal for Reporting of Surprise visit of Branches by Senior Officials from ZO/ ROs
- Portal for reporting of Branch security details
- Web portal for Review of Stressed Accounts
- Web portal for Dynamic review
- Web portal for marketing force

24. RRBs SPONSORED BY THE BANK

Bank is sponsoring 2 RRBs with 1174 branches. All the branches are under Core Banking solution. The entire system is revamped to take on the requirement of the Bank. Renewal has been done envisaging expansion of branches and business growth of the RRBs. At present RRB branch network is primarily on BSNL wherever feasibility is there and remaining branches are functioning with VSAT as primary link. Renewal process for August 2020 to September 2025 has been started and consultant has been appointed for the same.

Efforts have been made to implement all technical initiatives of the sponsor Bank and major initiatives are as under:-

- EMV chip based ATM card facility for RRB customers
- SMS alert introduced at RRBs
- Renewal of Biometric Authentication solution for branch CBS users.
- POS facility through Rupay Debit Card
- Comprehensive IS Audit of RRB is completed
- DBTL/ ACH is implemented in all 2 RRBs
- Implementation of Rupay Card transactions through MicroATMs.
- BC OD mapping at BC point
- Implementation of IMPS
- Implementation of E-Commerce
- Renewal of RRB-CBS – Appointing of Consultant
- Aadhar Data Vault
- FI Migration completed
- MMS renewal with M/s.Wipro/Zimbra
- Missed Call Alert facility for Balance Enquiry & mini statement for RRB customers
- Off Site monitoring Alert for RRBs
- Implementation of 24*7 NEFT facility in RRBs

25. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES:

- ❖ DBT (Direct Benefit Transfer) - Credits to the accounts of customers who get the subsidy from gas agencies and credits like MNREGA from Government to beneficiary accounts were successfully implemented and our Bank stood 1st among all PSBs during March, 2019 in reduction of DBTL returns.
- ❖ FI Terminal ID validation for identification of BC through which transaction happened
- ❖ Aadhaar Authentication menu in CBS with Amend, Delete, Enquiry options
- ❖ Account validation revised format as per the CBDT
- ❖ Front end nomination amend screen requirement in PMJJBY and PMSBY schemes enabled
- ❖ BC supplementary report and storing failed transaction with reason in CBS customized
- ❖ Aadhaar Seeding History for knowing the Aadhaar seeding/linking by maker n checker details with customer accounts was customized in CBS UIDH table
- ❖ Up gradation of public unregistered devices to registered devices Implemented
- ❖ Reports for payment of commission to BCs for revised commercial from 01/01/2019
- ❖ SSA Names with Addition/Deletion/Enquiry option in CBS (Parameter Screen)
- ❖ GIS (Geographical Information System) Data Updation
- ❖ SHG Transaction with Dual Authentication facility at BC point implemented

- ❖ Business conversion from old BC to new BC done
- ❖ Enrollment of PMJJBY & PMSBY @ BC point enabled
- ❖ Failure Transactions storing in CBS enabled
- ❖ APY Pension amount upgrade n downgrade facility in branches enabled
- ❖ Enrollment of APY, PMJJBY & PMSBY facility under SSS (Social Security Schemes) in PMJDY OD ACCTS allowed
- ❖ Blocking of Financial transactions in NRE Accounts was done.
- ❖ Bharat Bill Payment System (BBPS) at BC point was enabled
- ❖ Enrollment of PMSBY/PMJJBY through SMS/Web was enabled
- ❖ Restrictions on AEPS Issuer Transactions to stop split transactions as per NPCI guidelines was implemented
- ❖ DBTL Returns- The issue for high number of DBTL returns was rectified
- ❖ e-KYC through Biometric and OTP enabled
- ❖ Aadhaar seeding and authentication through web facilitated

26. IT GOVERNANCE

- ❖ The necessary structure for IT Governance has been set up with IT Strategy and Risk Management Committees of the Board in the Bank.
- ❖ Board approved IT Policy in place. The IT organizational structure commensurate with the size, scale and nature of business activities carried out by the Bank and the underlying support provided by Information Systems for the business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure include 'Technology and Development', 'IT Operations', 'IT Assurance', and 'Supply and Resource Management'. IT Department is headed by a Top Executive in the Rank of General Manager supported by Dy. General Manager and Asstt. General Managers. Each functional vertical of IT department is headed by suitably experienced and trained senior official.
- ❖ The Bank has also adopted Patch Management Policy, Acceptable Use Policy, Anti-Piracy Policy, Electronic Gadget & IT Hardware Disposal Policy, Data Migration Policy for better Management of IT functions.

27. INFORMATION SECURITY.

- ❖ Implementation of various advanced security tools and services to safeguard the bank against current and future cyber threats.
- ❖ Cyber Security Operation Centre (C-SOC) - Review of alert scenarios on regular basis. Proper and timely closure of incidents/alerts raised. Integration of new systems with C-SOC on continuous basis. 24x7 support and monitoring.
- ❖ To ensure periodical security audit of critical infrastructure and applications to identify the vulnerabilities (if any).
- ❖ Review of various security policies and compliance of the same where ever applicable.
- ❖ Adherence to regulatory guidelines related to information security and cyber security.
- ❖ To ensure adequate cyber insurance coverage on continuous basis for critical IT infrastructure of the Bank.
- ❖ To ensure proper Incident Management mechanism and cyber crisis management mechanism to mitigate cyber related threats (if any) in the bank.
- ❖ To ensure continuous compliance with the certification standards for ISO 27001:2013 ISMS and ISO 22301:2012 BCMS certification. Conducting of internal audit as well as external audit by the certification body on yearly basis.
- ❖ Evaluation of existing and new information security controls through various measures like participation in Cyber Drills, Red Teaming, and Threat Hunting etc.
- ❖ Initiatives on a continuous basis towards better security awareness among staff/customers.

28. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- ❖ Bank has enabled 2 Factor Authentication through Biometric Authentication System (BAS) as part of implementation of an additional security measure while login to CBS.
- ❖ Bank is upgrading the BAS application with applet less solution.
- ❖ All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capabilities have been made mandatory to login to CBS through Biometric Authentication

29. JEEVAN PRAMAAN

Jeevan Pramaan application for Digital Life Certificate Generation for Pensioners has been installed at all the RO/ ZO/ branches of our Bank. Central Govt/ Defense/ State Govt pensioners can be enrolled for Digital Life Certificate from any ZO/ RO/ Branch Location.

30. LLMS (Loan Lifecycle Management System) - LENDSafe

- ❖ Bank is under process to revamp existing loan management system – CLASS into an End-to-End Loan Lifecycle Management system (LLMS) - LENDSafe to seamlessly serve and manage customers through all stages of loan life cycle journey — it will comprise various loan modules viz Retail, Agriculture, MSME, Corporate Credit, Credit Monitoring and NPA Management. The LLMS is envisaged to complete the entire Loan lifecycle journey and will include Lead origination, Lead conversion, Processing of Loan, Decision making, Collateral Management, Collections Management, Credit monitoring and NPA Management as core functions.
- ❖ By implementing the automated loan management system, bank intends to achieve cost savings, cut the turnaround time for decisions on all types of loan proposals (including retail, agriculture, micro, small and medium enterprises; and corporate credit) as well as support different loan products/processes, and ensure that the customer experience is truly Digital.
- ❖ Moreover the system will also have functionalities to trigger Early warning signals for timely identification of incipient weakness in an account, so that handholding and other measures can be taken to arrest the degradation in asset classification of the account.

31. SARAL TDS WEB APPLICATION

Centralised e-TDS Management Solution implemented in October-2015, which facilitates monthly IT challan generation for remittance of TDS and filing IT returns.

32. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

Cash Management System implemented in January-2015, which facilitates corporate customers to manage liquidity, account balances, payments and other Cash Management functions. The application has two main modules viz. Payments and Collections.

33. ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

AMLOCK application implemented in June, 2015, which facilitates generation of the mandatory reports (daily/ monthly) like STR, CTR, NTR, CCR and CBWTR, which are being filed with FIU-IND (Financial Intelligence Unit - India).

34. MISCELLANEOUS PROJECTS

- ❖ Implementation of Integrated Risk Management System (IRMS)
- ❖ Implementation of Fraud Risk Management System (FRMS)
- ❖ Digitalisation of documents with implementation of Document Management System (DMS).
- ❖ Mail Messaging System
- ❖ Implementation of Digital signature for Corporate INB customers
- ❖ Regularization of usage of licensed products like Microsoft Office
- ❖ Implementation of OTP as a second factor of Authentication for Debit Cards.
- ❖ Wide usage of Video Conferencing facility, which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- ❖ All regulatory compliance requirements that came up during the period.
- ❖ Off-site Monitoring - 90 alerts have already been provided to Audit department for
- ❖ Off-site monitoring.

35. SWIFT

- ❖ SWIFT is used for cross-border Transactions only. Forex Branches transact in SWIFT whenever a cross-currency transaction comes. Standard Messaging system where message is sent/ received through SWIFT platform and settlement happens at NOSTRO/ VOSTRO account level. Various Type of SWIFT Messages each for different purpose.
- ❖ SWIFT is enabled in 72 branches in our Bank for cross border remittances. SWIFT system can be accessed only from Whitelisted PCs at these 72 branches.
- ❖ Access of SWIFT application can only be taken from whitelisted IPs using 2 factor authentication by Identified Whitelisted Users only.
- ❖ Interface with Trade Finance application, Treasury application and CBS application established for outgoing messages using IBM Message Queuing.
- ❖ 6 eye principle is implemented for all SWIFT transactions. In addition 8-eye principle is implemented for transaction more than 500000 USD and equivalent currency.
- ❖ SWIFT Alliance version upgraded to mandatory patch SAA7.4.

36. TRADE FINANCE MODULE (FX-24)

New Trade Finance Module (Fx-24) was implemented in April-2018 in place of Exim Bill Module

Salient Features

- Web based solution and hence available to all branches of our bank.
- Complete integration with Export Data Processing Management System (EDPMS) of Reserve Bank of India. Due to this, Bank could achieve 76% compliance in EDPMS reporting against the RBI stipulated compliance of 70%.
- Complete integration with Import Data Processing Management System (IDPMS) of Reserve Bank of India.
- Compliance with Master Directions of Reserve Bank of India with regard to Imports and Exports
- Compliance with Customer Information Facility Number (CIF) de-duplication.
- Facility to part discount export bills/ part payment of import bills
- Using Cross currency forward contracts in all the modules (Outward remittance, inward remittance, Export and Import transactions).
- All Important reports available in PDF/ Excel format to all users.
- Utilization of combination of ready, forward and card rates in a single transaction.
- Double authorization for financial transactions of Rupee equivalent of 10,00,000 and above.
- Foreign Inward Remittance certificate (FIRC) printing.
- Interest equalization based on 416 permitted HS codes of DGFT/ RBI (both for Pre-shipment and Post shipment),
- Offsite monitoring alerts (16 alerts) are generated and provided to Audit department for monitoring.
- Functionality for advance payment against exports/ imports
- Amortization of LC/ BG commission was automated. Branches used to calculate and vouch LC/ BG commission manually on quarterly basis earlier.
- SWIFT integration completed as per SR 2018 changes.
- LC/BG periodical commission recovery enabled.

Along with the Trade finance module, Bank has also implemented Supply Chain Finance module in Corporate Finance Branch, Chennai for corporate customers.

37. COMPREHENSIVE PENSION PROCESSING SYSTEM (CPPC)

New Pension System has been implemented since March-2018. Centralized processing of payments of all types of pensions is enabled in the system. Scanning and storage of PPOs has been made available in the system. Benefits for pensioners are as under-

- ❖ Easy capturing of life certificates for the pensioners who can visit any of the branch for the purpose.
- ❖ Integration with Jeevan Praman for smooth submission of life certificates.
- ❖ SMS to pensioners on pension/ arrear/ DA arrear/ commutation/ gratuity and other payments.
- ❖ Storage and retrieval of scanned images of PPOs for easy access and safe keeping.
- ❖ Easy and accurate calculation of pension amounts. Facility of processing and payment of family and split pensions.
- ❖ Pension pay slip generation for payments made to pensioners.
- ❖ Pension Payslip by Email implemented.
- ❖ TDS Implemented
- ❖ Incorporation of pensioners PPO number in the narration of Passbook implemented.

38. "Project DISHA" - Analytics-Based Business Transformation Program

In order to Take new Business Transformation initiatives in Retail, Agriculture, MSME Credit, Fee Based Income through CASA for propelling Business Growth and to reinvent the Business Processes for better efficiency and sustainability, Bank has taken initiatives under "Project DISHA". This will be build on analytical capabilities and Digital Tools with robust Risk mitigation measures in the Change processes.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit (RBIA) through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly out of total 4648 branches, 4552 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated in FY 2019-20. Overall there were 3420 branches placed under Medium Risk Rating, 1149 branches with Low Risk Rating, 79 branches with High Risk Rating as on 31.03.2020. No branch of the Bank is rated under Very High/ Extremely High Risk category.

During FY 2019-20, 31 Regional Offices, 10 Zonal Offices and 19 Central Office Departments and 02 subsidiaries were subjected to Management Audit.

As on 31.03.2020, 849 General Branches/ 23 SSBs/49 CCPCs/4 CO Depts. totalling 925 branches/depts. were covered under Concurrent Audit by the firms of Chartered Accountants/Bank officials. All 7 Corporate Finance branches and 7 SAM branches are under concurrent audit by Bank's own official of Senior Management Grade. Around 56.35% of total business of the Bank and 66.71% of aggregate advances as of 30.09.2019 are covered under Concurrent Audit. Concurrent audit assignment was awarded to 818 Chartered accountant Firms, out of which 403 firms are RBI Category I, 254 are category II, 123 are category III and 38 are RBI Category IV firms.

Bank conducts annual revenue checking exercise from 1st March to 10th March every year through firms of chartered Accountants, Internal Auditors and other officials to ensure booking of legitimate income in the books of Bank.

In compliance to RBI directives, Legal Audit in 520 eligible accounts has been carried out during 01.04.2019 to 31.12.2019 and re-verification of title deeds was done with relevant authorities.

Bank ensures strict compliance culture at branches through periodic inspections and audits. Bank also conducts Compliance Audit on random basis to ensure correctness of audit compliance submitted by auditee branches. During FY 2019-20, 1013 branches were subjected to compliance audit.

Bank is also under Offsite Monitoring system to monitor the transactions at branches, above the threshold limits fixed under various scenarios. Presently alerts are generated on 89 scenarios.


Reconciliation of swift messages of AD branches is being done through Concurrent auditors.

Bank also conducts KYC compliance audits in addition to coverage in regular audits.

BRANCH / ATM NETWORK

- As on 31st March 2020, Bank has network of 4,651 branches, 3642 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 642 Districts out of 739 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES



- During F.Y 2019-20, Bank undertaken Organisational Restructuring Plan "SANKALP" for better geographical reach, control and monitoring of the Operations of the Branches.
- As per the revised structure, three Zones namely Hyderabad, Raipur & Guwahati were merged with Chennai, Bhopal & Kolkata respectively to have 10 Zones in place of 13 and established 31 New Regional offices taking the total number of Regions to 90.
- The Bank has converted 49 Centralised Retail Credit Processing Centres (Back offices) into 49 Centralised Retail Credit Processing Branches (Banking outlets) to provide single window services to Retail credit customers
- The Bank has received required approvals from the regulator for establishment of 20 Centralised Agricultural Credit Processing Centres and 50 Centralised MSME Credit processing Centres to standardise and boost Agricultural & MSME credit portfolio of the Bank. These Centres will be established and made functional during F.Y 2020-21.
- The Bank has merged/ closed 63 unviable/ loss making branches under Branch Rationalisation.

OPERATIONS

- Bank's expanded modernized Call Centre is providing out bound call Facility for promotion of products / reminders to customers regarding overdue in their loan accounts etc., in addition to inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers.
- The call Centre operations are upgraded to provide total of 31 services to the callers as against 32 bench marked services under EASE.2.0 guidelines of Govt., of India.
- The upgraded call Centre is now handling 25 functionalities as against 26 bench marked functionalities as per guidelines of EASE 2.0
- The Call centre is also providing services in 10 Regional Languages apart from Hindi & English
- The Door step banking facility is available to Senior Citizens, visually blind & differently abled customers through Call Centre.
- VIP complaints are separately being handled through call centres and are being redressed within 24 hours
- The customers can now request for Debit Freeze of their account through Call Centre
- The Pensioners are followed up for submission of annual life certificate through Call Centre.
- The Customers can make online subscription for Sovereign Gold Bonds through Net Banking & Mobile Banking.

- ❖ Online PPF account opening facility provided to customers through net banking & mobile banking.
- ❖ New pension software - GBM-Pension Module has been introduced to improve speed, accuracy and security in pension processing system; it will provide SMS to pensioners regarding details of payment and prompt revisionary benefits.
- ❖ As per Road Map for Banking Reforms of GOI, the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF - Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.
- ❖ SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch or Call Centre on 1800221911.
- ❖ Banking Facility for Senior Citizens and Differently Abled Persons:

We have walked an extra mile by introducing Door Step Banking Services for physically challenged and Senior Citizens customers. To begin with we are extending following Services at reasonable service charges:

1. Pick up of Cash and instrument against receipt for credit to account,
2. Delivery of Cash against withdrawal from the account,
3. Delivery of Demand Drafts,
4. Submission of Know Your Customer (KYC) documents and collection of life certificate from the premises/ residence of such customers,
5. form no 15 H,
6. other Basic Bank Service e.g. delivery of cheque Book.

These services will be rendered within the radius from 3 KM area of the Home Branch at nominal Service charges.

- ❖ Now Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme /Sukanya Samriddhi Accounts in any of the branch of their choice.
- ❖ Complaints of the customers are resolved promptly; disposal time has been reduced to five days.
- ❖ Task of CKYCR for customers on boarded from 01.01.2017 are being done on priority.

RAJBHASHA

The special achievements of Rajbhasha Deptt in the Financial Year 2019-20 are as under:

- ❖ Every Year Bank is organizing Rajbhasha Sammelan on All India basis. In the financial Year 2019-2020 Bank has organized such 10th Rajbhasha Seminar on 9th & 10th January, 2020 at Mumbai, which is inaugurated by Governor of Maharashtra, Respected Mr. Bhagat Singh Koshiyari.
- ❖ During financial year, Government of India, Home Ministry, Rajbhasha Department and various Town Hall Official Language Implementation Committees (TOLICs) have given 26 awards / prizes out of which 17 are first prizes.
- ❖ Bank has successfully published its in-house Magazine "Centralite" for last 98 years and Central-Manthan, Hindi In-House Magazine for last 6 years.
- ❖ Ensuring use of Hindi & Other Regional Languages in Pass-Book, Mobile Banking, Digital Banking and Statements etc. with the help of DIT.
- ❖ For Motivating Hindi, our various Zones and Regions situated in all India are also publishing 48 E-Magazines and preference is given to Regional Languages also.
- ❖ Inspection of various offices were done by Parliamentary Committee on Rajbhasha. All the Committees appreciated the implementation of Rajbhasha in our Bank. Parliamentary Committee on Evidence and Draft also appreciated the performance of TOLICs under our Bank's Co-ordination.
- ❖ During Vigilance Week Bank has organized 359 Seminars, 1156 Gramsabha with co-ordination of Rajbhasha Cell on pan India basis.

MARKETING DEPARTMENT

- ❖ New Vertical of Marketing Dept. has been set up at Regional and Central office level.

At Central office level, Marketing Vertical Consists of :

- 1) Marketing Dept.
- 2) Corporate Communication Dept.
- 3) Public Relation Dept.
- 4) Social Media

Marketing:

- ❖ Marketing Portal has been developed for the use of Marketing officer as well as Admin offices to Punch and monitoring of Leads.
- ❖ Marketing Team focuses mainly on CASA, MSME and RETAIL Loans.
- ❖ A special Campaign named "Leap in Leap-2020" was conducted by Marketing Dept. and mobilized leads to the tune of ₹ 610 Crore.
- ❖ The department mobilized 13577 number of leads to the tune of ₹2688 Crore of which 9048 leads were converted into business to the tune of ₹972 Crore as on March 2020.

Corporate Communication & Public Relations :

- ❖ It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train, Shikaras, Catamarans branding etc. were done in addition to the sponsorship of Local Sports/Yatras/Events/Kisan Camps/ Conferences at the field level. To support these activities Local Cable, FM Radio, Mobile App. Some important activities are as follows:
- ❖ 109th Foundation Day was celebrated by Regional offices, Zonal offices and Central Office on 21st December 2019 with great enthusiasm. It was organized and managed by our Department at CO Level.
- ❖ Bank's ad through Radio Jingle for 12 Days on Retail products viz. Home Loan, Personal Loan, Gold Loan, Vehicle Loan etc. on the occasion of Diwali aired on 92.7 Big FM at 46 Stations across India .
- ❖ Sponsorship given to CBI recreation club for participation of our banks team in Harwood League – Mumbai for Cricket, Kabaddi and Football season.
- ❖ Central Bank depressed class Employee's welfare Organization-Mumbai majority (Regd.) for distribution of food packets and water and display of banners on 5th & 6th Dec 2019 on the occasion of the death anniversary of Great Leader Bharat Ratna Dr. Baba Sahab Ambedkar at Chaitya Bhumi, Shivaji Park, Dadar.
- ❖ 70th Constitution Day program was organized by zones and central office as per guidelines of the Government of India.
- ❖ Printing and Supply of Diaries & Calendars 2020 has been completed by the department in time.
- ❖ Neck Tie with new design of corporate look was got prepared and supplied to Executives, Branch Managers and all officers of Scale IV and above.
- ❖ Lapel pin and cufflinks were got newly designed for Executives.
- ❖ Sponsorship to India SME Business Summit organized in Mumbai through MMZO
- ❖ Bank's Ad through TV ticker at 77 Passport Seva Kendra across India through MMZO
- ❖ Sponsorship for Marathi Bhasha Diwas through MMZO
- ❖ Bank's sponsorship for Annual celebration of Vasantotsav by Acharya Jialal Vasant Sangeet Niketan through MMZO

- ❖ Bill Board at ST Depot near Thane Railway Station and Traffic Barricade publicity through MMZO
- ❖ Sponsorship of 5 Mega Events organized by Pasbaan -E -Adab Trust through MMZO
- ❖ Bank's ad at Traffic Police Booth in Thane (32 Displays) through MMZO
- ❖ Bank's ad at Ajmeri Gate Signage in New Delhi through Delhi Zone.
- ❖ Arch Gate display on the occasion of Ganapati Maghi Ganeshn Jayanti Utsav at Mumbai through MMZO
- ❖ Bank's participation in 39th India-International Trade fair-2019 through Delhi Zone
- ❖ Bank's Ad on Standee at Ahmedabad Domestic Airport Ahmedabad Zone
- ❖ Title Sponsorship of IRIS-2019 Annual Festival of IIM Indore through Bhopal Zone.
- ❖ Associate sponsorship for 93rd Annual Music festival to be conducted by The Music Academy, Madras through Chennai Zone.
- ❖ Sponsorship of RUSH and Farewell 2020 at IIM Ranchi through Patna Zone
- ❖ Bank's ad on exterior Train display in Kerala Sampark Kranti (Train No.12217 & 12218) –Total 38 Panels in 19 Coaches through Chandigadh Zone.
- ❖ Bank's Branding behind 160 Seats, 12 Displays inside for 2 Catamarans (From Gateway of India to Mandva-Alibaug) through MMZO.
- ❖ Sponsorship for the First Cycle Polo League-2019 of India in Jaipur through Delhi zone.
- ❖ Time to time CCD has been receiving proposals from the various depts. of Central Office for advertising in News papers as per statutory requirements viz. Tender Notices, Appointments, Publishing of Bank's Results and the same have been executed in time.
- ❖ Released Press Releases which are received from various department.
- ❖ Arranged Press Meet and Analyst Meet at the time of announcing Quarterly Financial Result and different important occasions.
- ❖ National Unity Day and Constitution Day were celebrated at our bank in befitting manner.
- ❖ Coordinated for protocol duties for our top management and various government/ RBI officials/ directors visiting Mumbai.
- ❖ Coordinated for Board cum managing committee meetings with our Board secretariat and Security / transport department.
- ❖ Coordinated for Annual general body meeting of our bank with MBD department.
- ❖ Coordinated for all parliamentary committee meetings in Mumbai for our Bank.

Social Media :

- ❖ Central Bank of India is using Facebook and Twitter platform for marketing & branding, customer awareness and responding customer comments/queries.
- ❖ Bank had launched Special Home Loan lead generation campaign through Social Media platform (Facebook) and received 6859 leads through this campaign.

VIGILANCE

1] Systemic Improvement:

During the year the following systemic improvements were undertaken:

- a) System Improvement in CBS-Set Hold/Lien Functionality.
- b) Improvements in Generation of Exception Reports-
- c) Improvements in Document Maintenance in CBS system.
- d) For effective monitoring improvements in Supplementary Checking E-verification of Vouchers [e-VOV] .

2] Vigilance Awareness Week 2019:

As per the directives received from CVC, “**Vigilance Awareness Week 2019** “ was observed by bank from 28.10.2019 to 02.11.2019 in the right spirit and in line with this years’ theme “**Integrity – A way of life**”. On 29.10.19 pledge was administered to the staff working at various departments of Central office. Similar functions were also arranged at all the 10 Zonal Offices, 90 Regional Offices and all 4600 Branches of the bank and 2 Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Our Bank provided hyperlink for the ‘Integrity Pledge’ to CVC’s website to enable customers and staff to take e-pledge.

Bank has sent 4.86 million SMS to customers thereby providing hyperlink to CVC site to take Integrity Pledge during the Vigilance Awareness Week.

Mass pledge was administered to customers, as well as general public in the Rural and Semi Urban areas where technical issues were faced for taking e-pledge. Bank was successful in uploading a total of 2.14 lakh Mass Pledges in the CVC site.

An all India online Quiz Competition covering issues relating to Preventive Vigilance was organized exclusively for the staff of our bank wherein the participation was overwhelming and 118 candidates were awarded prizes in this competition.

About 14.91 lakh pamphlet’s on preventive vigilance activities were distributed all over India by our Bank as well as through RRB’s.

Bank has conducted 194 workshops/sensitization programmes, for the employees, relatives and other stake holders on policies/procedures of the organization and preventive vigilance measures.

As per directives of CVC, Bank has also conducted debates, elocution competitions, slogan writing, poster making, lectures etc. which were organized at 154 schools and 57 colleges wherein 28000 students participated at 9 specified centres viz. Patna, Siliguri, Jabalpur, Ahmedabad, Nasik, Pimpri, Chinchwad, Greater Mumbai, Thane & Navi Mumbai to create awareness for promoting integrity and eradicating corruption.

The town hall meetings for public/Customers/staff were arranged at various places and Special Invitees from Judiciary, CVC, CBI, Police dept, Colleges etc have attended our programmes and addressed the gathering.

Bank has conducted 3953 Gram Sabhas throughout the country at Rural and Semi Urban centers to create awareness among general public about need for promoting integrity and eradicating corruption from our Society wherein about 3.54 lac people attended.

About 17000 banners/posters were displayed at various places at branches, petrol pumps, Railway Stations etc. across the country. 7210 Customer Grievance Redressal Camps were organized by various branches all over India. Radio Jingles on FM Channels at 29 centers across were relayed throughout the Vigilance Awareness Week. The message of Vigilance Awareness was also spread through Facebook, Twitter as well as You tube. The message of CVC was displayed on our Visual Display Units in our branches, Facebook and Twitter pages of our Bank.

Various events like Human Chain, Walkathon, Road show, Nukkad Natak were organized at various places.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March-2020, the staff strength of the Bank stood at 33481 as against 35675 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March-18	March-19	March-20
Officers	17166	16868	16563
Clerks	12300	11766	10356
Sub-staff	7377	7041	6562
Grand Total	36843	35675	33481

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Donation to Chief Minister's Relief Fund- Odisha

In a way of expressing our concern and solidarity with the affected people of Odisha, due to cyclone "Fani" in May 2019, our Staff members donated by way of encashment of 1 day Privilege leave towards Chief Minister's Relief Fund – Odisha.

(ii) Relief loan to employees affected by Cyclone Fani in the State of Odisha

To enable our staff members working /staying in Odisha to overcome the difficult situation due to cyclone Fani, our bank has given Relief loan to staff members at concessional rate.

(iii) Donation to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)

Our Staff members have contributed generously by way of encashment of one day's Privilege leave towards Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) to help victims of devastating floods during July-August 2019 in the states of Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Kerala, Himachal Pradesh & Uttarakhand.

(iv) Payment of Bonus For The Financial Year 2018-19

Bonus for the year 2018-19 i.e., from 1st April, 2018 to 31st March, 2019 @ 8.33% of the 'Salary/Wage' to all the eligible employees with the maximum of ₹7000/- has been paid.

(v) Group Medical Insurance Coverage For Employees:

Group Medical Insurance for employees has been renewed for the period 1st October 2019 up to 30th September 2020

❖ Group Health Insurance Policy For Retirees'

The Retirees' Group Health Insurance Policy is renewed for the period 1st November, 2019 upto 31st October, 2020.

❖ Staff Welfare Schemes in the Bank

For the F.Y.2019-20, the Bank had the under mentioned three Staff Welfare Schemes

- Scheme for Relief to the family of employees who die in harness.
- Holiday Homes and Transit Homes -At present there are 7 functional Holiday Homes.
- Provision of Medical facilities to staff – Salary to existing part-time doctor and Cost of Medicine.
- Canteen subsidy facility for staff

❖ Staff Loans

Quantum of loan in case of House Building Advance to staff for purchase / construction of house and the quantum of Vehicle loan to staff for purchase of Motor car & Motor cycle /scooter, has been enhanced

❖ Norms for Transfer of Officers(Mainstream / Specialist) AND Career Path-cum-Promotion Policy for Officers (Mainstream / Specialist)

Staff friendly Norms for Transfer of Officers (Mainstream/Specialist) in scale I to III AND the Career Path-cum -Promotion Policy for officers, was reviewed and approved by the Board.

3. TRAINING:

As per the approved Training Plan, Training Calendar was prepared for the year 2019-20 and priority has been given to training on Credit (Retail, MSME and Agriculture), Recovery, Forex, Risk Management and Behavioral aspects.

All Training Colleges and ZSTCs have conducted Training Programme as per the Training calendar.(Exception – Regular training programs in the month of March 2020 were cancelled, as staff/faculties of ZSTCs/Training Colleges has been deputed to ZOs due to COVID 19 Pandemic). Details of training activities at our Training Colleges and ZSTCs as well as External Institutes are given hereunder:

❖ **Status of Staff Trained during the Financial Year (as on 31.03.2020):**

	Total Strength	Trained till March-2020	% Covered till March-2020
Officers	16563	14789	89.29
Award Staff	16918	9168	54.19
Total	33481	23957	71.55
Grand Total	36843	35675	33481

Special Training initiatives taken during the year 2019-20 are as under:-

- ❖ 28 Executives have attended "Certified program on IT and Cyber Security" at SPBT College Mumbai in the month of August 2019, conducted by NIBM-Pune.
- ❖ 53 officers attended workshop on EASE at SPBTC Mumbai in two batches, in the month of September, 2019 conducted by NIBM-Pune.
- ❖ Customised Management Development Program has been arranged for Executives of the Bank at IIM Indore. Total 143 Executives (9-GMs, 48-DGMs, 9-SRMs and 77-RMs) have attended the captioned program.
- ❖ Newly identified 189 Marketing officers have attended special training program on Marketing in 7 batches throughout the year at SPBTC Mumbai conducted by Infinite Myriaads Pvt. Ltd.
- ❖ 22 running modules on E-learning are available in E-learning portal managed by SPBT College.

During the year 2019-20, 1388 Programs including Class room, Locational, Special Training were conducted covering 23420 participants and 89781 man days by three training colleges and 15 Centers of Learning & Development. Apart from these 537 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IDBP, BIRD, IIBF, ASCI, Infinite Myriaads Pvt. Ltd and IDRBT etc.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

The promotional exercise has been made more motivating and as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as far as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2019-20 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees /officers were elevated to higher cadre/scale, out of which 105 sub-staff were promoted to clerical cadre, 774 clerks were promoted to Scale-I officers and 1374 officers were elevated to higher grade/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

- The Bank has implemented guidelines/ instructions received from Govt. of India/ Indian Bank's Association on Reservation Policy and concessions / relaxations are extended to SCs/Sts/OBCs/PWDs and EXSM as admissible in the Reservation policy.
- Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble member, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi visited Chennai on 12.02.2020 and discussed the issues of Scheduled Tribes with representatives of All India Central Bank SC/ST/OBC Employees Federation / Association and the Bank Management.

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

DIGITAL PAYMENT & TRANSACTION BANKING –

- ❖ Bank is having total 3845 POS/mPOS Terminal Installed as March 31, 2020.
- ❖ Cumulative Registered users for Net Banking, Mobile Banking and UPI as on March 31, 2020 are 52.23 Lakhs, 24.89Lakhs and 5.76 Lakhs respectively.
- ❖ POS/ECom transactions during FY2019-20 are on an average of 2.10 lakhs per day.
- ❖ Mobile Banking transactions during FY2019-20 are on average of 0.22 lakhs per day
- ❖ UPI transactions during FY2019-20 are on average of 10.10 lakhs per day
- ❖ IMPS transactions during FY2019-20 are on average 1.86 lakhs per day.

Annual Report 2019-20

- ❖ Internet Banking transactions during FY2019-20 are on average of 1.88 lakhs per day

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS:

- ❖ Total number of ATMs as on 31st March 2020 is 3642.
- ❖ Cash Replenishment by Bank staff is being done for 1612 ATMs.
- ❖ 3350 Branches have been linked with ATM as on 31st March 2020.
- ❖ 64.14% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- ❖ Average ATM Uptime during the year is around 90%.
- ❖ Active debit cards as on 31.03.2020 is 2.40Crore.
- ❖ Implementation of Green PIN generation through ATM, Mobile and Internet Banking to do away with physical printing of ATM PIN has been the most important eco-friendly and tech-friendly step.

CREDIT CARD OPERATIONS:

- ❖ Bank has its own Credit Card as well as Co-branded Card with SBI Card.
- ❖ Bank has collaborated with SBI card for issuance of Co-Branded Credit Cards for delightful Credit Card experience for our customers. Management and Operational issue of Co-branded Card is done by SBI Card.
- ❖ Co-branded Card issuance has started since October 2019 and issuance of Standalone cards is discontinued.
- ❖ The Bank has Central Bank Credit Card base of 87470 & Prepaid Card base of 399387 as on 31st March 2020.
- ❖ 24517 Co-branded Cards were issued till March 31st 2020
- ❖ Dedicated Web Portal is available for its existing Credit card as well as weblink is provided for co-branded Credit Card.
- ❖ Credit Card functionality is also available on Mobile Banking App of Bank.

Way Forward – Initiatives under Implementation which will increase the digital footprints.

- ❖ Online Mandate implementation on NACH platform using Net banking / Debit Cards.
- ❖ Revamped Look and Feel of Net Banking.
- ❖ Net-Banking Integration with various aggregators including Angel Broking limited for real time funds transfer in trading account.
- ❖ Issuance of FAST tag to our customer.
- ❖ Utility payments under Mobile Banking.
- ❖ Debit card EMI facility to our customers at certain highly reputed merchant outlets.
- ❖ Enablement of Debit card payment option for Online Payment for Govt. Undertaking / Organizations such as CBDT, IRCTC etc in addition to existing Net Banking payment option.
- ❖ Implementation of Interoperable Card less cash withdrawal (ICCW) from ATM using UPI.
- ❖ Implementation of Standing Instruction (SI) Hub for our customers to manage (create, modify, change) their mandates through cards (Credit / Debit)

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENT BANK HOME FINANCE LIMITED:

- ❖ Net Owned funds stood at ₹122.60 Crore as on 31st March 2020. During the year the total advances of the company stood at ₹1230.65 Crore in 31st March, 2020 as against ₹ 1270.72 Crore as on 31st March, 2019.
- ❖ The retails deposits and institutional deposits stood at ₹469.99 Crore in 31st March 2020 as against ₹ 486.60 Crore in 31st March 2019.
- ❖ The Net Profit of the Company stood at ₹ 10.23 Crore for full year 2019-20 as against ₹ 16.28 Crore, for full year 2018-19.

- ❖ Earnings per Share are ₹ 4.09 (₹10 per share) [Previous Year ₹ 6.51].
- ❖ Gross NPA stands at ₹49.92 Crore in 31st March 2020 as against ₹ 27.97 Crore in 31st March 2019.
- ❖ Net NPA to Net Advances is at 2.34% as on 31st March 2020.
- ❖ Return on Assets is 0.78% [Previous year 1.26%].
- ❖ CAR works out at 20.01% as on 31st March 2020.

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2020

Particulars	Note No.	As at	As at
		31st March 2020	31st March 2019
		Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
(a) Share capital	2	2,500.00	2,500.00
(b) Reserves and surplus	3	10,229.75	9,207.09
		12,729.75	11,707.09
2 Non-current liabilities			
(a) Long-term borrowings	4	60,951.30	79,258.76
(b) Deferred tax liabilities	3a	1,047.50	1,250.88
(c) Long-term provisions	5	2,415.25	1,376.85
		64,414.05	81,886.49
3 Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	6	36,352.73	31,163.24
(b) Trade payables		—	—
(c) Other current liabilities	7	15,394.07	14,657.22
(d) Short-term provisions	8	99.52	597.52
		51,846.32	46,417.98
TOTAL		128,990.12	140,011.56
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Fixed assets			
(i) Tangible assets	9	58.07	61.60
(b) Non-current investments	10	2,724.05	2,976.04
(c) Long-term loans and advances	11	105,086.44	106,346.63
(d) Other Non-current assets	12	272.91	329.23
		108,141.47	109,713.50
2 Current assets			
(a) Cash and cash equivalents	13	2,277.00	8,739.85
(b) Short-term loans and advances	14	18,042.51	21,037.69
(c) Other current assets	15	529.14	520.52
		20,848.65	30,298.06
TOTAL		128,990.12	140,011.56

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2020

Particulars	Note No.	For the year ended	For the year ended
		31st March 2020	31st March 2019
		Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs
A INCOME			
1 Revenue from operations	16	14,184.58	13,910.49
2 Other income	17	24.13	174.63
3 Total revenue (1+2)		14,208.71	14,085.12
B Expenses			
4 (a) Employee benefits expense	18	839.32	844.80
5 (b) Finance costs	19	9,896.84	9,532.74
6 (c) Depreciation and amortisation expense	9	20.35	20.36
7 (d) Other expenses	20	880.43	1,024.27
8 (e) Provision for Standard Assets	21	175.26	-82.49
9 (f) Provisions for Doubtful Debts		840.21	185.98
10 (g) Written off		0.00	37.57
11 Total expenses (4+5+6+7+8+9+10)		12,652.41	11,563.22
C Profit before tax and extraordinary items (3-11)		1,556.30	2,521.90
D Extraordinary items			
Add:- Extraordinary Item	22	0	0
Less:-Prior period adjustments		21.79	120.34
E Profit / (Loss) before tax (C-D)		1,534.51	2,401.56
F Tax expense:			
(a) Current year tax expense		655.67	624.31
(b) Provision for tax of previous years		59.55	0.00
(c) Deferred tax Liabilities/ (Assets) of current year other than d above		-322.53	-6.44
(d) Deferred tax liability on special reserves of current Year		119.15	156.08
		511.84	773.95
G Profit from continuing operations (E-F)		1,022.67	1,627.61
H Profit for the year		1,022.67	1,627.61
Cent Bank Home Finance Limited			
I Earnings per share (of Rs.10/- each):			
(a) Basic		4.09	6.51
(b) Diluted		4.09	6.51

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit after Tax of ₹1.45 crore for the year ended 31st March 2020 against Net Profit of ₹2.70 crore for the previous year ended 31st March, 2019.

◆ Segment-wise earnings:

(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2019-20	FY 2018-19
Fees from Executor Trusteeship	49,37,199	43,24,805
Fees from Debenture & Security Trusteeship	1,07,89,735	2,70,82,673
Other income (Interest, Dividend, etc)	2,43,05,867	2,51,22,941
Total	4,00,32,801	5,65,30,419

- EPS is ₹290.03 for FY 2019-20 as against ₹541.41 for the FY 2018-19.

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

(Amounts in Rupees)

Particulars	Note No.	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	1	5,00,00,000	5,00,00,000
(b) Reserves and Surplus	2	31,75,16,192	32,71,25,844
(2) Non-Current Liabilities			
(a) Other long term liabilities	3	60,35,188	60,35,188
(b) Long-term provisions	4	3,83,250	4,51,355
(3) Current Liabilities			
(a) Other current liabilities	5	5,16,34,346	4,38,61,641
(b) Short-term Provisions	6	1,52,679	1,74,279
TOTAL		42,57,21,655	42,76,48,307
II. ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets	7		
(i) Tangible Assets		1,64,848	1,87,307
(ii) Intangible Assets		2,08,975	2,08,975
(b) Non-current Investments	8	1,50,03,000	1,50,03,000
(c) Deferred tax assets (net)	9	56,15,818	60,23,003
(d) Other non-current assets	10	6,05,41,365	14,09,29,065
(2) Current Assets			
(a) Trade Receivables	11	17,19,851	15,24,049
(b) Cash and cash equivalents	12	32,03,92,686	24,30,04,907
(c) Short-term loans and advances	13	2,20,75,112	2,07,68,001
TOTAL		42,57,21,655	42,76,48,307

PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

(Amounts in Rupees)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2020	For the year ended 31st March 2019
Income:			
Revenue from Operations	14	1,57,26,934	3,14,07,478
Other Income	15	2,43,05,867	2,51,22,941
I. Total Income		4,00,32,801	5,65,30,419
Expenses:			
Operating & Administrative Expenses	16	79,75,749	80,96,498
Employee Benefit Expenses	17	1,07,91,886	1,11,30,817
Depreciation and Amortisation Expenses	18	22,460	1,52,458
II. Total Expenses		1,87,90,095	1,93,79,773
III. Profit / (Loss) before tax	(I- II)	2,12,42,706	3,71,50,646
IV. Tax expense:			
(1) Current tax		55,04,300	1,04,28,930
(2) Deferred tax		4,07,186	(3,48,639)
(3) Prior year tax expense		8,29,813	—
		67,41,299	1,00,80,291
V. Profit(Loss) for the period	(III-IV)	1,45,01,407	2,70,70,355
VI. Earnings per share			
Equity shares of par value of ₹ 1000/- each			
(a) Basic		290.03	541.41
(a) Diluted		290.03	541.41

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Republic of Zambia and three Indian banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian banks holds 20% equity, Industrial Development Corporation (IDC) (Investment Company wholly owned by Government of Republic of Zambia) is holding balance 40% equity on behalf of Government of Republic of Zambia.
- Bank's financial year is calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2019, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.
- Deposits of the Bank have increased by 16.92% and advances have increased by 7.52% over the previous year.
- Bank has made net profit of Kwacha 178.41 million (₹89.43 Crore) for the calendar year 2019.

We have received dividend of ₹5.89 Crore from Indo Zambia Bank for the Year 2019

iv. Regional Rural Banks :

We have 2 RR Bs as on 31st March 2020 in 2 states covering 23 districts with a network of 1174 branches.

Unaudited

(Amount in crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	16699.09	8392.70	1913.87	- 401.59
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (WB)	5/142	3296.40	1974.58	131.98	3.05
Total	23/1174	19995.49	10367.28	2045.85	

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- ❖ CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- ❖ It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- ❖ CSR Budget for the financial year 2019-20 was NIL as the Bank had incurred loss during the financial year 2018-19.

AWARDS & ACCOLADES

- The Bank has been qualified for Warriors of Winning Wednesday campaign in August, October and November 2019.
- The Bank has been awarded winning shield in campaign MAKER OF EXCELLENCE-3, organised for Executive Directors, by enrolling 50000 APY as against target of 30000.
- In Rise above Rest, the Bank has received 3 shields as award of excellence and 20 certificate of excellence.
- LDM Amravati is qualified in Citizen Choice campaign

SPORTS ACHIEVEMENTS(2019-20) (CBRC)

I. Central Bank of India Football Team

- 1) Our Bank team Won the Finals Match and was Awarded with the Champions Winners Trophy in the All India Late Capt. Pratap Singh Memorial Invitational football Tournament 2019-20 at Amarpatan dist. Satna Madhya Pradesh.
- 2) Our Bank Team entered the Finals of the Reformation Cup Football Tournament 2019-20 in Mumbai and was Awarded with the Runners Up Trophy and also The Fair Play Trophy.

II. Central Bank of India Hockey Team

Our young Hockey Team Won the Champions/Winners Trophies and gained the number one position in the 1st Division Mumbai Hockey League Tournament 2019 conducted by BHA in Mumbai. Our bank team achieved an Elevation to the Prestigious Sr, Division level in Mumbai.

III. Central Bank of India Kabaddi Team

Our young Kabaddi Team entered the Finals of The Prestigious Thane Mayor State Level Invitational Kabaddi Tournament 2019-20 in Mumbai and was awarded with the Runners Up Trophy.

IV. Central Bank of India Cricket Team

Our Cricket team entered various levels in the prestigious Times Shield and Bank Shield tournaments conducted by MCA for the season 2019-20 in Mumbai.

CORPORATE GOVERNANCE

1) BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2019-20, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2020	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2020		Directorship of other Companies as on 31.03.2020	Whether attended last AGM held on 28.06.2019
						Member	Chairman		
1.	Shri Tapan Ray	Non-Executive Chairman	From 23.05.2018	NIL	Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration	RMC, LVFC, SRC, HR, PE, NC,* RC,** N&RC	RMC, LVFC, SRC, HR, PE, NC,* RC,**	1. Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd. 2. GIFT SEZ Limited 3. GIFT Power Company Limited	Yes
2.	Shri Pallav Mohapatra	Managing Director and Chief Executive Officer	From 21.09.2018	13,000	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	1. Member of the Governing Board of NIBM 2. Member of the Governing Board of IIBF 3. Member of the Governing Board of IIBM, Guwahati and 4. Member of the Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection, Mumbai.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2020	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2020		Directorship of other Companies as on 31.03.2020	Whether attended last AGM held on 28.06.2019
						Member	Chairman		
3	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017 To 16.02.2020	12,000	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Not Applicable as superannuated on 16.02.2020	Yes
4	Shri B S Shekhawat	Executive Director	From 09.10.2017	12,133	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
5	Shri Alok Srivastava	Executive Director	From 23.01.2019	12,000	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
6	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Government of India Nominee Director	From 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, ITS, VC, MRC, HR, PE	NIL	IFCI Ltd.	No
7	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014 To 26.04.2019	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, VC, RC**	NIL	NIL	No
8	Shri Thomas Mathew	RBI Nominee Director	From 26.04.2019	NIL	Economics	MCB, ACB, VC, RC**	NIL	NIL	No
9	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016 To 20.06.2019	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, NC,* RCNCB, CRIWD, CC#	ACB, ITS, CC	NIL	Not Applicable as tenure ended on 20.06.2019

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2020	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2020		Directorship of other Companies as on 31.03.2020	Whether attended last AGM held on 28.06.2019
						Member	Chairman		
10	Prof.(Dr.) Atmanand	Part Time Non-official Director	From 27.12.2017	NIL	Economics	MC, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, MRC, NC,* CC,# N&RC, RCNCB, CRIWD	ACB, ITS, N&RC	Management Development Institute, Murshidabad and PTC India Limited	No
11	Smt. Mini Ipe	Shareholder Director	From 01.07.2018	100	Finance	MC, RMC, CSC, ITS, SRC, N&RC, MRC, CC,# PE	NIL	NIL	No

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

ACB	–	Audit Committee of the Board
CAC	–	Credit Approval Committee
CC	–	Compensation Committee (#Dissolved w.e.f. 30.09.2019)
CRC	–	Capital Raising Committee
CRIWD	–	Committee to review the order of Committee for Identification / Deletion of Wilful Defaulter
CSC	–	Customer Service Committee
HR	–	Human Resources Committee
ITS	–	Information Technology Strategy Committee
LVFC	–	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
MCB	–	Management Committee of the Board
MRC	–	Committee of the Board for Monitoring of Recovery
N&RC	–	Nomination and Remuneration Committee (w.e.f. 30.09.2019)
NC	–	Nomination Committee (*Dissolved w.e.f. 30.09.2019)
PE	–	Performance Evaluation Committee
RC	–	Remuneration Committee (**Dissolved w.e.f. 30.09.2019)
RCNCB	–	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
RMC	–	Risk Management Committee
SRC	–	Stakeholders Relationship Committee
VIG	–	Vigilance Committee

Brief Profile of the Directors

1. Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman – (D.O.B. 09.09.1957)

Shri Tapan Ray was appointed as Non-Executive Chairman in Central Bank of India by Government of India with effect from 23.05.2018. Shri Tapan Ray, IAS (Retd.) is enriched with extensive knowledge and experience in the field of Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration. Before joining Central Bank of India as Non-Executive Chairman, Shri Tapan Ray acted as Secretary to Government of India, Ministry of Corporate Affairs after having served 35 years in the Gujarat cadre of the Indian Administrative Service (IAS). He has a Degree in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Technology, Delhi. He is also a Post Graduate in Public Policy from the Woodrow Wilson School, Princeton University, USA and a Master of Public Administration from the Maxwell School, Syracuse University, USA. Shri Ray also has Executive Masters in Foreign Trade from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. He also holds degrees in Law and International Trade. He has served in the Ministries of Defence, Textiles, Power, Science & Technology, Information Technology and Planning in the Government of India. He has been Principal Secretary in the Finance Department in Gujarat. Shri Ray was also the Managing Director of Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC) & Gujarat State Petronet Ltd. (GSPL). He was also on the Board of other GSPC/GSPL Group of Companies. As Secretary (Ministry of Corporate Affairs), he has served on the Board of Securities and Exchange Board of India. Shri Ray is also the Member of Dispute Resolution Panel constituted by PSU Oil Distribution Companies. Shri Tapan Ray is also the Managing Director & Group Chief Executive Officer of Gujarat International Finance Tec City Company Ltd., Gandhinagar, Gujarat.

2. Shri Pallav Mohapatra, Managing Director and Chief Executive Officer (D.O.B. 25.02.1961)

Shri Pallav Mohapatra was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer in Central Bank of India by Government of India with effect from 21.09.2018. Shri Mohapatra is M.Sc. (Statistics) & CAIIB. He started his career with State Bank of India as a Probationary Officer in 1983. He has handled many important assignments over three and a half decades in State Bank of India which include Chief Executive Officer, SBI Cards, Dy. General Manager, Project Management, New Business Corporate Centre, Managing Director SBI Custodial Services Pvt. Ltd. and Vice President (Credit & Forex), SBI (California) Los Angeles. Before joining as Dy. Managing Director (Stressed Assets Management Group), he was Chief General Manager, SBI New Delhi Circle.

3. Shri B.S. Shekhawat, Executive Director – (D.O.B. 27.06.1962)

Shri B.S. Shekhawat was appointed as Executive Director in Central Bank of India by Government of India with effect from 09.10.2017. Shri Shekhawat is an Agriculture Science graduate with Hons., CAIIB and have completed post graduate certificate course in Management from IIM Bangalore. He started his career with Central Bank of India in the year 1986 as an Agriculture Finance Officer. During his long career of 34 years, he has worked in different geographies and locations in branches, as Regional Head at Jaipur and Ranchi Regions, Zonal Heads at Pune and Delhi Zones. He also headed Human Resources Department of the Bank for two years at its Head Office. Immediately prior to his elevation, he was heading Priority Sector and Financial Inclusion.

4. Shri Alok Srivastava (D.O.B. 22.11.1962)

Shri Alok Srivastava holds Masters degree in Economics and MBA (Finance). He started his career as Management Trainee in Punjab National Bank in the year 1985. He has more than 34 years of experience in banking, having worked in almost all key segments of banking, in various capacities at Branches, Administrative Offices, etc.

5. Dr. Bhushan Kumar Sinha, Government of India Nominee Director (D.O.B. 20.07.1964)

Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director in Central Bank of India with effect from 14.05.2018. Dr. Sinha is Ph.D. in Financial Economics from the Department of Financial Studies, University of Delhi, MBA from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of the Indian Economic Service and is presently working as Joint Secretary in Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. Prior to his present assignment as Joint Secretary, he was Economic Adviser in DFS. Before joining DFS in May 2018, Dr. Sinha had a three years stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM). Dr. Sinha is also the Director on the Board of IFCI Ltd.

6. Shri Thomas Mathew (D.O.B. 13.11.1965)

Shri Thomas Mathew was nominated as RBI Nominee Director w.e.f. 26.04.2019 in place of Shri Shekhar Bhatnagar. Shri Mathew is presently Regional Director, Reserve Bank of India, Jammu (J & K). He joined Reserve Bank of India as Grade B Officer in 1990. Shri Mathew is B.A. (Economics), CAIIB, Certificate in AML & KYC and Diploma in International Banking & Finance.

7. Prof (Dr.) Atmanand, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 30.06.1959)

Prof (Dr.) Atmanand is the Director of Management Development Institute, Murshidabad. He is also a Director on the Board of PTC India Ltd. He was the Dean and Professor of Economics at MDI, Gurugram. In MDI, he also worked as Dean of the prestigious MDI School of Energy Management School of Public Policy and Governance and Executive Post Graduate Programs. He is the founder Dean of MDI Murshidabad. He has been teaching, doing research and consultancy in the area of economics for more than 30 years. During a brief span of 5 years when the School of Energy Management was launched with the help of USAID and the Ministry of Power, Government of India, he has turned the School into a country wide popular place of higher learning. Appreciating his devotion and involvement, Ministry of Power, Government of India has issued a letter of appreciation putting on record his efficient and dedicated services. Besides playing a key and decisive role in MDI's intellectual and administrative functioning, he has worked as Independent Director on the Board of Steel Authority of India Limited (SAIL) functioning under the Ministry of Steel, Government of India. Appreciating his contribution in policy making, the Board of SAIL issued the letter of appreciation in the functioning of Audit Committee (Chairman), Risk Management Committee (Chairman) and others. He has held various national responsibilities including his association with Ministry of Ayush (Member), Government of India, Ministry of Power, Government of India, ATF, Cabinet Secretariat, Government of India and State Finance Commission, Bihar. Besides doing extensive research, teaching and training he has authored 16 books and many research papers. His interest in banking sector made him do research and training in this area with emphasis on project finance, social development and economic environment of business.

8. Smt. Mini Ipe (D.O.B. 19.08.1963)

Smt. Mini Ipe was elected as Shareholder Director in Central Bank of India w.e.f. 01.07.2018, she has varied experience in the field of Finance, Marketing and Human Resources and is presently posted as Zonal Manager, South Central Zonal Office, Life Insurance Corporation of India (LIC), Hyderabad. She has also held the post of Executive Director (SBU-International operations) in LIC. She was also Director & CEO – LIC HFL Housing Financial Services Ltd. Smt. Mini Ipe has also worked as Regional Manager, Estates and P & IR and Secretary, ER & Marketing in LIC.

B) CONDUCT OF BOARD MEETINGS

During the year, 17 Board Meetings were held on the following dates:

18.04.2019	22.05.2019	06.08.2019	01.11.2019	28.01.2020
18.04.2019	18.06.2019	31.08.2019	17.12.2019	
15.05.2019	28.06.2019	30.09.2019	21.01.2020	
15.05.2019	06.08.2019	25.10.2019	28.01.2020	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	17	17	01.04.2019-31.03.2020
Shri Pallav Mohapatra	17	17	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	17	17	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	17	17	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	15	17	01.04.2019-31.03.2020
Dr. B.K. Sinha	15	17	01.04.2019-31.03.2020
Shri Shekhar Bhatnagar	02	02	01.04.2019-26.04.2019
Shri Thomas Mathew	09	15	26.04.2019-31.03.2020
Shri N. Nityananda	06	06	01.04.2019-20.06.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	17	17	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	05	17	01.04.2019-31.03.2020

C) DETAILS OF COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 16 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Committees are as under :-

- i) Management Committee of the Board
- ii) Credit Approval Committee
- iii) Audit Committee of the Board
- iv) Risk Management Committee
- v) Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
- vi) Customer Service Committee
- vii) Information Technology Strategy Committee
- viii) Stakeholders Relationship Committee
- ix) Nomination and Remuneration Committee
- x) Vigilance Committee
- xi) HR Committee
- xii) Committee for Monitoring of Recovery
- xiii) Capital Raising Committee
- xiv) Review committee for declaring of Non Co-operative Borrower
- xv) Committee to review the order of Committee for Identification / Deletion of Wilful Defaulter
- xvi) Performance Evaluation Committee of the Board

i) Management Committee of the Board:

✦ The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/ write off proposals and filing of suits/ appeals etc. As on 31.03.2020, it comprised of 5 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 2 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director and 1 Shareholders' Director, three positions are vacant.

✦ The Management Committee of the Board met 23 times during the year on the following dates:

16.04.2019	22.07.2019	25.10.2019	30.12.2019	07.03.2020
15.05.2019	26.08.2019	19.11.2019	07.01.2020	18.03.2020
31.05.2019	09.09.2019	28.11.2019	21.01.2020	26.03.2020
18.06.2019	18.09.2019	09.12.2019	15.02.2020	
28.06.2019	27.09.2019	18.12.2019	28.02.2020	

Attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	23	23	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	19	19	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	21	23	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	22	23	23.01.2019-31.03.2020
Shri Shekhar Bhatnagar	01	01	01.04.2019-26.04.2019
Shri Thomas Mathew	19	22	26.04.2019-31.03.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	06	06	01.04.2019-05.08.2019
Smt. Mini Ipe	06	23	01.04.2019-31.03.2020

ii) Credit Approval Committee:

❖ Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹ 100 crore upto ₹ 400 crore for individual borrower and for group companies/borrowers, credit proposals from above ₹ 200 crore upto ₹ 800 crore, compromise/ write off proposals involving sanctions above ₹ 10 crore and upto ₹ 50 crore etc. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Accounts/Finance and Credit Monitoring & Policy.

❖ The Credit Approval Committee met 29 times during the year on the following dates:

24.04.2019	29.06.2019	21.08.2019	18.10.2019	31.12.2019	29.02.2020
07.05.2019	11.07.2019	05.09.2019	07.11.2019	09.01.2020	09.03.2020
24.05.2019	23.07.2019	20.09.2019	22.11.2019	15.01.2020	18.03.2020
04.06.2019	26.07.2019	27.09.2019	07.12.2019	01.02.2020	26.03.2020
21.06.2019	08.08.2019	07.10.2019	23.12.2019	13.02.2020	

iii) Audit Committee of the Board

❖ The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- ❖ Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- ❖ Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- ❖ Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- ❖ Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;
- ❖ Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- ❖ Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- ❖ Qualifications in the Draft Audit Report;
- ❖ To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- ❖ Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- ❖ Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- ❖ Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board comprise of Executive Director in charge of Central Audit and Inspection, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2020, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2020 is as under:

1	Prof. (Dr.) Atmanand	Chairman
2	Shri B.S. Shekhawat	Member
3	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Member
4	Shri Thomas Mathew	Member

During the year, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

15.05.2019	18.06.2019	31.08.2019	11.11.2019	17.12.2019	15.02.2020
22.05.2019	06.08.2019	01.11.2019	18.11.2019	28.01.2020	28.02.2020

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri N. Nityananda	03	03	01.04.2019–20.06.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	09	09	06.08.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	03	03	01.04.2019–18.06.2019
Shri B.S. Shekhawat	09	09	19.06.2019-31.03.2020
Dr. B.K. Sinha	09	12	01.04.2019-31.03.2020
Shri Thomas Mathew	09	12	26.04.2019–31.03.2020

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

Risk Management Committee was constituted by the Board vide Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda No. BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and based on the suggestions of Dr. Ganguly Group report set up by the Reserve Bank of India. The committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors, Government of India Nominee Director and Two Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The objective of Risk Management Committee :-

- ❖ The Committee will take both long term and short term view of the risks faced by the Bank
- ❖ Keeping the long term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
- ❖ From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/ guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.
- ❖ The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank and providing guidelines. It would take a integrated view of risk, the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
- ❖ It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and

appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,

- ❖ Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure, funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.
- ❖ Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for ending the functions of risk management and based supervision.
- ❖ The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposure of the Bank including credit risk,

The Committee met 3 times during the year on the following dates:

17.06.2019	30.09.2019	17.12.2019
------------	------------	------------

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri Pallav Mohapatra	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	03	03	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Dr. B.K. Sinha	02	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri N. Nityananda	01	01	01.04.2019-20.06.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	02	02	06.08.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	01	03	01.04.2019-31.03.2020

v) The Special Committee of the Board For Monitoring of Large Value Frauds

The Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds was constituted vide Reserve Bank of India circular RBI 2004.15 DBS.FGV No. 1004/23.04.01A/2003-04 dated January 14, 2004 for monitoring and follow up of cases of frauds involving amount of ₹ 1 crore and above exclusively, while Audit Committee may continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the committee is to monitor and review all the frauds of ₹ 1 crore and above so as to-

- (1) Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetuation of the fraud and put in place measures to plug the same,
- (2) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to Top Management of the Bank and RBI.
- (3) Monitor progress of CBI/Police Investigation, and recovery position and
- (4) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- (5) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of fraud such as strengthening of internal control
- (6) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

18.06.2019	31.08.2019	27.12.2019	15.02.2020
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Pallav Mohapatra	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	04	04	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Dr. B.K. Sinha	03	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri N. Nityananda	01	01	01.04.2019-20.06.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	03	04	06.08.2019-31.03.2020

vi) Customer Service Committee of the Board

Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services.

Role of the Committee:

- To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank
- Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks
- Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.

The Committee met 3 times during the year on the following dates:

17.06.2019	31.08.2019	18.12.2019
------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	03	03	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Shri N. Nityananda	01	01	01.04.2019-20.06.2019
Prof. (Dr.) Atmanand	03	03	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	01	02	01.04.2019-31.03.2020

vii) IT Strategy Committee of the Board

Bank is having IT Strategy Committee of the Board to ensure IT Governance in the Banks.

Roles & objectives

- Approving IT strategy and policy documents
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the organizational structure complements the business model and its direction

- v) Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business
- vi) Ensuring Investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable
- vii) Monitoring the method that management use to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources
- viii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
- ix) Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks
- x) Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks)
- xi) Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
- xii) Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks
- xiii) Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value)

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

15.05.2019	17.06.2019	18.11.2019	30.12.2019	15.02.2020
------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	05	05	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	05	05	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	05	05	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	05	05	01.04.2019-31.03.2020
Shri N. Nityananda	01	01	01.04.2019-20.06.2019
Shri B K Sinha	02	05	01.04.2019-31.03.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	05	05	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	00	02	01.04.2019-31.03.2020
Prof. N. Balakrishnan (Invitee)	04	04	01.04.2019-31.03.2020

viii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman is the Chairperson of Stakeholders' Relationship Committee (SRC). The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year 2019-20 on the following dates:

18.04.2019	06.08.2019	24.10.2019	21.01.2020
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Pallav Mohapatra	04	04	04.04.2019-31.03.2020
Shri P.R. Murthy	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri B.S. Shekhawat	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	00	04	01.04.2019-31.03.2020

The details of Investor Grievances for the year 2019-20 (from 01.04.2019 to 31.03.2020) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non Receipt of Dividend Warrants	19
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	45
5	Non Receipt of Refund Order	01
6	Non Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	Nil
8	Total Grievances received	65
9	Total Grievances attended/resolved	65
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days.

ix) Nomination and Remuneration Committee

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) communication no. F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 on PSB Governance Reforms on strengthening the Board committee system read with Reserve Bank of India letter No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, Bank on 30.09.2019 constituted a Nomination and Remuneration Committee by merging Nomination Committee and Remuneration Committee, consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970. The Government of India nominee director and RBI Nominee Director shall not be the part of the Committee. Accordingly, Nomination and Remuneration Committee was constituted by the Board of Directors in its meeting held on 30.09.2019 by merging two committees viz. Nomination Committee and Remuneration Committee. The Nomination & Remuneration Committee comprises of Prof. (Dr.) Atmanand, Non-official Director as Chairman of the Committee, Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman and Smt. Mini Ipe, Shareholder Director as members of the committee.

x) Vigilance Committee of the Board

The Bank is having Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental queries to be met on a quarterly basis. The Committee consists of Managing Director & Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India as members of the committee.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

06.08.2019	06.08.2019	30.12.2019	07.03.2020
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri B K Sinha	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Thomas Mathew	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Prashuram Panda, CVO	04	04	01.04.2019-31.03.2020

xi) HR Committee of the Board

HR Committee of the Board was constituted on 30.10.2013 vide Communication F.No.9/18/2009-IR dated March 2012 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to consider various HR related issues.

Scope of the Committee

Scope of the Committee will include the following areas:

1. Five year Manpower Planning & its Annual Review
2. Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning,
3. Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors to prepare them for the identified key critical positions
4. Any other HR issue which is considered by Chairman/MD & CEO/ED s critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc. thereby required to be referred to the Committee.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

18.04.2019	18.06.2019	30.09.2019	24.10.2019
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Pallav Mohapatra	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	04	04	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Shri B K Sinha	04	04	01.04.2019-31.03.2020
Prof. C. P. Shrimali (Invitee)	03	03	22.05.2019-31.03.2020
Shri S. Sengupta (Invitee)	03	03	22.05.2019-31.03.2020

xii) COMMITTEE OF THE BOARD FOR MONITORING OF RECOVERY

Committee of the board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts.

Roles & objectives

1. To monitor the progress in Recovery on regular basis and examine all possible options of Recovery and implement the same.
2. To Analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage

The Committee met 6 times during the year on the following dates:

17.06.2019	22.07.2019	31.08.2019	18.11.2019	17.12.2019	28.02.2020
------------	------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	06	06	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	05	05	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	06	06	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	06	06	01.04.2019-31.03.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	06	06	01.04.2019-31.03.2020
Shri B K Sinha	00	03	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	01	03	01.04.2019-31.03.2020

xiii) CAPITAL RAISING COMMITTEE

Bank is having Capital Raising Committee of the Board to decide and raise both Tier 1 and Tier 2 capital for the Bank and takes all operative steps in connection therewith.

The Committee met 7 times during the year on the following dates:

21.09.2019	30.09.2019	29.10.2019	26.11.2019	04.02.2020	02.03.2020	20.03.2020
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	07	07	01.04.2019-31.03.2020
Shri P. R. Murthy	05	05	01.04.2019-16.02.2020
Shri B. S. Shekhawat	06	07	01.04.2019-31.03.2020
Shri Alok Srivastava	07	07	01.04.2019-31.03.2020

xiv) REVIEW COMMITTEE FOR DECLARING OF NON CO-OPERATIVE BORROWER

In terms of the RBI Circular no RBI/2014-15/362 DBR NO.CID BC 54/ 20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014. Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two independent Directors as Members.

The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Monitoring and Recovery as Members for classification of an account as Non-Cooperative Borrower or not as per RBI Guidelines.

xv) COMMITTEE TO REVIEW THE ORDER OF COMMITTEE FOR IDENTIFICATION / DELETION OF WILFUL DEFAULTERS

In terms of the RBI Notification RBI/2015-16/100 dated July 1, 2015, Review Committee for Identification of Wilful Defaulters was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two Independent Directors as Members. The Role of the Committees to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Monitoring and Recovery as Members for identification of wilful Defaulters.

The Committee met 2 times during the year on the following dates:

25.10.2019	21.01.2020
------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	02	02	01.04.2019-31.03.2020
Prof. Atmanand	02	02	01.04.2019-31.03.2020
Smt. Mini Ipe	00	02	01.04.2019-31.03.2020

xvi) PERFORMANCE EVALUATION COMMITTEE OF THE BOARD

During the Financial Year 2019-20, Performance Evaluation Committee was constituted to undertake performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director & General Managers incharge of Internal control functions. The committee comprises of Chairman of the Bank as Chairman of the committee, and Government of India Nominee Director and Shareholder Director as members of the committee.

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

❖ The Non Official (Independent) Directors / Non-Executive Directors were paid sitting fees of ₹40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of ₹10,000 and ₹5,000 respectively were paid.

❖ During the financial year 2019-20, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr.	Name	Rupees in lakh
1.	Shri Pallav Mohapatra (MD & CEO)	31.77
2.	Shri P. R. Murthy (ED)	82.88
3.	Shri B. S. Shekhawat (ED)	28.30
4.	Shri Alok Srivastava (ED)	26.14

❖ During the year under review, the Bank has paid ₹ 20,50,000/- (Rupees Twenty Lakh Fifty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 19,20,000/- (Rupees Nineteen Lakh Twenty Thousand only) towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

4. COMPLIANCE OFFICER

Shri Anand Kumar Das, Deputy General Manager/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue and Debenture Trustee Activities.

5. SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. R.S. Padia & Associates, Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2020. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

6. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc during the financial year 2019-20

Bank raised ₹ 3353.00 crore equity capital on 27.09.2019, by issuance and allotment of 158,38,45,063 equity shares of face value of ₹ 10 each at an issue price of ₹ 21.17 per equity share including premium of ₹11.17 per equity share to President of India (Government of India) on preferential basis.

On 15.05.2019, Bank also allotted 787,16,224 equity shares of face value of ₹ 10 each at issue price of ₹27 including premium of ₹ 17 per share, aggregating to ₹ 212.53 crore, to eligible employees under Employee Share Purchase Scheme. The amount of ₹ 212.53 crore was already received during previous financial year 2018-19, and the same was kept in Share Application Money Account as on 31.03.2019.

Bank also raised ₹1000.00 Crore in two tranches on 30.09.2019 and 20.03.2020 by issuance and allotment of Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds (Series-IV and V) in the nature of promissory

notes of the face value of ₹10.00 Lakh each on private placement basis and allotted 10000 bonds of ₹10.00 Lakh each.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

8. CODE OF CONDUCT

- ❖ The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- ❖ The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

9. OTHER DISCLOSURES

- ❖ Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- ❖ It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- ❖ The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- ❖ Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees without revealing their identities which would be known to the General Manager – Central Audit and Inspection only. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. "Cent Vigil" is also available for Directors. Further, Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee subject to his/her prior approval on need basis. During the year 2019-20, no personnel has approached the Audit Committee on the subject-matter. This is further to affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- ❖ The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- ❖ Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations"
- ❖ Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

10. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Yes, implemented
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2019 and the financial year ended 31.03.2020 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Separate posts of Chairman and CEO	The Bank is having separate posts of Chairman and MD & CEO. Composition of the Board of the Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
5.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

11. General Shareholder Information

13th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 07th August, 2020 at 11:00 AM at Head Office of the Bank situated at 'Chandermukhi', Nariman Point, Mumbai- 400 021. (deemed venue of the meeting) through video conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2019-20
2. Date of Book Closure: 04th August, 2020 to 07th August, 2020 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2019-20.

12. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
1.	Twelfth Annual General Meeting	28th June, 2019 12:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1) Approved and adopted the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2019, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2) Approved raising of Capital through FPO/Rights Issue/QIP etc.
2	Eleventh Annual General Meeting	30th June, 2018 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1) Approved and adopted the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2) Approved raising of Capital through FPO/Rights/QIP etc. 3) Elected one Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
3.	Tenth Annual General Meeting	30th June, 2017 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1) Approve and adopted the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2) Approved raising of Capital through FPO/Rights/QIP etc.

13. LISTING ON STOCK EXCHANGES:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2020-21 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2020

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
Basel III Complaint Sr IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023
Basel III Complaint Sr V	20.03.2020	500.00	INE483A08031
Total		4800.00	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2020-21 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

Month	NSE				NSE Nifty	
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	High	Low	
	April 2019	36.90	31.30	2306795	11856.15	11549.10
May 2019	32.10	24.85	1540911	12041.15	11108.30	
June 2019	25.50	19.65	3111229	12103.05	11625.10	

Month	NSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
July 2019	21.55	17.20	2177462	11981.75	10999.40
August 2019	20.90	15.70	2203374	11181.45	10637.15
September 2019	20.75	17.30	1264122	11694.85	10670.25
October 2019	24.65	16.15	4985619	11945.00	11090.15
November 2019	25.50	19.10	6427096	12158.80	11802.65
December 2019	22.30	17.45	2147984	12293.90	11832.30
January 2020	22.40	17.20	2436006	12430.50	11929.60
February 2020	18.60	15.35	1060073	12246.70	11175.05
March 2020	16.50	10.10	1278257	11433.00	7511.10

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

Month	BSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2019	36.70	31.25	176878	39487.45	38460.25
May 2019	31.95	24.90	125313	40124.96	36956.10
June 2019	25.65	19.70	173348	40312.07	38870.96
July 2019	21.50	17.30	154460	40032.41	37128.26
August 2019	20.95	16.80	154666	37807.55	36102.35
September 2019	21.05	17.65	174593	39441.12	35987.80
October 2019	23.90	15.55	617462	40392.22	37415.83
November 2019	25.80	19.15	481180	41163.79	40014.23
December 2019	22.15	17.45	224768	41809.96	40135.37
January 2020	20.50	17.55	501168	42273.87	40476.55
February 2020	18.50	15.25	125644	41709.30	38219.97
March 2020	16.15	10.20	434610	39083.17	25638.90

14. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
 C-101, 247 Park, LBS Marg,
 Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
 Tel: 022-49186270
 Fax: 022-49186060
 Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

DGM / Company Secretary and Compliance officer
 Central Bank of India,
 9th Floor, Chandermukhi,
 Nariman Point, Mumbai 400 021
 Contact No. 022- 6638 7818
 Fax No.: 022- 2283 5198
 Email id: dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

15. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2020

(Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	139476	78.83	17774477.00	0.3113
501-1000	13104	7.41	11213126	0.1964
1001-2000	7330	4.143	11597222	0.2031
2001-3000	4302	2.4315	11761493	0.206
3001-4000	2187	1.2361	7888441	0.1382
4001-5000	3057	1.7279	14976520	0.2623
5001-10000	6192	3.4998	42641235	0.7468
10001 and above	1277	0.7218	5591910210	97.9359
Total	176925	100.00	5709762724	100.00

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	246659233	4.3200

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Nil	Nil	Nil

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2020

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2020						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government (President of India)	5275014715	0	1	0	5275014715	92.3859
Clearing Member	729825	0	97	0	729825	0.0128
Other Bodies Corporate	20719010	90	551	1	20719100	0.3628
Directors	37233	0	4	0	37233	0.0007
Financial Institutions	246659233	0	1	0	246659233	4.3200
Government Companies	700	0	1	0	700	0.0000
Hindu Undivided Family	2316008	0	3843	0	2316008	0.0406
Mutual Funds	1449172	0	4	0	1449172	0.0254
Nationalized Banks	132876	0	3	0	132876	0.0023
Non Nationalized Banks	530679	0	3	0	530679	0.0093

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2020						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Non Resident Indians (Repatriable)	1045014	121600	705	1	1166614	0.0204
Non Resident Indians (Non Repatriable)	512177	0	486	0	512177	0.0090
Public	142431079	5075	167592	90	142436154	2.4945
Trusts	130128	0	12	0	130128	0.0023
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.1144
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	11388521	0	14	0	11388521	0.1995
NBFCs registered with RBI	7714	0	3	0	7714	0.0001
Total	5709635959	126765	173324	92	5709762724	100

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1.	PRESIDENT OF INDIA	5275014715	92.3859
2.	PUBLIC	78716224	1.3786
	TOTAL	5353730939	93.7645

vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2020 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	92	126765	0.02
NSDL	93429	340826964	5.96
CDSL	83404	5368808995	94.02
Total	176925	5709762724	100.00

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:

- i) Hassle free transfer
- ii) No threat of loss of share certificate
- iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- iv) Nomination facility
- v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

x) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2020 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2019-20.

Place : Mumbai
Date : June 29, 2020

Sd/-
[Pallav Mohapatra]
Managing Director and Chief Executive Officer

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2019-20 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2019-20, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2019-20.
 - II. There is no significant changes in accounting policies during the year 2019-20 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(MUKUL DANDIGE)
General Manager & CFO

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : June 29,2020

C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2020 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
PARTNER
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACY3276

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
PARTNER
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABT3678

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V.KAMAT)
PARTNER
M.No.039585
UDIN:20039585AAAAEJ5963

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

(CA NEMAI GORAI)
PARTNER
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAAFY5198

Place : Mumbai

Date : 29th June 2020

BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI-400055	MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1, Vile Parle East, MUMBAI-400057
AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants LGF-C-73, Lajpat Nagar-II, NEW DELHI-110024	S JAYKISHAN Chartered Accountants 12 Ho-chi-minh Sarani, Suite 2D, 2E, 2F KOLKATA – 700071

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Central Bank of India ('the Bank') which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 Branches audited by us and 2487 branches audited by respective Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ("RBI"). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2144 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.64 per cent of advances, 28.20 per cent of deposits, 11.03 per cent of interest income and 27.53 per cent of interest expense.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the a f o r e s a i d Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:
 - a true and fair view in case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2020;
 - a true balance of loss in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
 - a true and fair view of the cash flows in case of the Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No 27 of Schedule 18 of the standalone financial statements, which describes that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the Bank's financial performance will depend on future developments, which are highly uncertain.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 5 of Schedule 17 to the financial statements)</p> <p>Advances comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.</p> <p>Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provision on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Bank.</p>	<p>Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. <p>In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have,</p> <p>(a) timely recognized the depletion in the value of available security;</p> <p>(b) made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.</p> <p>We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.</p>
<p>2. Investments</p> <p>Investment portfolio of the Bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,</p> <ul style="list-style-type: none"> We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the Standalone financial statements)</p> <p>The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.</p> <p>As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.</p> <p>Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
<p>3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process</p> <p>The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.</p> <p>The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.</p> <p>The Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • we obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • we tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • we also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>4. Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:</p> <p>Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central/ State Government/ Local Authorities during the period of audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ Departments in the Central Office of the Bank.</p> <p>As the auditors could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/ Departments, auditors have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, the audit procedures were modified to carry out the audit remotely.</p>	<p>Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/ local administration during the period of the audit, the auditors (including branch auditors) could not travel to certain Branches/ Departments and carry out the audit processes physically at the respective offices.</p> <p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to the auditors by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to the auditors which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p> <p>Accordingly, the audit procedures were modified as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conducted verification of necessary records/ documents/ Form 111/ CBS and other Application software electronically through remote access/ emails in respect of some of the Branches / Departments of the Bank wherever physical access was not possible. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to the auditors through emails and remote access over secure network of the Bank. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. Resolution of audit observations telephonically/ through email instead of face-to-face interaction with the designated officials of the Bank.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Standalone financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosure in the Standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charge with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charge with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements/ information of 2487 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total advances of ₹ 95,691.37 crore as at March 31, 2020, and total interest income of ₹ 7,457.41 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These financial statements/ information of these branches have been audited by branch auditors whose reports have been furnished to us and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Standalone Balance sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
12. We further report that:
- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
 - The standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account, and the standalone Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
 - The reports on the accounts of 2487 branches of the bank audited by branch auditors under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

13. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020, from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
PARTNER
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
PARTNER
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABF5444

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V.KAMAT)
PARTNER
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADW4470

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

(CA NEMAI GORAI)
PARTNER
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAFL4824

Place : Mumbai

Date : 29th June 2020

STANDALONE STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-20	As at 31-Mar-19
	₹	₹
	Audited	Audited
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	5,70,97,627	4,04,72,014
Reserves and Surplus	15,71,97,102	14,88,76,552
Share application Money pending allotment	–	21,25,409
Deposits	3,13,76,31,641	2,99,85,54,368
Borrowings	5,78,71,971	5,23,90,616
Other Liabilities and Provisions	15,45,60,232	6,47,57,680
TOTAL	3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
ASSETS		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	30,02,17,518	20,77,90,850
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	6,01,72,948	10,42,08,458
Investments	1,42,51,75,354	1,25,29,80,697
Advances	1,51,10,08,778	1,46,52,53,606
Fixed Assets	4,33,61,846	4,31,02,438
Other Assets	22,44,22,129	23,38,40,590
TOTAL	3,56,43,58,573	3,30,71,76,639

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADW4470

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABF5444

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAA AFL4824

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-20 ₹	As at 31-Mar-19 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	5,70,97,627	4,04,72,014
Reserves and Surplus	2	15,71,97,102	14,88,76,552
Share application Money pending allotment		-	21,25,409
Deposits	3	3,13,76,31,641	2,99,85,54,368
Borrowings	4	5,78,71,971	5,23,90,616
Other Liabilities and Provisions	5	15,45,60,232	6,47,57,680
TOTAL		3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	30,02,17,518	20,77,90,850
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6,01,72,948	10,42,08,458
Investments	8	1,42,51,75,354	1,25,29,80,697
Advances	9	1,51,10,08,778	1,46,52,53,606
Fixed Assets	10	4,33,61,846	4,31,02,438
Other Assets	11	22,44,22,129	23,38,40,590
TOTAL		3,56,43,58,573	3,30,71,76,639
Contingent Liabilities	12	56,18,46,938	86,66,82,022
Bills for Collection	-	14,27,67,407	16,24,73,915
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADW4470

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABF5444

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAFL4824

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-20 ₹	Year Ended 31-Mar-19 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	23,56,24,655	22,63,85,707
Other Income	14	3,63,68,216	2,41,29,368
TOTAL		27,19,92,871	25,05,15,075
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	15,93,36,197	15,86,63,898
Operating Expenses	16	6,92,15,209	6,05,86,250
Provisions and Contingencies		5,46,54,988	8,76,79,726
TOTAL		28,32,06,394	30,69,29,874
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		(1,12,13,523)	(5,64,14,799)
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		(1,12,13,523)	(5,64,14,799)
Profit / (loss) brought forward		(16,25,10,138)	(10,55,31,577)
TOTAL		(17,37,23,661)	(16,19,46,376)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	-
Investment Reserve		15,70,277	5,63,762
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	-
Revenue Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance		-	-
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Proposed Dividend - Equity Capital		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance Carried Over to Balance Sheet		(17,52,93,938)	(16,25,10,138)
TOTAL		(17,37,23,661)	(16,19,46,376)
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)		(1.81)	(20.19)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892

UDIN:20133755AAAACK2512
Place: Mumbai

UDIN:20039585AAAADW4470

UDIN:20093348AAAABF5444

UDIN:20057892AAA AFL4824

Date: June 29, 2020

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		5,00,00,000
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each (previous year 500,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	5,70,97,627		4,04,72,014	
5709762724 Equity Shares (previous year 4047201437 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 5275014715 Equity shares (previous year 3691169652 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		5,70,97,627		4,04,72,014
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,06,35,979		2,06,35,979	
Additions during the year	—		—	
		2,06,35,979		2,06,35,979
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	3,07,45,958		3,13,02,428	
Additions - Adjustments during the year	—		91,575	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	5,68,075		6,48,045	
Less : Deductions during the year	5,51,895		—	
		2,96,25,988		3,07,45,958
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,16,55,147		1,10,91,385	
Additions during the year	15,70,277		5,63,762	
		1,32,25,424		1,16,55,147
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	22,15,38,334		16,99,08,791	
Additions/ Adjustments during the year	1,95,31,935		5,16,29,543	
		24,10,70,269		22,15,38,334
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,58,11,273		2,52,66,772	
Add : Transfer from Capital Reserves	5,68,075		6,48,045	
Additions during the year	5,51,895		6,959	
Add/Less: Deductions during the year	2,137		1,10,503	
		2,69,33,380		2,58,11,273
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		10,00,000		10,00,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		(17,52,93,938)		(16,25,10,138)
TOTAL		15,71,97,102		14,88,76,552

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	33,48,395		1,32,14,516	
ii) From Others	15,07,96,890		15,09,51,022	
		15,41,45,285		16,41,65,538
II. Savings Bank Deposits		1,30,19,99,950		1,22,13,88,674
III. Term Deposits				
i) From Banks	3,22,89,481		2,70,05,949	
ii) From Others	1,64,91,96,925		1,58,59,94,207	
		1,68,14,86,406		1,61,30,00,156
TOTAL		3,13,76,31,641		2,99,85,54,368
B. i) Deposits of Branches in India		3,13,76,31,641		2,99,85,54,368
ii) Deposits of Branches outside India		–		–

SCHEDULE 4 : BORROWINGS

I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	66,90,000		–	
ii) Other Banks	17,964		44,471	
iii) Other Institutions & Agencies	17,73,007		29,55,145	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	50,00,000		50,00,000	
v) Upper Tier II bonds	1,30,00,000		2,30,00,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		2,00,00,000	
		5,78,71,971		5,23,90,616
II. Borrowings outside India		–		–
TOTAL		5,78,71,971		5,23,90,616
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Bills Payable	62,03,584		64,54,286	
II. Inter Office Adjustments (Net)	8,77,45,538		–	
III. Interest Accrued	80,63,393		83,71,940	
IV. Deferred Tax Liability	–		–	
V. Others (including provisions)	5,25,47,717		4,99,31,454	
TOTAL		15,45,60,232		6,47,57,680

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,62,92,611		1,33,75,164
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	17,99,24,907		14,04,15,686	
In Other Accounts	10,40,00,000		5,40,00,000	
		28,39,24,907		19,44,15,686
TOTAL		30,02,17,518		20,77,90,850

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	7,92,279		6,65,590	
b) In Other Deposit Accounts	1,278		6,880	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	1,93,50,000		19,00,000	
b) With Other Institutions	—		10,15,66,371	
		2,01,43,557		10,41,38,841
II. Outside India				
a) In Current Accounts	4,00,29,391		69,582	
b) In Other Deposit Accounts	—		35	
c) Money at Call & Short Notice	—		—	
		4,00,29,391		69,617
TOTAL		6,01,72,948		10,42,08,458

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,09,49,33,558		96,20,60,271	
ii) Other approved Securities	—		—	
iii) Shares	54,38,140		83,42,097	
iv) Debentures and Bonds	27,66,12,442		21,46,94,317	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	21,77,632		30,39,987	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	4,55,38,697		6,43,69,140	
		1,42,47,00,469		1,25,25,05,812
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		4,74,885		4,74,885
TOTAL		1,42,51,75,354		1,25,29,80,697

*** Investments in India**

Gross Value	1,47,31,03,771		1,29,17,18,017	
Less: Provision for Depreciation	4,84,03,302		3,92,12,205	
Net Value		1,42,47,00,469		1,25,25,05,812

**** Investments outside India**

Gross Value	4,74,885		4,75,100	
Less: Provision for Depreciation	—		215	
Net Value		4,74,885		4,74,885

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	87,07,602		1,11,08,722	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	71,56,97,210		70,50,21,260	
iii) Term Loans	78,66,03,966		74,91,23,624	
TOTAL		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,46,01,38,716		1,37,15,43,682	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	24,80,671		71,60,273	
iii) Unsecured	4,83,89,391		8,65,49,651	
TOTAL		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	73,49,15,379		77,46,50,563	
ii) Public Sector	3,52,55,809		4,18,77,509	
iii) Banks	4,684		11,452	
iv) Others	74,08,32,906		64,87,14,082	
TOTAL		1,51,10,08,778		1,46,52,53,606
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	4,02,29,395		4,03,28,001	
Additions during the year	44,780		14,580	
Total	4,02,74,175		4,03,42,581	
Deductions / Adjustments during the year	49,009		1,13,186	
Depreciation to date	79,40,090		73,27,018	
Total		3,22,85,076		3,29,02,377
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	3,12,10,539		2,90,61,087	
Additions / Adjustments during the year	37,42,293		27,56,744	
Total	3,49,52,832		3,18,17,831	
Deductions / Adjustments during the year	7,85,996		6,07,292	
Total	3,41,66,836		3,12,10,539	
Depreciation to Date	2,30,90,066		2,10,10,478	
Total		1,10,76,770		1,02,00,061
TOTAL (I & II)		4,33,61,846		4,31,02,438

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,99,12,752		1,84,62,354	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	5,37,20,014		5,16,34,457	
III. Stationery and Stamps	2,09,837		2,01,811	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—		—	
V. Deferred Tax Assets	7,61,68,000		7,89,40,100	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	—		12,55,928	
VII. Others	7,44,11,526		8,33,45,940	
TOTAL		22,44,22,129		23,38,40,590
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts	10,14,448		10,52,491	
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc	1,73,50,729		2,56,91,553	
II. Liability for partly paid Investments	40,10,248		52,498	
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts	35,02,01,250		64,44,32,269	
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	11,88,38,461		11,56,86,575	
b) Outside India	74,99,916		71,56,062	
		12,63,38,377		12,28,42,637
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		4,27,13,097		6,61,57,213
VI. Other item for which the bank is contingently liable		2,02,18,789		64,53,361
TOTAL		56,18,46,938		86,66,82,022

**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020**

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-20 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-19 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	12,50,54,586	12,94,97,463
II. Income on Investments	9,91,56,372	8,45,42,399
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	48,08,903	87,28,057
IV. Others	66,04,794	36,17,788
TOTAL	23,56,24,655	22,63,85,707
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,13,62,724	1,20,38,126
II. Profit on Sale of Investments (Net)	1,21,49,423	21,51,879
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(2,24,145)	(44,269)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	23,03,830	14,04,372
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	1,76,364	52,200
VII. Miscellaneous Income	1,06,00,020	85,27,060
TOTAL	3,63,68,216	2,41,29,368
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	15,40,18,417	15,27,63,230
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	87,769	47,690
III. Others	52,30,011	58,52,978
TOTAL	15,93,36,197	15,86,63,898
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	4,21,67,195	3,56,52,216
II. Rent, Taxes and Lighting	49,36,401	47,24,267
III. Printing and Stationery	3,09,282	2,87,739
IV. Advertisement and Publicity	1,08,755	1,05,710
V. Depreciation on Bank's property	28,52,754	27,77,242
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	12,886	14,557
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	2,81,709	3,03,412
VIII. Law Charges	3,35,104	1,67,276
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,05,745	8,99,275
X. Repairs and Maintenance	10,44,343	9,88,942
XI. Insurance	37,86,167	30,00,804
XII. Other Expenditure	1,24,74,868	1,16,64,810
TOTAL	6,92,15,209	6,05,86,250

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**1. a) Basis of Preparation:**

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 The transactions are initially recorded on previous day's closing rate.
- 2.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by FIBIL and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FIBIL.
- 2.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FIBIL and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

3.2 Basis of Classification:

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i) Held to Maturity:

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.
- ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories:

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation:

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIBIL.
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.
iv)	Equity Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted : (Traded in last 15 days) at last Trade Price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading:

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIBIL. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost:

- Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.
- Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

3.6 Income Recognition:

- i) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. However, profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.
- iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending

4. Derivatives:

4.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) In cases where the underlying Assets/Liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Assets/Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities.

4.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

- i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

5. Advances:

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.
- 5.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest. However, where any borrowal account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].
- 5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.
- 5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.5 Financial Assets sold are recognized as under:

5.5.1 In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

5.5.2 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

5.5.3 In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

6.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

6.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

6.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

7. Employee Benefits:

Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8. Recognition of Income and Expenditure:

8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

9 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

10 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADW4470

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABF5444

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAA AFL4824

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2020 is ₹ 5709.76 crore increased from ₹ 4047.20 crore of previous year by issue of fresh 1662561287 equity shares of ₹ 10 each in two allotments.

- a. 78716224 Equity Share of ₹ 10 each allotted to eligible employees of Central Bank of India at premium of ₹ 17.00 on 15.05.2019
- b. 1583845063 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 11.17 on 26.11.2019.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax:

3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1735.07 crore (previous year ₹ 2569.16 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

4.1 Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 0.75 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.

4.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 112.00 Crore (previous year ₹ 64.80 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

5. Advances / Provisions

5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. (i) Capital Ratio (As Per Basel III)

(₹ in crore)

Sl. No	Items	31.03.2020	31.03.2019
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	9.33%	7.49%
2	Tier 1 capital ratio (%)	9.33%	7.49%
3	Tier 2 capital ratio (%)	2.39%	2.12%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.72%	9.61%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India	92.39%	91.20%
6	Amount of equity capital raised	3565.54*	6804.54
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS): Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; Of which		
	– Debt capital instruments:	NIL	NIL
	– Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Share (RNCPS) /Redeemable Cumulative Preference Share (RCPS)]	NIL	NIL
	– Amount of Sub-ordinate debts raised during the year	1000.00	500.00

*Includes capital funds of ₹ 3353 crore received from Government of India. Bank allotted 1583845063 Equity Share of ₹ 10 each at premium of ₹ 11.17 on 27.09.2019 to President of India (Government of India) on Preferential Basis.

On 15.05.2019, bank also allotted 787,16,224 equity shares of face value of ₹ 10 each at issue price of ₹27 including premium of ₹17 per share, aggregating to ₹212.53 crore was Employee Share Purchase Scheme. The amount of ₹212.53 crore was already received during the previous financial year 2018-19, and the same was kept in Share Application Money Account as on 31.3.2019.

Bank also raised ₹1000.00 crores in two tranches on 30.09.2019 and 20.03.2020 by issuance and allotment of Non Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds (Series-IV and V) in the nature of Promissory Notes of the Face Value of ₹ 10.00 Lakhs each on private placement basis and allotted 10,000 bonds of ₹ 10.00 each.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

Items		31.03.2020	31.03.2019
1)	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	147357.87	129219.31
	a) In India	147310.38	129171.80
	b) Outside India	47.49	47.51
	ii) Provisions for Depreciation	4840.32	3921.24
	a) In India	4840.32	3921.22
	Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	0.00	0.00
	b) Outside India	0.00	0.02
	iii) Net Value of Investments	142517.55	125298.07
	a) In India	142470.06	125250.58
	b) Outside India	47.49	47.49
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments		
	i) Opening Balance	3921.24	2663.07
	ii) Add: Provisions made during the year	1413.82	2561.64
	iii) Less: Write Back/Utilized during the year	494.73	1303.47
	iv) Closing Balance	4840.33	3921.24

Note: Above amount includes securities aggregating to Face Value of ₹ 1365 (in Crore) deposited with CCIL as margin and Default Fund ₹ 641 (in Crore) and securities of Face Value of ₹ 19345 (in Crore) kept with RBI under section 11(2)(b)(ii) of Banking Regulation Act, 1949 as on March 31, 2020.

(ii) Repo Transactions (in face value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2020 are as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2020
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00 (0.00)	1499.00 (750.00)	73.08 (38.09)	669.00 (0.00)
II. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00 (0.00)	26186.19 (34878.98)	7685.78 (10797.67)	10399.00 (11059.84)
II. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Previous year figures are shown in Brackets.

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments : 31 MARCH 2020

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	Central Govt Recap Bonds	14,780 (11,427)	0 (0)	0 0	14,780 (11,427)	14,780 (11,427)
ii)	State Govt Special Bond	2,259 (3,170)	0 (0)	0 0	2,259 (3,170)	0 0
iii)	PSUs	5,977 (5,123)	3,130 (18)	762 0	22 (3,869)	1,777 (1,777)
iv)	FIs	1,834 (372)	135 (127)	0 0	0 (44)	0 (44)
v)	Banks	276 (150)	1 0	64 0	69 0	69 0
vi)	Private Corporates	3,180 (1,868)	964 (120)	410 (227)	624 (500)	673 (692)
vii)	Subsidiaries/ Joint Ventures/RRB/ Indo-Zambia	265 (421)	265 (421)	0 0	265 (421)	265 (421)
viii)	Others	9,293 (10,483)	3,296 0	648 (438)	4,976 (5,132)	6,924 (6,508)
	TOTAL	37,864 (33,013)	7,791 (686)	1,884 (665)	22,995 (24,562)	24,488 (20,869)
	Less: Provision held towards depreciation	4,840 (3,921)	0 0	0 0	0 0	0 0
	NET	33,024 (29,092)	7,791 (686)	1,884 (665)	22,995 (24,562)	24,488 (20,869)

Previous year figures are shown in Brackets

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2020	31.03.2019
Opening Balance	1546.86	2084.48
Additions during the year	939.67	653.74
Reductions during the year	333.14	1191.36
Closing balance	2153.39	1546.86
Total provisions held	1932.84	1333.64

c. Derivatives**(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(₹ in crore)

	Items	31.03.2020	31.03.2019
i)	The Notional Principal of Swap agreements	1125.00	50.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	11.57	0.42
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v)	The fair value of the swap book	-1.15	-0.42

(ii) Currency Rate Swap

(₹ in crore)

	Items	31.03.2020	31.03.2019
i)	The Notional Principal of Swap agreements	360.74	344.19
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	19.39	3.65
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

(iii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
	Interest Rate Futures		
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	NIL	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	NIL	NIL

(iv) Exchange Traded Currency Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	8259.04	3211.51
	b) Currency Options	0.00	0.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding		
	a) Currency Futures	1255.03	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	2.66	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00

Disclosures on risk exposure in Derivatives

(v) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for forward rate agreement, interest rate swaps, currency futures and interest rate futures for hedging the interest rate risk in investment portfolio and also for market making is in place.
- The risk management policies and major control measures like stop loss limits, counterparty exposure limits etc. as approved by Board of directors are in place.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the Interest Rate Swap (IRS) are accounted and recognized as income/expenses.
- If the swap is terminated before maturity, mark-to-market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expenses/ income under interest paid/ received on IRS.

Trading positions

- Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX,NSE and United stock exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in Bank's profit and loss account in final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains, if any are ignored.
- Gains or losses on termination of Swaps are recorded as immediate income/expenses under the above head.

Outstanding Forward Contract of Merchant & Interbank as on 31.03.2020

(₹ in crore)

Outstanding as on 31.03.2020	32974.35
Hedging Position	10537.69
Trading Position	22436.66

(vi) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	10537.69	0.00	4936.31	0.00
b)	For trading	22436.66	1125.00	60278.66	50.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	569.19	11.57	1178.39	0.40
b)	Liability (-)	642.84	12.72	1149.84	0.00
iii)	Credit Exposure [1]				
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	0.01	-	0.01
a)	On hedging derivatives	-	0.00	-	0.00
b)	On trading derivatives	-	0.01	-	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max - 0.00 Min - 0.00	-	Max - 0.00 Min - 0.00
b)	On trading	-	Max - 0.04 Min - 0.01	-	Max - 0.04 Min - 0.01

d. Asset Quality

(a) Non Performing Assets

(₹ in crore)

	Items	31.03.2020	31.03.2019
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	7.63	7.73
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
a)	Opening balance	32356.04	38130.70
b)	Additions during the year	8150.61	10328.64
c)	Reduction during the year	(7917.57)	(16103.30)
d)	Closing balance	32589.08	32356.04
iii)	Movement of Net NPAs		
a)	Opening balance	11333.24	17377.87
b)	Additions during the year	3579.11	7087.01
c)	Reduction during the year	(3377.89)	(13131.64)
d)	Closing balance	11534.46	11333.24
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
a)	Opening balance	19933.58	19601.31
b)	Provisions made during the year	4571.50	12471.57
c)	Write off/ write back / Transfer	(4633.00)	(12139.30)
d)	Closing balance	19872.08	19933.58

(b) Particulars of Accounts Restructured :

(₹ in crore)

Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total						
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total		
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*#	No. of borrowers	1	2	17	0	20	2615	38	110	1	2764	9327	291	2279	0	11897	11943	331	2406	1	14681	
		Amount outstanding	171.06	45.09	1322.27	0.00	1538.42	219.18	7.15	87.17	0.04	313.54	1421.85	160.25	1772.51	0.00	3354.61	1812.09	212.49	3181.95	0.04	5206.57	
		Provision thereon	41.04	3.06	88.43	0.00	132.53	6.12	0.11	0.99	0.00	7.22	133.58	6.80	31.85	0.00	172.23	180.74	9.97	121.27	0.00	311.98	
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	17480	673	13	0	18166	2320	139	188	0	2647	19800	812	201	0	20813	
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.52	50.57	1.13	0.00	749.22	308.16	7.76	9.20	0	325.12	1005.68	58.33	10.33	0.00	1074.34	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	26.55	2.45	0.10	0.00	29.10	7.46	0.39	0.28	0	8.13	34.01	2.84	0.43	0.00	37.28	
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	1	0	0	-1	0	18	-13	-1	-4	0	58	-44	-13	-1	0	77	-57	-14	-6	0	
		Amount outstanding	1.65	0.00	0.00	-1.65	0.00	1.02	-0.78	-0.04	-0.20	0.00	4.42	-4.19	-0.22	0.00	0.01	7.09	-4.97	-0.26	-1.85	0.01	
		Provision thereon	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	-0.04	0.00	0.01	0.01	0.22	-0.21	-0.01	0.00	0.00	0.27	-0.25	-0.01	-0.01	0.02	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	0				0	0				0	0			0	0					0	
		Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00					0.00
		Provision thereon	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00					0.00
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	-403	304	50	49	0	-1025	827	184	14	0	-1428	1131	234	63	0	
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.08	26.16	8.21	1.71	0.00	-149.09	137.02	11.68	0.39	0.00	-185.17	163.18	19.89	2.10	0.00	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	0.65	0.23	0.08	0.00	1	-1.25	0.58	0.02	0.00	-0.31	-0.60	0.81	0.10	0.00	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY \$	No. of borrowers	0	-2	-8	1	-9	-305	-24	25	-46	-350	-1269	-146	-265	-13	-1693	-1574	-172	-248	-58	-2052	
		Amount outstanding	0.43	-45.09	-755.86	1.85	-798.87	-21.41	-6.36	-27.37	-1.55	-56.69	-197.63	-156.05	-791.33	-0.39	-1145.40	-218.61	-207.50	-1574.56	-0.29	-2000.96	
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Restructured Accounts as on 31.03.2020 (closing figures)	No. of borrowers	2	0	9	0	11	19405	978	197	0	20580	9411	1067	2373	0	12851	28818	2045	2579	0	33442	
		Amount outstanding	173.14	0.00	566.41	0.00	739.55	860.23	76.74	69.10	0.00	1006.07	1387.71	144.79	1001.84	0.00	2534.34	2421.08	221.53	1637.35	0.00	4279.96	
		Provision thereon **	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	31.40	3.10	0.68	0.00	35.18	56.83	1.64	29.98	0.00	88.45	88.24	4.74	30.66	0.00	123.64	

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision

\$ includes closed accounts and recovery during Financial Year in restructured accounts.

includes also NSL textiles (CDR in DA category) and Bajaj Hindustan Ltd. (other in standard category) which was removed by auditor during FY 2019-20 as they are S4A accounts also.

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ in crore)

	Items	31.03.2020	31.03.2019
i)	No. of accounts	11	6
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	335.42	864.89
iii)	Aggregate consideration	387.74	1405.55
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	87.23	37.73
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	112.86	578.39

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts is as under:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2689.51	2715.38
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	2.28	2.77
	Total	2691.79	2718.15

C. Details of Investment in Security Receipts

(₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	529.03	2078.27	82.21
	Provision held against (i)	97.41	1405.28	82.21
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.21	0.31	1.76
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	1.76
	Total Book Value (i) + (ii)	529.24	2078.58	83.97

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	a No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold:

(₹ in crore)

	Items	31.03.2020	31.03.2019
1	No. of accounts	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

(e) Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Items	31.03.2020	31.03.2019
Provisions towards Standard Assets held	611.95	478.83

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2020	31.03.2019
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	7.40	6.81
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	1.14	0.73
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.36	0.94
(iv)	Return on Assets **	(0.35)	(1.70)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1405.98	1278.03
(vi)	Profit/(Loss) per employee (₹ in lacs)	(3.27)	(15.55)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

g. Asset Liability Management

The maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances, & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of 31st March 2020 are as follows: -

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1413.23	2513.72	-	1.79	376.15	496.44
2 days to 7 days	3063.81	1183.43	1530.52	32.70	1107.15	1337.79
8 days to 14 days	2032.29	119.99	1284.46	-	76.30	780.18
15 days to 30 days	6261.73	5854.95	2846.32	-	3111.60	5001.24
31 days to 2 months	9259.20	1296.64	2094.76	-	-	21.52
Above 2 months to 3 months	8858.47	1768.93	4764.68	32.88	1807.35	2327.02
Above 3 months to 6 months	13409.22	3985.05	10073.90	-	6343.84	6629.21
Above 6 months to 12 months	23319.99	7558.26	4807.76	65.34	3981.82	3759.85
Above 1 years to 3 years	139864.19	76422.47	11605.91	706.78	632.67	602.13
Above 3 years to 5 years	56105.15	15273.31	10918.50	7.83	0.34	385.21
Over 5 years	50175.88	35124.13	92590.73	0.33	2.19	3.82
Total	313763.16	151100.88	142517.54	847.65	17439.40	21344.39

Note : -

* Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

h. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.03.2020	31.03.2019
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	27903.39 (16822.40)	27083.50 (13955.55)
	(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space hotels land acquisition development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limit:	2619.51	4180.29
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – - Residential - Commercial Real Estate.	0.00 68.18	0.00 66.23
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2133.67	2001.99
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR		15902.35	19376.46

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items	31.03.2020	31.03.2019
i) Direct Investment in equity shares convertible bonds convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	446.55	521.84
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	2.18	2.95
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	50.23	144.60
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	77.15	327.30
vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	496.65	0.00
Total Exposure to Capital Market	1072.76	996.69

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Funded Exposure (net) As at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020	Funded Exposure (net) As at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019
Insignificant	671.99	Nil	745.22	Nil
Low	627.47	Nil	437.08	Nil
Moderate	27.36	Nil	49.26	Nil
High	7.68	Nil	46.42	Nil
Very High	1.09	Nil	0.57	Nil
Restricted	0.00	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	1335.59	Nil	1278.55	Nil

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.

Large Exposure to counter parties (single as well as group of connected counter parties) bank's eligible capital base (Tier-I Capital ₹ 15331.70 crores) (₹ in crore)

Sr. No.	Borrower / Customers Name	Whether single(s) or group of connected counter parties	Exposure Amount	Exposure as % of Tier-I Capital ₹ 15331.70
1	VIDEOCON GROUP	Group (G)	4471.80	29.17

However, considering the provisions of Rs 4064.20 crores in Videocon Group accounts as on 31.03.2020, the group is not in breach in terms of para 7.2 of RBI circular on LEF dated 03.06.2019.

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights Licenses Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

(vi) In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 1500 Crore (Previous year ₹ Nil) were issued on risk sharing basis for period of 91 days to 180 days. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Bank. Interest income of ₹ 1.52 crore has been recognised against these borrowings.

(vii) During the year ended March 31, 2020, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India) did not exceed 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The market value of investments held in the HTM category was Rs 84,398 crore whose book value is Rs 81,091 crore as on March 31, 2020 which includes investments in subsidiaries/joint ventures carried at cost. The book value of such investments being lower than market value, no provision is required to be made.

i. Sale and transfer to / from HTM category

The Value of Sales & Transfers to/from HTM category does not exceed 5% of the Book Value of the Investment held in HTM category at the beginning of the year.

j. Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI Circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.008/2017-18 dated April 2, 2018, the Bank is required to create Investment Fluctuation Reserve w.e.f. the FY 2018-19.

Transferred to IFR will be lower of the following:

- Net Profit on Sale of Investment during the year or
- Net Profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is atleast 2% of HFT & AFS Portfolio on a continuous basis.

The Bank has not created Investment Fluctuation Reserve (IFR) due to losses incurred by the Bank in previous two financial years.

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.27 crore (previous year ₹ 1.16 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

The penalties imposed by RBI on Treasury operations during Financial Year 2019-20 under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949, for contravention of any of the provisions of the act or non compliance with any other requirements of the Banking Regulation Act, 1949; order, rule or condition specified by Reserve Bank of India under the Act is NIL

8. I. Disclosure regarding concentration of Deposits Advances Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a) Total Deposits of twenty largest depositors	14136.35	14654.59
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	4.51%	4.89%

8.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a) Total Advances to twenty largest borrowers	17851.93	16180.76
(b) Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	10.37%	9.65%

Advances represent credit exposure as per RBI norms

8.3 Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	29786.25	30600.38
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	11.41%	12.00%

Advances represents credit and investment exposure as per RBI norms

8.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a) Total Exposure to top four NPA accounts	6355.09	5820.88

II. Sectorwise advances:

(₹ in Crore)

S.No	Sector	31.03.2020			31.03.2019		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	34419.40	5054.21	14.68	35655.42	3446.76	9.67
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10672.00	2449.27	22.95	11287.64	2288.24	20.27
3	Services	18578.16	2952.44	15.89	19780.88	2945.76	14.89
4	Personal loans	16318.38	1197.93	7.34	16477.36	1007.58	6.11
	Sub-total (A)	79987.94	11653.85	14.57	83201.30	9688.34	11.64
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	52952.66	18930.02	35.75	48682.02	19035.17	39.10
3	Services	14964.92	1193.37	7.97	16126.42	2916.55	18.09
4	Personal loans	24338.23	811.84	3.34	19719.17	715.98	3.63
	Sub-total (B)	92255.81	20935.23	22.69	84527.61	22667.70	26.82
	Total (A+B)	172243.75	32589.08	18.92	167728.91	32356.04	19.29

III. A. Movement of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Gross NPAs *as on 1st April (opening Balance)	32356.04	38130.70
Additions (Fresh NPAs) during the year	8150.61	10328.64
Sub Total (A)	40506.65	48459.34
Less:-		
(i) Upgradation	422.53	567.53
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)* Sale of NPA	3325.85	5160.56
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	3388.95	8522.52
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	780.24	1852.69
Sub-total (B)	7917.57	16103.30
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	32589.08	32356.04

B. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	16077.80	9239.32
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	3388.95	8522.52
Sub-total (A)	19466.75	17761.84
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	1261.91	1684.04
Closing balance as at March 31 (A-B)	18204.84	16077.80

*includes conversion to Regular write off of ₹ 602.27 crores (Previous year ₹ 1184.63 crore)

IV. Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Loss	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

VII. Intra-Group Exposures:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	Total amount of intra-group exposures	785.34	706.42
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures(there are only 6 companies in this category)	785.34	706.42
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.30%	0.28%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	Nil	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of amounts transferred to DEAF	251.15	83.61
Add: Amount transferred to DEAF during the year	289.93	168.69
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	4.94	1.15
Closing balance of amounts transferred to DEAF	536.14	251.15

There are certain eligible credit balances in the nature of unlocated deposit which are not yet remitted pending reconciliation.

9. Liquidity Cover**LCR Disclosure**

(₹ in crore)

		31.03.2020		31.03.2019	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		105871.78		85927.25
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:				
(i)	Stable deposits	75907.10	3795.46	72633.00	3631.75
(ii)	Less stable deposits	193480.79	19348.25	184159.00	18415.75
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	32079.03	15371.13	36819.75	15820.25
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00
5	Additional requirements of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	5365.36	5413.51	10491.00	10491.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	18715.68	2137.63	21291.25	2230.25
6	Other contractual funding obligations	1803.78	1822.30	1785.00	1785.00
7	Other contingent funding obligations	19589.34	655.41	19813.50	594.50
8	Total Cash Outflows		48553.68		52968.50

		31.03.2020		31.03.2019	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	7653.67	0.00	11499.00	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2287.16	2287.16	2883.75	2883.75
11	Other cash inflows	17853.64	13450.31	24501.25	19378.25
12	Total Cash Inflows	27794.46	15737.46	38884.00	22262.00
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
13	TOTAL HQLA		105871.78		85927.00
14	Total Net Cash Outflows		32816.22		30706.50
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		322.62		279.83

LCR Qualitative Disclosures:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures		
Line items significant to LCR	Explanatory Notes	
a	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	<p>The main drivers of LCR results are :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF) & LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
b	Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
c	The composition of HQLA	<p>The HQLA comprises of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 13.50% - 14.50% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2018-19/164 DBR.BP.BC.No.34/21.04.098/2018-19 dated 04/04/2019. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies. 3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.

d	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
e	Derivative exposures and potential collateral calls	<p>Derivative exposure of the bank consists of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OTC Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives <ol style="list-style-type: none"> a) Currency Futures b) Interest Rate Futures <p>Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties.</p> <p>For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market.</p> <p>All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards.</p> <p>The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same.</p> <p>At present, bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.</p>
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
i	Other Information	None

10. Other Disclosures

Insurance Business :

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	No. of policies	Amount (₹ in crore)	No. of policies	Amount (₹ in crore)
Life	74447	31.22	20883	10.02
Non Life	223167	8.32	186558	10.59
Total		39.54		20.61

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However the said income is not considered to be material.

b) Accounting Standard - 15 (Revised)

Defined Contribution Plan:

National Pension Scheme (NPS):-

During the year Bank has recognized ₹ 91.85 crore (Previous year ₹ 79.62 crore) as contribution to NPS in profit & loss account.

Defined Benefit Plan:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below: (₹ in crore)

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1,648.13	14,245.10	1,741.56	13,821.17
Interest Cost	128.39	1,108.27	136.36	1,076.67
Current Service Cost	64.61	71.81	66.18	83.98
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost(Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transfer in	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transfer out	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefit Paid	(300.88)	(1,191.08)	(270.50)	(1,170.59)
Actuarial (gain)/loss on obligations	82.98	1,187.72	25.47	433.87
Liability at the end of the year	1,623.23	15,421.82	1648.13	14,245.10
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1,878.26	14,645.14	2124.94	13,515.58
Expected return on Plan Assets	146.32	1,139.39	166.38	1,048.81
Contributions	0.00	0.00	(100.00)	1,324.00
Transfer from Other Company	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer from / to Company	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefit paid	(300.88)	(1,191.08)	(270.50)	(1,170.59)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,720.32	14,939.64	1878.26	14,645.14
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(86.36)	(841.53)	(17.09)	(506.33)

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:				
Current Service Cost	64.61	71.81	66.18	83.98
Interest Cost	128.39	1108.27	136.36	1076.67
Expected Return on Plan Assets	(146.32)	(1139.39)	(166.38)	(1048.81)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	0.00	0.00	0.00	0.00
Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial (Gain) or Loss	86.36	841.53	17.09	506.53
Expenses Recognized in P & L	133.04	882.22	53.25	618.37
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	146.32	1,139.39	166.38	1048.81
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
Actual return on plan assets	142.94	1,485.58	123.82	976.15
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(6.34)	12.65	(29.08)	422.24
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	3.38	(346.19)	(42.56)	72.66
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	6.84	6.83	7.79	7.78
Rate of return on Plan Assets Current	6.84	6.83	7.79	7.78
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50

Other long term benefits:

During the year bank has recognized expenses of ₹ 99.27 crore (Previous year ₹ 84.09) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

c) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognised Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS

(₹ In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	12,252.52	10,016.80	7,212.85	7,115.12	7,733.92	7,919.59	–	–	27,199.29	25,051.51
Result	2,380.29	10.77	(2,802.95)	(8,268.62)	(333.55)	243.93	–	–	(756.22)	(8,013.92)
Unallocated Expenses									153.27	156.30
Operating Profit									(909.49)	(8,170.22)
Income Taxes									211.86	(2,528.74)
Extraordinary profit/loss	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Net Profit									(1,121.35)	(5,641.48)
Other Information:										
Segment Assets	1,76,075.99	1,62,107.96	82,540.75	72,130.18	82,542.57	81,040.22	–	–	3,41,159.31	3,15,278.36
Unallocated Assets									15,276.55	15,439.30
Total Assets									3,56,435.86	3,30,717.66
Segment Liabilities	1,81,122.41	1,66,200.97	77,633.98	68,454.78	76,250.00	76,910.81	–	–	3,35,006.39	3,11,566.56
Unallocated Liabilities									–	–
Total Liabilities									3,35,006.39	3,11,566.56
Capital Employed	(5,046.42)	(4,093.01)	4,906.78	3,675.40	6,292.56	4,129.41	–	–	6,152.92	3,711.80
Unallocated									15,276.55	15,439.30
Total Capital Employed									21,429.47	19,151.10

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures.
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personal–

	Name	Designation
i)	Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Directors & CEO
ii)	Mr. P.R. Murthy (upto 16.02.2020)	Executive Director
iii)	Mr. Bajrang Shekhawat (w.e.f. 09.10.2017)	Executive Director
iv)	Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director

(b) Subsidiaries –

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) Associates

(i)	Regional Rural Banks –
i)	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur (Bihar)
ii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
(ii)	Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(₹ In Lakhs)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2020	31.03.2019
Mr. Pallav Mohapatra	Managing Director & CEO	31.77	14.68
Mr. Rajeev Rishi (upto 31.07.2018)	Managing Director & CEO	–	39.50
Mr. P.R. Murthy (upto 16.02.2020)	Executive Director	82.88	24.98
Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director	28.30	24.47
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	26.14	4.60
TOTAL		169.09	108.23

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

e) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(1121.35)	(5641.48)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	6210075175	2794601814
Basic Earnings per Share (₹)	(1.81)	(20.19)
Diluted Earnings per Share (₹)	(1.81)	(20.19)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

f) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 7616.80 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2020. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2020 are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Business Loss	1591.74	346.89	0.00	0.00
Provision for Leave Encashment	285.56	250.87	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	6579.73	8004.11	0.00	0.00
Retiral Benefits	0.00	0.00	33.93	0.00
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	695.83	645.15
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	75.53	27.77
TOTAL	8457.03	8601.87	840.23	707.86
Net Deferred Tax Asset/Liability	7616.80	7894.01		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2019-20 is ₹ 277.21 crore (Previous year increase of ₹ 2525.98 crore) has been recognized in profit & loss account.

g) Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2020 requiring recognition in terms of the Standard.

h) Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2020	31.03.2019
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	1065.54	983.88
Provision towards NPA	4229.40	11029.86
Provision towards Standard Asset	172.35	(114.93)
Provision made for Taxes	211.86	(2528.74)
Provision for Restructured Advances	(158.82)	(425.02)
Other Provisions	(54.83)	(177.08)
TOTAL	5465.50	8767.97

(ii) Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

(iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

12. Details of Complaints

	Customer Complaints (excluding ATM & Central Card)	No. of complaints	
		31.03.2020	31.03.2019
a)	Pending at the beginning of the year	321	654
b)	Received during the year	15208	11131
c)	Redressed during the year	15104	11464
d)	Pending at the end of the year	425	321

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2020	31.03.2019
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	5	0
c)	No. of Awards implemented during the year	2	0
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	0*	0

* As appeal preferred in three cases pending with Competent Authority (Dy. Governor RBI), therefore three awards not treated as unimplemented.

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2020	31.03.2019
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	65	73
c)	Redressed during the year	65	73
d)	Pending at the end of the year	0	0

Complaints pertaining to ATM Transactions

	Customer Complaints	31.03.2020	31.03.2019
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	2656	2917
b)	No. of complaints Received during the year	288818	310581
c)	No. of complaints Redressed during the year	281609	310842
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	9865*	2656

*Out of which, no complaints pending as on this date.

Complaints pertaining to Central Card Transactions			
	Customer Complaints	31.03.2020	31.03.2019
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	0	8
b)	No. of complaints Received during the year	2166	8824
c)	No. of complaints Redressed during the year	2166	8832
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	0	0

13. Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.03.2020

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Letter of Comforts issued during the year	0.00	0.00
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	0.00	819.09
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	0.00	0.00

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR with Technical Write Off (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 77.29 % (Previous Year 76.60%).

The PCR without Technical Write Off (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 64.61% (Previous Year 64.97%).

15. As per the information complied by the Management the Vendors whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank are not registered under Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Unhedged Foreign Currency exposure:

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2020: ₹ 6736.39 Crores (As on 31.03.2019 ₹ 5612.12 crore)

Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged Foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Total Provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 31, 2020 is ₹ 0.99 Crore (Previous Year: ₹ 1.62 Crore).

17. Provision for Frauds :

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:-

Out of the total frauds of ₹ 3993.76 Crore in 900 cases (Previous year ₹ 2895.13 crore in 650 cases) reported during the year, an amount of ₹ 3983.75 Crore in 101 cases represents advances declared as frauds. Full provision has been made for the outstanding balance as on 31st March, 2020 in respect of frauds reported during the year.

18. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2019-20 (Previous Year-Nil).

19. Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology

Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 20.05.2020.

20. Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 5935.94 crores (94.40 % of total outstanding) as on March 31, 2020.

21. Resolution of Stressed Assets

As per RBI circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018- 19 dated 7th June 2019, the Bank has implemented Resolution Plans for its 5 borrowers having exposure of ₹ 914.38 crore as on 31st March 2020. In case of the Resolution Plans not implemented, the Bank has made the additional provision @ 20% for ₹ 213.43 Crores in case of 4 borrowers having exposure of ₹ 1067.15 Crores.

Further, in terms of RBI circular DOR.No.BP. BC.62/21.04.048/2019-20 dated 17th April 2020 the Bank has extended resolution period for its 2 borrowers having exposure of ₹ 122.42crore as on 31st March 2020.

22. Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2018-19 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR. BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	32356.04
2.	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	34921.04
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	2565.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	11333.24
5.	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	13898.24
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	2565.00
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	19933.58
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	20721.58
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	788.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	(5641.48)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(6429.48)

The Bank has made required provision against the said diversions as at March 31, 2020.

23. With a view to facilitate meaningful restructuring of MSME accounts {MSME as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 } that have become stressed, RBI vide notification RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018 -19 January 1, 2019 & subsequent notification RBI/2019-20 /160 DOR. No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 February 11, 2020, it has been decided to permit a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without a downgrade in the asset classification. The details of MSME restructured accounts as on 31.03.2020 are as under:

No. of Accounts Restructured	Amount (₹ in crore)
17480	697.52

24. DISCLOSURE IN RESPECT OF COVID19 REGULATORY PACKAGE – ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING IN TERMS OF RBI CIRCULAR DATED 17.04.2020

RBI vide Notification No. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020, has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures include Rescheduling of Payments – Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Accounts (SMA) and Non- Performing Asset (NPA) etc.

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 dated April 17, 2020, the Bank would be granting a moratorium of three months on the payment of all installments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020 to all eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of days past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms).

The Impact of above circulars is as under:

S r. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended	33577.18
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	2,864.99
3	Provisions made during the Q4, FY 2019-20	143.25
4	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	NIL

25. The details of PSLC sold/purchased and income/expenditure generated during the year are as under:

(₹ in crore)

SECTOR MONTHS	Agri		General		Micro		S & M Farmer		Total Quantity (₹ Cr.)	Total PROFIT / LOSS
	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS		
Jun 19			(8,930.00)	60.35	2,125.50	(17.68)	3,470.00	57.28	(10,274.50)	99.95
Sep 19			(1,000.00)	4.48	1,010.00	(7.41)			10.00	(2.93)
Dec 19							(1,800.00)	33.23	(1,800)	33.23
Mar 20							(1,125.00)	10.13	(1,125.00)	10.13
Grand Total			(9,930.00)	64.83	3,135.50	(25.09)	(6,395.00)	100.64	13,189.50	140.38

Note : -ve indicates sale of PSLC and +ve indicates purchase of PSLC.

Commission Rate for the above PSLC's ranges from 0.43% to 1.98%.

26. RBI vide an email dated 19th May 2020 advised the Public Sector Banks that the requirement for reporting on "Whether the bank has adequate Internal Financial Controls with reference to Financial Statements and the operating effectiveness of such controls" in the Independent Auditors' Report is optional for financial year 2019-2020 which the bank has not opted.

27. The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Group is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Group's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

28 Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2019-20, there has been no draw down from the reserves (Previous Year – NIL).

29. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAADW4470

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAADF5444

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAFL4824

Place: Mumbai

Date: June 29, 2020

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2020	31- 03- 2019
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(909.49)	(8,170.22)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	285.28	277.72
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	1,065.54	983.88
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	4,070.58	10,626.30
	Provision for Standard Assets	172.35	(114.93)
	Provision for Other items (Net)	(54.83)	(198.54)
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	22.41	4.43
	Dividend Received from Subsidiaries	(17.64)	(5.22)
	Sub total	4,634.20	3,403.42
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	13,907.72	5,016.58
	Increase / (Decrease) in Borrowings	548.14	(467.06)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	8,788.80	(1,103.64)
	(Increase) / Decrease in Advances	(8,646.10)	(609.48)
	(Increase) / Decrease in Investments	(18,285.01)	(23,650.34)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	928.02	2,635.47
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(143.20)	187.43
	Sub total	(2,901.63)	(17,991.04)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	1,732.57	(14,587.62)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	7.18	3.48
	Purchase of Fixed Assets	(321.51)	(254.12)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	17.64	5.22
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(296.69)	(245.42)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	3,403.22	6,592.00
	Share Application Money	–	212.54
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	–	–
	Dividend Tax	–	–
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	3,403.22	6,804.54
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	4,839.10	(8,028.50)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2020	31- 03- 2019
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	20,779.09	35,999.91
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	10,420.85	3,228.53
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	31,199.94	39,228.44
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE HALF YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	30,021.75	20,779.09
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,017.29	10,420.85
	Net cash and cash equivalents at the end of the half year (F)	36,039.04	31,199.94

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACK2512

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADW4470

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABF5444

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAFL4824

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2020

Table DF-1: Scope of Application

(i) **Qualitative Disclosures:**

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	Yes	NA	NA	NA
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	Yes	NA	NA	NA
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Indo-Zambia Bank Ltd. /Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Joint Venture: Not under scope of regulatory Consolidation

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance and mortgage loan	25	1290
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Providing investment banking products / services to corporate clients	5	43
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	516	18956
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Regional Rural Bank	91	3915

- d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: **NIL**
- e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: **NIL**
- f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: **NIL**

Table DF-2: Capital Adequacy

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The Bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The Bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk for computation of risk weight.

The Bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the Bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the Bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The Bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The Bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

The Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy

Computation, and has installed SAS solution for computation of risk weight under Advance Approach.

Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk:	
• Portfolios subject to standardized approach @9%	₹ 10882 Crore
• Securitization exposures :	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
• Standardized duration approach;	
– Interest rate risk	₹ 1171 Crore
– Foreign exchange risk (including gold)	₹ 4 Crore
– Equity risk	₹ 306 Crore
(d) Capital requirements for operational risk:	
• Basic Indicator Approach	₹ 875 Crore
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
• Common Equity Tier 1	9.33%
• Tier 1	9.33%
• Total Capital ratio	11.72%

General qualitative disclosure requirement

A committee of Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market, etc. The Bank also has separate committees comprising of top executives of Bank, headed by Managing Director & CEO and Executive Directors, such as Asset Liability Management, Credit Risk Management, and Operational Risk Management. These committees meet at regular intervals to assess and monitor the level of risk under various operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at Central Office headed by the Chief Risk Officer (General Manager) measures, controls and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by the committees. The General Manager is assisted by a team of Deputy General Managers, Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

Risk Managers are posted at all Zonal offices who act as extended arms of Risk Management Department of Central Office. Risk Managers have also been identified at Regional Offices.

The Bank has in place detailed policies such as Credit Risk Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Enterprise Risk Management Policy, Market Discipline & Disclosure Policy, Operational Risk Management Policies, ALM Policy, Market Risk Management Policy, etc.

Besides these, the Loan Policy prescribe the parameters governing loan sourcing, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities, exposure norms, prudential limits.

Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitors the loan portfolio, identifies Special Mention Accounts and takes corrective measures. Loan Review Mechanism is implemented by the department apart from managing of accounts under CDR mechanism.

Dynamic Review of all account with exposure above ₹ 300 Crore is also under taken at specified frequency. Credit monitoring policy prescribes the methodology for monitoring and supervising the credit portfolio.

The Bank has introduced rating models for different segments of borrowers including retail lending schemes which measure the risks associated with counterparties and helps in making lending and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, management risk and business risk of the counter party. Conduct of account is also factored in for arriving at an overall rating of the counter party. Where parental support as corporate guarantee is available, it is also factored in. To assess the risk return, RAROC is computed and used in decision making.

Table DF-3 : Credit risk: General disclosures for all banks**Qualitative Disclosures****Credit risk****Impaired :**

The Working Group to review the existing prudential guidelines on restructuring of advances by banks/financial institutions in its report dated 20.07.2012 observed that as per international accounting standards, accounts are generally treated as impaired on restructuring and recommended that similar practice should be followed in India. Ind AS 109 contains guidance on the recognition, derecognition, classification and measurement of financial instruments including impairment and hedge accounting

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as "Out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power, or in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to a bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

The Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in interbank exposure,
- Country risk and other operational matters

Quantitative Disclosures:	₹ in Crore
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	302982
Non-fund based:	35210
*includes cash, balances with banks, investments, etc	
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	4003
• Domestic	334189

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	631	170	0
A.1 Coal	266	165	0
A.2 Others	365	5	0
B. Food Processing (B.1 to B.5)	5,786	1,090	495
B.1 Sugar	1,822	139	434
B.2 Edible Oils and Vanaspati	1,292	653	0
B.3 Tea	292	3	0
B.4 Coffee	18	0	0
B.5 Others	2,362	294	61
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	191	19	0
C.1 Tobacco and tobacco products	67	2	0
C.2 Others	124	17	0
D. Textiles	10,247	365	210
D.1 Cotton	2,121	83	184
D.2 Jute	128	32	0
D.3 Man-made, of which	4,606	145	0
D.4 Others	3,393	105	26
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	574	33	0
E. Leather and Leather products	141	5	0
F. Wood and Wood Products	193	19	0
G. Paper and Paper Products	812	216	45
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2,116	91	289
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	2,347	852	11
I.1 Fertilizers	503	4	0
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	704	798	9
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	123	33	0
I.4 Others	1,016	17	2
J. Rubber, Plastic and their Products	1,003	97	0

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
K. Glass & Glassware	101	5	0
L. Cement and Cement Products	1,656	104	0
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	5,630	1,659	125
M.1 Iron and Steel	3,629	657	51
M.2 Other Metal and Metal Products	2,000	1,002	74
N. All Engineering (N.1 + N.2)	6,178	2,971	55
N.1 Electronics	4,406	340	20
N.2 Others	1,772	2,632	35
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	936	80	16
P. Gems and Jewellery	2,606	118	0
Q. Construction	3,145	661	281
R. Infrastructure (a to d)	26,401	5,558	7,789
R.a Transport (a.1 to a.8)	7,945	1,163	1,524
R.a.1 Roads and Bridges	5,285	922	1,524
R.a.2 Ports	621	0	0
R.a.3 Inland Waterways	97	0	0
R.a.4 Airport	831	224	0
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	832	11	0
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	249	2	0
R.a.7 Shipyards	27	0	0
R.a.8 Logistics Infrastructure	4	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	10,319	901	5,897
b.1 Electricity (Generation)	7,781	530	439
b.1.1 Central Govt PSUs	3,752	2	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1,070	34	0
b.1.3 Private Sector	2,960	495	439
b.2 Electricity (Transmission)	471	98	0
b.2.1 Central Govt PSUs	308	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	101	69	0
b.2.3 Private Sector	62	29	0
b.3 Electricity (Distribution)	556	271	5,458
b.3.1 Central Govt PSUs	41	0	1,111
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	407	271	4,347
b.3.3 Private Sector	107	0	0
R.b.4 Oil Pipelines	0	0	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	1,511	3	0
R.b.6 Gas Pipelines	0	0	0

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	1,109	10	0
R.c.1 Solid Waste Management	10	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	139	0	0
R.c.3 Water treatment plants	145	4	0
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	547	1	0
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	268	5	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	1,615	2,236	39
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	992	413	39
R.d.2 Telecommunication towers	380	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	244	1,824	0
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.12)	1,665	49	0
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	478	9	0
R.e.2 Hospitals (capital stock)	421	2	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	94	15	0
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	277	1	0
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	1	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	33	6	0
R.e.7 Terminal markets	3	15	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0	0
R.e.10 Sports Infrastructure	302	0	0
R.e.11 Tourism - Ropeways and Cable Cars	50	0	0
R.e.12 Affordable Housing	6	0	0
R.f. Others, if any, please specify	3,748	1,199	329
S. Other Industries, pl. specify	17,792	2,693	38
All Industries (A to S)	87,912	16,772	9,355
Residuary other advances (to tally with gross advances)	128,525	7,620	11,480
Total	216,437	24,393	20,836
Industry exposure is more than 5% of gross exposure			
	Funded	Non-Funded	Investment
Infrastructure (Including Energy)	26401	5558	7789
Energy	10319	901	5897

(d) Residual maturity breakdown of Performing Assets:	
Day 1	2514
02 days to 07 days:	2714
08 days to 14 days:	1404
15 days to 30 days:	8701
31days to 2 months:	3391
Above 2 months to 3 months:	6534
Above 3 months to 6 months	14059
Above 6 months to 12 months:	12366
Above 1 year to 3 year	88028
Above 3 years to 5 years	26192
Over 5 years	127715
Total	293618
(e) Amount of NPAs (Gross)	
• Substandard	5294
• Doubtful 1	6704
• Doubtful 2	12075
• Doubtful 3	5766
• Loss	2750
(f) Net NPAs	11534
(g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	18.92%
• Net NPAs to net advances	7.63%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance	33259
• Additions	440
• Reductions	1110
• NPA (Gross)	32589
(i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance	19934
• Provisions made during the period	4571
• Write-off/Write-back of excess provisions	4633
• Closing balance	19872
(j) Amount of Non-Performing Investments	2153
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	1933
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
• Opening balance	3921
• Provisions made during the period	1396
• Write-off	NIL
• Write back of excess provision	477
• Closing balance	4840

**Table DF-4 : Credit Risk:
Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach**

Qualitative Disclosures	
<p>a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.</p> <p>b. The Bank has recognized the ratings issued by seven External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India Ratings and Research Pvt. Ltd, ACUIE (SMERA) Ratings, BRICKWORK and INFOMERICS to rate the exposures of borrowers.</p> <p>c. These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the Bank's borrowers are adopted for assigning risk-weights.</p> <p>d. In case of Bank's investment in particular issues of Corporates, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.</p>	
Quantitative Disclosures:	
₹ in Crore	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach	
• Below 100 % risk weight:	268221
• 100 % risk weight	49925
• More than 100 % risk weight	20046
• Amount Deducted-CRM	11826

Table DF-5 : Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

<p>• Policies and processes for collateral valuation and management; Bank has a well-defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by the Bank are cash and near cash securities, land and building, plant, machinery and stocks etc.</p> <p>• A description of the main types of collateral taken by the Bank; Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines. RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.</p>	
Quantitative Disclosures:	
₹ in Crore	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral;	
• Fund based	10397
Non fund based	1429

Table DF-6 : Securitization: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures	
NIL	
Quantitative Disclosures:	₹ in Crore
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	NIL
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
– securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure for specific risk: and	NIL
– securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
– The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	NIL
– Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-7 : Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

The Bank has a well-defined Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market rates, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The Bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are integrated treasury policy and Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with Bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of the Bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the Bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate the Bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR returns and has also put in place contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (₹ in Crore)
Interest Rate Risk	₹ 1171
Equity Position Risk	₹ 306
Foreign Exchange Risk	₹ 4
TOTAL	₹ 1481

Table DF-8 : Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well-defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The Bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to loss events including near miss event through Loss Data Management, Risk & Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI). Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' from where external loss data is obtained.

The Bank has put in place SAS system for moving to Advanced Measurement Approach.

The Bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2020 is ₹ 875 Crore.

Table DF-9 : Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:	
The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:	
1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)	
The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.	
2) Economic Value of Equity:	
Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.	
Quantitative Disclosure	
Parameter of Change	₹ in Crore
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	456
2. Market value of Equity: 200 bps change	1842

Table DF-10 : General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures		
(a) The Bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.		
The Bank has a well defined market risk management policy.		
The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The Bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.		
Quantitative Disclosures:		₹ in Crore
Particulars		Amount
b) Gross positive value of contracts		184
Netting Benefits		0
Netted current credit exposure		184
Collateral held		0
Net Derivative Credit Exposure		413
(c)		₹ in Crore
Item	Notional Amount	Current credit Exposure
Forward Forex contracts	7845	307
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	1616	83
Interest rate Contracts	1125	23

Table DF-11: Composition of Capital
Basel III common disclosure template as on March 31st, 2020

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	5710	A1
2	Retained earnings	-17372	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	31466	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	19804	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets (Business Loss)	1390	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	7	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	4386	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments ⁷ (26a+26b+26c+26d)	0	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	5783	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	14021	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	14021	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2600	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	360	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPAetc)	634	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	3594	
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0	
58a	Tier 2 capital	3594	
58b	Tier 2 capital (T2) admissible for regulatory capital purposes	3594	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	17615	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	150352	
60a	of which: total credit risk weighted assets	120907	
60b	of which: total market risk weighted assets	18512	
60c	of which: total operational risk weighted assets	10933	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.33%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.33%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.72%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00%	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	NA	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	NA	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	NA	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	NA	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	NA	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1800	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1440	

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Crore)

		Balance sheet as in financial statements	Reference
		As on 31.03.2019	
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	5710	
	of which: Amount eligible for CET 1	5710	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	15720	
	Share application Money pending allotment	0	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	21430	
ii	Deposits	313763	
	of which: Deposits from banks	3564	
	of which: Customer deposits	310199	
	of which: Other deposits (pl. specify)	–	
iii	Borrowings	5787	
	of which: From RBI	669	
	of which: From banks	2	
	of which: From other institutions & agencies	177	
	of which: Others (Outside India)	0	
	of which: Subordinated Debt	500	C1
	of which: Upper Tier 2	1300	C2
	of which: Unsecured. redeem NC Basel III Bonds (Tier 2)	3000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	139	
iv	Other liabilities & provisions	15456	
	Total	356436	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	30022	
	Balance with banks and money at call and short notice	6017	
ii	Investments:	142518	
iii	Loans and advances	151102	
	of which: Loans and advances to banks	1	
	of which: Loans and advances to customers	151101	
iv	Fixed assets	4336	
v	Other assets	22442	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	7617	
vi	Goodwill on consolidation	0	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	356436	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	₹ 5710
Par value of instrument	₹ 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others
Creditors, bonds, and PNCPS	
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	

SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	₹ 10 lakhs
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument) and other Creditors	All depositors
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, No Basel III Loss absorbency features

The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA	
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09229	INE483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment		
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	200	60
Par value of instrument	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED
Original maturity date	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
Coupons / dividends		
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, No Basel III Loss absorbency features	No Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIV
Issuer	
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	100
Par value of instrument	₹ 10 lakhs
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.33%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES
If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
Issuer					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286	INE483A08023	INE483A08031
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment					
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	600	500	500	500	500
Par value of instrument	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022	29.05.2024	30.11.2024	20.05.2025
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends					
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	YES	YES	YES	YES	YES

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial	Partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>	<p>It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger.</p> <p>Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'.</p> <p>Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.</p>

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	–	–	–	–	–

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2020

Qualitative Disclosures	
1	<p>The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.

Investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a Joint Venture would be one in which the bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.

In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”). Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.

Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to “Capital Reserve” in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures		₹ in Crore	
		BOOK VALUE 31.03.2020	FAIR VALUE 31.03.2020
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	273	273
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	–	–
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	–	–
	Publicly traded	–	–
	Privately held.	273	273
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	22	22
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	48	48
	RRBs	191	191
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	5	5
	Strategic Investments-		
	Central Ware housing Corporation	2	2
	Strategic Investments-IFCI	3	3
	Strategic Investments-Other		
	FIs (GSFC, JKFC, WBFC)	2	2
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	–	–
4	Total unrealised gains (losses)	–	–
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	–	–
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2020

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risk-based Tier 1 leverage ratio.

**Table DF 17- Summary Comparison of Accounting Assets
Vs. Leverage Ratio Exposure Measure**

	Item	(₹ in Crore)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	357337
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	139
4	Adjustments for derivative financial instruments	924
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	534
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	18936
7	Other adjustments	(5780)
8	Leverage ratio exposure	372090

DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

		(₹ in Crore)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	347077
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(5780)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	341297
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	262
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	662
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	924
	Securities financing transaction exposures	

		(₹ in Crore)
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	10920
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	13
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	10933
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	59205
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(40269)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	18936
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	14150
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	372090
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio (per cent)	3.80%

ATUL SAHAI
Dy. General Manager-RMD

A. D. SRINIVAS
General Manager-RMD

(ALOK SRIVASTAVA)
Executive Director

(B. S. SHEKHAWAT)
Executive Director

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO

BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI-400055	MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1, Vile Parle East, MUMBAI-400057
AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants LGF-C-73, Lajpat Nagar-II, NEW DELHI-110024	S JAYKISHAN Chartered Accountants 12 Ho-chi-minh Sarani, Suite 2D, 2E, 2F KOLKATA – 700071

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Central Bank of India ('the Parent Bank'), its subsidiaries and its associates (collectively referred to as the "Group") comprising of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated financial statements of the Parent Bank audited by us, audited accounts of 2 subsidiaries and 1 associate audited by other auditors and unaudited accounts of 2 associates.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditor on separate financial statements and on other financial information of the subsidiaries and associate, the unaudited financial statements and the other financial information of associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act"), in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
 - a true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2020;
 - a true balance of loss in Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
 - a true and fair view in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No 5.11 and Note 5.12 of Schedule 18 of the consolidated financial statements, which describes that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the Parent Bank's financial performance will depend on future developments, which are highly uncertain.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2020. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters of the Parent Bank to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 5 of Schedule 17 to the financial statements)</p> <p>Advances comprise a substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.</p> <p>Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provision on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Group.</p>	<p>Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> we have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; we have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. <p>In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have,</p> <p>(a) timely recognized the depletion in the value of available security;</p> <p>(b) made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.</p> <p>We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.</p>
<p>2. Investments</p> <p>Investment portfolio of the Group comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.</p> <p>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial statements)</p>	<p>Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,</p> <ul style="list-style-type: none"> We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.</p> <p>As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.</p> <p>Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
<p>3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process</p> <p>The Group's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.</p> <p>The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.</p> <p>The Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.</p> <p>Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.</p>	<p>We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • we obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • we tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • we also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

Key Audit Matters	Auditors' Response
<p>4. Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:</p> <p>Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central/ State Government/ Local Authorities during the period of audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ Departments in the Central Office of the Bank.</p> <p>As the auditors could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/ Departments, auditors have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter.</p> <p>Accordingly, the audit procedures were modified to carry out the audit remotely.</p>	<p>Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused nationwide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/ local administration during the period of the audit, the auditors (including branch auditors of Parent Bank) could not travel to certain Branches/ Departments and carry out the audit processes physically at the respective offices.</p> <p>Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to the auditors by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to the auditors which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period.</p> <p>Accordingly, the audit procedures were modified as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conducted verification of necessary records/ documents/ Form 111/ CBS and other Application software electronically through remote access/ emails in respect of some of the Branches / Departments of the Parent Bank wherever physical access was not possible. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to the auditors through emails and remote access over secure network of the Bank. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. Resolution of audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials of the Parent Bank.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

7. Responsibility of Management and those charged with governance for the Consolidated Financial Statements

The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated state of affairs, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the Group is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosure in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Parent Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matter

9. (i) We did not audit the financial statements of two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹1332.47 crore as at March 31, 2020, total revenues of ₹ 146.09 crore and net cash outflows of ₹ 1.89 crore for the year ended March 31, 2020 as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net loss of ₹ 143.31 crore for the year ended March 31, 2020, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 1 associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our report on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associate is based solely on the reports of the other auditors.
- (ii) The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 18.54 crore for the year ended March 31, 2020, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 2 associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The consolidated Balance sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions, which have come to our notice, have been within the power of the Group; and
 - The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purpose of our audit.

12. We further report that:

- a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
- b. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Group under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Consolidated Balance sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
PARTNER
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
PARTNER
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V.KAMAT)
PARTNER
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

(CA NEMAI GORAI)
PARTNER
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAAN4042

Place : Mumbai

Date : 29th June 2020

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-20 ₹	As at 31-Mar-19 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	5,70,97,627	4,04,72,014
Reserves and Surplus	2	15,82,67,393	15,13,62,928
Minorities Interest	2A	4,53,179	4,34,572
Share Application Money Pending Allotment		–	21,25,409
Deposits	3	3,14,20,11,415	3,00,31,13,856
Borrowings	4	6,07,60,328	5,63,96,659
Other Liabilities and Provisions	5	15,47,84,525	6,49,40,977
TOTAL		3,57,33,74,467	3,31,88,46,415
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	30,02,19,245	20,77,94,497
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6,04,45,599	10,51,81,420
Investments	8	1,42,52,56,688	1,25,45,27,365
Loans & Advances	9	1,51,95,23,754	1,47,42,54,768
Fixed Assets	10	4,33,68,183	4,31,09,150
Other Assets	11	22,44,72,102	23,38,90,319
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		3,57,33,74,467	3,31,88,46,415
Contingent Liabilities	12	56,18,70,308	86,67,30,384
Bills for Collection		14,27,67,407	16,24,73,915
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet..

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAANFN4042

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-20 ₹	Year Ended 31-Mar-19 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	23,67,55,902	22,74,86,195
Other Income	14	3,62,23,979	2,41,63,327
TOTAL		27,29,79,881	25,16,49,522
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	16,00,45,607	15,93,46,579
Operating Expenses	16	6,93,89,948	6,08,01,586
Provisions and Contingencies		5,48,17,444	8,77,78,525
TOTAL		28,42,52,999	30,79,26,690
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before Minority Interest		(1,12,73,118)	(5,62,77,168)
Less: Minority Interest		36,407	57,943
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority Interest		(1,13,09,525)	(5,63,35,111)
Add: Share of earnings/(loss) in Associates		(12,47,709)	1,65,860
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		(1,25,57,234)	(5,61,69,251)
Add: Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		(16,01,01,106)	(10,32,87,865)
Profit Available for Appropriation		(17,26,58,340)	(15,94,57,116)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	-
Investment Reserve		15,70,277	5,63,762
Revenue Reserve		13,304	15,900
Tax on Dividend		4,111	10,730
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		40,920	53,598
Balance Carried over to the Balance Sheet		(17,42,86,952)	(16,01,01,106)
TOTAL		(17,26,58,340)	(15,94,57,116)
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		(2.02)	(20.10)
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		(2.02)	(20.10)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAAFN4042

Place: Mumbai

Date: June 29, 2020

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		5,00,00,000
10,00,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :	5,70,97,627		4,04,72,014	
5709762724 Equity Shares (previous year 4047201437 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 5275014715 Equity shares (previous year 3691169652 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		5,70,97,627		4,04,72,014
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,07,59,131		2,07,59,131
Additions during the year		—		—
		2,07,59,131		2,07,59,131
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		3,07,45,959		3,13,02,429
Additions - Adjustments during the year		—		91,575
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves		(5,68,075)		(6,48,045)
Deductions during the year		(5,51,895)		—
		2,96,25,989		3,07,45,959
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet		1,16,55,145		1,10,91,383
Additions during the year		15,70,277		5,63,762
		1,32,25,422		1,16,55,145
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet		22,15,38,334		16,99,08,791
Additions/Adjustments during the year		1,95,31,935		5,16,29,543
		24,10,70,269		22,15,38,334
IV. Revenue and Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet		2,54,80,952		2,49,18,268
Add: Transfer from Capital Reserves		5,68,075		6,48,045
Addition during the year		11,64,129		22,859
(*) Add: Opening Balance Adjustments		(6,67,192)		2,283
Add/Less: Adjustments during the year		2,137		(1,10,503)
		2,65,48,101		2,54,80,952
V. Special Reserve U/S 36 (1)(viii)				
		13,25,433		12,84,513
VI. Balance in Profit and Loss Account				
		(17,42,86,952)		(16,01,01,106)
TOTAL		15,82,67,393		15,13,62,928

(*) The adjustment is on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	4,28,679		4,10,072	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		4,53,179		4,34,572
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	33,48,395		1,32,14,516	
ii) From Others	15,07,26,625		15,08,78,553	
		15,40,75,020		16,40,93,069
II. Savings Bank Deposits		1,30,19,99,950		1,22,13,88,674
III. Term Deposits				
i) From Banks	3,69,89,420		3,18,29,169	
ii) From Others	1,64,89,47,025		1,58,58,02,944	
		1,68,59,36,445		1,61,76,32,113
TOTAL		3,14,20,11,415		3,00,31,13,856
B.				
i) Deposits of Branches in India		3,14,20,11,415		3,00,31,13,856
ii) Deposits of Branches outside India		—		—
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	66,90,000		—	
ii) Other Banks	26,06,321		37,50,514	
iii) Other Institutions & Agencies	17,73,007		29,55,145	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	53,00,000		53,00,000	
v) Upper Tier II Bonds	1,30,00,000		2,30,00,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vi) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		2,00,00,000	
		6,07,60,328		5,63,96,659
II. Borrowings outside India		—		—
TOTAL		6,07,60,328		5,63,96,659
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	62,03,584		64,54,286	
II. Inter Office Adjustments (Net)	8,77,45,538		—	
III. Interest Accrued	80,63,393		83,71,940	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	—		—	
V. Others(including provisions)	5,27,72,010	15,47,84,525	5,01,14,751	6,49,40,977
TOTAL		15,47,84,525		6,49,40,977

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		1,62,94,338		1,33,78,811
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	17,99,24,907		14,04,15,686	
In Other Accounts	10,40,00,000		5,40,00,000	
		28,39,24,907		19,44,15,686
TOTAL		30,02,19,245		20,77,94,497

SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	8,05,530		6,66,151	
b) In Other Deposit Accounts	2,60,678		9,79,281	
		10,66,208		16,45,432
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	1,93,50,000		19,00,000	
b) With Other Institutions	—		10,15,66,371	
		1,93,50,000		10,34,66,371
TOTAL.... I		2,04,16,208		10,51,11,803
II. Outside India				
a) In Current Accounts	4,00,29,391		69,582	
b) In Other Deposit Accounts	—		35	
c) Money at Call & Short Notice	—		—	
TOTAL.... II		4,00,29,391		69,617
TOTAL.... (I + II)		6,04,45,599		10,51,81,420

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,09,52,05,963		96,23,57,875	
ii) Other approved Securities	—		—	
iii) Shares	54,38,140		83,42,097	
iv) Debentures and Bonds	27,66,12,442		21,46,94,317	
v) Investment in Associates	9,17,892		32,78,914	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	4,55,53,697		6,43,84,140	
		1,42,37,28,134		1,25,30,57,343
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	—		—	
ii) Associates	15,28,554		14,70,022	
		15,28,554		14,70,022
TOTAL		1,42,52,56,688		1,25,45,27,365

* Investments in India :

Gross Value of Investments	1,47,21,31,436		1,29,22,69,548	
LESS: Provision for Depreciation	4,84,03,302		3,92,12,205	
Net Investments		1,42,37,28,134		1,25,30,57,343

** Investments outside India :

Gross Value of Investments	15,28,554		14,70,237	
LESS: Provision for Depreciation	—		215	
Net Investments		15,28,554		14,70,022
TOTAL		1,42,52,56,688		1,25,45,27,365

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	87,07,602		1,11,08,722	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	71,74,91,219		70,62,78,283	
iii) Term Loans	79,33,24,933		75,68,67,763	
TOTAL		1,51,95,23,754		1,47,42,54,768
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	1,46,86,53,692		1,38,05,44,844	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	24,80,671		71,60,273	
iii) Unsecured	4,83,89,391		8,65,49,651	
TOTAL		1,51,95,23,754		1,47,42,54,768
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	73,90,82,594		78,08,25,482	
ii) Public Sector	3,52,55,809		4,18,77,509	
iii) Banks	4,684		11,452	
iv) Others	74,51,80,667		65,15,40,325	
TOTAL		1,51,95,23,754		1,47,42,54,768
(II) Advances outside India				
		-		-

SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS

I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	4,02,29,395		4,03,28,001	
Additions during the year	44,780		14,580	
Total	4,02,74,175		4,03,42,581	
Deduction/Adjustments during the year	49,009		1,13,186	
Total	4,02,25,166		4,02,29,395	
Depreciation to date	79,40,090		73,27,018	
TOTAL.... I		3,22,85,076		3,29,02,377
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	3,12,44,089		2,90,91,778	
Additions/Adjustments during the year	37,43,980		27,59,755	
Total	3,49,88,069		3,18,51,533	
Deductions/Adjustments during the year	7,86,270		6,07,444	
Total	3,42,01,799		3,12,44,089	
Depreciation to date	2,31,18,692		2,10,37,316	
TOTAL.... II		1,10,83,107		1,02,06,773
TOTAL.... (I + II)		4,33,68,183		4,31,09,150

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2020		AS AT 31-Mar-2019	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,99,53,120		1,85,19,612	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	5,37,37,981		5,16,70,499	
III. Stationery and Stamps	2,09,837		2,01,811	
IV. Deferred Tax Assets	7,60,68,866		7,88,21,035	
V. Inter office adjustments (Net).	—		12,55,927	
VI. Others	7,45,02,298		8,34,21,435	
TOTAL		22,44,72,102		23,38,90,319

SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES

I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		10,14,448		10,54,991
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		1,73,71,599		2,57,34,915
II. Liability for partly paid Investments		40,10,248		52,498
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		35,02,01,250		64,44,32,269
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	11,88,38,461		11,56,86,575	
b) Outside India	74,99,916		71,56,062	
		12,63,38,377		12,28,42,637
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		4,27,13,097		6,61,57,213
VI. Other items for which the bank is contingently liable		2,02,21,289		64,55,861
TOTAL		56,18,70,308		86,67,30,384

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020**

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-20 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-19 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	12,60,92,661	13,05,38,318
II. Income on Investments	9,92,49,408	8,46,02,032
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	48,08,903	87,28,057
IV. Others	66,04,930	36,17,788
TOTAL	23,67,55,902	22,74,86,195
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,13,78,451	1,20,69,533
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	1,21,49,423	21,51,879
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	23,03,830	14,04,372
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(2,24,129)	(44,269)
V. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	-	-
VI. Miscellaneous Income	1,06,16,404	85,81,812
TOTAL	3,62,23,979	2,41,63,327
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	15,40,00,683	15,27,48,176
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	8,04,915	7,43,715
III. Others	52,40,009	58,54,688
TOTAL	16,00,45,607	15,93,46,579
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	4,22,58,653	3,57,44,821
II. Rent, Taxes and Lighting	49,53,346	47,40,970
III. Printing and Stationery	3,10,361	2,89,078
IV. Advertisement and Publicity	1,09,291	1,06,284
V. Depreciation on Bank's property	28,54,811	27,79,348
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	17,073	18,525
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	2,82,930	3,05,825
VIII. Law Charges	3,46,065	1,81,712
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,07,565	9,01,393
X. Repairs and Maintenance	10,45,430	9,90,100
XI. Bad Debts Written Off	-	3,757
XII. Insurance	37,86,203	30,01,136
XIII. Other Expenditure	1,25,18,220	1,17,38,637
TOTAL	6,93,89,948	6,08,01,586

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 a) Basis of Preparation

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2 Consolidation Procedures

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 3 Associates [including 2 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.
- Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.
- The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit/loss is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.
- The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- The minority share of movements in equity since date of parent – subsidiary relationship came into existence.

3 Transactions involving Foreign Exchange

- The transactions are initially recorded on previous day's closing rate
- Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL) and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

- 3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 3.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FIBIL.
- 3.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FIBIL and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

4 Investments

(A) Parent Bank

4.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

4.2 Basis of Classification

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

- i) Held to Maturity:
These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.
- ii) Held for Trading:
Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.
- iii) Available for Sale:
Investments that cannot be classified in the above categories.

4.3 Transfer of Securities between categories

The transfer / shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Valuation

- a) Held to Maturity
The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.
Investments in subsidiaries and associates are valued at acquisition cost.
- b) Available for sale
Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL)
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.

iv)	Equity Shares	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted: (Traded in last 15 days) at last Trade Price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted: At market price. b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FIBIL). The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

4.5 Determination of Cost

- Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.
- Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

4.6 Income Recognition

- The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.
- The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

(B) Subsidiaries

4.8 In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5 Derivatives**5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :**

- i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

- i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit and loss account on final settlement.
- iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

6 Advances

6.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

6.2 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) / Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

6.3 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

6.4 Financial Assets sold are recognized as under:

- i) In case the sale to Securitisation Company (SC) / Asset Reconstruction Company (ARC) is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.
- ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.
- iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

6.6 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

7 Fixed Assets/Depreciation

(A) Parent Bank

7.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters, etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

7.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

7.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount are charged to Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

7.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

(B) Subsidiaries

7.6 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.

7.7 Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

8 Employee Benefits

8.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

8.2 Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognized in the year when they arise.

8.3 Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

8.4 National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Banks pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

8.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Government Provident Fund and is charged to the Statement of Profit and Loss. The provision of leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees as at the year end.

9 Recognition of Income and Expenditure

9.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

9.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

- 9.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 9.4 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- 9.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.
- 9.6 In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture and Security Trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

10 Income Tax

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realized against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

11 Earnings per Share

The basic and diluted earnings per share have been computed by dividing the Net Profit / Loss attributable to the equity share holders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the reporting period.

12 Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries can not be ascertained, have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

13 Provisions, Contingencies and Contingent assets

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAAFN4042

Place: Mumbai

Date: June 29, 2020

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1 Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of Profit / Loss in three Associates consisting of two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2020	Ownership interest as at March 31, 2019
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

Note:

The Government of India through a gazette notification F.No.7/8/2017-RRB(Madhya Pradesh) dated January 11, 2019 approved the scheme of amalgamation between Narmada Jhabua Gramin Bank (Sponsor Bank being Bank of India) and Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Sponsor Bank being Central Bank of India) into a single Regional Rural Bank which is called Madhya Pradesh Gramin Bank under the sponsorship of Bank of India. The amalgamation had come into effect from April 1, 2019. As a result Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara is not considered an Associate of the Bank for the year ended March 31, 2020.

- 1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2020, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on audited figures for nine months ended 31.12.2019 and unaudited figures for three months ended 31.03.2020. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.
- 1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.
- 1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received / liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.
- 1.5 Financial Statements of Subsidiaries and Associates are audited by other Auditors except two RRBs (Associates) namely Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank which is unaudited, certified by the Management.

2 In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of Management of the Bank the same are not material.

3. PARENT BANK

3.1 Capital:

3.1.1 Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2020 is ₹ 5709.76 crore increased from ₹ 4047.20 crore of previous year by issue of fresh 1662561287 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

- 78716224 Equity Share of ₹ 10 each allotted to eligible employees of Central Bank of India at premium of ₹ 17.00 on 15.05.2019
- 1583845063 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 11.17 on 26.11.2019.

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 Income Tax:

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1735.07 crore (previous year ₹ 2569.16 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

3.4 Premises:

Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 0.75 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.

In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 112.00 Crore (previous year ₹ 64.80 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.5 Advances / Provisions:

3.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

3.5.3 Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2018-19 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	32356.04
2.	Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	34921.04
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	2565.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	11333.24
5.	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	13898.24
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	2565.00

Sr. No.	Particulars	Amount
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	19933.58
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	20721.58
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	788.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019	(5641.48)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(6429.48)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the year ended March 31, 2020.

3.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.27 crore (previous year ₹ 1.16 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

The penalties imposed by RBI on Treasury operations during Financial Year 2019-20 under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949, for contravention of any of the provisions of the act or non compliance with any other requirements of the Banking Regulation Act, 1949; order, rule or condition specified by Reserve Bank of India under the Act is NIL

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However the said income is not considered to be material.

4.2 Accounting Standard 15 (Revised) - Employee Benefits

4.2.1 Employee Benefits:

i) Defined Contribution Plan:

National Pension Scheme (NPS):-

During the year, Parent Bank has recognized ₹ 91.85 crore (Previous year ₹ 79.62 crore) as contribution to NPS in profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plan:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations of the Parent Bank is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1,648.13	14,245.10	1,741.56	13,821.17
Interest Cost	128.39	1,108.27	136.36	1,076.67
Current Service Cost	64.61	71.81	66.18	83.98
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost(Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transfer in	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability Transfer out	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefit Paid	(300.88)	(1,191.08)	(270.50)	(1,170.59)
Actuarial (gain)/loss on obligations	82.98	1,187.72	25.47	433.87
Liability at the end of the year	1,623.23	15,421.82	1648.13	14,245.10

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020		31.03.2019	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1,878.26	14,645.14	2124.94	13,515.58
Expected return on Plan Assets	146.32	1,139.39	166.38	1,048.81
Contributions	0.00	0.00	(100.00)	1,324.00
Transfer from Other Company	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer from / to Company	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefit paid	(300.88)	(1,191.08)	(270.50)	(1,170.59)
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,720.32	14,939.64	1878.26	14,645.14
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(86.36)	(841.53)	(17.09)	(506.33)
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:				
Current Service Cost	64.61	71.81	66.18	83.98
Interest Cost	128.39	1108.27	136.36	1076.67
Expected Return on Plan Assets	(146.32)	(1139.39)	(166.38)	(1048.81)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	0.00	0.00	0.00	0.00
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	0.00	0.00	0.00	0.00
Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial (Gain) or Loss	86.36	841.53	17.09	506.53
Expenses Recognized in P & L	133.04	882.22	53.25	618.37
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	146.32	1,139.39	166.38	1048.81
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	(3.38)	346.19	(42.56)	(72.66)
Actual return on plan assets	142.94	1,485.58	123.82	976.15
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(6.34)	12.65	(29.08)	422.24
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	3.38	(346.19)	(42.56)	72.66
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	6.84	6.83	7.79	7.78
Rate of return on Plan Assets Current	6.84	6.83	7.79	7.78
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50

Other long term benefits:

During the year, Parent Bank has recognized expenses of ₹ 99.27 crore (Previous year ₹ 84.09) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

4.2.2 The Cent Bank Home Finance Ltd, the subsidiary, provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit and Loss Account and the Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2020. The same has been provided for the year ended 31.03.2020.

4.3 Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

BUSINESS SEGMENTS

(₹ In Crore)

Business Segments Particulars	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	12,252.52	10,016.80	7,212.85	7,115.12	7,830.39	8,028.83	2.23	4.20	27,297.99	25,164.95
Result	2,380.29	10.77	-2,802.95	-8,268.62	-459.30	280.27	0.80	2.75	-881.16	-7,974.83
Unallocated Expenses									156.91	162.09
Operating Profit									-1,038.07	-8,136.92
Income Taxes									217.65	-2,520.00
Extraordinary profit/loss										
Net Profit									-1,255.72	-5,616.92
Other Information:										
Segment Assets	1,76,075.99	1,62,107.96	82,540.75	72,130.18	83,441.22	82,189.87	11.05	17.33	3,42,069.01	3,16,445.34
Unallocated Assets									15,268.43	14,439.30
Total Assets									3,57,337.45	3,31,884.64
Segment Liabilities	1,81,122.41	1,66,200.97	77,633.98	68,454.78	77,038.73	77,827.81	5.82	5.05	3,35,800.94	3,12,488.61
Unallocated Liabilities										
Total Liabilities									3,35,800.94	3,12,488.61
Capital Employed	-5,046.42	-4,093.01	4,906.77	3,675.40	6,402.49	4,362.06	5.23	12.28	6,268.07	3,956.73
Unallocated									15,268.43	15,439.30
Total Capital Employed									21,536.50	19,396.03

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

- i) Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible.
- ii) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.
- iii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iv) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- v) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- vi) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vii) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.
- viii) Allocation of cost:
 - a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

4.4 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

1 List of Related Parties:

- a. Key Managerial Personnel as on 31.03.2020

S. No	Name	Designation
i)	Mr. Pallav Mohapatra (w.e.f. 21.09.2018)	Managing Directors & CEO
ii)	Mr. P.R. Murthy (Upto 16.02.2020)	Executive Director
iii)	Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director
iv)	Mr. Alok Srivastava (w.e.f. 23.01.2019)	Executive Director

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons: (₹ in Lakh)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2020	31.03.2019
Mr. Pallav Mohapatra	Managing Director & CEO	31.77	14.68
Mr. Rajeev Rishi (upto 31.07.2018)	Managing Director & CEO	–	39.50
Mr. P.R. Murthy (upto 16.02.2020)	Executive Director	82.88	24.98
Mr. Bajrang Shekhawat	Executive Director	24.47	24.47
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	26.14	4.60
TOTAL		165.26	108.23

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

4.5 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows: (₹ in Lakh)

	31.03.2020	31.03.2019
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(1255.72)	(5616.92)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	6210075175	2794601814
Basic Earnings per Share (₹)	(2.02)	(20.19)
Diluted Earnings per Share (₹)	(2.02)	(20.19)
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

4.6 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management’s estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 7606.88 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2020.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2020 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Parent Bank:-				
Business Loss	1591.74	346.89	0.00	0.00
Provision for Leave Encashment	285.56	250.87	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	6579.73	8004.11	0.00	0.00
Retiral Benefits	0.00	0.00	33.93	0.00
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	695.83	645.15
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	75.53	27.77
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	7.14	4.29		0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.02	0.00		0.01
Others	0.10	0.00	1.37	1.60
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	16.37	15.18
CentBank Financial Services Ltd. (Net)	0.56	0.60	0.00	0.00
TOTAL	8464.85	8606.76	857.97	724.65
Net Deferred Tax Asset/Liability	7606.88	7882.11		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2019-20 is ₹ 275.23 crore (Previous year increase of ₹ 2524.52 crore) has been recognized in profit & loss account.

4.7 Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2020, requiring recognition in terms of the Standard.

4.8 Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

i) Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2020	31.03.2019
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	1065.54	983.88
Provision towards NPA	4229.40	11029.86
Provision towards Standard Asset	172.34	(114.93)
Provision made for Taxes	211.86	(2528.74)
Provision for Restructured Advances	(158.82)	(425.02)
Other Provisions	(54.83)	(177.08)
TOTAL	5465.49	7837.89

ii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

5 Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, has spent ₹ 0.42 crore (Previous year ₹ 0.39 towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (inclusive of Technical write off) stood at 77.29 % (Previous Year 76.60%) – Parent Bank.

The PCR (exclusive of Technical write off) stood at 64.61 % (Previous Year 64.97%) – Parent Bank.

5.3 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹1.59 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹1.50 crore as at 31.03.2019 and has increased to ₹ 1.59 crore as at 31.03.2020. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 1500 Crore as on March 31, 2020 (Previous year ₹ NIL) were issued on risk sharing basis for period of 91 days to 180 days thereby reducing the Parent Bank's Total Advances as on March 31, 2019 to same extent.)

5.6 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Group, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5.7 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS. CO. ITC. BC. No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the Parent Bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 20.05.2020.

5.8 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.9 Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI circular No. DBR No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP .1906 /21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Parent Bank is holding total provision of ₹ 5813.74 crores (92.46% of total outstanding) as on March 31, 2020.

5.10 With a view to facilitate meaningful restructuring of MSME accounts {MSME as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 } that have become stressed, RBI vide notification RBI/2018-19/100 DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018 -19 January 1, 2019 & subsequent notification RBI/2019-20 /160 DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 February 11, 2020, it has been decided to permit a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without a downgrade in the asset classification. The details of MSME restructured accounts as on 31.03.2020 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in Crore
17480	697.52

5.11 DISCLOSURE IN RESPECT OF COVID19 REGULATORY PACKAGE – ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING IN TERMS OF RBI CIRCULAR DATED 17.04.2020 OF PARENT BANK

RBI vide Notification No. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020, has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures include Rescheduling of Payments – Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Accounts (SMA) and Non- Performing Asset (NPA) etc.

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 dated April 17, 2020, the Bank would be granting a moratorium of three months on the payment of all installments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020 to all eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of days past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms).

The Impact of above circulars is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended	33577.18
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	2,864.99
3	Provisions made during the Q4, FY 2019-20	143.25
4	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	NIL

5.12RBI vide an email dated 19th May 2020 advised the Public Sector Banks that the requirement for reporting on "Whether the bank has adequate Internal Financial Controls with reference to Financial Statements and the operating effectiveness of such controls" in the Independent Auditors' Report is optional for financial year 2019-2020 which the Parent bank has not opted.

5.13The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Group's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Group is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Group's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

5.14Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAA AFN4042

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31-03-2020	31-03-2019
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	(1,034.43)	(8,131.13)
I Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	285.48	277.93
Depreciation on investments (including on matured debentures)	1,065.54	983.88
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	4,079.06	10,628.26
Provision for Standard Assets	174.10	(115.75)
Provision for Other items (Net)	(54.61)	(198.54)
(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	22.41	4.43
Sub total	4,537.56	3,449.08
II Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	13,889.76	4,956.90
Increase / (Decrease) in Borrowings	436.37	(386.02)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	8,789.87	(1,103.14)
(Increase) / Decrease in Advances	(8,605.96)	(574.21)
(Increase) / Decrease in Investments	(18,138.47)	(23,667.15)
(Increase) / Decrease in Other Assets	927.96	2,635.91
Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	(149.18)	178.64
Sub total	(2,849.67)	(17,959.07)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	1,687.89	(14,509.98)
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	7.18	3.48
Purchase of Fixed Assets	(321.96)	(254.42)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(314.78)	(250.94)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital (Including Share Premium)	3,403.22	6,592.00
Share Application Money	-	212.54
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(7.00)	(7.00)
Dividend Tax	(0.44)	(1.43)
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	3,395.78	6,796.11
D Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	4,768.89	(7,964.81)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31-03-2020	31-03-2019
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	20,779.45	36,000.12
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	10,518.14	3,262.29
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	31,297.59	39,262.41
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	30,021.92	20,779.45
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,044.56	10,518.14
Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	36,066.48	31,297.59

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

SMT. MINI IPE
Director

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755
UDIN:20133755AAAACL3842

(CA A.V.KAMAT)
Partner
M.No.039585
UDIN:20039585AAAADX1018

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348
UDIN:20093348AAAABE4853

(CA NEMAI GORAI)
Partner
M.N.No.057892
UDIN:20057892AAAAFN4042

Place: Mumbai
Date: June 29, 2020



‘लोगो’ किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

The logo captures the personality of an organisation and projects it to the outside world. In Keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India’s personality has also morphed through the years to represent the Bank’s ability to keep up with the times.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह ‘लोगो’ विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.



बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए ‘लोगो’ को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.



‘लोगो’ को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.



‘लोगो’ में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.



	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए 'केन्द्रित' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911	

www.centralbankofindia.co.in

हमें लाइक करें:
Like us on:



<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>

हमें फॉलो करें:
Follow us on:



https://twitter.com/centralbank_in

केन्द्रीय कार्यालय, चंदरमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400 021
Central Office, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021